जिला आपदा प्रबन्ध योजना

DDMP

जनपद श्रावस्ती

2019–20

योगानन्द पाण्डेय
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
श्रावस्ती

ओ0पी0 आर्य
जिलाधिकारी
श्रावस्ती

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पेज संख्या
1	Map of District	1
2	Chapter-1 Introduction	2-13
3	Chapter-2 Hazard Vulnerability, Capacity and Risk Assessment	14-16
4	Chapter-3 Institutional arrangement for DM	17-75
5	Chapter-4 Prevention and mitigation measures	76-81
6	Chapter-5 Preparedness measures	82-99
7	Chapter-6 Capacity Building and Training measures	100-106
8	Chapter-7 Response and Relief measures	107-142
9	Chapter-8 Recontrucion, Rehabilitaion and recovery	143-152
10	Chapter-9 Financial resoureces for implementation of DDMP	153-154
11	Chapter-10 Procedure and methodology for monitoring evaluation updation and maintainance of DDMP	155-157
12	Chapter-11 Coordinnation mechanism for implementation of DDMP	158-161
13	Chapter-12 Standard operation procedure and checklist	162-204
14	Annexure- directories & media etc.	205-209

जनपद-श्रावस्ती

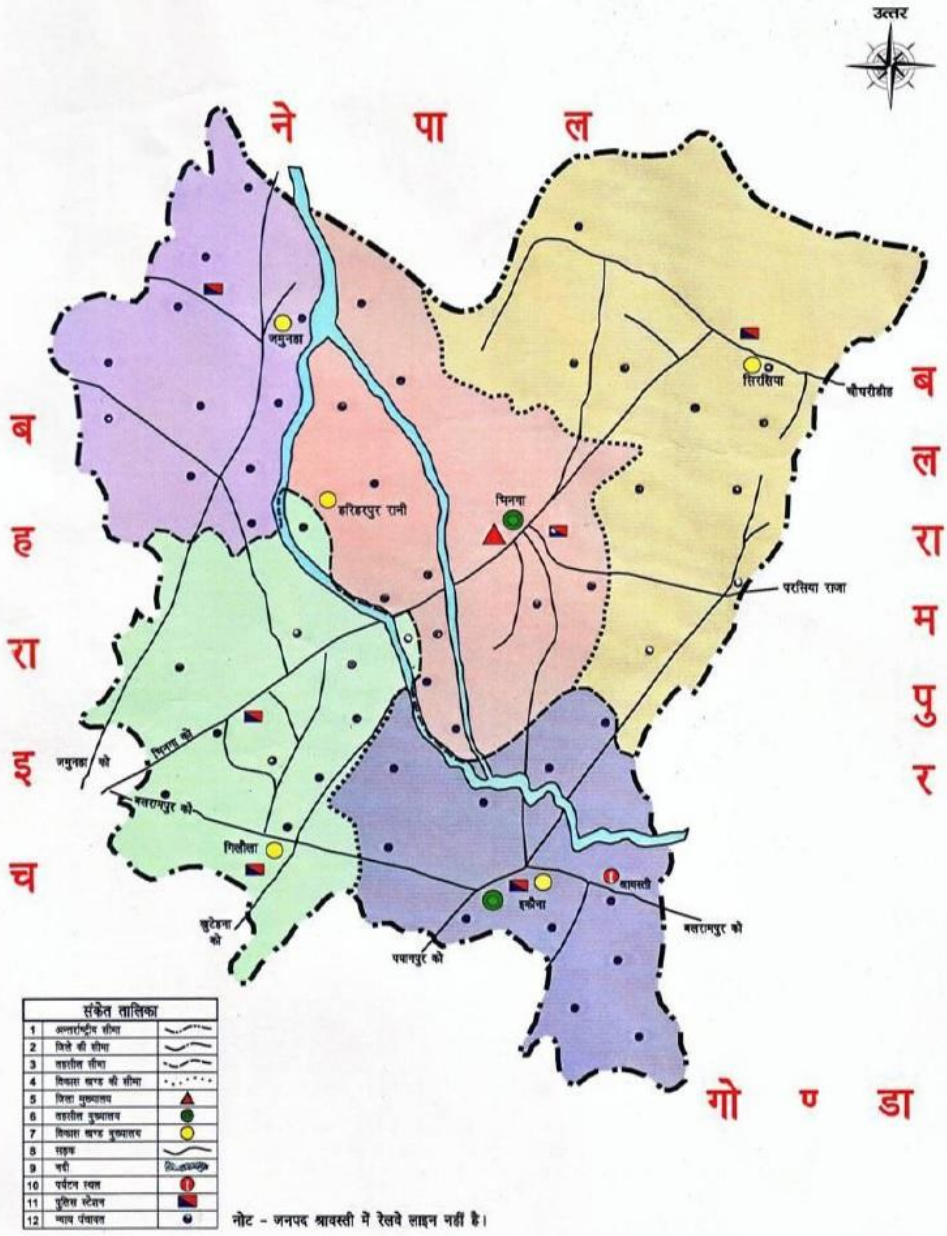

संकेत तालिका		
1	अन्तर्राष्ट्रीय सीमा	
2	जिले की सीमा	
3	तहसील सीमा	
4	विकास खण्ड की सीमा	
5	जिला मुख्यालय	
6	तहसील मुख्यालय	
7	विकास खण्ड मुख्यालय	
8	सड़क	
9	नदी	
10	पर्यटन स्थल	
11	पुलिस स्टेशन	
12	न्याय पंचायत	

नोट - जनपद श्रावस्ती में रेलवे लाइन नहीं है।

Chapter-1 Introduction

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का गठन

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण श्रावस्ती का गठन शासनादेश सं0 248/01.11.2012,राजस्व अनुभाग –11 दिनांक 11.04.11 के अनुसार आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के दृष्टिगत् सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत संख्या 617/2014–15 दिनांक 12–08–2014 को प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। प्राधिकरण में निम्न सदस्य नामित है :–

1.	जिलाधिकारी,	अध्यक्ष
2.	जिला पंचायत अध्यक्ष,	सह–अध्यक्ष
3.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,	सदस्य
4.	जिला चिकित्साधिकारी,	सदस्य
5.	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),	सदस्य
6.	अधिशासी अभियन्ता स0न0ख0–6 बहराइच,	सदस्य
7.	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,	सदस्य

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की प्रथम बैठक दिनांक 20–04–2019 एवं 29–05–2019 को सम्पन्न हुई, जिसमे आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा निम्नांकित कार्य सर्वसम्मति से किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम और डिस्ट्रिक्ट रिस्पांस योजना तैयार करना
2. राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं में समन्वय करना
3. आपदा की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में आपदा न्यूनीकरण हेतु के कदम उठाना
4. आपदा प्रबन्धन की योजनाओं को लागू कराना और नजर रखना
5. जिलें में विभागों, और अन्य स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देना
6. जिले में निर्माण कार्य और अन्य परियोजनाओं पर इस प्रकार नजर रखना जिससे कि वे आपदा का कारण न बनने पाए
7. जर्जर और खतरनाक इमारतों और जगहों को चिन्हित कराना

आवश्यक कार्यों के लिए बजट उपलब्ध कराना :–

वित्तीय कोष का गठन–

प्राधिकरण के संचालन हेतु स्थानीय बैंक में खाता संचालित है जिसमें विभिन्न माध्यमों से चंदे के रूप में कोष एकत्रित किया जा रहा है।

आमुख

जनपद श्रावस्ती में 10,76,166 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 38,449 जनसंख्या नगर क्षेत्र में निवास करती है। जनपद के लोगो की मुख्य आजीविक साधन कृषि है। जनपद की कुल कृषि जोत 134594 हे0 हैं। मुख्यतया जनपद की कृषि उपज वर्षा के जल पर आधारित हैं

जनपद की प्रमुख दैवीय आपदा बाढ़ है। जिसके कारण विगत वर्षो में काफी जन –धन की हानि हुई है। तथा यहाँ की कृषि उपज के साथ –साथ, मूलभूत संरचनाओं एवं विकास कार्यक्रमो पर काफी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा हैं। वर्ष 1998 , 2001 एवं 2007 में जनपद की भीषणतम बाढ़ त्रासदी का अहसास किया गया। जनपद में स्थित राप्ती नदी अपने उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर गयी थी। इन वर्षो में जनपद का बहुत बड़ा भू–भाग प्रभावित हुआ था । कृषि व जन–धन की काफी क्षति हुई, बचाव एवं राहत कार्य हेतु पी.ए.सी की सहायता लेनी पड़ी । वर्ष 2001 में नदी के पानी के दबाव के कारण बहराइच–भिनगा मुख्य मार्ग पर स्थित भाखला घाट के पास नदी अपना मार्ग बदल रही थी जिसमें मुख्य मार्ग के कट जाने की सम्भावना बढ़ गयी थी, उसे रोकने के लिए स्पर बनाकर रोका गया। वर्ष 2007 की बाढ़ विभीषिका ने बाढ़ के एक नए रूप को दृष्टिगोचर किया । इस वर्ष की बाढ़ से बहराइच–भिनगा मुख्य मार्ग कट गया जिससे जनपद का सम्पर्क अन्य जगह से टूट गया था और यहं तक कि कलेक्ट्रेट परिसर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। अर्हनिश प्रयास के बाद मार्ग को यथावत स्थिति में करके स्थिति सामान्य किया गया। यद्यपि बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण कोई बड़ी जनहानि नही हुई किन्तु बाढ़ की बार बार पुनरावृत्ति ने जनपद की बाढ़ तैयारियों की बार–बार परीक्षा ली एवं सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को काफी क्षति पहुँचायी। वर्ष 2002 और वर्ष 2004 में जनपद में भीषण सूखे की स्थिति रही, शासन द्वारा जनपद को सूखा ग्रस्त घोषित कर दिया गया । वर्ष 2009–2010 में जनपद में दो चरणों में बाढ़ आयी। वर्ष 2014 में दिनांक 15 अगस्त को नेपाल से अचानक पानी छोड़े जाने से जनपद में भयानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। बाढ़ से जनपद के 198 ग्राम प्रभावित हो गये थे। इस अप्रत्याशित बाढ़ से 12 जनहानि और 159 पशुहानि और 21721 कच्चा/पक्का मकान/झोपड़ी नष्ट हो गये थे। इसके अतिरिक्त बहराइच–भिनगा मुख्य मार्ग किमी0 25 पर लक्ष्मननगर के पास लगभग 100मी0 रोड कट जाने से आवागमन ठप्प हो गया था, जो जिला प्रशासन के अर्हनिश प्रयास से अस्थायी मरम्मत के उपरान्त दिनांक 21–8–2014 के सांय से आवागमन बहाल हो पाया था। वर्ष 2015 में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। वर्ष 2016 में दिनांक 27–07–2016 को अतिवृष्टि एवं नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ की स्थिति से कुल 92 (तहसील भिनगा–34 जमुनहा–18 तहसील इकौना–40) ग्राम प्रभावित हो गये थे। बाढ़ से 02 व्यक्तियों की पानी के तेज बहाव में बहकर मृत्यु हो गयी। इस बाढ़ से 90 लोगों के मकान की क्षति हुई। इसके अतिरिक्त बहराइच–मुख्य मार्ग किमी0 25 पर राइट साइड पर बने पुल में दरार उत्पन्न हो गयी थी जिसे प्रशासन के विशेष प्रयास से मरम्मत कराकर आवागमन बहाल कराया गया। बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्य हेतु 26वीं पी0ए0सी0 फ्लड 14 मोटरबोट की सहायता ली गयी। वर्ष 2017 में दिनांक जनपद श्रावस्ती में दिनांक 12–08–2017 को हुई अतिवृष्टि एवं नेपाल के पहाड़ों से आये पानी के कारण जनपद में स्थित राप्ती बैराज पर खतरे के निशान 127–70 से बढ़कर जलस्तर 130.150मी0 हो गया, जिससे कुल 190 राजस्व ग्राम (तहसील भिनगा– 71, जमुनहा–48, इकौना–71) जलप्लावन से प्रभावित हो गये । इस बाढ़ से 46030परिवार के लगभग 232370 लोग प्रभावित हुये। इसके अतिरिक्त बहराइच–भिनगा मुख्य मार्ग किमी 25 पर लक्ष्मननगर के पास मार्ग कट जाने का खतरा उत्पन्न हो गया, जिसे युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य कराकर आवागमन बहाल कराया गया। बाढ़ के पानी में बहकर 08 लोगों की मृत्यु हो गयी थी तथा लोगों के 3492 कच्चे /पक्के मकानों की क्षति हुई। नदी के पानी के अत्यधिक प्रवाह के कारण सड़कें, स्कूल, आदि का नुकसान हुआ है। बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यो हेतु NDRF की दो प्लाटून एवं चार प्लाटून फ्लड पी0ए0सी0 एवं 30 मोटरबोट की सहायता ली गयी तथा स्थानीय स्तर की 30 नावें लगाकर बचाव कार्य कराया गया। इनकी सहायता से बाढ़ में फंसे लोगों को 18 बाढ़ चौकियों एवं अन्य ऊँचे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

शासनादेश संख्या 950 दिनांक 21.08.2017 के अर्न्तगत निर्धारित 16 प्रकार की राहत सामग्री (आटा–10कि0ग्रा0, चावल–10कि0ग्रा0, आलू–10किग्रा0, लाई–5किग्रा0,भुना चना–2कि0ग्रा0, दाल अरहर–2किग्रा0, नमक–500ग्रा0, हल्दी–200ग्रा0, मिर्च–200ग्रा0, धनिया–200ग्रा0, मोमबत्ती–1 पैकेट, माचिस–1 पैकेट, बिस्कुट–10 पैकेट, रिफाइन्ड–1ली0, केरोसिन–5ली0, क्लोरीन टेबलेट–10) जनपद के प्रभावित 46030 परिवारों को उपलब्ध कराया गया है। सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों द्वारा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत सहायता के रूप में लंच पैकेट–97668, आटा–4603कु0 कु0, चावल–4603 कु0, दाल–920.60 कु0, नमक–230.15 कु0, आलू–4603 कु0, माचिस–46030 पै0, मोमबत्ती–46030 पै0, तिरपाल–15874 मी0, लाई–2301.50कु0, चना–920.60कु0, पारले बिस्कुट–460300पैकेट, पानी का पाउच–113700ली0, पिसी हल्दी–46030पैकेट, पिसी धनिया–46030पैकेट, पिसी मिर्चा–46030पैकेट, रिफाइन्ड तेल–46030ली0, मिट्टी का तेल–210785 ली0 वितरित किया गया। बाढ़ से मृतक 8लोगों के आश्रितों को अनुमन्य प्रत्येक 4.00 लाख के हिसाब से कुल 32.00 लाख अनुग्रह सहायता की धनराशि तत्काल उपलब्ध करायी गयी और पशुचारे के रूप में 667.35कु0 भूसा भी वितरित कराया गया था। वर्ष 2018 में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी।

पूर्व के अनुभवों के आधार पर यह देखा गया है कि जलवायु में हो रहे परिवर्तनों के कारण आपदाओं का स्वरूप, समय तथा व्यापकता में परिवर्तन आ रहा है। अध्ययन कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के साथ आयोजित की गयी कार्यशालाओं एवं समय–समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में वर्ष 2019–20 की जिला आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण योजना तैयार करने का प्रयास किया गया है।

यह योजना विभिन्न सरकारी विभागो जनप्रतिनिधियों की सहभागिता तथा आपदा होने की स्थिति में उसके कारण होने वाली क्षति को न्यूनतम करने के दृष्टिगत परिष्कृत कर तैयार की गयी है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों, आयुक्त देवी पाटन मण्डल, गोण्डा के निर्देशों जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के विचारों का सम्यक समावेश आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण योजना में किया गया है आपदा न्यूनीकरण हेतु संम्बन्धित विभागों यथा सिंचाई, चिकित्सा, पशुचिकित्सा, खाद एवं रसद, लोक निर्माण विभाग, विद्युत, जल निगम, आदि की कार्य योजनाओं को जनपद की इस योजना में शामिल किया गया है।

आशा है कि यह योजना जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत आपदाओं से निपटने तथा उससे होने वाली क्षति को कम करने एवं विभिन्न विभागों के कार्यों तथा गतिविधियों में आपदा न्यूनीकरण के तत्वों के समावेश में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। न्यूनीकरण योजना के संबंध में उसके बेहतर प्रभाव व उपयोग के दृष्टिगत दिये जाने वाले सुझावों का स्वागत किया जायेगा तथा योजना में समाविष्ट किया गया है।

(ओ0पी0 आर्य)
जिलाधिकारी,
श्रावस्ती

जनपद श्रावस्ती की ऐतिहासिक प्रशासनिक परिचय

ऐतिहासिक विशेषताऐं

बौद्धग्रन्थ महापरिनिब्बान सुत्त के अनुसार गौतमबुद्ध के निर्वाण के समय भारत में छः प्रमुख नगर थे–चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी एवं वाराणसी। भारतवर्ष में सल्तनतकाल के पूर्व के नगरों में हस्तिनापुर, द्वारिका, अयोध्या, पाटलिपुत्र, धारा, आन्हिलपट्टन, कान्यकुब्ज आदि के साथ ही श्रावस्ती का नाम भी प्राचीन भारतीय साहित्य में उल्लिखित है।

लार्ड कनिंघम के पर्यवेक्षण में 1862 ई0 में श्रावस्ती में हुए पुरातात्विक उत्खनन से ही श्रावस्ती के अस्तित्व का संकेत मिला। साहित्यिक स्रोतों के अनुसार चीनी बौद्ध यात्री फाह्यान और ह्वेनसांग दोनों ने श्रावस्ती की यात्रा की थी। बौद्ध अनुश्रतियों के अनुसार श्रावस्ती में ही महात्मा बुद्ध द्वारा अंगुलिमाल नामक दस्यु के ह्रदय परिवर्तन की घटना हुई थी।

गौतमबुद्ध के काल अर्थात छठी शताब्दी ई0पू0 में भारत में 16 बड़े राज्यों का उल्लेख मिलता है, जो महाजनपद कहलाते थे। इन राज्यों में एक महत्वपूर्ण राज्य कोशल था। बौद्ध ग्रन्थों के अतिरिक्त भागवत पुराण तथा पाणिनी कृत अष्टाध्यायी में कोसल का उल्लेख है। कोसल में सूर्यवंशीय क्षत्रियों का शासन था, जिनके पूर्व पुरूष इक्ष्वाकु के नाम पर कोसल प्रदेश को इक्ष्वाकु प्रदेश भी कहते थे। शतपथ ब्राह्मण में कोसलीय इक्ष्वाकु का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इक्ष्वाकु वंश की छठी पीढ़ी में उत्पन्न युवनाश्व के पुत्र श्रावस्त द्वारा संस्थापित श्रावस्ती'' उत्तर कोसल'' की राजधानी थी।

उल्लेखनीय है कि हिमालय पर्वत एवं सरयू नदी के मध्यवर्ती भूभाग को उत्तर कोसल और गंगा नदी एवं विन्ध्य पर्व के मध्यवर्ती भूभाग को दक्षिण कोसल कहा जाता था। रामकथा के अनुसार भगवान श्रीराम की माता अपराजिता कोसल नरेश भानुमान की एकलौती पुत्री थीं। कोसल नरेश की राजकुमारी होने के कारण ही उन्हें कोसल्या कहा गया है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में भगवान राम के पूर्वज रघु के पिता दिलीप को ''उत्तर कोसलेश्वर'' कहा है। महाराजा दिलीप के काल तक श्रावस्ती कोसल देश की प्रमुख राजधानी थी। रघु से लेकर राम के शासनकाल तक अयोध्या प्रमुख राजधानी रही और श्रावस्ती द्वितीय राजधानी रही। भगवान श्रीराम के पुत्र लव से लेकर महात्मा बुद्ध के समकालीन सम्राट प्रसेनजित के शासनकाल तक श्रावस्ती सूर्यवंशीय क्षत्रिय सम्राटों की राजधानी बनी रही। प्रसेनजित के पुत्र विरूदक की अकाल मृत्यु के पश्चात उत्तर कोसल का साम्राज्य प्रसेनजित के जामाता मगथ नरेश अजातशत्रु के नियन्त्रण में चला गया। मगथ साम्राज्य के अधीन होने के बाद श्रावस्ती पहले मौर्य और फिर गुप्त सम्राटों की छत्रछाया में पुष्पित होती रही।

मध्य एशिया की हूण नामक बर्बर जाति के राजा तोरमाण ने पश्चिमोत्तर भारत को विजित कर स्यालकोट को अपनी राजधानी बनाया। तोरमाण का उत्तराधिकारी मिहिरकुल परम बौद्ध द्रोही था। उसने श्रावस्ती पर पर आक्रमण कर बौद्ध मठों का ध्वंस और बौद्ध मतावलम्बियों का संहार कराया।

भारहुत में वेष्टिनी (वेदिका) के फलक पर बौद्ध धर्म से सम्बन्धित कई घटनायें प्रदर्शित है। एक चित्र में श्रेष्ठि अनाथपिण्डक की दानशीलता का अंकन है। श्रावस्ती के सुदत्त नामक व्यापारी जो अनाथपिण्डक के नाम से प्रसिद्ध हो गया था, ने महात्मा बुद्ध को श्रावस्ती आने का निमन्त्रण दिया था। उत्तर मिला कि संघाराम बनने के बाद बुद्ध श्रावस्ती आयेंगे, इस कारण श्रेष्ठि ने राजकुमार जेत से भूमि –जेतवन–खरीदना चाहा। राजकुमार जेत ने अनाथपिण्डक के समक्ष एक कठिन शर्त रखी कि जितनी भूमि को तुम सोने के सिक्कों से ढक सको उतनी भूमि उन सिक्कों के बदले तुम्हें दे दी जायेगी। श्रेष्ठि अनाथपिण्डक ने इस चुनौती को स्वीकार किया। भारहुत वेष्टिनी के फलक पर उत्कीर्ण चित्रावलि में बैलगाड़ी से कार्षापण (स्वर्ण सिक्के) को उतारकर भूमि पर फैलाया जा रहा है। दायीं ओर नीचे कुटिया (आराम) बनी है, बांये ऊपर की ओर अनाथपिण्डक जलपात्र लिये उस कुटिया (आराम) को दान कर रहा है। गोलाई के नीचे प्रस्तर पर ब्राह्मी लिपि में लिखा है –'' जेतवन अनाथपिण्डकों देति कोटि संथतेन केता''। जो भी हो अनाथपिण्डक के निमंत्रण पर महात्मा बुद्ध अनेक भिक्षुओं के साथ श्रावस्ती पधारे और उन्होंने उसी जेतवन विहार में निवास किया। यह घटना बोध गया की वेदिकाओं पर भी उत्कीर्ण है। बौद्ध ग्रंथ चुल्लवग्ग एवं जातकों भी श्रावस्ती के श्रेष्ठि सम्बन्धी कथा का वर्णन है। श्रावस्ती के जेतवन विहार में गौतम बुद्ध ने वर्षा ऋतु के चतुर्मास में 25 वर्षावास किये। इस दौरान वहां उन्होंने कई प्रसिद्ध प्रवचन दिये जिनमें जटिलसुत्त, चुलहत्तिपदापम–सुत्त, महाहत्थिपदोपम सुत्त, अस्सलायन सुत्त, महाराहुलोवाद सुत्त, पाट्ठपाद सुत्त, ग्राह्मणधम्मिय सुत्त, अंगुलिमाल सुत्त, सुन्दरिकभारद्वाज सुत्त विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

इस प्रकार बौद्ध धर्मग्रन्थों में श्रावस्ती के नगरीय जीवन का सविस्तार से उल्लेख मिलता है। साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार प्राचीन काल में श्रावस्ती एक महत्वपूर्ण व्यापारिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध था।

श्रावस्ती जैन मतावलम्बियों के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में भी विख्यात रहा है। जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से 2 सम्भवनाथ तथा चन्द्रप्रभू की जन्मभूमि होने का सौभाग्य श्रावस्ती को प्राप्त है।

कोशल की उत्तरवर्ती राजधानी श्रावस्ती में नवीं से ग्यारहवीं शताब्दी के बीच एक जैनधर्मानुयायी राज्य था जिसमें क्रमशः सुधन्वध्वज, मकरध्वज, हंसध्वज, मोरध्वज, सुहिलध्वज और हरिसिंहध्वज नामक राजा हुए। मोरध्वज का उत्तराधिकारी सुहिलध्वज या सुहेलदेव बहुत बीर था। 1033 ई0 में आसपास उसने महमूद गजनवी के पुत्र के सिपहसालार सैयद मसउदगाजी को बहराइच के युद्ध में पराजित कर दिया, ऐसा बताया जाता है। सुहेलदेव का पौत्र हरिसिंह देव इस वंश का अंतिम राजा था जिसके राज्य का कन्नौज के गाहकवालों ने 1134 ई0 में अन्त कर दिया।

उत्तर प्रदेश के अवध सहित पूर्वी भाग में बहुलता के साथ पायी जाने वाली कायस्थों की प्रसिद्ध उपजाति श्रीवास्तव का निवास मूलतः श्रावस्ती नगरी से हुआ बताया जाता है। इसके एक नेता चन्द्रसेनीय श्रीवास्तव त्रिलोकचन्द्र ने 918ई0 में सरयू नदी को पार करके अयोध्या पर अधिकार कर लिया और वहां पर अपना व्यवस्थित राज्य स्थापित कर लिया। उनके वंशज वहां लगभग 300 वर्षो तक राज्य करते रहे। मोहम्मद गोरी के भाई मखदमू शाह जूरन गोरी ने 1294 ई0 में इस राज्य का अंत कर दिया।

जनपद का सृजन 22 मई 1997 को बुद्धपूर्णिमा के दिन हुआ था। जनपद में भगवान बुद्ध की पवित्र तपोभूमि स्थापित है जिसे सहेट –महेट भी कहा जाता है। यह स्थान बहराइच बलरामपुर मुख्य मार्ग पर जनपद मुख्यालय भिनगा से 28 किमी की दूरी पर अवस्थित है। भगवान गौतम बुद्ध ने इस स्थान पर सहेट– महेट स्थित बोधि (पीपल वृक्ष) के नीचे 24 वर्षो तक तपस्या की थी। धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध गौतम बुद्ध की इस तपोभूमि पर बौद्ध एवं जैन धर्म के मन्दिर बने हुए हैं जहॉ पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में बौद्ध एवं जैन धर्मावलम्बी यात्री आते हैं। जनपद बहराइच के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को पृथक करके इस क्षेत्र के विकास हेतु जनपद का सृजन किया गया है।

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के उद्देश्य, कार्य एवं शक्तियाँ

संस्था का कार्य एवं उद्देश्यः–

उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 के अध्याय–दस के नियम 25 (1) में विहित व्यवस्था अनुसार स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य विन्दुवार निम्नलिखित हैः–

(1) आपदा प्रबन्ध के प्रयोजन के लिए स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा प्राधिकरण दें और जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीनः–

(क) प्राधिकरण, मण्डलायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को सहायता करेगा,

(ख) सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारी वृंद प्रशिक्षित है,

(ग) सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबन्ध से सम्बन्धित संसाधनों का इस प्रकार से अनुरक्षण किया जाय कि वे उपयोग के लिए तैयार हों,

(घ) सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय क्षेत्र में समस्त भवनों और अन्य संरचनाओं को सरकार के विभागों और प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त निर्धारित विनिर्देश के अनुसार पूरा किया जाना है,

(ड) मण्डलायुक्त के निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य चलायेगा,

(च) प्राधिकरण द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार पुनर्निर्माण और पुनर्वास क्रियाकलापों को चलायेगा,

(छ) निम्नलिखित के लिए एक आपदा प्रबन्ध योजना तैयार करेगा, अर्थातः–

(एक) स्थानीय क्षेत्र में लागू किये जाने वाले आपदा प्रबन्ध की संकल्पना और सिद्धान्तों की रीति,

(दो) राज्य की आपदा प्रबन्ध योजना के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी की भूमिका और दायित्व,

(तीन) भूमिका और दायित्व को पूरा करने की स्थानीय प्राधिकारी की क्षमता,

(चार) आपदा प्रबन्ध की रणनीति की विशिष्टियां,

(पांच) किसी आपदा की स्थिति में आकस्मिक रणनीति और आपात प्रक्रियायें जिसके अन्तर्गत रणनीति को वित्तपोषित करना भी है,

(ज) राज्य के संगठनों एवं स्टेटहोल्डरों के साथ योजना की तैयारी और उसके कार्यान्वयन का समन्वय करना,

(झ) योजना का नियमित पुनरावलोकन और उसको अद्यतन करना,

(य) आपदा प्रबन्ध को समय समय पर संचालित करना और,

(ट) प्राधिकरण मण्डलायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी सहायता उपलब्ध कराना और ऐसे अन्य कदम उठाना जो आपदा प्रबन्ध के लिए आवश्यक हों।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्यः–

अध्यक्षः–

(1) आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्र के अर्न्तगत जिला मजिस्ट्रेट प्रभावित क्षेत्र के सरकारी विभागों एवं स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारियों को आपदा प्रबन्ध योजना के अनुसार आपातकालीन राहत उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कर सकता है।

(2) जिला मजिस्ट्रेटः–

(एक) उपलब्ध संसाधनों को छोड़ने या उपयोग करने हेतु व्यवस्था कर सकेगा,

(दो) आपदा प्रभावित क्षेत्र के अर्न्तगत यातायात का आवागमन नियंत्रण या अवरूद्ध कर सकेगा,

(तीन) किसी आपदा ग्रसित क्षेत्र या भाग में प्रवेश, भ्रमण या बाहर जाने पर नियन्त्रण या रोक कर सकेगा,

(चार) मलवा हटा सकेगा,

(पांच) खोज एवं बचाव अभियान संचालित कर सकेगा,

(छ) लावारिस शवों का उचित माध्यम द्वारा निस्तारण कर सकेगा,

(सात) रहने की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकेगा,

(आठ) भोजन दवाइयां व अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कर सकेगा,

(नौ) आपदा सम्बन्धी विशेषज्ञों एवं सलाहकारों से उनके निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में राहत प्रदान करनेकी अपेक्षा कर सकेगा,

(दस) कोई भी सम्पत्ति, गाड़ी, उपकरण, भवन तथा संचार माध्यम का अधिग्रहण व नियन्त्रण में ऐसे निबन्धन एवं शर्तो पर कर सकेगा जैसा विहित किया जाय,

(ग्यारह) आवश्यकतानुसार विशिष्ट एवं अधिमान साधन उपलब्ध करा सकेगा,

(बारह) अस्थायी पुलों एवं अन्य ढ़ांचों का निर्माण कर सकेगा,

(तेरह) असुरक्षित संरचनाओं को नष्ट कर सकेगा, जो जनता के लिए खतरनाक हो सकती है,

(चौदह) अशासकीय संगठनों के साथ समन्वय कर सकेगा तथा यह सुनिश्चित कर सकेगा कि ये इकाइयां अपने गतिविधियों का निर्वहन सही ढंग से करती है,

(पन्द्रह) आपदा से निपटने हेतु सूचनाओं को आम जनता तक पहुंचा सकेगा,

(सोलह) आपदा प्रभावित क्षेत्र से पूर्ण या आंशिक आबादी को निर्देशित व बलपूर्वक जीवन रक्षा हेतु अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर सकेगा व अगर आवश्यक हो तो बल प्रयोग कर सकेगा,

(सत्तरह) किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है कि वह किसी भी स्थान में जा सकता है अथवा कोई भी दरवाजा गेट या अन्य बैरियर खोल सकता है या अगर उस स्थान का मालिक या रहने वाला उपस्थित नहीं है अथवा दरवाजा गेट या बैरियर खोलने से मना कर रहा है यदि वह यह समझता है कि यह जान व माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

(3) अध्यक्ष अपने शक्तियों का उस सीमा तक प्रयोग कर सकता है जहां तक वह निम्नलिखित के प्रयोजन के लिए आवश्यक होः–

(क) समुदाय का सहयोग एवं रक्षा करना,

(ख) समुदाय को राहत प्रदान करना,

(ग) विघन को रोकना या मुकाबला करना,

(घ) आपदा के विनाशकारी व अन्य प्रभावों से निपटना,

कर्तव्यः–

(क) सुनिश्चित करेंगे कि आपदा से बचाव अथवा उसके प्रभावों में कमी लाना अथवा उसके प्रभावों से निपटने हेतु तैयारी, सभी किये गये ऐसा दिशा निर्देशों के अनुसार हों, जैसा विहित किया जाय,

(ख) प्राधिकरण को आपदा प्रबन्ध सम्बन्धी योगदान देंगे जैसे कि पूर्व चेतावनी व तैयारी की स्थिति,

(ग) सुनिश्चित करेंगे कि जिले के समस्त कर्मियों को आपदा से निपटने की विशेष जानकारी हासिल करें,

(घ) सुनिश्चित करेंगे कि जिले की आपदा प्रबन्ध कार्ययोजना तैयार की जाय, आवश्यकतानुसार संशोधित हो तथा समय समय पर अद्यतन की जाय,

(ड.) स्थानीय सरकारी निकायों को सहयोग एवं समन्वय प्रदान करेंगे ताकि जिले में आपदा से पूर्व व आपदा प्रबन्ध गतिविधियों का निर्वहन किया जा सके,

(च) स्थानीय प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों व निजी क्षेत्र के सहयोग से समुदाय को प्रशिक्षित करना जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना व आपातकालीन सुविधाओं की स्थापना करेंगे,

(छ) आपदा प्रबन्ध क्षेत्र में अर्न्तविभागीय समन्वय स्थापित करेंगे,

(ज) आपातकालीन योजनाओं , आकस्मिक योजनाओं व दिशा निर्देशों का पुनरावलोकन करेंगे,

(झ) सुनिश्चित करेंगे कि जिले में स्थित स्थानीय प्राधिकारी स्वंय अपने बचाव की रणनीति तैयार करें,

(अ) सुनिश्चित करेंगे कि आपदा प्रबन्ध गतिविधियों तथा योजनाओं के बीच सम्बन्ध बनें,

(ट) सुनिश्चित करेंगे कि संचार व्यवस्था सुदृढ़ रहे,

(ठ) सुनिश्चित करेंगे कि अग्निशमन उपकरण व आपदा प्रबन्ध से सम्बन्धित अन्य उपकरण का रखरखाव ऐसा हो कि जरूरत पड़ने पर उपयोग किया जा सके,

(ड) जिले में पुनर्वास व पुर्ननिर्माण की गतिविधियों का समन्वय करेंगे,

(ढ़) सुनिश्चित करेंगे कि आपदा प्रबन्ध का नियतकालिक अभ्यास किया जाना है,

(ण) पुर्ननिर्माण एवं पुनर्वास के लिए प्रगति तथा उसके परिणामों के अनुश्रवण में प्राधिकरण की सहायता करेंगे,

(त) ऐसी शक्तियों का प्रयोग व ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेंगे जो, प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित किया गया हो,

(थ) इसके अतिरिक्त उन सभी शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यो का निष्पादन करेंगे जैसा कि विहित किया जाय,

Chapter-2

Hazard vulnerability, Capacity and Risk Assessment.

राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा जनपद श्रावस्ती में 13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत और वित्तपोषित ''कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम'' (क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम) जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण, श्रावस्ती द्वारा संचालित किया गया है। उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण हेतु जनपद में क्षमता संवर्द्धन सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके है।

जनपद में कुल 120 अतिसंवेदनशील आपदा प्रभावित ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है, जिसमें ग्राम स्तर के 50 व्यक्तियों को 03 दिवसीय ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना निर्माण हेतु प्रशिक्षित किया गया है। ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु जनपद स्तर पर 15 मास्टर प्रशिक्षकों को चिन्हित गया है, जो राज्य स्तर पर 05 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किये जा चुके है। प्रशिक्षित 15 राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के माध्यम से जनपद में 90 जिला स्तरीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनके सहयोग से ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके 50–50 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है।

जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत्
जिला आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन योजना निर्माण

योजना की आवश्यकता :

विगत् कुछ वर्षों में यह अनुभव किया गया है कि आपदाओं का स्वरूप एवं समय बदलता जा रहा है, जिसके कारण व्यापक रूप में जन–धन एवं पर्यावरण को भारी क्षति हुयी है। इसलिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक जनपद की उसकी भौगोलिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर जिला आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन योजना निर्माण समस्त हितभागियों (विभिन्न सरकारी विभागो जनप्रतिनिधियों व गैर सरकारी संगठनो) के सहयोग से किया जाये, जिससे की आपदाओं से होने वाले जन–धन एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 :

राष्ट्रीय स्तर पर "आपदा प्रबन्धन अधिनियम – 2005" बनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय/प्रदेश/जिले स्तर पर प्राधिकरण गठित किये जाने साथ ही प्राधिकरण की आपदाओं के प्रत्युत्तर हेतु योजना निर्माण बनाये जाने का निर्देश है।

जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत् योजना निर्माण की आवश्यकता :

राष्ट्रीय/प्रदेश/जिलें स्तर पर आपदा न्यूनीकरण हेतु कारगर एवं प्रभावी कदम उठाये गये हैं। किन्तु आपदा प्रबन्धन के प्रयास जलवायु की बदलती परिस्थितियों के कारण अधिक प्रभावी नहीं हो पा रहें। आपदा से निपटने के दीर्घकालिक उपायों में जलवायु परिवर्तन की स्थितियों को समाहित किया जाना अपरिहार्य है।

<u>अध्ययन में मुख्यतः निम्न विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है</u> :

- ऐसे कौन–कौन से तंत्रात्मक कारक है जो स्थानीय नाजुकता को बढ़ाते है और पूर्व चेतावनी के आधार पर ससमय निर्णय लेने में सहायक होते है।
- ऐसे कौन से नीतिगत पक्ष है जो राष्ट्रीय नीतियों व स्थानीय परिस्थितियों तथा विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करते हुये सामंजस्य हेतु लाभकर हो सकते है।

Chapter-3
Institutional Arrangements for DM

आपदाओं का इतिहास

मानव त्रुटि के कारण :

मानव त्रुटि के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं जिन पर तत्काल नियत्रंण पाकर प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान कर राहत दी जाती है। दंगे, युद्ध, औद्योगिक दुर्घटनाएं, रासायनिक विनाश, आतंकवादी गतिविधियों आदि की दुर्घटनाएं जनपद में नहीं हुई हैं।

प्राकृतिक/दैवीय प्रकोप के कारण :

जनपद में प्राकृतिक/दैवीय आपदा यथा– बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा, शीतलहरी, आंध–तूफान, आकाशीय विद्युत, भूकम्प आदि के कारण जनहानि, पशुहानि एवं सम्पत्ति हानि हो जाती है। प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों को दैवीय आपदा राहत कोष से राहत सहायता वितरित की जाती है। समय–समय पर अल्पावधि के लिए बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, आंधी–तूफान, आकाशीय बिजली, भूकम्प व शीतलहरी आदि आपदाएं घटित होती हैं।

जनपद के बाढ़ आपदा का इतिहास

अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, पहाड़ी की निकटता और वर्षा की अधिकता के कारण इस जनपद में बाढ़ आया करती है। इस जनपद के गठन के पूर्व जब यह जनपद बहराइच का अंग था, उस समय वर्ष 1922 से 1925 तक प्रतिवर्ष बाढ़ आती रही है। इसके पश्चात वर्ष 1934, 1936 व 1948 में बाढ़ की स्थिति अत्यन्त गम्भीर रही है। वर्ष 1954, 1955, 1960 1961 तथा 1963 में बाढ़ आयी। वर्ष 1965–66 में बाढ की स्थिति उत्पन्न हुयी किन्तु वर्ष 1969 की बाढ़ का जनपद के इतिहास में विशेष स्थान है। आकस्मिकता एवं शोषणता की दृष्टि से इसका मुकाबला विगत वर्षो में आयी बाढ़ से नहीं किया जा सकता है। वर्ष 1978, 1980, 1981, 1982 तथा 1983 की बाढ भी अभूतपूर्व थी। वर्ष 1985 व 1986 में बाढ़ का प्रकोप आंशिक रहा। वर्ष 1987 में वर्षा के कारण जलभराव की स्थिति रही। वर्ष 1988 में हल्की बाढ़ आयी। वर्ष 1989 में जब यह जनपद बहराइच का अंग था माह जुलाई के द्वितीय सप्ताह में दिनांक

12–07–1989 की रात्रि से 14–07–1989 तक अनवरत वर्षा होने तथा पहाडों पर हुयी व्यापक वर्षा के फलस्वरूप राप्ती नदी का जलस्तर दिनांक 16–07–1989 को हाईफ्लड लेबल (उच्चतम बाढ सीमा) 119.820 मी0 तक पहुंच गया जिसके कारण बाढ़ की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी। वर्ष 1990 में इस जनपद की एक तहसील प्रभावित रही, जिसमें तहसील भिनगा के कुछ क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति काफी दिनों तक रही। वर्ष 1991 तथा 1992 में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुयी, परन्तु इस जनपद की तहसील भिनगा में राप्ती नदी के कटान से व्यापक क्षति हुयी। इसी प्रकार वर्ष 1993, 1994, 1995 तथा 2001 में भी स्थिति पूर्ववत रही। वर्ष 2002 में वर्षा नगण्य रही। वर्ष 2004 में भी वर्षा नही हुयी बाद में रिकूप हुयी। वर्ष 2005 में अतिवृष्टि के कारण जलभराव से कटान की स्थिति उत्पन्न हुयी थी। वर्ष 2006 के माह अगस्त में अतिवृष्टि से एवं नेपाल राष्ट्र से पानी छोडे जाने के कारण

अचानक बाढ की स्थिति उत्पन्न हुयी जिसमें जनपद के 97 गांव प्रभावित हुए। इसी प्रकार वर्ष 2007 में दिनांक 25–07–2007 से 28–07–2007 तक हुयी अनवरत वर्षा के कारण बाढ़ की गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुयी थी जिसमें तहसील भिनगा के 71 तथा तहसील इकौना के 40 कुल 111 ग्राम बाढ से प्रभावित हुए थे। वर्ष 2008 में वर्षा की स्थिति सामान्य रही, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुयी। वर्ष 2009 में माह अगस्त में अतिवृष्टि से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ जाने से तहसील भिनगा के 33 तथा इकौना के 28 कुल 61 ग्राम प्रभावित हुए थे। वर्ष 2010 एवं वर्ष 2011 में भी बाढ़ की आंशिक स्थिति रही। वर्ष 2012 में अतिवृष्टि से दिनांक 03–08–2012 को राप्ती नदी का जल स्तर बढ़कर खतरे के निशान के ऊपर 119.200मी0 हो गया था, जिससे तहसील भिनगा 24 तथा तहसील इकौना के 17 ग्राम काफी प्रभावित हो गये थे। वर्ष 2013 में अतिवृष्टि एवं नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण कई बार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई जिससे आवासीय अनावासीय मकानों की काफी क्षति हुई। राप्ती नदी के कटान से तहसील इकौना के मोहनापुर, इमलिया आदि गांव प्रभावित हुये है। कृषि भूमि की अधिक कटान हुई। वर्ष 2014 में अप्रत्याशित बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। दिनांक 15 व 16–08–2014 को अतिवृष्टि एवं नेपाल के पहाड़ों से आये पानी के कारण राप्ती बैराज से दोपहर 12.00 बजे 139354 क्यूसेक पानी पास हुआ था, जिससे जनपद के 198 ग्राम जलप्लावन से प्रभावित हो गये और बाढ़ का पानी कलक्ट्रेट परिसर तक पहुंच गया था। इस बाढ़ से 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और बड़े–छोटे मिलाकर कुल 159 पशु लुप्त हो गये और 21721 कच्चा/ पक्का मकान/झोपड़ी नष्ट हो गये। सार्वजनिक परिसम्पत्तियों यथा– सड़क,

पुल/पुलिया, बन्धे, स्कूल, विद्युत, इण्डिया मार्का–II व प्लेट फार्म आदि की काफी क्षति हुई। इसके अतिरिक्त बहराइच–भिनगामुख्य मार्ग किमी0 25 पर लक्ष्मननगर के पास लगभग 100मी0 कट जाने से आवागमन ठप्प हो गया था, जो अर्हनिश प्रयास से अस्थायी मरम्मत के उपरान्त दिनांक 21–08–2014 के सांय से आवागमन बहाल हो पाया था। वर्ष 2015 में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। वर्ष 2016 में दिनांक 27–07–2016 को अतिवृष्टि एवं नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिससे कुल 92 (तहसील भिनगा–34 जमुनहा–18 तहसील इकौना–40) ग्राम प्रभावित हो गये थे। बाढ़ से 02 व्यक्तियों की पानी के तेज बहाव में बहकर मृत्यु हो गयी। इस बाढ़ से 90 लोगों के मकान की क्षति हुई। इसके अतिरिक्त बहराइच–मुख्य मार्ग किमी0 25 पर राइट साइड पर बने पुल में दरार उत्पन्न हो गयी थी जिसे प्रशासन के विशेष प्रयास से मरम्मत कराकर आवागमन बहाल कराया गया। बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्य हेतु 26वीं पी0ए0सी0 फ्लड 14 मोटरबोट की सहायता ली गयी। वर्ष 2017 में दिनांक जनपद श्रावस्ती में दिनांक 12–08–2017 को हुई अतिवृष्टि एवं नेपाल के पहाड़ों से आये पानी के कारण जनपद में स्थित राप्ती बैराज पर खतरे के निशान 127–70 से बढ़कर जलस्तर 130.150मी0 हो गया, जिससे कुल 190 राजस्व ग्राम (तहसील भिनगा– 71, जमुनहा–48, इकौना–71) जलप्लावन से प्रभावित हो गये । इस बाढ़ से 46030परिवार के लगभग 232370 लोग प्रभावित हुये। इसके अतिरिक्त बहराइच–भिनगा मुख्य मार्ग किमी 25 पर लक्ष्मननगर के पास मार्ग कट जाने का खतरा उत्पन्न हो गया, जिसे युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य कराकर आवागमन बहाल कराया गया। बाढ़ के पानी में बहकर 08 लोगों की मृत्यु हो गयी थी तथा लोगों के 3492 कच्चे /पक्के मकानों की क्षति हुई। नदी के पानी के अत्यधिक प्रवाह के कारण सड़कें, स्कूल, आदि का नुकसान हुआ है। बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यो हेतु NDRF की दो प्लाटून एवं चार प्लाटून फ्लड पी0ए0सी0 एवं 30 मोटरबोट की सहायता ली गयी तथा स्थानीय स्तर की 30 नावें लगाकर बचाव कार्य कराया गया। इनकी सहायता से बाढ़ में फंसे लोगों को 18 बाढ़ चौकियों एवं अन्य ऊँचे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बाढ़ की त्रासदी को देखते हुए कार्यालय आदेश संख्या 2791 आपदा–बाढ़ राहत– 2017 दिनांक 17–07–2017 के अर्न्तगत बाढ़ प्रभावित ग्रामों में राहत एवं बचाव कार्य के पर्यवेक्षण हेतु 18 बाढ़ चौकियों पर 18 जनपद स्तरीय अधिकारियों की तैनाती नोडल अधिकारी के रूप में की गयी। उपनिदेशक, कृषि को तहसील भिनगा/जमुनहा एवं मुख्य विकास अधिकारी श्रावस्ती को तहसील इकौना क्षेत्र में राहत एवं बचाव कार्य के पर्यवेक्षण के लिए नामित किया गया। शासनादेश संख्या 950 दिनांक 21.08.2017 के अर्न्तगत

निर्धारित 16 प्रकार की राहत सामग्री (आटा–10कि0ग्रा0, चावल–10कि0ग्रा0, आलू–10किग्रा0, लाई–5किग्रा0,भुना चना–2कि0ग्रा0, दाल अरहर–2किग्रा0, नमक–500ग्रा0, हल्दी–200ग्रा0, मिर्च–200ग्रा0, धनिया–200ग्रा0, मोमबत्ती–1 पैकेट, माचिस–1 पैकेट, बिस्कुट–10 पैकेट, रिफाइन्ड–1ली0, केरोसिन–5ली0, क्लोरीन टेबलेट–10) जनपद के प्रभावित 46030 परिवारों को उपलब्ध कराया गया है। सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों द्वारा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत सहायता के रूप में लंच पैकेट–97668, आटा–4603कु0 कु0, चावल–4603 कु0, दाल–920.60 कु0, नमक–230.15 कु0, आलू–4603 कु0, माचिस–46030 पै0, मोमबत्ती–46030 पै0, तिरपाल–15874 मी0, लाई–2301.50कु0, चना–920. 60कु0, पारले बिस्कुट–460300पैकेट, पानी का पाउच–113700ली0, पिसी हल्दी–46030पैकेट, पिसी धनिया–46030पैकेट, पिसी मिर्चा–46030पैकेट, रिफाइन्ड तेल–46030ली0, मिट्टी का तेल–210785 ली0 वितरित किया गया। बाढ़ से मृतक 8लोगों के आश्रितों को अनुमन्य प्रत्येक 4.00 लाख के हिसाब से कुल 32.00 लाख अनुग्रह सहायता की धनराशि तत्काल उपलब्ध करायी गयी और पशुचारे के रूप में 667. 35कु0 भूसा भी वितरित कराया गया है। वर्ष 2018 में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी।

सूखा आपदा :

नवसृजित एवं साधनविहीन जनपद श्रावस्ती पहाडी नालों, नदियों एवं वनों से घिरा हुआ नेपाल की सीमावर्ती तराई क्षेत्र में स्थित है। जनपद में तीन तहसीलें भिनगा, जमुनहा एवं इकौना एवं छः विकास खण्ड– सिरसिया, जमुनहा, हरिहरपुररानी, गिलौला, इकौना एवं लक्ष्मनपुर बाजार है। जनपद का कुल कृषि क्षेत्रफल 132212 हे0 है, जिसमें 53867 हे0 सिंचित तथा 78345 हे0 असिंचित है। जनपद का अधिकांश भूभाग तराई क्षेत्र में होने के कारण पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। विकास खण्ड सिरसिया पर्वतीय क्षेत्र के सन्निकट होने के कारण यहां बोरिंग भी सफल नहीं है। यहां के निवासियों का एकमात्र आजीविका कृषि है। सिंचाई के पर्याप्त साधन सुलभ न होने के कारण वर्षा पर ही कृषि आधारित है। वर्ष 2002 की स्थिति असामान्य होने के कारण जनपद में विकट सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सूखे से प्रभावित 1645 परिवारों को अनुमन्य राहत सहायता रू0 19,88,500/– प्रदान की गयी थी। वर्ष 2004 में भी असामयिक वृष्टि के फलस्वरूप सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी परन्तु बाद में अच्छी बारिश होने के कारण स्थिति सामान्य हो गयी थी ।

भूकम्प आपदा :

इस नवसृजित जनपद में भूकम्प का इतिहास नहीं है। दिनांक 25–4–2015 को आये भूकम्प से कु0 निशा उम्र लगभग 16 वर्ष पुत्री ननके नि0 ग्राम मझौवा सुमाल तहसील इकौना की मृत्यु हो गयी थी और एक व्यक्ति घायल हो गया था। भूकम्प की सम्भावना को देखते हुए इसके खतरे से बचने तथा न्यूनीकरण हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार एवं भूकम्प से बचाव हेतु किए जाने वाले प्रयासों की आवश्यकता है। भूकम्प आकस्मिक आपदा है, अतः इसके लिए हर समय तत्परता आवश्यक है।

अग्निकाण्ड आपदा :

अधिकांशतः ग्रीष्म ऋतु में अग्निकाण्ड की घटनाएं अधिक घटित होती है। जिला अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में अग्निकाण्ड की घटनाओं की रोकथाम के लिए टीमें तत्पर रहती हैं। अग्निकाण्ड की घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक व उपयुक्त संसाधन विभाग के पास उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार की अग्निकाण्ड की सूचना प्राप्त होते ही घटना स्थल पर जल्द से जल्द पहुंचकर अग्निशमन कार्य, जीव रक्षा कार्य व खोज एवं बचाव सम्बन्धित कार्यों को भलीभांति सम्पादित किया जाता है।

बाढ़ प्रबन्ध योजना– 2019

1– परिचयः–

जनपद श्रावस्ती का गठन उ0प्र0 सरकार, राजस्व विभाग–5 की अधिसूचना संख्या–1434/1–5/97–107/97–रा0–5 दिनांक 5 मई 1997 के अर्न्तगत मूल जनपद बहराइच का विभाजन कर किया गया है। जनपद श्रावस्ती के अर्न्तगत तीन तहसीलें भिनगा, इकौना तथा जमुनहा हैं। तहसील जमुनहा का गठन अधिसूचना दिनांक 29–03–2013 के अर्न्तगत किया गया है। जनपद में 6 विकास खण्ड, 334 ग्राम पंचायतें तथा 54 न्याय पंचायतें एवं 536 राजस्व ग्राम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनपद की कुल जनसंख्या 1114615 है। जनपद श्रावस्ती का मुख्यालय भिनगा नामक स्थान पर है जो अपने मूल जनपद बहराइच से उत्तर दिशा में लगभग 38 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है, तथा भौगोलिक क्षेत्रफल 2185.5 वर्ग कि0मी0 है।

2– स्थिति एवं प्राकृतिक बनावटः–

नेपाल की तराई में बसा हुआ जनपद श्रावस्ती देवी पाटन मण्डल के पार्श्व में स्थित है, जो पूर्व से पश्चिम की लम्बाई में है। इसका शीर्ष विन्दु सुदूर उत्तर में भरथापुर के निकट है। इस जनपद की नेपाल देश से लगभग 62 किमी0 की सीमा लगती है, तथा जनपद श्रावस्ती की सीमा से नेपाल राज्य के दो जिले बांके एवं डांग की सीमाऐं पडती है। यह जनपद पश्चिम एवं दक्षिण में जनपद बहराइच की सीमा को अलग करता है तथा पूरब में बलरामपुर की सीमा से मिला हुआ है। उत्तर पूरब में तुलसीपुर परगना को छोडकर जहां हिमालय की दक्षिण पहाडियां इस जिले से नेपाल को अलग करती है। नेपाल के जिले की उत्तरी सीमा अधिकांश एकत्रित हैं। सीमाओं तक चिन्हों की श्रृंखला और उसके दोनों ओर 30 फिट चौडी पट्टियों से ही इस अर्न्तराष्ट्रीय सीमा का संकेत मिलता है।

प्राकृतिक बनावट के दृष्टिकोण से जिले को दो भागों में बांटा जा सकता है। दक्षिण पूर्व में राप्ती का बेसिन एवं दक्षिण में लम्बा और पतला पठार जो उत्तर से दक्षिण की ओर लगा है तहसील भिनगा, इकौना एवं जमुनहा के अधिकांश गावं राप्ती के क्षेत्र में आते है। इन प्राकृतिक विभागों के अतिरिक्त तराई की अपनी अलग विशेषता है। तराई का अधिकांश भाग तहसील भिनगा के उत्तर पूर्व में पडता है। तराई का सम्पूर्ण क्षेत्र बहुत ही नीचा है। बरसात के दिनों में बाढ़ की आकस्मिकता बढाने में विशेष भूमिका रखते है।

3–नदियां एवं उनकी प्रवाह प्रणालीः–

जिले के अधिकांश नदी नालों का स्रोत हिमालय की दक्षिणी पर्वत श्रेणियां हैं और सर्वप्रथम इस जनपद में प्रवेश करने के पश्चात जलभराव की स्थिति उत्पन्न करती है। इस जनपद की नदी राप्ती प्रदेश में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

4–राप्ती नदी :–

राप्ती नदी का उद्‌गम दक्षिण हिमालय और नेपाल राज्य में लगभग 152 किमी0 पडने के बाद यह जनपद बहराइच के नानपारा तहसील के ग्राम गनेशपुर के पास इस देश की सीमा में प्रवेश करती है। तहसील जमुनहा के विकास खण्ड जमुनहा की सीमा पर दूर बहने के बाद सर्वप्रथम यह नदी भोजपुर गांव के पास भिनगा परगने में प्रवेश करती है और परगने की पूरी लम्बाई में दक्षिण की ओर बहती हुई भिनगा को पार करके तहसील इकौना के पूर्वोत्तर कोने में डिगुराजोत के पास बलरामपुर जनपद में प्रवेश कर जाती है। यह स्थिति इस शताब्दी के प्रारम्भ की थी तब से कई बार यह नदी अपना मार्ग बदल चुकी है। इस जनपद के गठन से पूर्व वर्ष 1922 में बाढ से इस जनपद की भिनगा तहसील के अशरफनगर गांव से यह नदी दक्षिण त्रिमुख हो गई है, और झुनझुनिया घाट के पास भाकला नदी में प्रवेश कर गयी है। लगभग 44 वर्ष पूर्व आयी बाढ में राप्ती नदी ने अशरफनगर से झुनझुनिया घाट के इस मार्ग को छोड दिया था और विकास खण्ड जमुनहा तथा हरिहरपुररानी की सीमा को बनाते हुए झुनझुनिया घाट से 6 किमी0 और महदेवा के पास भाकला में प्रवेश कर गई है। इस प्रकार महदेवा में ही राप्ती भाखला सिंधिया के तल में बहने लगी है। राप्ती की पुरानी धाराऐं जिनमें से एक भिनगा के निकट है, यद्यपि अब निष्पंगु हो चुकी है, तथापि वर्षा के दिनों में अब भी बडी नदी का रूप धारण कर लेती है। भाखला सिंधिया के पूरे भागों को तय करने के उपरान्त पुनः तहसील इकौना के उत्तर पूर्व में मझौवा सुमाल के पास राप्ती नदी के पुराने तल को पा लेती है और जनपद की सीमा को अलग करते हुए जनपद बलरामपुर में प्रवेश कर जाती है। यह एक विनाशकारी नदी है और अपने तटवर्ती गॉवों को काटती रहती है। भाखला और केन, राप्ती की सहायक नदियां है। भाकला नेपाल की तराई से निकल कर प्रारम्भ में राप्ती के समानान्तर लगभग 5 किमी0 की दूरी पर बहती है और दक्षिण में महदेवा के पास आपस में मिल जाती है। इससे आगे भी मझौवा सुमाल के पास अपनी धारा में प्रवेश करने तक राप्ती अब भी भाकला के नाम से पुकारी जाती है। जाड़े की ऋतु में भाकला में बहुत कम पानी रहता है, लेकिन लगातार बारिश होने पर कुछ ही

घंटों में अपनी कगार को छोडकर रौद्र रूप धारण कर वेग से बहने लगती है। केन तुलसीपुर की तराई से निकल कर हाथीकुन्डा तथा पहाडी नालों का जल समेटते हुए पूर्व सीमान्त भाग में राप्ती से मिलती है।

5–बाढ़ का इतिहासः–

अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, पहाड़ी की निकटता और वर्षा की अधिकता के कारण इस जनपद में बाढ़ आया करती है। इस जनपद के गठन के पूर्व जब यह जनपद बहराइच का अंग था, उस समय वर्ष 1922 से 1925 तक प्रतिवर्ष बाढ़ आती रही है। इसके पश्चात वर्ष 1934, 1936 व 1948 में बाढ़ की स्थिति अत्यन्त गम्भीर रही है। वर्ष 1954, 1955, 1960 1961 तथा 1963 में बाढ़ आयी। वर्ष 1965–66 में बाढ की स्थिति उत्पन्न हुयी किन्तु वर्ष 1969 की बाढ़ का जनपद के इतिहास में विशेष स्थान है। आकस्मिकता एवं शोषणता की दृष्टि से इसका मुकाबला विगत वर्षो में आयी बाढ़ से नहीं किया जा सकता है। वर्ष 1978, 1980, 1981, 1982 तथा 1983 की बाढ भी अभूतपूर्व थी। वर्ष 1985 व 1986 में बाढ़ का प्रकोप आंशिक रहा। वर्ष 1987 में वर्षा के कारण जलभराव की स्थिति रही। वर्ष 1988 में हल्की बाढ़ आयी। वर्ष 1989 में जब यह जनपद बहराइच का अंग था माह जुलाई के द्वितीय सप्ताह में दिनांक 12–07–1989 की रात्रि से 14–07–1989 तक अनवरत वर्षा होने तथा पहाडों पर हुयी व्यापक वर्षा के फलस्वरूप राप्ती नदी का जलस्तर दिनांक 16–07–1989 को हाईफ्लड लेबल (उच्चतम बाढ सीमा) 119. 820 मी0 तक पहुंच गया जिसके कारण बाढ़ की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी। वर्ष 1990 में इस जनपद की एक तहसील प्रभावित रही, जिसमें तहसील भिनगा के कुछ क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति काफी दिनों तक रही। वर्ष 1991 तथा 1992 में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुयी, परन्तु इस जनपद की तहसील भिनगा में राप्ती नदी के कटान से व्यापक क्षति हुयी। इसी प्रकार वर्ष 1993, 1994, 1995 तथा 2001 में भी स्थिति पूर्ववत रही। वर्ष 2002 में वर्षा नगण्य रही। वर्ष 2004 में भी वर्षा नही हुयी बाद में रिकूप हुयी। वर्ष 2005 में अतिवृष्टि के कारण जलभराव से कटान की स्थिति उत्पन्न हुयी थी। वर्ष 2006 के माह अगस्त में अतिवृष्टि से एवं नेपाल राष्ट्र से पानी छोडे जाने के कारण अचानक बाढ की स्थिति उत्पन्न हुयी जिसमें जनपद के 97 गांव प्रभावित हुए। इसी प्रकार वर्ष 2007 में दिनांक 25–07–2007 से 28–07–2007 तक हुयी अनवरत वर्षा के कारण बाढ़ की गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुयी थी जिसमें तहसील

भिनगा के 71 तथा तहसील इकौना के 40 कुल 111 ग्राम बाढ से प्रभावित हुए थे। वर्ष 2008 में वर्षा की स्थिति सामान्य रही, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुयी। वर्ष 2009 में माह अगस्त में अतिवृष्टि से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ जाने से तहसील भिनगा के 33 तथा इकौना के 28 कुल 61 ग्राम प्रभावित हुए थे। वर्ष 2010 एवं वर्ष 2011 में भी बाढ़ की आंशिक स्थिति रही। वर्ष 2012 में अतिवृष्टि से दिनांक 03–08–2012 को राप्ती नदी का जल स्तर बढ़कर खतरे के निशान के ऊपर 119.200मी0 हो गया था, जिससे तहसील भिनगा 24 तथा तहसील इकौना के 17 ग्राम काफी प्रभावित हो गये थे। वर्ष 2013 में अतिवृष्टि एवं नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण कई बार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई जिससे आवासीय अनावासीय मकानों की काफी क्षति हुई। राप्ती नदी के कटान से तहसील इकौना के मोहनापुर, इमलिया आदि गांव प्रभावित हुये है। कृषि भूमि की अधिक कटान हुई।

वर्ष 2014 में अप्रत्याशित बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी। दिनांक 15 व 16–08–2014 को अतिवृष्टि एवं नेपाल के पहाड़ों से आये पानी के कारण राप्ती बैराज से दोपहर 12.00 बजे 139354 क्यूसेक पानी पास हुआ था, जिससे जनपद के 198 ग्राम जलप्लावन से प्रभावित हो गये और बाढ़ का पानी कलक्ट्रेट परिसर तक पहुंच गया था। इस बाढ़ से 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और बड़े–छोटे मिलाकर कुल 159 पशु लुप्त हो गये और 21721 कच्चा/ पक्का मकान/झोपड़ी नष्ट हो गये। सार्वजनिक परिसम्पत्तियों यथा– सड़क, पुल/पुलिया, बन्धे, स्कूल, विद्युत, इण्डिया मार्का–11 व प्लेट फार्म आदि की काफी क्षति हुई। इसके अतिरिक्त बहराइच–भिनगा मुख्य मार्ग किमी0 25 पर लक्ष्मननगर के पास लगभग 100मी0 कट जाने से आवागमन ठप्प हो गया था, जो अर्हनिश प्रयास से अस्थायी मरम्मत के उपरान्त दिनांक 21–08–2014 के सांय से आवागमन बहाल हो पाया था। वर्ष 2015 में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी।

वर्ष में दिनांक 27–7–2016 को हुई अतिवृष्टि एवं नेपाल के पहाड़ों से आये पानी के कारण जनपद में स्थित राप्ती नदी का जल स्तर राप्ती बैराज पर खतरे के निशान 127.70मी से बढ़कर 128. 00मी0 पहुँच गया, जिससे कुल 92 (तहसील भिनगा– 34, जमुनहा–18, इकौना–40) राजस्व ग्राम जलप्लावन से प्रभावित हो गये। बाढ़ के पानी में बहकर 02 लोगों की मृत्यु हो गयी कच्चे पक्के कुल 90 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त बहराइच–भिनगा मुख्य मार्ग किमी 25 पर राइट साइड पर बने पुल में दरार उत्पन्न हो गयी थी, जिसे प्रशासन के विशेष प्रयास से मरम्मत कराकर आवागमन बहाल

कराया गया। बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यो हेतु 26वीं पी0ए0सी0 फ्लड 14 मोटरबोट की सहायता से राहत एवं बचाव कार्य कराया गया। जनपद में 18 बाढ़ चौकी एवं अन्य 30 स्थानों पर राहत शिविर स्थापित कर प्रभावित परिवारों को ताजा खाना (लंच पैकेट) उपलब्ध कराया गया। बाढ़ की स्थिति दिनांक 02–08–2016 तक रही। बाढ़ का पानी रिसीट होने पर प्रभावित परिवारों जिनके घर में बाढ़ के पानी से खाने पीने की चीजें नष्ट हो गयी थी, उन्हें 10 कि0ग्रा0 चावल, 10किग्रा0 आटा, 5किलोग्रा0 आलू, माचिस, मोमबत्ती वितरित कराया गया। प्रभावित क्षेत्रों में 5 मेडिकल टीम एवं पशुओं के लिए 10 मेडिकल टीम गठित कर समुचित उपचार कराया गया। प्रभावित क्षेत्रों में मानव उपचार–19470, क्लोरीन टेबलेट–38160, ओ0आर0एस0 पैकेट–3521 वितरित कराया गया।

वर्ष 2017 में दिनांक जनपद श्रावस्ती में दिनांक 12–08–2017 को हुई अतिवृष्टि एवं नेपाल के पहाड़ों से आये पानी के कारण जनपद में स्थित राप्ती बैराज पर खतरे के निशान 127–70 से बढ़कर जलस्तर 130.150मी0 हो गया, जिससे कुल 190 राजस्व ग्राम (तहसील भिनगा– 71, जमुनहा–48, इकौना–71) जलप्लावन से प्रभावित हो गये । इस बाढ़ से 46030परिवार के लगभग 232370 लोग प्रभावित हुये। इसके अतिरिक्त बहराइच–भिनगा मुख्य मार्ग किमी 25 पर लक्ष्मननगर के पास मार्ग कट जाने का खतरा उत्पन्न हो गया, जिसे युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य कराकर आवागमन बहाल कराया गया। बाढ़ के पानी में बहकर 08 लोगों की मृत्यु हो गयी थी तथा लोगों के 3492 कच्चे /पक्के मकानों की क्षति हुई। नदी के पानी के अत्यधिक प्रवाह के कारण सड़कें, स्कूल, आदि का नुकसान हुआ है। बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यो हेतु NDRF की दो प्लाटून एवं चार प्लाटून फ्लड पी0ए0सी0 एवं 30 मोटरबोट की सहायता ली गयी तथा स्थानीय स्तर की 30 नावें लगाकर बचाव कार्य कराया गया। इनकी सहायता से बाढ़ में फंसे लोगों को 18 बाढ़ चौकियों एवं अन्य ऊँचे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बाढ़ की त्रासदी को देखते हुए कार्यालय आदेश संख्या 2791 आपदा–बाढ़ राहत– 2017 दिनांक 17–07–2017 के अर्न्तगत बाढ़ प्रभावित ग्रामों में राहत एवं बचाव कार्य के पर्यवेक्षण हेतु 18 बाढ़ चौकियों पर 18 जनपद स्तरीय अधिकारियों की तैनाती नोडल अधिकारी के रूप में की गयी। उपनिदेशक, कृषि को तहसील भिनगा/जमुनहा एवं मुख्य विकास अधिकारी श्रावस्ती को तहसील इकौना क्षेत्र में राहत एवं बचाव कार्य के पर्यवेक्षण के लिए नामित किया गया। शासनादेश संख्या 950 दिनांक 21.08.2017 के अर्न्तगत निर्धारित 16 प्रकार की राहत सामग्री (आटा–10कि0ग्रा0, चावल–10कि0ग्रा0, आलू–10किग्रा0, लाई–5किग्रा0,

भुना चना–2कि0ग्रा0, दाल अरहर–2किग्रा0, नमक–500ग्रा0, हल्दी–200ग्रा0, मिर्च–200ग्रा0, धनिया–200ग्रा0, मोमबत्ती–1 पैकेट, माचिस–1 पैकेट, बिस्कुट–10 पैकेट, रिफाइन्ड–1ली0, केरोसिन–5ली0, क्लोरीन टेबलेट–10) जनपद के प्रभावित 46030 परिवारों को उपलब्ध कराया गया है। सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों द्वारा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत सहायता के रूप में लंच पैकेट–97668, आटा–4603कु0 कु0, चावल–4603 कु0, दाल–920.60 कु0, नमक–230.15 कु0, आलू–4603 कु0, माचिस–46030 पै0, मोमबत्ती–46030 पै0, तिरपाल–15874 मी0, लाई–2301.50कु0, चना–920.60कु0, पारले बिस्कुट–460300पैकेट, पानी का पाउच–113700ली0, पिसी हल्दी–46030पैकेट, पिसी धनिया–46030पैकेट, पिसी मिर्चा–46030पैकेट, रिफाइन्ड तेल–46030ली0, मिट्टी का तेल–210785 ली0 वितरित किया गया। बाढ़ से मृतक 8लोगों के आश्रितों को अनुमन्य प्रत्येक 4.00 लाख के हिसाब से कुल 32.00 लाख अनुग्रह सहायता की धनराशि तत्काल उपलब्ध करायी गयी और पशुचारे के रूप में 667.35कु0 भूसा भी वितरित कराया गया था। वर्ष 2018 में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी।

6–जिला परामर्शदात्री आपातकालीन सहायता समितिः–

जनपद में इस समिति का गठन परिशिष्ट– ''अ'' के अनुसार है। समय समय पर इनकी बैठक कर इनके सुझावों के आधार पर बाढ़ प्रबन्ध योजना संशोधित कर कार्यान्वित की जायेगी।

7– बाढ़ के अनुश्रवण के लिए स्टेयरिंग ग्रूप का गठनः–

बाढ से प्रभावित क्षेत्रों में बाढ की स्थिति के निरन्तर अनुश्रवण के लिए शासन के निर्देशानुसार स्टेयरिग ग्रूप का गठन किया गया है। इस समिति का गठन परिशिष्ट–''ब'' के अनुसार है। सभी सम्बन्धित विभागाधिकारीगण को बाढ की स्थिति से बचाव हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए है।

8–तहसील परामर्शदात्री समितिः–

यह समिति तहसील क्षेत्र के अर्न्तगत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सहायता का अनुश्रवण करेगी। इस समिति के सदस्यों की अनुमति से उपजिलाधिकारी सप्ताह में एक बार तहसील मुख्यालय पर बैठक बुलायेंगे। समिति के बैठक की सूचना जिला बाढ नियन्त्रण कक्ष को दी जायेगी तथा तहसील कमेटी का गठन परिशिष्ट–''स'' के अनुसार किया गया है।

9–बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रः–

जनपद में नदियों के निम्न मध्यम तथा उच्च बाढ़ से प्रभावित होने वाले ग्रामों का स्थलीय सर्वेक्षण कराकर वर्गीकरण करा लिया गया है।

10–राप्ती नदी (भाकला) के जलस्तर सम्बन्धी आंकड़ेंः–

क्रमांक	नदी का नाम	निम्न जल स्तर	मध्यम जलस्तर	खतरे का विन्दु	उच्चतम जलस्तर
1	राप्ती (भाकला)	117.55 मी0	118.90 मी0	118.50 मी0	119.60 मी0

11–बाढ़ की स्थिति में पानी से चारों ओर घिरने वाले क्षेत्रः–

ऐसे ग्राम जो बाढ की स्थिति उत्पन्न होने पर चारों ओर पानी से घिर जाते है, उनका सर्वेक्षण करा लिया गया है। सर्वेक्षण के उपरांत तहसीलदार भिनगा, जमुनहा एवं इकौना द्वारा बाढ प्रबन्ध योजना प्रस्तुत की गयी है जिसमें इसका विवरण प्रस्तुत किया गया है।

12–जनपदीय बाढ़ नियन्त्रण कक्षः–

जिला स्तर पर बाढ नियन्त्रण कक्ष जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय पर खोला गया है, जो आपदा की स्थिति में 24 घंटे क्रियाशील रहेगा। इस कन्ट्रोल रूम के प्रभारी अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) श्रावस्ती होंगे। बाढ नियन्त्रण कक्ष में प्राप्त सूचनाओं का एक रजिस्टर होगा, जिसमें प्राप्त सूचना एवं कृत कार्यवाही का विवरण अंकित किया जायेगा। इस पंजिका को नियन्त्रण कक्ष में तैनात कर्मचारी द्वारा नित्य प्रति जिला आपदा राहत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। नियन्त्रण कक्ष का दूरभाष नं0–05250–222288 है।

13– तहसील स्तरीय बाढ़ नियन्त्रण कक्षः–

बाढ़ की विभीषिका से निपटने हेतु सभी तहसीलों में बाढ़ नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया गया है जो 24 घंटे क्रियाशील रहेगा। इस नियन्त्रण कक्ष के प्रभारी सम्बन्धित उपजिलाधिकारी होंगे। नियन्त्रण कक्ष का दूरभाष नं0 निम्नवत् हैः–

तहसील भिनगा– 05250–222247

तहसील इकौना– 05252–255851

त्हसील जमुनहा– 05250–245001

इस बाढ़ नियन्त्रण कक्ष में प्राप्त सूचनाओं का एक रजिस्टर होगा, जिसमें प्राप्त सूचनाओं एवं कृत कार्यवाही का विवरण अंकित किया जायेगा। इस पंजिका को नियन्त्रण कक्ष में तैनात कर्मचारी द्वारा नित्य प्रति उपजिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

14– बाढ चौकीः–

बाढ़ की स्थिति में बाढ़ पीडितों को राहत सामग्री का वितरण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मनुष्य, पशु एवं सामानों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए तहसील भिनगा में 5, तहसील जमुनहा में 5 तथा तहसील इकौना अर्न्तगत 8 बाढ़ चौकियों की स्थापना की गयी है। जनपद में उपलब्ध 18 बाढ़ चौकियों पर जनपद स्तरीय 18 अधिकारियों को बाढ़ चौकी प्रभारी बनाया गया है। तहसीलवार बाढ़ चौकी की सूची तहसील की बाढ़ प्रबन्ध योजना में सम्मिलित की गयी है, ताकि बाढ़ के दिनों में बाढ़ क्षेत्रों की जनता को बाढ़ चौकियों की जानकारी करने तथा वहां तक पहुँचने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को बाढ़ चौकियों का भली प्रकार निरीक्षण करके सभी आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

15–बाढ चौकियों का निरीक्षणः–

जनपद स्तरीय नामित अधिकारीगण को अपनी–अपनी बाढ़ चौकी एवं उससे सम्बद्ध ग्रामों का निरीक्षण कर वहां की समस्याओं एवं बाढ़ चौकियों को जहॉ परिवर्तन करने की आवश्ययकता हो , वहॉ की समस्याओं के सम्बन्ध में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

16– वर्षा/ जलस्तर की डेली रिपोर्ट का प्रेषणः–

राप्ती (भाकला) नदी का जल स्तर बढ़ने की सूचना इन्चार्ज बाढ़ नियन्त्रण कक्ष अधिशाषी अभियन्ता, स0न0ख0–6 द्वारा सभी उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार को उपलब्ध करायी जायेगी और सभी उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार इन्चार्ज बाढ़ नियन्त्रण कक्ष, अधिशाषी अभियन्ता, स0न0ख0–6 से सम्पर्क बनाए रखेंगे साथ ही साथ उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदारगण अपने स्तर से प्रतिदिन नदियों के जल स्तर की सूचना एवं दैनिक वर्षा के आंकड़े विशेष वाहक द्वारा जिला बाढ नियन्त्रण कक्ष को उपलब्ध करायेंगे। ककरदरी (राप्ती वैराज) से राप्ती नदी के जल स्तर की सूचना भी उपरोक्त इन्चार्ज बाढ़ नियन्त्रण कक्ष अधिशाषी अभियन्ता, स0न0ख0–6 द्वारा प्रेषित की जायेगी। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर

राहत एवं बचाव सम्बन्धी निर्देश जिला आपदा राहत अधिकारी द्वारा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार को निर्गत किऐ जायेंगे।

नदियों के जल स्तर खतरे के विन्दु पर पहुंचने की सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार लेखपाल के माध्यम से सम्बन्धित ग्रामों के विषय में सूचनाऐं प्रेषित करेंगे। उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार यह भी सुनिश्चित करेंगे कि नदी का जलस्तर खतरे के विन्दु पर पहुंचने पर लेखपाल नियमित रूप से बाढ़ के अन्त तक क्षेत्र में ही निवास करें। उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार बाढ़ सम्बन्धी सूचनायें मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी आपदा को समय से प्रेषित करेंगे जिससे विभागीय चिकित्सा एवं पशुधन अधिकारियों को बाढ़ चौकियों पर पहुंचने हेतु निर्देश निर्गत किऐ जा सकें।

बाढ़ सम्बन्धी पूर्वानुमान एवं चेतावनियों का प्रसारण ग्राम स्तरीय गठित आपदा प्रबन्ध समितियों के सदस्यों के माध्यम से, मेगाफोन, गैर सरकारी संस्थाओं एवं समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार लाउडस्पीकर से इसका प्रचार प्रसार कराया जायेगा।

17–बाढ़ में यातायात साधनः–

बाढ़ के अवसर पर प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री तथा नावों से पहुंचाने हेतु ट्रक एवं ट्रैक्टरों की आवश्यकता पड़ती है। तहसीलदार अपने क्षेत्र के निजी ट्रैक्टरों एवं ट्रकों की सूची तैयार रखेंगे ताकि अल्प सूचना पर उनका अधिग्रहण किया जा सके। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को जनपद में उपलब्ध वाहनों की सूची उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

18–राहत कार्यो हेतु नावों की व्यवस्थाः–

प्रत्येक वर्ष राहत कार्यो हेतु बाढ़ के समय काफी संख्या में नावों की आवश्यकता पड़ती है। बाढ़ के समय जिन नदियों /ग्रामों में नाव लगाना है, उस क्षेत्र को चिन्हित कर लिया

जाय तथा उपजिलाधिकारी/तहसीलदार अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत नाव मालिकों की सूची तैयार कर पूर्व से अनुबंध की कार्यवाही पूर्ण कर लें तथा नाविकों के नाम पते आदि प्राप्त कर लें। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा नाव मालिकों/नाविकों को नावें ठीक कराकर सही हालत मे रखने हेतु नोटिस जारी कर दें जिससे अल्प सूचना पर नावें उपलब्ध हो सकें। उपजिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र की नावें बिना जिला प्रशासन की अनुमति के अन्य जनपदों में न जायें। इसके लिए राजस्व निरीक्षकों/लेखपालों का निर्देश निर्गत कर स्थिति की निरन्तर समीक्षा करते रहें। बाढ़ के समय अक्सर नावों पर अधिक भार लाद दिए जाने के कारण नाव दुर्घटना हो जाती है। ऐसे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि नाव पर उसकी क्षमता से अधिक भार न लादा जाय तथा एक मोटी लाइन नाव के चारों ओर खतरे के निशान के रूप में पेन्ट कर दी जाय, यह लाइन पानी के उपर नाव की क्षमता (भार) एवं व्यक्तियों के बैठने की संख्या का भी अंकन करा लिया जाय ताकि भविष्य में होने वाली नाव दुर्घटनाओं को रोका जा सके। विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न घाटों पर लगाई गयी नावों पर भी उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाय। बाढ़ प्रभावित 44 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत बजट से नावों की आपूर्ति की गयी हैं।

19–नावों की चालन व्यवस्था एवं भुगतानः–

बाढ़ की स्थिति में जिस दिन से नाव लगायी जायेगी, उसी दिन से उसकी एक लागबुक बनायी जायेगी, उस लागबुक में नाव मालिक का नाम, तैनात नाविकों के नाम तथा नाव लगाने एवं अवमुक्त करने की तिथि का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। सम्बन्धित क्षेत्र के बाढ़ चौकी प्रभारी प्रतिदिन नाव चलाने के विषय में लागबुक भरेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। राहत कार्य में प्रयुक्त होने वाली नाव पर एक लाल झण्डी लगायी जायेगी जिस पर राजस्व विभाग एवं तहसील का नाम अंकित होगा, ताकि प्रभावित क्षेत्र में लोग इसकी पहचान कर सहायता की मांग कर सकें। नाव किराये की दरें नियमानुसार पूर्व से निर्धारित करना सुनिश्चित करें।

राहत कार्य हेतु किराये पर लगायी गयी प्रत्येक नाव का सत्यापन उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा किया जायेगा और जांच में नाव चलने की पुष्टि होने पर ही मस्टररोल भुगतान हेतु संस्तुति कर प्रेषित किये जायेंगे। नाव किराये के भुगतान जिला दैवी आपदा कार्यालय से लाकबुक एवं मस्टररोल की विधिवत जांच के उपरान्त किया जायेगा ताकि किसी किस्म की गड़बड़ी एवं अनियमितता की सम्भावना न रहे। प्रत्येक बाढ़ चौकी के प्रभारी तथा उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार अपने क्षेत्र में लगी नाव के किराये के भुगतान हेतु जिम्मेदार होंगे किन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व उपजिलाधिकारी का होगा।

20–पी0ए0सी0 अथवा सेना की आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना तत्काल प्रेषित करनाः–

कभी–कभी अतिवृष्टि तथा आकस्मिक बाढ़ के कारण स्थिति इतनी गम्भीर हो जाती है कि जिला प्रशासन को अपने सीमित संसाधनों से निपटने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में जनजीवन तथा उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए पी0ए0सी0 की सहायता लेनी पड़ती है। पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती ने अपने पत्र दिनांक 16 मई 2018 के अर्न्तगत जनपद में बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यो हेतु स्थायी रूप से 01 कम्पनी बाढ़ राहत पी0ए0सी0 उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

20ए–सैनिक सहायताः–

यदि पी0ए0सी0 की सहायता का उपयोग करने के बाद भी स्थिति पर नियन्त्रण न पाया गया तो सैनिक सहायता की मांग की जायेगी। सामान्य परिस्थितियों में शासन की पूर्वानुमति लेकर ही सेना की मांग की जायेगी। विशेष एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में सेना की सहायता हेतु सेना से सीधा सम्पर्क किया जायेगा, किन्तु उस स्थिति से शासन को सूचित किया जायेगा।

सैनिक अधिकारियों के जिले में पहुंचने पर पथ प्रदर्शक (गाइड) उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार पहले से ही तैयार कराकर रखेंगे ताकि सैनिक अधिकारियों को बाढ़ स्थल तक पहुंचने में कठिनाई न हों। उक्त के अतिरिक्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सेना की नावें सेना के डिपो से बाढ़

स्थल तक ले जाने हेतु पर्याप्त मात्रा में ट्रकों की उपलब्धता बनी रहे तथा रूटचार्ट की एक प्रति जिला प्रशासन को भी उपलब्ध करायेंगे।

21–बाढ़ सहायता कार्यो में जन सहयोगः–

जनप्रतिनिधियों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को राहत कार्यों में सम्मिलित किऐ जाने के सम्बन्ध में एक कार्यदल (एक्शन ग्रूप) बनाया जायेगा, जिसमें ऐसे लोगों को सम्मिलित किया जायेगा, जो निःस्वार्थ भाव से संकटकाल में जनता की सहायता करने के लिए अग्रणीय रहते है और जिनकी समाज में ख्याति एवं प्रतिष्ठा अच्छी हो। इसके अतिरिक्त सभी उपजिलाधिकारीगण को ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्ध यमितियों का गठन करके उनके नाम मोबाइल नम्बर प्राप्त कर योजना में सम्मिलित करने के निर्देश दिये गये हैं। आपदा क्षेत्र में विशेषज्ञ लोगों की भी सूची तैयार कर आपदा प्रबन्ध योजना में सम्मिलित करने के निर्देश दिये गये हैं। इनका बाढ़ से समय भरपूर सहयोग मिल सकेगा।

22–बाढ़ सुरक्षाः–

बाढ़ से प्रभावित /चारों ओर पानी से घिर जाने वाले ग्रामों से मनुष्य तथा उनका सामान सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना आवश्यक होता है। तहसीलों की कार्ययोजना में पानी से घिरने वाले ग्रामों की सूची तथा राहत शिविरों का स्थान दिया गया है। उन शिविरों में आने वाले लोगों को मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल एंव खाद्यान्न के आरक्षण हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, श्रावस्ती शासनादेश में दिए गए निर्देशानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। बाढ़ की स्थिति में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार की मांग के अनुरूप जिला पूर्ति अधिकारी उसकी पूर्ति सुनिश्चित करेंगे। शिविरों में आने वाले लोगों के लिए भोजन बनवाकर देने की भी आवश्यकता होगी, जिसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी, उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार की मांग के अनुसार पूड़ी, सब्जी तैयार कराकर उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त बाढ़ के समय सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान पर प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न तथा दैनिक उपयोग की सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को दैनिक उपयोग की सामग्री सुगमता से उपलब्ध हो सके। गांव वालों का सामान शिविरों तक पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था तहसीलदार द्वारा की जायेगी। राहत शिविरों में चिकित्सा तथा पशुधन विभाग के कर्मचारी 24 घंटे तैनात रहेंगे।

बाढ़ प्रभावित होने वाले ग्रामों के सहायता हेतु प्रभावित पात्र व्यक्तियों की सूची तहसीलदार द्वारा उसी दिन अथवा दूसरे दिन क्षेत्रीय लेखपाल से तैयार करा ली जायेगी ताकि राहत सामग्री के वितरण में विलम्ब न होने पाये। इस सूची की तीन प्रतियां बनायी जायेगी। एक प्रति तहसील कार्यालय में, दूसरी

प्रति वितरण हेतु केन्द्र प्रभारी को तथा तीसरी प्रति जिला दैवीय् आपदा अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। राहत सहायता का

वितरण क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जायेगा। वितरण के समय उपस्थित जनप्रतिनिधियों से प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जायेगा। केन्द्र प्रभारी राहत वितरण के बाउचर सम्बन्धित तहसीलदार को तीन दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे। बाढ़ चौकी के स्टाफ का सत्यापन उक्त अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

23—बाढ़ से हुयी क्षति के आंकड़ों का प्रेषणः—

प्रायः यह देखा गया है कि तहसीलों में बाढ़ से हुयी क्षति तथा राहत कार्यो की सूचना बिलम्ब से प्रेषित की जाती है, जिसके कारण जिला स्तर से संकलित सूचना शासन को भेजने में विलम्ब हो जाता है। अतः प्रत्येक तहसीलदार बाढ़ से हुयी क्षति तथा राहत कार्यो के वितरण की सूचना प्रत्येक दिन शांय 4.00 वजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

24—चिकित्सा व्यवस्थाः—

बाढ़ की स्थिति में बाढ़ से उत्पन्न होने वाली बीमारियों तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य समस्याओं के नियन्त्रण हेतु जागरूक होना नितांत आवश्यक है। बाढ से फैलने वाले संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। मुख्य चिकित्साधिकारी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर आवश्यक मात्रा में दवाओं का भण्डारण सुनिश्चित करायेंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी क्षेत्र में अभी से चिकित्सकों एव कार्यकर्त्ताओं की सूची तैयार करके जनपद कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक बाढ़ चौकी पर फर्स्ट—एड—बाक्स एवं जीवन रक्षक दवाऐं उपलब्ध रहेंगी। औषधियों में कीटनाशक दवाऐं, विसंक्रमण सामग्री, हैजा निरोधक टीके, बैक्सीन तथा एंटी स्नेक गेनन उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त बाढ़ के समय फैलने वाले अन्य रोगों के उपचार हेतु पर्याप्त मात्रा में दवाऐं मुख्य चिकित्साधिकारी उपलब्ध करायेंगे। चिकित्सा की ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात चिकित्साधिकारी तथा स्वास्थ्य रक्षक, राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ राहत सामग्री के वितरण के साथ दवाओं का भी वितरण करेंगे।

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी बाढ़ के समय पशुओं में फैलने वाले रोगों के उपचार हेतु आवश्यक मात्रा में दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। प्रत्येक बाढ़ चौकी पर पशुपालन तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अवश्य नियुक्त किया जायेगा। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी आवश्यकतानुसार पशु राहत शिविरों की स्थापना कराना सुनिश्चित करेंगे। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी बाढ़ के पूर्व पशुओं के टीकाकरण की कार्यवाही पूर्ण कर लेंगे, ताकि बाढ़ के समय आवश्यक प्रचुर मात्रा में औषधियों के व्यवस्था एवं भण्डारण का दायित्व मुख्य पशुचिकित्साधिकारी का होगा तथा बाढ़ चौकियों पर कर्मचारियों की तैनाती कर वस्तुस्थिति से जिला आपदा कार्यालय को अवगत करायेंगे।

25–पशुचारे की व्यवस्थाः–

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ के समय पशुओं के चारे की समस्या उत्पन्न न हो इसलिए पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। इसके लिए पशुधन विभाग अभी से ही चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ई–टेण्डर कराकर ठेकेदार से अनुबन्ध कर चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय।

26–वर्षा के आकड़े, नदियों के जलस्तर व बाढ़ सम्बन्धी दैनिक सूचनाओं को प्रेषित किया जानाः–

वर्षा के आकड़े नाजिर सदर द्वारा प्रतिदिन राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, राजस्व परिषद एवं आयुक्त महोदय को प्रेषित किया जायेगा। दैनिक वर्षा के आंकड़े नियमित रूप से भेजने की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक तहसीलदार का यह दायित्व होगा कि वह पहले से वर्षामापी ठीक कराकर दैनिक वर्षा के आंकड़े व नदियों के जलस्तर की सूचना विशेष वाहक/दूरभाष द्वारा प्रतिदिन शांय 3.00 बजे तक नाजिर सदर/जिला बाढ़ नियन्त्रण कक्ष को उपलब्ध करायेंगे। जलस्तर एवं बाढ़ से हुयी क्षति तथा राहत कार्यो की सूचना प्रतिदिन दैवीय् आपदा राहत अधिकारी फैक्स द्वारा शासन तथा मण्डलायुक्त को प्रेषित करेंगे।

27–मोटर बोट की व्यवस्थाः–

शासन द्वारा एक फाइबर मोटरबोट उपलब्ध कराई गई है जो तहसील भिनगा को आवंटित है। तहसीलदार भिनगा मोटर बोट को चालू हालत में रखने के उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जनपद में बाढ़ बचाव एवं राहत कार्यो के लिए वर्ष 2018 में 10 अदद मोटरबोट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था, परन्तु उपलब्ध नहीं हो सका है।

28–आर0टी0 सेटों की स्थापनाः–

गतवर्षो में जिन स्थानों पर आर0टी0 सेट लगाए गए थे उन स्थानों पर तथा आवश्यकतानुसार अन्य स्थानों पर आर0टी0 सेट लगवाने की व्यवस्था पुलिस अधीक्षक स्तर से सुनिश्चित की जायेगी।

29–जलप्लावित क्षेत्रों में पानी निकासी की व्यवस्थाः–

बाढ़ के समय जलप्लावित क्षेत्रों में जलनिष्कासन की व्यवस्था, भिनगा नगर में नगर पंचायत तथा इकौना में नगर पंचायत इकौना द्वारा कराई जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य अधिशाषी अभियन्ता, स0न0ख0–6 द्वारा सुनिश्चित कराई जायेगी। उक्त कार्य हेतु अधिशाषी अभियन्ता, स0न0ख0–6 तथा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत भिनगा एवं इकौना अपने विभाग में उपलब्ध पम्पिंग सेटों को चालू दशा में रखेंगे तथा आवश्यकतानुसार और पम्पिंग सेटों की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसका तत्काल उपयोग किया जा सके।

30–बाढ़ से पुल, पुलियों, बन्धों, तथा सड़क कटान रोकने की व्यवस्थाः–

बाढ़ से पुल, पुलियों तथा सड़कों को कटने से रोकने हेतु आवश्यक बचाव प्रबन्ध सम्बन्धित लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सम्बन्धित विभाग बालू की बोरियां, पत्थर, बोल्डर तथा आवश्यक बचाव सामग्री की व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित करायेंगे। बन्धों की सुरक्षा तथा इसके कटान को रोकने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई विभाग द्वारा कराई जायेगी। अधिशाषी अभियन्ता, स0न0ख0–6 एवं प्रथम बहराइच, सरयू ड्रेनेज खण्ड प्रथम बहराइच को इस वर्ष संभावित बाढ़ के सम्बन्ध में समुचित तैयारियां अभी से सुनिश्चित कर लें। कटान रोकने हेतु आवश्यक झाड़–झंखाड़ सम्बन्धित विभाग के मांग के अनुरूप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

31–जनपद के नाली/नालों के सफाई की व्यवस्थाः–

जनपद में आने वाली बाढ़ से नालों आदि की सफाई न होने के कारण बाढ़ पर विशेष प्रभाव पड़ता है तथा जलप्लावन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी दशा में बाढ़ आने से पूर्व ही जनपद के सभी नालों की सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये। इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या–920/1–11–2000–रा0–44/99 दिनांक 20.05.2000 के अनुसार कार्यवाही सम्पादित कर अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

32–पेयजलः–

बाढ़ के समय सबसे अधिक समस्या पीने के पानी की होती है, क्योंकि बाढ़ के पानी से कूपों का जल प्रदूषित हो जाता है और इसके पीने से संक्रामक रोंगो के फैलने की आशंका बढ़ जाती है। अतः मुख्य चिकित्साधिकारी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से सभी हैण्डपम्पों एवं कूपों का बाढ़ आने के पूर्व विसंक्रमण करायेंगे। तो हैंण्डपम्प खराब हैं उन्हें अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम प्राथमिकता के आधार पर ठीक करायेंगे। बाढ़ के समय कतिपय क्षेत्रों में टैंकर से पानी की आपूर्ति की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम पर्याप्त टैंकरों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी को बाढ़ प्रभावित 200ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत बजट से कम से कम दो हैण्डपम्पों को उच्चीकरण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

33–गृहविहीन व्यक्तियों का पुर्नवासः–

बाढ/अतिवृष्टि से जिनके मकान नष्ट अथवा बह जाय व कट जाय, उन्हें अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर बसाये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार द्वारा तत्परता से की जायेगी। ऐसे लोगों को अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर बसाये जाने हेतु निर्देश दे दिये गए हैं।

34–गृह अनुदान का वितरणः–

दैवी आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में गृह अनुदान का वितरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानक राजस्व अनुभाग–11, उ0प्र0 शासन, राहत आयुक्त कार्यालय लखनऊ से जारी शासनादेश संख्या जी0आई0 07/1–11–2015–3(जी)/2015 दिनांक 09–04–2015 के साथ संलग्न गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 32–7/2014–एन0डी0एम0आई0 दिनांक 08–04–2015 में राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु संशोधित मदों की सूची एवं मानकों की संशोधित दरें जो दिनांक 01–04–2015 से लागू हैं के अनुसार किया जायेगा।

(योगानन्द पाण्डेय)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),
श्रावस्ती

जनपद–श्रावस्ती में बाढ़ कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी

भौगोलिक स्थितिः–जनपद –श्रावस्ती का भौगोलिक क्षेत्रफल 1858.20 वर्ग किमी0 है, और इसका उत्तरी भाग नेपाल सीमा से लगा हुआ है। जनपद राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है, इस जनपद में पानी का प्राकृतिक बहाव उत्तर–पश्चिम से दक्षिण–पूर्व की ओर है। राप्ती नदी जनपद के उत्तरी भाग में नेपाल से भारत में प्रवेश करती है। यह जनपद की मात्र सबसे बड़ी एवं विशाल नदी है। इस न दी का स्लोप अधिक होन के कारण यह कटान एवं अपना मार्ग परिर्वतन के लिये जानी जाती है। इस नदी मे सामान्यतः प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। इस बाढ़ से जनपद के ब्लाक जमुनहा एवं हरिहरपुररानी एवं जनपद–मुख्यालय भिनगा गम्भीर रूप से प्रभावित होते है। ब्लाक जमुनहा में भाखला नाला होने के कारण नदी का पानी बाढ़ में नाले में उल्टी दिशा में बहाव होने के कारण यहां की स्थित और गम्भीर हो जाती है। इस प्रकार राप्ती नदी से जनपद का पश्चिमी क्षेत्र गम्भीर रूप से प्रभावित होता है। बाढ़ सुरक्षा व्यवस्था हेतु सिंचाई विभाग के विभिन्न खण्डों द्वारा जनपद–श्रावस्ती में नियमानुसार कार्यो का सम्पादन किया जाता है।

1–सरयू नहर खण्ड–6, श्रावस्तीः–इस खण्ड के अर्न्तगत राप्ती नदी पर ग्रम लक्ष्मणपुर कोठी में निर्मित चौधरी चरण सिंह बैराज का रख रखाव है। जिसकी लम्बाई 284 मीटर है। बैराज में 14 गेट निर्मित है तथा इसके अपस्ट्रीम राइट साइड गाइड बंध एवं आर0आर0ए0बंध निर्मित है।

राप्ती नदी का बाढ़ जलस्तरः– राप्ती नदी का बाढ़ जल स्तर निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	नदी का नाम	माप का स्थान	निचला बाढ़ स्तर	खतरे का स्तर	अधिकतम उच्च बाढ़ स्तर	अब तक का उच्च बाढ़ स्तर	तहसील	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राप्ती नदी	राप्ती बैराज	125.90 मीटर	127.70 मीटर (40265) क्यूसेक	130.500 मीटर (176220) क्यूसेक	130.15 मीटर (161883) क्यूसेक	जमुनहा	दि0 12.08. 2017 को अब तक का अधिकतम जल स्तर रिकार्ड किया गया।

बाढ़ चेतावनी प्रणालीः– सरयू नहर खण्ड–6, श्रावस्ती के खण्डीय कार्यालय में बाढ़ अवधि के समय 01 जून 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक बाढ़ नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। जिसक टेलीफोन नं0–05250.–222143 है, तथा राप्ती बैराज पर स्थित मोबाइल नं0–9532622688 है।

राप्ती बैराज पर राप्ती नदी के प्रातः 8:00 के जल स्तर की सूचना सिंचाई विभाग की वेबासाइट के माध्यम से तथा कैनाल परिसर स्थित बाढ़ नियन्त्रण कक्ष से केन्द्रीय जल आयोग को व जिलाधिकारी जनपद—श्रावस्ती को उपलब्ध करायी जाती है।

2—सरयू नहर खण्ड—प्रथम, बहराइचः—नेपाल राष्ट्र के शिवालिक पर्वत श्रंखालाओं से उतरकर राप्ती नदी सीधे भारत की सीमा जनपद श्रावस्ती में प्रवेश करती है, ग्राम—होलिया के आगे जनपद—श्रावस्ती में प्रवेश कर पूर्ण बेग से बहती है। कलकलवा मार्जिनल तटबन्ध राप्ती नदी के दांये तट पर निर्मित है। तटबन्ध की कुल लम्बाई 19.150 किमी0 है। किमी0 0.000 से 5.300 तक जनपद बहराइच व किमी0 5.300 से 19.150 तक जनपद श्रावस्ती में स्थित है। राप्ती नदी के पर्वतीय क्षेत्र से सीधे मैदानी क्षेत्र में आने के कारण धारा में तीव्र कटाव की प्रवृत्ति होती है। जिससे इस क्षेत्र को अत्यधिक कटाव एवं त्रासदी से गुजरना पडता है। इससे ग्राम—होलिया, लहसोरवा,मौलानापुरवा, लक्षमनपुर, सागरगांव, कलकलवा, रामपुर, जमुनहा, मोहम्मदीपुरवा आदि ग्रामों एवं तटबन्ध को विभिन्न स्थानों पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। उल्लेखनीय हे कि इस क्षेत्र में सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल की अनेकों चौकियां/कैम्प स्थापित है, जिन पर पहुॅचने के लिए तटबन्ध ही एक मात्र मार्ग है।

यह बंध भारत नेपाल राष्ट्र की सीमा पर स्थित होने के कारण अर्न्तराष्ट्रीय महत्व का है। तटबन्ध की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्थानों पर 24 नम्बर स्पर/स्टड बनाये गये है। नेपाल राष्ट्र व भारत राष्ट्र के मध्य उच्च स्तरीय बैठक (श्रॅब्ट) जो 20—22 नवम्बर 2009 को पोखरा नेपाल राष्ट्र में सम्पन्न हुई थी। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार तटबन्ध के किमी0 0.350 पर एक आपनिंग का निर्माण किया गया है। नेपाल राष्ट्र से निकलने वाली गंधलिया व संथलिया ड्रेन का पानी इसी ओपनिंग से निकल कर बजबजहा ड्रेन से होते हुयें भांखला ड्रेन में मिलकर राप्ती नदी में समाहित हो जाता है।

उपरोक्त स्थितयों से निपटने हेतु संवेदनशील स्थलों पर बाढ़ अवधि से पूर्व माह—मई/जून में रिजर्व स्टॉक जिसमें ब्रिक रोडा, सीमेन्ट की खाली बोरी, नायलान क्रेट, वायर क्रेट आदि की व्यवस्था की जाती है। बाढ़ अवधि (15 जून से 15 अक्टूबर) में अधिकारी/कर्मचारी बन्ध पर कैम्प करते है, एवं बंध की सत्त निगरानी हेतु अवर अभियन्ता स्तर पर सिफ्ट ड्यूटी की जाती है।

3—बाढ़ खण्ड श्रावस्तीः— प्राकृतिक बनावट के अनुसार जनपद श्रावस्ती को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक उत्तर पूर्व राप्ती का बेसिन एवं दूसरा दक्षिण में लम्बा व पतला पठार, जो उत्तर से दक्षिण की ओर लगा है। जपनद श्रावस्ती में तराई का अधिकांष भाग तहसील भिनगा के उत्तर पूर्व में पडता है चॅूकि तराई का क्षेत्र नीचा होता है। अतः वर्षाकाल में तराई का सम्पूर्ण भाग जलमग्न हो जाता है। सिंचाई एवं जल संससाधन विभाग के दृष्टिकोण से जनपद श्रावस्ती अति संवेदनषील बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। अपनी विषिष्ट भौगोलिक स्थित, पहाडों की निकटता और

वर्षा की अधिकता के कारण इस जनपद में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। इस जनपद की मुख नदी राप्ती है जिसका उद्गम स्थल नेपाल की दक्षिणी सीमा के जनपद रूकम एवं रोलपा है। जिसका M.S.L 3500 मी0 है। इसका अक्षांश $28^0\ 28'33''$ एवं देशान्तर $82^0\ 52'44''$ है। इस नदी का खतरे के निषान का जल स्तर 127.70 एवं H.F.L का अधिकतम गेज 130.15 दर्ज किया गया है जिसके सापेक्ष नदी का प्रवाह 161883.00 क्यूसेक था।

जनपद श्रावस्ती नेपाल राष्ट्र की पहाडियों के ठीक नीचे स्थित है। राप्ती नदी नेपल की पहाड़ियों से निकलकर जनपद श्रावस्ती की तहसील—जमुनहा से भारतीय सीमा में प्रवेश करती है। जिस स्थान पर ग्राम ककरदरी में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नदी के जल/बाढ के अध्यन हेतु गेज स्टेशन स्थापित किया गया है। जमुनहा तहसील के ग्प्रम लक्षमनपुर में राप्ती नदी पर बेराज स्थित है।

बैराज के अपस्ट्रीम में राप्ती नदी के दायें तट पर कलकलवा बांध निर्मित है। राप्ती बैराज के डाउन स्ट्रीम में जनपद श्रावस्ती की बाढ़ सुरक्षा हेतु राप्ती नदी के बायें तट पर परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध लम्बाई 22.400 किमी0 में निमार्णाधीन है। इस तटबन्ध के जनपद श्रावस्ती की लगभग 14868 हेक्टेयर कृषि तथा 50 ग्रामों की 82 हजार आबादी की सुरक्षा होती है। यह तटबन्ध जनपद श्रावस्ती के मुख्यालय भिनगा को प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करता है। इस तटबन्ध के ठीक निचे बहराइच—भिनगा मार्ग के डाउन स्ट्रीम में खजुहा झुनझुनिया अन्धरपुरवा तटबन्ध लम्बाई 22.500 किमी0 निमार्णाधीन है।

राप्ती नदी में जनपद श्रावस्ती जिले के मुख्य भैसाही, सरजकुण्डा, डगमगरा, हाथियाकुण्डा, आदि नालों का पानी केन नाले में गिरता है। जो राप्ती नदी में मिल जाता है।

जनपद श्रावस्ती में बाढ़ के समय राप्ती नदी में तीव्र गति से पानी प्रवाहित होने से नदी के किनारे बसे सैकडों गॉव प्रभावित होते है व नदी के कटान से जनपद की उपजाऊ भूमि व मूल्यवान फसलों को भी नुकसान होता है।

अति संवेदनशील स्थलों की सूची

1—सरयू नहर खण्ड—6, श्रावस्तीः—

आर0आर0ए0 बंध

(I) किमी0 16.758 से 21.400 तक (कुल लम्बाई 4.642 किमी0)

(II) 5 नग स्पर

1—सरयू नहर खण्ड—प्रथम, बहराइचः—

कलकलवा मार्जिनल बंध

(I) किमी0 4.390 से किमी0 5.360 के मध्य

(II) किमी0 13.500 से किमी0 14.350 के मध्य

(III) किमी0 17.150 से किमी0 18.165 के मध्य

बाढ़ खण्ड श्रावस्तीः—

क0सं0	स्थान का नाम	नदी का नाम/तट	चैनेज	बॉध का नाम	अभ्युक्ति
1	ग्राम—अलीनगर	राप्ती नदी/बायां	किमी0 1.780	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध	अति संवेदनशील
2	ग्राम—धर्मनगर	राप्ती नदी/बायां	किमी0 1.800	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध	अति संवेदनशील
3	ग्राम—सर्रा	राप्ती नदी/बायां	किमी0 6.510	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध	अति संवेदनशील
4	ग्राम—मनकापुर	राप्ती नदी/बायां	किमी0 19.900 से किमी0 21.800	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध	अति संवेदनशील
5	ग्राम—तिलकपुर				
6	ग्राम—भौसाव	राप्ती नदी/बायां	किमी0 6.500	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध	अति संवेदनशील
7	ग्राम—सुजानडीह	राप्ती नदी/बायां	किमी0 6.000 से किमी0 7.000	खजुहा झुनझुनिया अन्धरपुरवा तटबन्ध	अति संवेदनशील
8	ग्राम—मुजेहना	राप्ती नदी/बायां	किमी0 7.500	खजुहा झुनझुनिया अन्धरपुरवा तटबन्ध	अति संवेदनशील
9	ग्राम—भरथापुर	राप्ती नदी/बायां	प्रभावित ग्राम		अति संवेदनशील
10	ग्राम—मोहनापुर	राप्ती नदी/बायां	प्रभावित ग्राम		अति संवेदनशील
11	ग्राम—भरथापुर (सिसवारा)	राप्ती नदी/बायां	प्रभावित ग्राम		अति संवेदनशील
12	ग्राम—रमनगरा	राप्ती नदी/बायां	प्रभावित ग्राम		अति संवेदनशील

वर्ष 2019 में बाढ़ बचाव हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी

क0 सं0	खण्ड का नाम	अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता का नाम	अस्थायी मुख्यालय	निगरानी हेतु स्थल का नाम	मोबाइल नं0
1	2	3	4	5	6
1	सरयू नहर खण्ड—6, श्रावस्ती	श्री अजय कुमार, अधिशासी अभियन्ता	बहराइच	राप्ती बैराज पर स्थित समस्त बाढ़ सम्बन्धी कार्य	9415368021
2		श्री अशोक कुमार, सहायक अभियन्ता	राप्ती बैराज	तदैव	9415637067
3		श्री हरीवंश, अवर अभियन्ता	राप्ती बैराज	तदैव	9452653984
4		श्री राहुल, अवर अभियन्ता	राप्ती बैराज	तदैव	9453567012
1	बाढ़ खण्ड श्रावस्ती	श्री मिथिलेश कुमार वर्मा, अधिशासी अभियन्ता	भिनगा	बाढ़ सम्बन्धी समस्त कार्य	9415329695
2		श्री के0एम0 लाल, सहायक अभियन्ता	भिनगा	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध के किमी0 0.000 से 11.000 तक।	9221368584

3		श्री राजा राम, अवर अभियन्ता	भिनगा	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध के किमी0 0.000 से 11.000 तक।	9453278367
4		श्री ओ0पी0 चौहान, सहायक अभियन्ता	भिनगा	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध के किमी0 11.000 से 22.400 तक।	8787060840
5		श्री संदीप गुप्ता, अवर अभियन्ता	भिनगा	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध के किमी0 11.000 से 22.400 तक।	9919021922
6		श्री पंकज कुमार, सहायक अभियन्ता	भिनगा	खजुहा झुनझुनिया अन्धरपुरवा तटबन्ध किमी0 0.000 से 11.000 तक	8318745334
7		श्री महीप कुमार, अवर अभियन्ता	भिनगा	खजुहा झुनझुनिया अन्धरपुरवा तटबन्ध किमी0 0.000 से 11.000 तक	9453797727
8		श्री आदित्य प्रकाश, सहायक अभियन्ता	भिनगा	खजुहा झुनझुनिया अन्धरपुरवा तटबन्ध किमी0 11.000 से 22.500	9839474554
9		श्री राहुल अरोड़ा, अवर अभियन्ता	भिनगा	खजुहा झुनझुनिया अन्धरपुरवा तटबन्ध किमी0 11.000 से 22.500	9838463882
1	सरयू नहर खण्ड–प्रथम बहराइच	श्री अशोक कुमार, अधिशासी अभियन्ता	बहराइच	कलकलवा मार्जिनल बंध से सम्बन्धित समस्त कार्य	9838768356
2		श्री विशनु प्रसाद, सहायक अभियन्ता	कलकलवा मार्जिनल बंध	कलकलवा मार्जिनल बंध के किमी0 0.000 से 19.150 तक (अस्थायी मुख्यालय गंगापुर)	9556383162
3		श्री ज्योति प्रकाश, अवर अभियन्ता	कलकलवा मार्जिनल बंध	कलकलवा मार्जिनल बंध के किमी0 0.000 से 10.000 तक (अस्थायी मुख्यालय गंगापुर)	8765236889
4		श्री अमर नाथ, अवर अभियन्ता	कलकलवा मार्जिनल बंध	कलकलवा मार्जिनल बंध के किमी0 10.000 से 19.150 तक (अस्थायी मुख्यालय रामपुर)	9450113441

वर्ष 2019 में बाढ़ बचाव हेतु रिजर्व स्टाक का खण्ड वार विवरण।

1–सरयू नहर खण्ड–6, श्रावस्ती (राप्ती बैराज पर स्थित स्टोर में):–

1–सीमेन्ट की खाली बोरी	– 80030 अद्द
2–स्टोन बोल्डर	– 631.079 घन मीटर
3–नायलान क्रेट	– 15681 अद्द
4–जी0आई0 वायर क्रेट	– 48 अद्द

1–सरयू नहर खण्ड–1, बहराइच (कलकलवा मार्जिनल बंध पर स्थित स्टोर में):–

1–सीमेन्ट की खाली बोरी	– 60000 अद्द
2–ब्रिक रोडा	– 16.45 घन मीटर
3–नायलान क्रेट	– 2250 अद्द
4–जी0आई0 वायर क्रेट	– 95 अद्द

बाढ़ खण्ड श्रावस्ती:–

1–पुरानी सीमेन्ट की खाली बोरी	– 50000 अद्द
2–फस्ट क्लास ब्रिक रोडा	– 50.00 घन मीटर
3–नायलान क्रेट	– 10000 अद्द
4– नई सीमेन्ट की खाली बोरी	– 25000 अद्द
5–लोकल सैण्ड/मिटटी	–200 घन मीटर

नोटः–उपरोक्त सामग्री हेतु मांग पत्र उचाधिकारियों को भेजा जा चुका है। बाढ़ अवधि के पूर्व उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति कर लिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
(नोडल अधिकारी)
बाढ़ खण्ड श्रावस्ती

कार्यालय अधिषासी अभियन्ता
बाढ खण्ड श्रावस्ती

पत्रांक /बा0ख0श्रा0/ /दिनांक

विषय –परियोजनाओं के प्रेषण के सम्बन्ध में ।

अधीक्षण अभियन्ता, नवम मण्डल, सिंचाई कार्य, बहराइच ।

उपरोक्त विषयक का अवलोकन करने की कृपा करें, इस खण्ड द्वारा जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत निम्नलिखित कटाव निरोधी कार्यो की परियोजना 04 प्रतियों में तैयार कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र0सं0	परियोजना का नाम	लागत (लाख रू0 में)
1	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध के किमी0 5.200 से 6.000 के मध्य ग्राम–अशरफ नगर के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना ।	506.66
2	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध के किमी0 21.500 से 22.000 तक तटबन्ध कटाव निरोधी कार्य की परियोजना ।	460.96
3	जनपद श्रावस्ती में हथियाकुण्डा नाले के बायें तट पर ग्राम गैंगडीह (थारू जनजाति बाहुल्य) के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना।	113.16
4	जनपद श्रावस्ती में डगमरा नाले के बायें तट पर ग्राम कलकलवा (थारू जनजाति बाहुल्य) के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना।	114.92
5	जनपद श्रावस्ती में भैंसाही नाले के दायें तट पर ग्राम गब्बापुर (थारू जनजाति बाहुल्य) के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना।	84.92
6	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम मध्यनगर के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना का प्राक्कलन।	238.86
7	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम मुजेहना के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना का प्राक्कलन।	184.46
8	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम रमनगरा के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना का प्राक्कलन।	654.45
9	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम सिसवारा के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना का प्राक्कलन।	316.62
10	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम लैबुडवा के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना का प्राक्कलन।	342.65
11	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के दायें तट पर स्थित ग्राम खरगौरा गनेश के समीप परक्यूपाईन स्टड द्वारा कटाव निरोधी कार्य की परियोजना का प्राक्कलन।	475.00

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, श्रावस्ती

आपदा/सूखा की समस्या से बचाव हेतु जिलापूर्ति कार्यालय श्रावस्ती की कार्ययोजना 2019—20

जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या 3098/आपदा—बाढ तैयारी /2019—20 दिनांक 10 अप्रैल, 2019 के अनुपालन में जिलापूर्ति कार्यालय से सम्बन्धित दैविय आपदा /सूखा प्रबन्धन निम्नवत है।

1. कार्यालय—जिलापूर्ति कार्यालय कलेक्ट्रेट के कक्ष संख्या 11 में स्थित है। जिलापूर्ति कार्यालय में वर्तमान में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी तैनाती, जिनका विवरण निम्नलिखित है।

क्रं0	नाम अधिकारी /कर्मचारी का नाम	निवास का पता	मोबाइल नम्बर
1	क्यामुद्दीन अन्सारी, जिला पूर्ति अधिकारी	ट्राजिट हास्टल	9839564701
2	नरेन्द्र कुमार यादव, क्षेत्रीय खा| अधिकारी	इकौना	7939564702
3	सिपाही लाल, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी	भिनगा	9838605141
4	जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, पूर्ति निरीक्षक	भिनगा	9044191521
5	धर्मेन्द्र कुमार, पूर्ति निरीक्षक	जमुनहा	9453176293
6	विवेक श्रीवास्तव, पूर्ति निरीक्षक	इकौना	9919597200
7	हजारी प्रसाद, पूर्ति निरीक्षक	भिनगा	9454927331
8	रूपेश जैन, पूर्ति निरीक्षक	श्रावस्ती	9415192182
9	अजय कुमार, आशुलिपिक	भिनगा	8574962229
10	राकेश सिंह, पूर्ति लिपिक	भिनगा	7839564700
11	संतोषकुमार सिंह	भिनगा	9648715817
12	विवेकतिवारी	भिनगा	8318688371
13	बृजेन्द्रकुमार श्रीवास्तव	भिनगा	9454007058
14	नीरज कुमार,	भिनगा	8004245366
15	दिलेराम पत्रवाहक	ग्राम भुलुहिया दसौधी, इकौना	8765022369

02 मि0तेल थोक विक्रेता—जनपद श्रावस्ती में तीन मि0 तेल थोक विक्रेता कार्यरत है, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

क्रं0	फर्म का नाम	प्रबन्धक का नाम	मोबाईल नम्बर
1	मेसर्स आर0के0बी0के0 भिनगा।	श्री फतेह बहादुर सिंह	9415491443
2	मेसर्स हमीरवासिया ब्रदर्स इकौना	श्री अटल बिहारी मिश्रा	9540428741
3	मेसर्स उदय प्रकाश त्रिपाठी सिरसिया	श्री उदय प्रकाश त्रिपाठी	9415491299

उपरोक्त तीनों थोक मि0तेल विक्रेताओं के यहा 72 के0एल0मि0तेल दैविक सूखा आपदा हेतु उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त दैविक आपदा हेतु शासन से मि0तेल किये जाने की काय्रवाही की जा रही है।

3. पेट्रोल पम्प—जनपद श्रावस्ती में कुल 19 पेट्रोल पम्प स्थित है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:—

क्रं0	पेट्रोल पम्प का नाम	मोबाईल नम्बर
1	मेसर्स किसान सेवा केन्द्र इकौना।	9415036733
2	मेसर्स आनन्द आटोमोबाइल्स गिलौला।	9554969509
3	मेसर्स अनुपमा किसान सेवा केन्द्र कथरा मॉफी जमुनहा।	9838851275
4	मेसर्स कमला फिलिंग सेन्टर सिरसिया।	9451928015

5	मेसर्स शक्ति फयूल सेन्टर मोहनीपुर इकौना।	9936090560
6	मेसर्स चौधरी फिलिंग सेन्टर इकौना	9936623800
7	जय मां बैष्णों आटोमोबाइल्स, रत्नापुर गिलौला।	9450428018
8	मेसर्स हमारा पम्प बीरपुर इकौना।	9935229051
9	मेसर्स श्रावस्ती फिलिंग स्टेशन खरगौरा बस्ती इकौना।	9450514655
10	मेसर्स किसान सेवा केन्द्र भुज्रंगा (सम्हारपुरवा) तहसील भिनगा।	9839648597
11	मेसर्स सतीस आटोमोबाइल्स सिसवा वि0ख0 हरिहरपुररानी।	9918262694
12	मेसर्स हमारा पम्प पड़री।	9838041029
13	मेसर्स सर्वोत्तम सेवा केन्द्र बदला चौराहा।	9628981632
14	मेसर्स किसान सेवा केन्द्र जमुनहा।	9452536257
15	मेसर्स हमारा पम्प भिखारीपुर मसढी गिलौला	7379181238
16	मेसर्स किसान सेवा केन्द्र अकबरपुर सेमरी रोड भिनगा	
17	मेसर्स गोविन्द एच0 पी0 फिलिंग सेन्टर जयचन्द्ररपुर कटघरा	
18	मेसर्स सहजराम इनर्जी सेल्स सन्स रामपुरदेवमन लक्ष्मनपुर बाजार	
19	**मेसर्स अभिषेक राव एनर्जी साल्यूशन भिनगा**	9168379590

उपरोक्त प्रत्येक पम्पों के यहां 4000लीटर डीजल एवं 1000लीटर पेट्रोल दैविक आपदा हेतु आरक्षित कर दिया गया है।

4. एल0पी0जी0 वितरक –जनपद श्रावस्ती में 13एल0पी0जी0 वितरक /ग्रामीण वितरक कार्यरत है, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

क्रं0	गैस एजेन्सी का नाम एवं पता	मोबाइल नम्बर	निवास का पता
1	दिपाशुँ	9454302684	शाहपुर कठौतिया
2	अजय कुमार वर्मा	9839947094	अजय भारत गैस
3	घनश्याम पाण्डेय	9415063813	घनश्याम एच0पी0गैस सोनवा
4	भिनगा राज इण्डेन गैस सर्विस	9450753130	भिनगा– श्रावस्ती
5	हेमपुर इण्डेन ग्रामीण वितरक	9415192286	हेमपुर सिरसिया श्रावस्ती
6	सिटकहवा इण्डेन	9415801194	सिटकहवा श्रावस्ती।
7	विकास कुमार	9794574979	विकास एच0पी0 गैस
8	अनुपम एच0पी0गैस फतैहपुर	9451787127	अनुपम एच0पी0गैस फतैहपुर
9	श्री चन्द्र मोहन वर्मा	9450330370	पटल मल्हीपुर
10	सोनी एच0पी0गैस	9918053176	चन्द्रखा बुजुर्ग श्रावस्ती
11	राजा एच0पी0गैस	9984533611	महरू–मुर्तिहा
12	सीमा इण्डेन ग्रामीण वितरक	8948094577	कटरा श्रावस्ती
13	सुविखा इण्डेन ग्रामीण वितरक	9415067191	सुविखा इण्डेन
14	मनोहरापुर इण्डेन ग्रामीण श्रावस्ती	7388994450	मनोहरापुर– श्रावस्ती

15	राम नरायन तिवारी	8869989482	टण्डवा महन्थ श्रावस्ती
16	बत्से भारत गैस गिलौला	9795121670	गिलौला
17	अभिषेक गैस सर्विस	9452406066	इकौना

उपरोक्त एल0पी0जी0 वितरकों के यहां 25–25 एल0पी0जी0 सिलेण्डर आरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

5. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणली के अन्तर्गत कुल 447 उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से खाद्यान्न, मि0तेल का वितरण जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में कराया जा रहा है।

6. डीजल के फुटकर विक्रेता जनपद श्रावस्ती में 49 फुटकर डीजल विक्रेता भी है, जिनके नाम निम्नवत है।

क्रं0	**नाम व पता फुटकर डीजल विक्रेता**
	हरिहरपुररानी
1	श्री अशोक कुमार सिंह, ग्राम केवलपुर
2	श्री अनील कुमार भंगहा बाजार
3	श्री राम तीरथ मिश्र, इटवरिया
4	श्री शम्भूदयाल मछरिहवा
5	श्री ओम प्रकाश द्विवेदी ग्राम कयापुर
6	श्रीमती बन्दना देवी निवासी पुरानी बाजार भिनगा।
7	श्री आलोक कुमार वर्मा पटनाखरगौरा
	सिरसिया
8	श्री चिरंजीत लाल बेचईपुरवा
9	श्री जगदीश प्रसाद जोखवा बाजार
10	श्री हनुमान प्रसाद जोखवा बाजार
11	श्री अतीकुर्रहमान लक्ष्मनपुर बाजार
12	श्री किताबुन्निशा लक्ष्मनपुर बाजार
13	श्रीमती पुष्पा देवी तालबघौडा
14	श्री अब्दुल सलाम लक्ष्मनपुर बाजार
15	श्री विजय कुमार सिरसिया बाजार
16	श्रीमती गायत्री देवी लक्ष्मनपुर बाजार
17	श्री गजेन्द्र बहादुर पूरेगोकुल सिंह
18	श्री बंजरंग बहादुर पूरेगोकुल सिंह
19	श्री राम विलास वर्मा शिकारी चौड़ा
	जमुनहा
20	श्री जाकिर हुसैन हरदत्तनगर गिरन्ट
21	श्री शारदा प्रसाद पटना

22	श्री अनवर अहमद शाह फतेहपुर बनगई
23	श्री मो0 युनुस जुमनहा बाजार
24	श्री अन्नतराम नासिरगंज
25	श्री हाफिज मो0 शरीफ जमुनहा भवनियापुर
26	श्रीमती रेखा वर्मा शिकारी चौड़ा
27	श्री तै¸यब अली बंधनी
28	श्रीमती रेहाना खातून हरबंशपुर
29	श्री काजिम खां चौरी कोटिया
30	श्री राम मिलन देवरनिया
31	श्री पाटेश्वर प्रसाद भवानीपुरवा
32	श्री बंशी लाल महादेवा सलारपुर
33	श्री फखरूद्दीन हरदत्तनगर गिरन्ट।
इकौना	
34	श्री कृष्ण गोपाल तिवारी मुस्काबाद
35	श्री हरीश्वर पाण्डेय कटरा
36	श्री राज कुमार भोजपुर (ठाकुर पुरवा)
37	श्री राम सागर भोजपुर (गड़रियनपुरवा)
38	श्रीमती उर्मिला देवी कोडरीदीगर
39	श्री अमृत लाल कयापुर
गिलौला	
40	श्री सुन्दर लाल तुलसीपुर।
41	श्रीमती मिथलेश कुमारी चेतियामुरार
42	श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता लेंगडीगूलर
43	श्री कैलाश नाथ त्रिपाठी दूबकला
44	श्री घनश्याम वर्मा तुलसीपुर
45	श्री श्याम मनोहर रामपुर पैडा
46	श्री सालिक राम लेगडीगूलर
47	श्री विजय राज सिंह चिचडी
48	श्री अयोध्या प्रसाद डिकरा
49	श्री जिलेदार वर्मा शिकारी चौड़ा।
आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त फुटकर डीजल विक्रेताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगा।	
7. आटा, दाल चावल, बनस्पति घी,गुड, लईया,भुना चना, माचिस, एवं मोमवत्ती आदि की व्यवस्था आपदा कार्यालय श्रावस्ती द्वारा निविदा के माध्यम से की जाती है।	

इस कार्यालय के पत्रांक /249जि/0पूअ0बाढ़ 2019/दैवीय आपदा-दिनांक 2019 ,जून 26द्वारा जनपद के प्रत्येक पेट्रोल पम्प पर डीजल 0ली 4000तथापेट्रोल 0ली 1000 एवं पत्रांक /248जि/0पूअ0बाढ़ 2019/दैवीय आपदा-दिनांक 2019 ,जून 26द्वारा प्रत्येक गैस

एजेन्सी को गैस सिलेन्डर आरक्षित रखने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। 25-25जिलापूर्ति कार्यालय में दैविय आपदा हेतु जो नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेंगा, उसके प्रभारी श्री हजारी प्रसाद पूर्ति निरीक्षक होंगें, कन्टोल रूम का दूरभाष नम्बर–8381819138 है।

क्र0सं0	तहसील	बाढ़ चौकी का नाम	आपूर्ति विभाग के कार्मिकों का नाम एवं मोबाइल नम्बर जो अन्य विभाग के साथ सामन्जस्य स्थापित कर कार्य करेंगें	उचित दर विक्रेताओं का नाम जिनके द्वारा बाढ चौकी **पर** सहायता प्रदान की जायेगी
1	भिनगा	प्रा0 वि0 गोठवा	श्री सिपाही लाल, क्षे0खा0अ0 मो0–9838605141,हजारी प्रसाद पूर्ति निरीक्षक मो0 नं0–8299014901	श्री अनोखी लाल मो0–9161915161
2	भिनगा	बाढ़ राहत भवन भंगहा	श्री सिपाही लाल, क्षे0खा0अ0 मो0–9838605141,हजारी प्रसाद पूर्ति निरीक्षक मो0 नं0–8299014901	श्रीमती मालती देवी मो0–9721434428 श्रीमती कमला देवी मो0–9792106042
3	भिनगा	भाकलाघाट पुलिस चौकी	श्री सिपाही लाल, क्षे0खा0अ0 मो0–9838605141,हजारी प्रसाद पूर्ति निरीक्षक मो0 नं0–8299014901	श्री अन्नत राम मो0–7770867756
4	भिनगा	ग्राम सचिवालय गुलरा (पटना खरगौरा)	श्री सिपाही लाल, क्षे0खा0अ0 मो0–9838605141,हजारी प्रसाद पूर्ति निरीक्षक मो0 नं0–8299014901	श्री संजीव कुमार पाठक मो0–9792641406
5	भिनगा	प्रा0वि0 रेहली विशुनपुर	श्री सिपाही लाल, क्षे0खा0अ0 मो0–9838605141,हजारी प्रसाद पूर्ति निरीक्षक मो0 नं0–8299014901	श्री ओमकार सिंह मो0–9838122526
6	जमुनहा	प्रा0वि0 बहोरवा	श्री धर्मेद्र कुमार पूर्ति निरीक्षक, मो0–8853596951, श्री विवेक श्रीवास्तव पूर्ति निरीक्षक मो0–9919597200	श्री सलीम अहमद मो0–8052349747
7	जमुनहा	वि0ख0 कार्या0 जमुनहा	श्री धर्मेद्र कुमार पूर्ति निरीक्षक, मो0–8853596951, श्री विवेक श्रीवास्तव पूर्ति निरीक्षक मो0–9919597200	श्री सोमई लाल मो0–8948996594
8	जमुनहा	प्रा0वि0 लालबोझा दरवेशगांव	श्री धर्मेद्र कुमार पूर्ति निरीक्षक, मो0–8853596951, श्री विवेक श्रीवास्तव पूर्ति निरीक्षक मो0–9919597200	श्री कन्धई लाल मो0–8400331285
9	जमुनहा	आर्दश लघु मा0वि0 फतेपुर बनगई	श्री धर्मेद्र कुमार पूर्ति निरीक्षक, मो0–8853596951, श्री विवेक श्रीवास्तव पूर्ति निरीक्षक मो0–9919597200	श्री राम कुमार मो0–8765116070
10	जमुनहा	प्रा0पा0 लक्ष्मननगर	श्री धर्मेद्र कुमार पूर्ति निरीक्षक, मो0–8853596951, श्री विवेक श्रीवास्तव पूर्ति निरीक्षक मो0–9919597200	श्रीमती शांन्ती देवी मो0–9839158681 श्रीमती राधा देवी मो0–8874263646
11	इकौना	प्रा0पा0 रामबढी–सेहनिया	श्री नरेन्द्र कुमार, क्षे0खा0अ0, मो0 7839564702, श्री रूपेश जैन पूर्ति निरीक्षक मो0–9415192182	श्रीमती किरन देवी मो0–9838341978 श्री माता प्रसाद मो0–8795189429
12	इकौना	प्रा0पा0 पुरूषोत्तमपुर	श्री नरेन्द्र कुमार, क्षे0खा0अ0, मो0 7839564702, श्री रूपेश जैन पूर्ति निरीक्षक मो0–9415192182	श्री राज किशोर मो0–7392997651
13	इकौना	पंचायतघर सेमगढा	श्री नरेन्द्र कुमार, क्षे0खा0अ0, मो0 7839564702, श्री रूपेश जैन पूर्ति निरीक्षक	श्री रईश अहमद मो0–9839935410

			मो0–9415192182	
14	इकौना	सा0वि0 केन्द्र इकौना	श्री नरेन्द्र कुमार, क्षे0खा0अ0, मो0 7839564702, श्री रूपेश जैन पूर्ति निरीक्षक मो0–9415192182	श्री सदावृक्ष मो0–9005382764
15	इकौना	जू0हा0 सेमरीतरहर	श्री नरेन्द्र कुमार, क्षे0खा0अ0, मो0 7839564702, श्री रूपेश जैन पूर्ति निरीक्षक मो0–9415192182	श्री प्रेम नाथ मिश्रा मो0–9415571902
16	इकौना	प्रा0वि0 भोजपुर	श्री नरेन्द्र कुमार, क्षे0खा0अ0, मो0 7839564702, श्री रूपेश जैन पूर्ति निरीक्षक मो0–9415192182	श्री छेदीराम मो0–8874608686
17	इकौना	प्रा0 वि0 कटरा	श्री नरेन्द्र कुमार, क्षे0खा0अ0, मो0 7839564702, श्री रूपेश जैन पूर्ति निरीक्षक मो0–9415192182	श्री राम कुमार मो0–9936136725
18	जमुनहा	शारदा इण्टर कालेज लालपुर प्रहलादा	श्री धर्मेद्र कुमार पूर्ति निरीक्षक, मो0–8853596951, श्री विवेक श्रीवास्तव पूर्ति निरीक्षक मो0–9919597200	श्री रोज अली मो0–7233890135, श्री राजा राम मौर्य मो0–7518959670

जिला पूर्ति अधिकारी,
श्रावस्ती।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
2. जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/ प्रभारी अधिकारी दैवी आपदा श्रावस्ती।
4. उपायुक्त (खाद्य) देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
5. उपजिलाधिकारी भिनगा/इकौना/जमुनहा।
5. समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / पूर्ति निरीक्षक, जनपद श्रावस्ती।

जिला पूर्ति अधिकारी,
श्रावस्ती।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

बाढ़ आपदा राहत कार्य योजना वर्ष 2019

बाढ़ आपदा राहत कार्ययोजना वर्ष 2018 में लगाये गये जनपद स्तरीय पर्यवेक्षक/चिकित्सा अधिकारी/कर्मचारी का विवरण—

1.	बाढ़ चौकियों की संख्या	—	19
2.	जनपद स्तरीय पर्यवेक्षक की संख्या	—	03
3.	चिकित्सा अधिकारी की संख्या	—	19
4.	कर्मचारियों की संख्या	—	40
5.	मोबाईल टीम की संख्या	—	01
6.	चिकित्सीय दल की संख्या	—	03
7.	जनपदीय रैपिड रिस्पांस टीम	—	01
8.	ब्लाक रैपिड रिस्पांस टीम	—	05
9.	जनपद में तहसील की संख्या	—	03
10.	मुख्य चिकित्साधिकारी मोबाइल	—	8005192695
11.	डा0 एम0ए0 खान, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी	—	9415148962
12.	कार्यालय दूरभाष/फैक्स संख्याः		05250—222459
13.	ईमेल आई0डी0		cmoswti@nic.in
14.	श्री शैलेष शुक्ला, आपदा लिपिक	—	9721358665

नोटः— आवश्यकतानुसार चिकित्सा अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है ।

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद—श्रावस्ती।

बाढ़ राहत कार्ययोजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जनपद श्रावस्ती वर्ष 2019

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भंगहा

पर्यवेक्षक अधिकारी	बाढ़ चौकी का नाम	चिकित्सक/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मो0नं0
डा0 ओम प्रकाश वर्मा, अधीक्षक, सामु0स्वा0के0 भंगहा 8601350245	गोठवा (बाढ शरणालय प्रा0वि0 परिसर)	डा0 रवि कुमार रावत श्रीमती राधा देवी श्री धर्मेन्द्र कुमार	चिकित्सक ए0एन0एम0 स्वा0पर्य0	9580728437 8052131467 7376637074
	भंगहा (बाढ़ राहत भवन)	डा0 सुनील त्रिपाठी श्रीमती शीला देवी श्रीमती बीना गुप्ता	चिकित्सक ए0एन0एम0 ए0एन0एम0	9450716743 9628303785 7081098975
	भाखला (तिलकपुर ग्राम सचिवालय)	डा0 शरद कुमार अवस्थी श्रीमती विटटादेवी वर्मा	चिकित्सक ए0एन0एम0	7007626862 7839738896
	पटना खरगौरा (ग्राम सचिवालय गुलरा द0 पटना खरगौरा)	डा0 राकेश शर्मा श्री रियासत अंसारी श्रीमती सुशीला सोनी	चिकित्सक एल0ए0 ए0एन0एम0	9415774443 9451018560 7081652815
	रेहली विशुनपुर (प्रा0वि0)	डा0 अभिषेक कुमार सिंह श्रीमती माधुरी देवी श्रीमती कामिनी देवी	चिकित्सक ए0एन0एम0 एच0वी0	9648060805 7839739101 9455108895
	गोठवा (प्रा0वि0 परिसर)	डा0 उग्रसेन वर्मा श्रीमती मंजू विश्वकर्मा श्रीमती उषा पाण्डेय श्रीमती उर्मिला देवी श्रीमती सुधा देवी	चिकित्सक ए0एन0एम0 ए0एन0एम0 ए0एन0एम0 एच0वी0	9935985655 7800351241 8601543140 9415379343 9839403244

बाढ़ राहत कार्ययोजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जनपद श्रावस्ती वर्ष 2019

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मल्हीपुर

पर्यवेक्षक अधिकारी	बाढ़ चौकी का नाम	चिकित्सक/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मो0नं0
डा0 एस0बी0 सिंह, अधीक्षक, सामु0स्वा0के0 मल्हीपुर 7985070810	बहोरवा (प्रा0वि0)	डा0 रविन्द्र सोनकर श्री बृजेश कुमार श्री महेश मोदनवाल	चिकित्सक स्वा0कार्य0पु0 एल0ए0	8052182091 9450401151 9919924469
	शिकारी चौड़ा (विकास खण्ड कार्या0 जमुनहा)	डा0 विनोद कुमार श्री गोरख नाथ श्री रमा शंकर सिंह	चिकित्सक स्वा0कार्य0पु0 एल0ए0	9451381237 9450749214 9956741264
	लालबोझा दर्वेशगांव	डा0 सत्य शरण श्री जगदम्बा प्रसाद	चिकित्सक स्वा0कार्य0पु0	9415346935 9452098652
	फतेहपुर बनगई (आदर्श लघु माध्यमिक विद्यालय)	डा0 मो0 ताहिर श्री अरविन्द सिंह श्री पवन कुमार शुक्ला	चिकित्सक एन0एम0ए0 स्वा0कार्य0पु0	9598800260 9452119485 8874581225
	लक्ष्मननगर (प्रा0वि0)	डा0 धर्मेन्द्र कुमार मौर्या श्री रामनाथ पाठक	चिकित्सक स्वा0कार्य0पु0	8953040102 9721947004

मुख्य चिकित्साधिकारी

श्रावस्ती।

बाढ राहत कार्ययोजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जनपद श्रावस्ती वर्ष 2019

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, इकौना

पर्यवेक्षक अधिकारी	बाढ़ चौकी का नाम	चिकित्सक/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मो0नं0
डा0 ए0के0 तिवारी, अधीक्षक, सामु0स्वा0के0 इकौना 8299662666	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इकौना	डा0 प्रतीभा शुक्ला श्री अनिल कुमार राव श्री आदेश श्रीवास्तव	चिकित्सक एल0टी0 स्वा0कार्य0पु0	9473896141 9415253681
	प्राथमिक विद्यालय कटरा	डा0 शनिदेव सिंह श्रीमती राजरानी तिवारी श्री सलाहुददीन	चिकित्सक स्वा0पर्य0म0	 9838125149
	पंचायत घर सेमगढ़ा	डा0 गिरवर प्रसाद वर्मा श्रीमती विमला देवी श्री कुलदीपनाथ तिवारी	चिकित्सक स्वा0पर्य0म0 स्वा0कार्य0पु0	7786875133 9450428745
	प्रा0 वि0 पुरूषोत्तमपुर	डा0 प्रमोद कुमार श्री अशफाक अहमद श्रीमती प्रेम कुमारी	चिकित्सक ने0परि0अधि0 ए0एन0एम0	8858408824 9918155196
	प्राथमिक विद्यालय भोजपुर	डा0 जावेद अहमद श्रीमती आरती द्विवेदी श्री कुलदीपनाथ तिवारी	चिकित्सक ए0एन0एम0 स्वा0कार्य0पु0	7417547325 9453894066 9450428745
	जूनियर हाईस्कूल सेमरीतरहर	डा0 शकील श्री आनन्द कुमार श्री सलाहुददीन	चिकित्सक एल0ए0 स्वा0पर्य0पु0	9415459295 9838125149
	प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ी—सेहनियां	डा0 संग्राम गौतम अब्दुल हन्नान श्रीमती पूनम शुक्ला	चिकित्सक स्वा0शि0अधि0 ए0एन0एम0	9452050336 9415575761
	शारदा इण्टर कालेज, लालपुर प्रहलादा	डा0 अनील त्रिपाठी श्रीमती शशिमाला श्री रविन्द्र कुमार	चिकित्सक ए0एन0एम0 एल0ए0	9670463314

बाढ़ आपदा राहत कार्य हेतु दवा की उपलब्धता

बाढ़ आपदा राहत के दौरान उपयोग हेतु निम्नलिखित दवायें पर्याप्त मात्र में उपलब्ध है तथा आवश्यकतानुसार आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

1	Inj. ASV	280 वायल
2	Inj. ARV	710 वायल
3	ORS	30000 मुख्यालय पर तथा 5000—5000 चिकित्सा इकाईयों पर
4	Dicylomine (पेट दर्द की दवा)	30000 टेब0
5	Tab. Ciprofloxacine 500mg Cap. Doxycyclin	45000 टेब 280000 कैप्सूल
6	Tinidazole 300 mg (दस्त की दवा) Metronidazole 400 mg	150000 टेब0 100000 टेब0
7	Tab. Chlorine	90000 टेब0
8	Bleaching Powder	25X25 किग्रा0
9	RL 500 ml NS 500ml 5%	4900 2400 5000
10	Tab. Paracetamol 500 mg (बुखार की दवा)	410000
11	Metoclopramide HCL 10mg (उल्टी की दवा)	250000
12	Tab. Cotrimazol	200000
13	Tab. Acclo+Para.	600000
14	Tab. Diclo+Para.	700000
15	Tab. Nemo+Para.	600000
16	Eye/Ear Drop	30000

नोटः समस्त औषधियां जनपद मुख्यालय तथा ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों पर आवश्यक मात्रा में वर्तमान में उपलब्ध है।

मुख्य चिकित्साधिकारी,
श्रावस्ती।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग लू (हीट वेव) कार्ययोजना

प्रस्तावनाः—

जनपद श्रावस्ती में 1114000 जनसख्ंया (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) है जिसकी अधिकांश जनता का जीवन यापन अधिक तापमान, वर्षा, बाढ़, सूखा, तूफान, ओलावृष्टि आदि मौसम की विभीषिकाओं से प्रभावित होता है। ग्रीष्म ऋतु में जनपद श्रावस्ती में तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री या ऊपर तक पहुंच जाता है।

लू की परिभाषाः—

भारतीय व अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के निम्नानुसार है—

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब किसी जगह का स्थानीय तापमान लगातार 03 दिन तक वहां के सामान्य तापमान से 03 डिग्री0 से0 या अधिक बना रहे तो उसे लू या हीट वेव कहते है। विश्व मौसम संघ के अनुसार यदि किसी स्थान पर तापमान लगातार 05 दिन तक सामान्य स्थानीय तापमान से 05 डिग्री0 से0 अधिक बना रहे अथवा लगातार दो दिन तक 45 डिग्री से0 से अधिक का तापमान बना रहे तो उसे हीट वेव या लू कहते है।

जब वातावरणीय तापमान 37 डिग्री से0 तक रहता तो मानव शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ही तापमान 37 डिग्री से0 से ऊपर बढ़ता है तो हमारा शरीर वातावरणीय गर्मी को शोषित कर शरीर के तापमान को प्रभावित करने लगता है। अधिक नमी वाले स्थानों पर 37 डिग्री से0 पर भी शरीर पर दुष्प्रभाव होने लगता है, जो कि वायु मण्डल में नमी की मात्रा के साथ—साथ बढ़ने लगता है और अधिक नमी के वातावरण में कम तापमान भी घातक प्रभाव डाल सकता है, जैसा कि नीचे दीये गये तापमान/आर्द्रता सारणी से स्पष्ट है। इसका आशय यह है कि अधिक नमी वाले क्षेत्रों यथा—जंगलों व तराई इलाकों में कम तापमान पर भी हीट स्ट्रोक से बचने के उपाय किये जाने चाहिए।

हीट वेव के प्रभाव के पूर्व अनुभवों के आधार पर हीट वेव के प्रभावों को कम करने हेतु निम्न तथ्य प्राप्त किये जा सकते हैः—

- हीट वेव एक प्रमुख जन स्वास्थ्य जोखिम है।
- हाई रिस्क समुदाय वालें स्थानों का मानचित्रीकरण।
- स्थान—स्थान पर जन शीतक (कूलिंग) स्थानों का स्थापित किया जाना।
- विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा हीट वेव से सम्बंधित चेतावनी जारी करना।

हीट वेव से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं की पहचानः—

हीट संबंधी रोग (हीट डिस ऑर्डर)	लक्ष्ण	प्रथमोपचार
सन बर्न	त्वचा में लालीमा तथा दर्द, सूजन, फफोले, बुखार तथा सरदर्द	साबुन का उपयोग करते हुये शावर आदि स्नान कराना ताकि तेल से बन्द रंध्र खुल जाय और शरीर प्राकृतिक रूप से शीतल हो सके। यदि फफोले पाये जाते है तो सूखे विसंक्रमिक ड्रेसिंग का उपयोग करें तथा चिकित्सक की सलाह लें।
हीट कैम्प्स	उदरीय मांश पेशियों तथा हाथ, पैर की तकलीफ देह एठन (स्पाज्म) ज्यादा पसीना आना।	पीड़ित व्यक्ति को ठण्डे तथा छायादार स्थान पर ले जाए, कैम्प्रिंग मांसपेशियों पद दबाव डाले तथा ऐठन से आराम हेतु हल्की मालिश करें पानी की बूंद बूंद पिलायें। यदि जी मचले तो पानी देना बंद कर दें।
हीट एक्जाशन	अत्यधिक पसीना आना, कमजोरी, त्वचा ठण्डी पीली तथा चिप—चिपी, सरदर्द। सामान्य तापमान संभव, बेहोशी, उल्टी।	ठण्डे स्थान में मरीज को लेटायें। वस्त्र को ढीला करें। ठण्डे कपड़े का उपयोग करें, मरीज को पंखा करें या वातानुकूलित स्थान में ले जाए, पानी की बूंद बूंद पिलायें। यदि उल्टी हो तो 108 या 102 नम्बर की एम्बुलेंस द्वारा चिकित्सालय में भर्ती करायें।
हीट स्ट्रोक (सन स्ट्रोक)	उच्च शारीरिक तापमान (106 डिग्री फा0 या अधिक) गर्म शुष्क त्वचा। तेज जोरदार नाड़ी (पल्स), बेहोशी आना तथा मरीज को पसीना आना बंद हो जाए।	हीट स्ट्रोक गम्भीर चिकित्सकीय स्थिति 108 या 102 नम्बर पर एम्बुलेंस को चिकित्सा सेवा हेतु तत्काल कॉल करना चाहिए, या मरीज तुरन्त अस्पताल ले जाना चाहिए। विलम्ब प्राण घातक साबित हो सकता है। मरीज को तत्काल ठण्डे वातावरण में ले जाना चाहिए या बर्फ पानी की स्पंजिंग करते रहना चाहिए।

हीट वेव से प्रभावित मृतकों की पहचानः—

हीट वेव से होने वाले मृतकों एवं परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक राहत दी जाती है। अतः मृत्यु के कारण की पहचान किया जाना आवश्यक है।

लू हीट वेव से बचाव हेतु ब्लाक स्तरीय कन्ट्रोल रूम में स्थापित की गयी टीम का विवरणः

क्र0सं0	इकाई का नाम	अधिकारी का नाम	मोबाईल नं0	पदनाम	फार्मासिस्ट का नाम
1.	सामु0स्वा0के0 इकौना	डा0 ए0के0 तिवारी	8299662666	अधीक्षक	श्री आलोक शुक्ला
2.	सामु0स्वा0के0 गिलौला	ड0 अनिल कुमार सिंह	9455966876	अधीक्षक	श्री सत्यवान सिंह
3.	सामु0स्वा0के0 भंगहा	डा0 रोहित कुमार	9648234000	अधीक्षक	श्री प्रदीप कुमार ओझा
4.	सामु0स्वा0के0 मल्हीपुर	डा0 एस0बी0 सिंह	9919157837	अधीक्षक	श्री राजू खान
5.	सामु0स्वा0के0 सिरसिया	डा0 एस0के0 सिंह	7376971829	अधीक्षक	श्री राकेश त्रिपाठी
6.	सामु0स्वा0के0 भिनगा	डा0 विनय वर्मा	9956840842	अधीक्षक	श्री सालिक राम गुप्ता

आपातकालीन स्थिति में जिला मुख्यालय के केन्ट्रोल रूम के मोबाईल नं0 9415121887 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। आकस्मिकता की स्थिति में उपचार एवं चिकित्सीय व्यवस्था हेतु नर्सिंग होम, उपलब्ध एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, बैड की संखय का विवरण।

1. कुल नर्सिंग होम/जिला चिकित्सालय की संख्या —10
2. उपलब्ध 108 एम्बुलेंस वाहनों की संख्या —12
3. राजकीय एम्बुलेंस वाहनों की संख्या —00
4. राजकीय ब्लड बैंक की संख्या —01
5. प्राईवेट ब्लड बैंक की संख्या —00
6. नर्सिंग होम/जिला चिकित्सालय में उपलब्ध बैडों की संख्या —300
7. जनपद में आपदा प्रबन्धन में प्रशिक्षित चि0अ0 की संख्या —03
8. जनपद में आपदा प्रबन्धन में प्रशिक्षित स्टाफ नर्स की संख्या —02

क्या करें/क्या न करें:—

हीट वेव की साप्ताहिक सूचना हेतु प्रारूपः—

District	Details Death reported in 2018										
		Urban		Rural		Economic Status		Location of Death		Occupation of the Deceased	Remarks
	Age	Male	Female	Male	Female	APL	BPL	Indoor	Outdoor		
Tehsil	< 1 year										
	1-4 year										
	5-9 year										
	10-14 year										
	15-24 year										
	25-34 year										
	35-44 year										
	45-54 year										
	55-64 year										
	65-74 year										
	75-84 year										
	85+										
District											
State											

हीट वेव हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जनपद स्तरीय नोडल अधिकारीः—

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
1.	डा0 वी0के0 सिंह	मुख्य चिकित्साधिकारी	8005192695
2.	डा0 यू0सी0 तिवारी	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त जिला चिकित्सालय	9415717484

हीट वेव हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ब्लाक स्तरीय नोडल अधिकारीः—

क्र0सं0	चिकित्सालय का नाम	प्रभारी अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	बैडों की संख्या/क्षमता
1	सामु0स्वा0के0 इकौना	डा0 ए0के0 तिवारी	8299662666	30
2	सामु0स्वा0के0 गिलौला	ड0 अनिल कुमार सिंह	9455966876	30
3	सामु0स्वा0के0 भंगहा	डा0 रोहित कुमार	9648234000	30
4	सामु0स्वा0के0 मल्हीपुर	डा0 एस0बी0 सिंह	9919157837	30
5	सामु0स्वा0के0 सिरसिया	डा0 एस0के0 सिंह	7376971829	30
6	सामु0स्वा0के0 भिनगा	डा0 विनय वर्मा	9956840842	30

संयुक्त जिला चिकित्सालय, श्रावस्ती में हीट वेव हेतु मरीजों के उपचार के लिये 01 वार्ड आरक्षित मय उपकरणों/औषधियों से सुसज्जित किया गया है।

समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर हीट वेव हेतु मरीजों के उपचार के लिये 01 वार्ड (उपकरणों/औषधियों सहित) आरक्षित किया गया है। हीट वेव से बचाव हेतु आवश्यक समस्त औषधियां समस्त जनपद स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय राजकीय चिकित्सालयों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

—::संक्रामक रोग नियंत्रण कार्ययोजना—2019 ::—

संक्रामक रोग रोगजनक रोगाणुओं (मुख्यतः जीवाणुओं, विषाणुओं, कवकों, प्रोटोजोआ तथा कृमियों आदि) के किसी मनुष्य के शरीर में दूसरे मनुष्य या जीवधारियों (मुख्यतः कशेरुकीय) से संक्रमण तथा रोगजनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु विभिन्न माध्यमों से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके, अपनी संख्या बढ़ाकर तथा शरीर की आंतरिक स्थिति का लाभ उठाकर रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे—

- स्वांस के माध्यम से इनफ्लूएन्जा, ट्यूबरकुलोसिस, मेनिनजाइटिस आदि रोग।
- वाहकों (मच्छर, मक्खी आदि) के माध्यम से मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, हैजा आदि रोग।
- वेहिकल्स (संदूषित भोजन, पानी संदूषित अन्य निर्जीव वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा या अन्य माध्यमों से संदूषित हुई हों आदि) के माध्यम से हेपेटाइटिस—ए0ए पीलिया, टायफाइड, डायरिया आदि रोग।
- शारीरिक सम्पर्क के माध्यम से होने वाले रोगों के अन्तर्गत एच0आई0वी0/एड्स, हेपेटाइटिस—बी0ए, हेपेटाइटिस (यौन सम्बंध द्वारा) कुष्ठ रोग, कुछ त्वचीय रोग आदि।

यद्यपि कि किसी न किसी संक्रामक रोग का प्रकोप पूरे वर्ष भर कहीं न कहीं अवश्य रहता है तथापि इनमें से अधिकतर रोगों का सम्बन्ध मौसम, पर्यावरण, व्यक्तिगत आदतों से तथा रोगाणुओं (एजेंट), मनुष्य (होस्ट) तथा पर्यावरण की अन्तः क्रियाओं से निर्धारित होती हैं। अतः इन कारकों के प्रभावों को परिवर्तित या निरस्त करके इन रोगों के उत्पन्न होने को न्यून किया जा सकता है या रोका जा सकता है। अतः संक्रामक रोग सिर्फ संयोग के वजह से न होकर कुछ ऐसे विद्यमान कारकों के वजह से होते हैं जो परिवर्तनीय या परिहार्य होते हैं। व्यक्तिगत आदतों के तहत व्यक्तिगत स्वच्छता न रखना, वातावरण, पास—पड़ोस , गली मोहल्लों में व्याप्त गंदगी, संक्रमित व्यक्ति से सम्पर्क आदि संक्रामक रोग के प्रसार के मुख्य कारण हैं। प्रदेश में पूरे वर्ष विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तथा महानगरों की मलिन बस्तियों में संक्रामक रोगों के प्रसार की तीव्रता ग्रीष्म ऋतु के आगमन माह अप्रैल से शुरू होकर सितम्बर तक अधिक रहती है।

व्यक्तिगत उपायों के बावजूद भी जन समुदाय में संक्रामक रोगों का प्रसार किसी न किसी प्रकार से होता ही रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि रोग के आउट—ब्रेक होने की स्थिति से पूर्व ही इसका पता लगा कर इसको आउट—ब्रेक होने की स्थिति से पूर्व ही रोक दिया जाए। यह संभव होता है रोगों के सुदृढ़ सर्वेलेंस से। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि रोगों के सर्वेलेंस की स्थिति समुदाय स्तर तक अत्यन्त सुदृढ़ हो। रोगों के सर्वेलेंस से जन समुदाय में किसी रोग विशेष की स्थिति का रूझान (ट्रेंड) समझकर उस रोग के रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय कर समय से आउट—ब्रेक होने से पूर्व ही रोका जा सकता है।

उदाहरण स्वरूप प्रदेश के सभी जनपदों में डिजीज सर्विलॉन्स कार्यक्रम आई0डी0एस0पी0 के अन्तर्गत चिकित्सकों द्वारा प्रिजम्प्टिव सर्वेलेंस के अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में आये रोगियों का प्रिजम्प्टिव/प्रोबेवल डायग्नोसिस कर फार्म पी0 के माध्यम से साप्ताहिक रिपोर्ट प्रेषित की जाती है, जिसके आकड़ों के विश्लेषण से रोगों का रूझान ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार चिकित्सकों द्वारा जो भी रोगी देखे जाते है उनमें से आउट–ब्रेक प्रोन डिजीज से सम्बन्धित सभी रोगियों को प्रयोगशाला जॉच हेतु अवश्य भेजा जाना चाहिए। प्रयोगशाला जॉच के परिणाम तथा ऑकड़े लैब सर्वेलेंस के अंतर्गत आई0डी0एस0पी0 के फार्म एल0के माध्यम से साप्ताहिक रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। प्रयोगशाला सम्पुष्टि से रोगों का तथा इनके आउटब्रेक का सटीक निर्धारण सम्भव हो पाता है।

सामुदायिक (स्वास्थ्य उपकेन्द्र) स्तर पर कार्यरत ए0एन0एम0/पैरामेडिकल कर्मचारियों द्वारा आई0डी0एस0पी0 के सिंड्रोमिक सर्विलॉन्स के अन्तर्गत फार्म–एस0 पर साप्ताहिक रूप से रोगों की स्थिति की रिपोर्टिंग की जाती है, जिसके विश्लेषण से क्षेत्र में रोगों एवं इनके आउट–ब्रेक की स्थिति का पता चलता है। बिना सुदृढ़ सर्विलॉन्स सिस्टम के रोगों के प्रसार/आउट–ब्रेक को समय से जान पाना तथा इनके रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय कर पाना अत्यन्त कठिन होगा।

उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में ही प्रभावी कार्ययोजना बनाकर संक्रामक रोगों के आउटब्रेक एवं प्रसार को न्यूनतम किया जा सकता है। साथ ही रोगियों हेतु त्वरित चिकित्सा व्यवस्था की सुदृढ़ योजना बनाकर रोगियों एवं मृतकों की संख्या में तथा रोग जनित जटिलताओं में प्रभावी कमी लाई जा सकती है। अतः राज्य स्तर से ग्राम स्तर तक कार्ययोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु व्यवहारिक एवं प्रभावी समय सारणी के अनुसार कार्यवाही करके संक्रामक रोगों के नियंत्रण में काफी सफलता प्राप्त की जा सकती है तथा रोगियों एवं मृत्युदर में कमी लाई जा सकती है।

अतः संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु मुख्यतः निम्नलिखित उपाय किये जाने चाहिएः–

जल जनित रोगों के प्रसार की स्थिति मेंरू

- पेय जल स्रोत का निरीक्षण करें। यदि पीने हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले हैण्ड पम्प/पेयजल कूप के आस पास कोई प्रदूषण स्रोत जैसे कि शौचालय, कूड़े का ढेर या नाला है तो पेयजल के ऐसे स्त्रोंतो को चिन्हित करें। ऐसे इण्डिया मार्का हैण्डपम्प जिसके गिर्द प्लेटफार्म नहीं बना है तथा आसपास पानी का जमाव तथा गन्दगी आदि व्याप्त है के प्लेटफार्म का निर्माण एवं जल निकासी हेतु नाली का निर्माण जल से सन्दूषित होने से रोकने में प्रभावकारी होगा। इसके साथ ही यदि इण्डिया मार्क हैण्डपम्प पर्याप्त गहरी तक या ठीक से नहीं लगा है तो ऐसे स्त्रोंतों की सूचना सम्बन्धित विभाग जल निगम विभाग को देना सुनिश्चित करें तथा ऐसे स्त्रोंतों के आसपास की आबादी को पेयजल के विसंक्रमण हेतु क्लोरीन की गोलियां आवश्यकता अनुरूप उपलब्ध करायें।
- नगरीय क्षेत्रों में पाईप लाइन की टूट फूट के लिए या नाले आदि से प्रदूषित होने की संभावना के लिए निरीक्षण किया जाए तथा कोई कमी पाये जाने पर सम्बन्धित विभागों जैसे कि जल संस्थान/नगर पालिका तथा जिला प्रशासन आदि को सूचित किया जाये।

- पेय जल स्रोत का अन्तिम छोर तक ओ0टी0 परीक्षण किया जाए तथा निगेटिव पाये जाने पर जल का नमूना स्टरलाईज्ड बोतल कांटेनर में विधिवत् एकत्रित करके रोगाणु परीक्षण हेतु रीज़नल लैब स्वास्थ्य भवन, लखनऊ/राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज लखनऊ आदि को भेजा जाये।

रोग प्रसार के ननयंत्रण एवं रोकथाम की पव तैयारः

- सभी चिकित्सालयों यथा–संयुक्त जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में पूर्व तैयारी के रूप में रोग प्रसार से पहले ही जीवन रक्षक औषधियों तथा संक्रामक रोगों के रोकथाम हेतु आवश्यक औषधियों का पर्याप्त मात्रा में भण्डारण सुनिश्चित कर लिया जाये।
- जिला मुख्यालय पर संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी औषधियाँ एवं विसंक्रामक (ब्लीचिंग पावडर, क्लोरीन की गोलियॉ, ओ0आर0एस0 पैकेट, आई0वी0 फ्लूईड्स, एण्टी डायरियल्स, आवश्यक एण्टी बायोटिक्स, एण्टी पायरेटिक इत्यादि तथा पानी की जांच के लिए ओ0टी0 सॉल्यूशन समय से उपलब्ध करा लिये जायें तथा आवश्यकतानुसार संक्रामक रोगों के निरोधात्मक/उपचारात्मक कार्यवाहियों में उपयोग किया जाए।
- जिला मुख्यालय पर गठित रैपिड रिस्पांस टीम औषधियों/विसंक्रामकों सहित रोगी के नमूनें लेने हेतु सैम्पल किट्स से लैस रहें, जो किसी भी स्तर से संक्रामक रोगों के प्रसार की सूचना प्राप्त होने पर प्रभावित क्षेत्र में भ्रमण कर निरोधात्मक/उपचारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

विभागीय एवं अंतर्विभागीय समन्वय समिति का गठनः—

विभिन्न विभागों एवं इकाइयों से/में समन्वय स्थापित करना आवश्यक है, जिससे कि संक्रामक रोगों से सम्बंधित सूचना/ऑकड़े/परिणाम सम्बंधित विभागों एवं इकाइयों को/से साझा किये जा सकें तथा तदनुसार प्रभावी कार्यवाही समय से सुनिश्चित की जा सके।

1. जिला स्तरीय समन्वय समिति— जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समस्त जिलों में समन्वय समिति गठित है, जिसके संयोजक मुख्य चिकित्साधिकारी हैं। समिति में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, जिला सर्विलॉन्स अधिकारी, आई0डी0एस0पी0, सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 के प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित अन्य विभागों के अधिकारी सदस्य रहेंगे। पंचायती राज समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, ग्राम प्रधान एवं ग्राम सभा के सदस्य अपने—अपने ब्लॉकों के प्रभारी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से समन्वय स्थापित कर संक्रामक रोगों को रोकने के लिये अपने क्षेत्र विशेष के लिये विशेष प्रबन्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति— ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति में प्रभारी चिकित्साधिकारी ही संयोजक होंगे। समिति में बी0डी0ओ0, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख सदस्य के रूप में सम्मिलित रहेंगे। यह समिति महिला स्वास्थ्य कर्मी, बहुद्देशीय स्वास्थ्य कर्मी, स्थानीय विद्यालयों के अध्यापक, आशा, आंगनबाड़ी, ग्राम प्रधान, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति (वी0एच0एस0सी0) से सदैव सम्पर्क में रहेगी तथा क्षेत्र की संक्रामक रोगों की सूचना एकत्र करने में महिला स्वास्थ्य कर्मी (ए0एन0एम0), बहुद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (एम0पी0डब्ल्यू), आशा, आंगनबाड़ी की मुख्य भूमिका होगी परन्तु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे।

सर्विलेंस तंत्र का सुदृढीकरण एवं क्रियान्वयन

- इसके अंतर्गत सम्पूर्णता में रोंगों से सम्बंधित ऑकड़ों का संग्रह, समय से विहित प्रपत्रों फारमेट्स पर रिपोर्टिंग, प्राप्त ऑकड़ों का विश्लेषण तथा सम्यक कार्यवाही शामिल है।
- र्यूमर रजिस्टर (त्नउवत त्महपेजमत)— प्रत्येक जनपद में जनपद मुख्यालय एवं समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर र्यूमर (अफवाह) रजिस्टर बनाया जाए जिसमें किसी भी स्त्रोत से प्राप्त समस्त संक्रामक रोगों की सूचना अंकित की जाए तथा सत्यापन के बाद कृत कार्यवाही (निरोधात्मक/उपचारात्मक) भी अंकित की जाए। समस्त प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इस कृत कार्यवाही से जनपद मुख्यालय स्थित कन्ट्रोल रुम एवं आई0डी0एस0पी0 इकाई को भी अवगत करायें।

त्वरित निरोधात्मक एवं नियंत्रणात्मक कार्यवाहीः—3

समुचित उपचार किया जाना संक्रामक रोगों के नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण है। जल जनित रोगों पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से पेय जल के त्रोतों के अंतर्गत कूएं/कूप के पानी के पीने हेतु उपयोग को हतोत्साहित करें तथा कोई विकल्प न होने की स्थिति में विसंक्रमित किये हुये ही कुएं का पानी उपयोग करने हेतु कहें। इंडिया मार्क हैंड पम्प का पानी ही पीने के उपयोग हेतु लाने को कहें। भण्डारित जल के विसंक्रमण हेतु ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, क्लोरीन गोलियों का वितरण, निर्जलीकरण रोकने के लिए ओ0आर0एस0 पैकेट वितरण तथा जन समुदाय में निरोधात्मक/उपचारात्मक स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए।

मलिन बस्तियों एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों का सर्वेलेंस– मुख्य चिकित्सा अधिकारी ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में ही अपने–अपने जनपद की चिह्नित मलिन बस्तियों एवं बीमारियों के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील क्षेत्रों पर सतत् निगरानी रखें। जल निगम एवं जल संस्थान के सहयोग से टूटी–फूटी पाइप लाइनों की मरम्मत कर ली जाय। आशा तथा स्वास्थ्य कार्मियों को विशेष सर्तकता हेतु सचेत कर दिया जाय। ग्राम सभा स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा एवं व्यक्तिगत स्वच्छता शिक्षा प्रदान करने हेतु समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये।

आई0ई0सी0 (सूचना / शिक्षा / संचार):–

जन समुदाय को संक्रामक रोगों से बचाव एवं वातावरण तथा वैयक्तिक साफ–सफाई से सम्बन्धित स्वास्थ्य शिक्षाएवं व्यक्तिगत स्वच्छता शिक्षा विभिन्न श्रोतों जैसे–विद्यालयों, ग्राम सभाओं, पंचायतों के द्वारा एवं बैनर, होर्डिंग्स, दीवारों पर लिखावट तथा नुक्कड़–नाटकों आदि के उपयोग के माध्यम से नियमित रूप से देना, जिससे जनता में संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु सजगता / जागरुकता उत्पन्न की जा सके।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता / सामाजिक कार्यकर्ता / एन0जी0ओ0 जन सम्पर्क से यह शिक्षा प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य शिक्षा के पोस्टर तथा हैण्ड बिल वितरित करेंगे तथा सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के स्वास्थ्य शिक्षा एवं व्यक्तिगत स्वच्छता शिक्षा प्रभारी ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी की मासिक बैठकों में प्रचार सामग्री उपलब्ध करायें जिससे कि सभी गांवों में यह स्वास्थ्य शिक्षा एवं व्यक्तिगत स्वच्छता शिक्षा सामग्री पहुंच सके। समाचार पत्रों तथा मीडिया का उपयोग भी स्वास्थ्य शिक्षा एवं व्यक्तिगत स्वच्छता शिक्षा के प्रसार में किया जाये।

स्कूल, चिकित्सालय, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन तथा अन्य उपयुक्त स्थानों पर स्वास्थ्य शिक्षा एवं व्यक्तिगत स्वच्छता शिक्षा सामग्री का प्रदर्शन, वाल राईटिंग सन्देश आदि के माध्यम से प्रसारित किये जायें। मेलों / प्रदर्शनियों में स्वास्थ्य शिक्षा एवं व्यक्तिगत स्वच्छता शिक्षा का स्टॉल लगाया जाये।जनता को इण्डिया मार्क हैण्डपम्प का पानी पीने के लिये शिक्षित किया जाये। पेयजल स्त्रोतों को दूषित होने से बचाने के लिये पेयजल स्त्रोतो के समीप जल–जमाव न होने देने तथा सफाई रखने के लिए ग्रामवासियों को शिक्षित करते हुए स्वास्थ्य के प्रति जागरुक किया जाये।

ग्रामवासियों, ग्राम प्रधानों, आशा तथा अन्य जागरूक प्रभावशाली लोगों को ग्राम में इन्डिया मार्क हैण्डपम्प लगवाने, पेयजल कूपों को ढकवाकर उनका जल हैण्ड पम्प से लेनें तथा शौचालय बनवाने तथा उपयोग करने की शिक्षा देकर व्यवहार परिवर्तन लाने के प्रयास करते हुए दूरगामी सफलता प्राप्त की जाए। ग्रामवासियों को दी गयी स्वास्थ्य शिक्षा एवं व्यक्तिगत स्वच्छता शिक्षा का अभिलेखन स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने रजिस्टर में कर लें तथा स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी को अवगत करायें कि समस्त कृत कार्यवाही को साप्ताहिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुए सम्बन्धित को नियमित रुप से सम्प्रेषण करें।

<u>संक्रामक</u> रोगों के प्रसार की स्थिति में मुख्यालय को दैनिक रिपोर्ट का प्रेषणः—

संक्रामक रोगों के आउटब्रेक/प्रसार की स्थिति में जनपद मुख्यालय को दैनिक रूप से रिपोर्ट ई0मेल द्वारा प्रेषित किया जाए, जबतक कि आउटब्रेक समाप्त न हो जाय या मुख्यालय से बंद करने हेतु निर्देश न प्राप्त हो जायं। रोग की स्थिति तथा रोग नियंत्रण कार्यवाही की सूचना साप्ताहिक रिपोर्ट में सम्मिलित कर प्रेषित की जाए। संचारी/संक्रामक रोगों की साप्ताहिक एवं मासिक रिपोर्ट नियमित रूप से समय पर भेजना तथा आई0डी0एस0पी0 के माध्यम से आई0डी0एस0पी0 एवं सी0बी0एच0आई0 के पोर्टल पर अपलोड कराना/अपडेट कराना सुनिश्चित करें।

आउट—ब्रेक इन्वेस्टीगेशन तथा आउट—ब्रेक रिपोर्ट प्रेषणः—

संक्रामक रोग प्रसार की सूचना प्राप्त होते हीविभिन्न स्तरों—जिला स्तरीय कन्ट्रोल रुम/आई0डी0एस0पी0 तथा सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 आदि में उपलब्ध संक्रामक रोग अफवाह रजिस्टर (RumorRegister) में प्राप्त सूचना अंकित करते हुए इसके सत्यापन हेतु तत्काल सम्बंधित प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय की रैपिड रिस्पांस टीम प्रभावित स्थल पर पहुंच कर र्‌यूमर रजिस्टर में लिखित सूचना का सत्यापन करेगी तथा निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यवाही आरम्भ करेगी। त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराकर रोगियों तथा मृतकों की संख्या में अधिकाधिक कमी लाई जाये या रोका जाय।

रोगियों को सर्वप्रथम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करके उपचारित किया जाए। यदि स्वास्थ्य में सुधार न हो तथा रोग जटिलताओं के साथ या गंभीर अवस्था में हो तभी ऐसे गंभीर रोगियों को तत्काल जिला चिकित्सालय संदर्भित किया जाए।

अलर्ट/अर्ली वार्निंग सिगनल भेजनाः—

समय—समय पर संक्रामक रोगों के काल—समय एवं रुझान के दृष्टिगत अलर्ट/अर्ली वार्निंग सिगनल विभिन्न स्तरों पर भेजना आवश्यक है, जिससे कि रोगों के रोकथाम एवं नियंत्रण की पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जा सके तथा सही समय पर इससे सम्बंधित सूचना प्राप्त हो सके।

मुख्य चिकित्साधिकारी,

जनपद—श्रावस्ती।

सूखा राहत कार्ययोजना वर्ष 2019 में लगाये गये जनपद स्तरीय पर्यवेक्षक/चिकित्सा अधिकारी/कर्मचारी का विवरण–

15.	जनपद स्तरीय पर्यवेक्षक की संख्या	–	03
16.	चिकित्सीय दल की संख्या	–	01
17.	जनपदीय रैपिड रिस्पांस टीम	–	01
18.	ब्लाक रैपिड रिस्पांस टीम	–	05
19.	जनपद में तहसील की संख्या	–	03
20.	मुख्य चिकित्साधिकारी मोबाइल	–	8005192695
21.	कार्यालय दूरभाष/फैक्स संख्याः	–	05250–222704, 222459
22.	ईमेल आई0डी0		cmoswti@nic.in

नोटः– तात्कालिक आवश्यकतानुसार चिकित्सा अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या घटाई–बढ़ाई जा सकती है।

मुख्य चिकित्साधिकारी,

जनपद–श्रावस्ती।

अग्निकाण्ड से बचाव :

(अग्निशमन विभाग की कार्ययोजना)

कन्ट्रोल रूम नम्बर– 05250–222249 (101)

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम	सम्पर्क नम्बर	अन्य विवरण
1	श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	सी0एफ0ओ0	9454418371	गोण्डा में बैठते है।
2	श्री वीरेन्द्र प्रसाद	प्र0एफ0एस0ओ0	9454418334	

क्रमांक	पदनाम	संख्या	अन्य विवरण
1	फायर सर्विस हेड कान्सटेबिल	01	
2	फायरमैन	22	18 कर्मचारी जनपद संतकबीरननगर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।
3	कुक	02	
4	स्वीपर	01	

उपलब्ध वाहन/उपकरण

क्रमांक	उपलब्ध वाहन/उपकरण	संख्या	क्षमता	अन्य विवरण
1	वाटर टैंकर बड़ा	01 अदद	4500ली0	
2	वाटर टैंकर छोटा	01 अदद	2500ली0	
3	हाई प्रेशर पम्प	01 अदद		
4	पोर्टेबुल पम्प	04 अदद	275 एलपीएम	एक कार्यशील नहीं है।
5	जीप/ट्राली	01 अदद		मरम्मत योग्य

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड सिसवा भिनगा पेट्रोलियम डिपो,

भिनगा–बहराइच रोड सिसवा जनपद श्रावस्ती

डिपो मैंनेजर आई.ओ.सी.एल. सिसवा –9415121269

1– 10 किलो डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र : 8

2– आग बुझाने हेतु पानी की उपलब्धता : जेट पम्प लगा है।

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बचाव उपकरण उपलब्ध हैं :–

क्र0सं0	सामान का नाम	संख्या
1	हेलमेट	15
2	सेफ्टी शू	20
3	फलू बॉडी सेफ्टी हार्नेस	15
4	गॉगल्स	10
5	जेट नॉजल	4
6	एक्सप्लोसिव मीटर	01

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड किसान सेवा केन्द्र पेट्रोलियम डिपो,

बहराइच बलरामपुर रोड इकौना जनपद श्रावस्ती

डिपो मैंनेजर आई.ओ.सी.एल. इकौना –05252– 255426

1– 4.5 किलो अग्निशमन यंत्र : 6 अदद

2– आग बुझाने हेतु पानी की उपलब्धता : पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बचाव उपकरण उपलब्ध हैं :–

क्र0सं0	सामान का नाम	संख्या
1	हेलमेट	4
2	सेफ्टी शू	4
3	फलू बॉडी सेफ्टी हार्नेस	4
4	एक्सप्लोसिव मीटर	0

जनपद स्तर पर उपलब्ध आपदाओं से बचाव के उपकरण

क्रमांक	उपकरणों का विवरण	आपूर्तित उपकरणों की कुल मात्रा	तहसीलवार आवंटित उपकरणों की मात्रा		
			तहसील जमुनहा	तहसील भिनगा	तहसील इकौना
1	सर्च लाइट	131	30	38	63
2	लाइफ जैकेट	131	30	38	63
3	लाइफ ब्वाय	131	30	38	63
4	मेगाफोन	131	30	38	63
5	फोल्डेबुल स्ट्रैक्चर	131	30	38	63
6	फर्स्ट एंड किट	131	30	38	63
7	सेफ्टी हेलमेट	131	30	38	63
8	फायर एक्सटिग्यूसर	131	30	38	63
9	जरीकेन (वाटर कन्टेनर)	655	150	190	315

राहत आयुक्त कार्यालय के शासनादेश संख्या 172/रा0आ0का0/2019–20 दिनांक 13–06–2019 के अर्न्तगत वर्ष 2019–20 में संभावित बाढ़ एवं सूखा आदि के दृष्टिगत आपदाओं के प्रत्युत्तर हेतु जनपद स्तर पर आवश्यक खोज बचाव , इवेक्यूएशन उपकरण, संचार उपकरण आदि की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से किये जाने हेतु रू0 5.00 लाख का धनावंटन प्रदान किया गया है। जेम पोर्टल से निम्नलिखित उपकरणों की आपूर्ति ककरायी जा रही है।

S.N0.	Equipment Name	Price	Qut.	Total Amount
1	ProtableGenerator2500Psi	65700	1	65,700
2	Life-Buoys	2350	10	23,500
3	Life Jacket	4800	10	48,000
4	Safety Rescue Helmet	280	10	2,800
5	Metro Safety Helmet with Torch	898	10	8,980
6	Reflective Jackets	150	20	3,000
7	Rain Coat	1940	5	9,700
8	Floating Pump	179770	1	1,79,770
9	Aluminium Extension	35000	1	35,000
10	Mega Phone	4220	5	21,100
11	Disaster Relief Tent water proof	55000	1	55,000
12	Flood Led	1000	1	1,000
13	Search Light	2850	1	2,850
14	Nylon Rope	46	5	230
15	Sefty Gum Boot	1200	5	6,000
16	Gbber Gloves	58	5	290
17	Hexagonal Safety Cones	799	10	7,990
18	Agricultural Shovel	499	5	2,495
19	Wheelbarrow	9900	1	9,900
20	Cutting Pliers	195	1	195
	Total		**108**	**4.83,500**

पुलिस व्यवस्था

पुलिस प्रशासनिक दृष्टिकोण से बाढ़ क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति एवं उसके द्वारा उत्पन्न वस्तु स्थिति पर नजर रखने हेतु जैसा की पूर्व वर्षो में बाढ़ के समय व्यवस्था की गयी थी वैसा ही इस वर्ष बाढ़ के समय जनपद श्रावस्ती के विभिन्न थाना क्षेत्र में निम्न प्रकार से पुलिस पेट्रोलिंग एवं पिकेट की व्यवस्था की जायेगी।

नाम थाना	डियूटी का स्थान	डियूटी का प्रकार	पुलिस बल की संख्या			
			उ0नि0	हे0का0	आरक्षी	होमगार्ड
को0भिनगा	1–भिनगा सिरसिया मार्ग	गश्त	01	–	02	–
	2–भगंहा	पिकेट	01	01	02	–
	3–पटना खरगौरा	पिकेट	01	–	02	–
	4–भिनगा से लक्ष्मनपुर मार्ग	गश्त	01	–	02	–
	5–भुजंगा	पिकेट	–	–	02	–
	6–लक्ष्मनपुर	पिकेट	01	–	04	–
	7–ईदगाह तिराहा भिनगा	पिकेट	01	01	04	02
सिरसिया	1–तेंदुआ रतनपुर	गश्त	01	–	02	–
	2–हटवा,पसियनपुरवा, मसहाकलां	गश्त	01	–	02	–
मल्हीपुर	1–गंगाभागड़	पिकेट	–	–	02	–
	2–कोदिया	पिकेट	–	–	02	–
	3–कलकलवां	पिकेट	–	–	02	–
	4–रामपुर डिलवां	पिकेट	–	–	02	–
	5–बरगदहा	पिकेट	–	–	02	–
इकौना	1–सेमरी तरहर	गश्त	–	01	03	–

	2–कटरा श्रावस्ती	गश्त	–	01	02	–
	3–सेमगढ़ा	गश्त	–	–	02	–
गिलौला	1– पुरूषोत्तमपुर	गश्त	01	–	02	–
	2–घोरमा परसिया	गश्त	01	–	04	–
	3–खड़ैला	पिकेट	–	–	02	–
	4–फतुहापुर मोड़	पिकेट	–	–	02	–
	5–जानकीनगर से कोलाभार कचनी	गश्त	–	–	02	–
	6–कोलाभार कचनी से कोड़रीदीगर	गश्त	–	–	02	–
	7–पुरूषोत्तमपुर से सिसवारा	गश्त	–	–	02	–
सोनवा	1–रघुनाथपुर से लक्ष्मननगर बाजार	गश्त	–	–	02	–
	2–लक्ष्मननगर से कसियापुर	गश्त	01	–	02	–
योग		–	11	04	59	02

पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यः–

जनपदीय पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर एवं इकौना अपने–अपने क्षेत्रों में बाढ़ के समय पुलिस सहायता एवं बाढ़ नियंन्त्रण/अपराध नियन्त्रण हेतु पुलिस कार्यवाही करने के पूर्ण उत्तरदायी होगें जो अपने–अपने क्षेत्र में स्वयं उपस्थित रहकर एवं भ्रमणशील रहकर बाढ़ की स्थिति का अवलोकन करेगें तथा कोई बात प्रकाश में आती हैं तो तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत करायेगे तथा समस्त थाना प्रभारी अपने–अपने थाना क्षेत्र में बाढ़ नियंन्त्रण एवं पुलिस सहायता चौकी क्षेत्र, बाढ़ क्षेत्र इलाको में पेट्रोलिंग व्यवस्था हेतु पूर्ण उत्तरदायी होगें तथा बाढ़ से सम्बन्धित सूचनाओं को तुरन्त अपने उच्चाधिकारियों को तत्वरित गति से अवगत कराने के भी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगें_साथ ही साथ सभी थानाध्यक्षों/क्षेत्राधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि अति वृश्टि/बाढ़ के समय जिस गॉव की जनता बाढ़ से प्रभावित रहती है वहां अपराधी भी अपराध करने में सक्रिय हो जाते है। अतएव अपराध नियत्रंण हेतु अपने–अपने बाढ़ क्षेत्र में अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखेगें तथा आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्यवाही करेगें ताकि कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके तथा अभिसूचना, अग्निशमन के सहयोग से छोटी–छोटी सूचनाओं को त्वरित गति से उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने के पूर्ण उत्तरदायी होगे।

आपदा राहत वितरण के समय एक दूसरे पर चढ़कर आपदा राहत लिए जाने की स्थिति में भगदड़, धक्का–मुक्की, मारपीट आदि की स्थिति न हो इस दृष्टिकोण से भीड़ नियंत्रण हेतु प्रचलित आवश्यक उपकरण व बल के साथ राजस्व विभाग से सम्बन्ध स्थापित कर कार्य करेंगे।

फायर स्टेशन पर बाढ़ राहत एवं जीवन रक्षा हेतु उपलब्ध उपकरणः–

1 काटा/रस्सा – पानी में डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिये तथा डूबे हुये व्यक्ति को निकालने के लिये अग्निशमन के कुशल कर्मचारियों द्वारा कांटा/रस्सा का प्रयोग किया जायेगा।

2. फायर हुक – इसका प्रयोग बाढ़ में बह रहे समान आदि को खीच कर बाहर निकालने के लिये प्रयोग में लाया जायेगा।

3. स्ट्रेचर – बाढ़ में डूबे/बेहोश व्यक्ति को निकाल कर ले जाने के काम में लाया जायेगा। अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित किया गया हैं कि उपरोक्त महत्वपूर्ण उपकरणों के अलावा अन्य उपकरणों को भी बाढ़ में प्रयोग में लाने हेतु तैयार रखेगे एवं स्थिति पर सर्तक दृष्टि रखेंगे।

–:लाइफ जैकेट की व्यवस्थाः–

बाढ़ की स्थिति में लाइफ जैकेट की व्यवस्था प्रतिसार निरीक्षक श्रावस्ती द्वारा की जायेगी जो समय रहते करना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक बाढ़ प्रभावित थानों एवं चौकियों पर तैनात कर्मचारी एवं होमगार्ड विशेष सतर्कता के साथ अपने–अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगें तथा उच्च अधिकारियों द्वारा सौपे गये कार्यो के निर्वहन के उत्तरदायी होगें।

आशा है कि बाढ स्थित से मुकाबला करने हेतु यह योजना आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। योजना में अन्य उपयोगी तथ्यों के समाविष्ट किए जाने वाले सुझाव भेजने का स्वागत किया जाएगा। ताकि भविष्य में इस योजना को और अधिक उपयोगी एवं क्रियात्मक बनाया जाना सम्भव हो सके।

Chapter -4

Prevention and mitigation measures

जनपद श्रावस्ती आपदा के दृष्टि से बाढ के लिए अतिसंवेदन शील होते हुये भूकम्प जोन में भी आता है। विगत वर्षों में बाढ एवं भूकम्प के कारण जनहानि हुई है। इसके लिये बाढ़ आने से पूर्व बाढ़ से होने वाले जोखिम को समन करने के लिये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहले से ही बाढ बचाव की तैयारी की जाती है। बाढ प्रभावित क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी कार्यो को गांव का चिन्हांकन कर उन्हें विकास के मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। आपदा से सम्बन्धित जोखिम जिसमें संरचनात्मक प्राकृतिक आपदायें जैसे–बाढ़, सूखा, भूकम्प, ओलावृष्टि, तेज हवाये, चक्रवात सहित मानवजनित आपदाओं में रसायनिक उद्योग एवं जैविक तथा आणुविक Hazard की न्यूनीकरण के लिये आपदा प्रबन्धन स्तर पर कार्य किये जा रहे हैं। आपदाओं की जोखिम में जिनकी संरचना पूर्व से जानकारी में नही है वे चाहे प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक मानवजनित आपदा हो उनका भी पूर्व से आकलन कर तैयारी की जाती है। सभी सम्बन्धित को आपदाओं से बचाव हेतु मॉकड्रिल और रिर्हलसल कराया जाता है।

आपदा प्रबन्धन द्वारा बैठकों मे आपदा के खतरे के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं, (बाढ,भूकम्प,अग्निकाण्ड,सूखा,आंधीतूफान,आदि) व मानव जनित आपदाओ (केमिकल,औद्योगिक, जैविक,एवं न्यूकिलयर से उत्पन्न खतरों) को पूर्व से चिन्हित किया जाता है। –आपदा प्रबन्धन द्वारा आपदा के खतरों के अनुसार जिनकी संरचनाये नहीं होती है, अचानक आने पर तात्कालिक व्यवस्थायें प्रबन्धन के द्वारा की जाती है।

उक्त के सम्बन्ध मे उपरोक्तानुसार कार्यवाही सूचनायें निर्धारित फार्मेट पर प्राप्त कर की जाती है। जनपद श्रावस्ती मूलतः बाढ एव सूखा तथा विगत वर्ष मे भूकम्प आदि से प्रभावित रहा है तदनुसार योजनाये तैयार कर कार्यवाही की जाती है। विस्तृत विवरण निम्नवत है–

जिला आपदा प्रबंधन योजना विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं की स्थिति से प्रभावी, समयबद्ध एवं योजनावद्ध ढंग से निपटने हेतु तैयार की गयी है । कार्ययोजना में आपदा पूर्व आपदा की अवधि में तथा आपदा के बाद की स्थिति में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए जिला प्रशासन द्वारा की जाने वाली आपात कालीन तैयारियों , प्रतिक्रिया एवं आपदा के प्रभावों को न्यूनतम करने के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। यह कार्ययोजना जनपद के क्षेत्रान्तर्गत सभी प्रकार की आपदाओं की दशा में जिला प्रशासन के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी तथा राज्य एवं केन्द्रीय सरकार को अपेक्षित सहयोग देगी। योजना में आपदाओं से जुड़ी विभिन्न प्रकार की शासकीय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग को साकार बनाते हुए क्रियान्वयन के पक्ष को मूर्त रूप देने पर बल दिया गया है ।

उद्देश्य : योजना का उददेश्य

आपदा की दशा में व्यवस्थित समन्वय एवं प्रभावी प्रतिक्रिया हेतु जिला स्तर पर प्रभावी प्रशासकीय ढॉचा तैयार करना है योजना का उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

• जिला स्तर पर समन्वित रणनीति का निर्माण।

• जिला स्तर पर आपदा की दशा में क्रियाशील सहभागिता हेतु संस्थाओं का चिन्हीकरण तथा उनमें से प्रत्येक को दायित्व निर्धारित करना। जिला स्तर पर केन्द्रीयकृत व्यवस्था की स्थापना करना जो कि विभिन्न क्रियाशील संस्थाओं में सहयोग एवं समन्वय स्थापित कर सके।

• आपदा वार विशिष्ट तैयारी, प्रतिक्रिया तथा आपदा के प्रभावों को न्यूनतम करने के उपाय सुनिश्चत करना।

• जनपद स्तर पर उपलब्ध मानव संसाधन, सामग्री एवं अन्य संसाधनों का अनुकूलतम एवं समुचित उपयोग करने के साथ–साथ उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा राज्य सरकार से आवश्यकतानुसार संसाधनों की मॉग करना।

• विभिन्न प्रकार के संसाधनों, मुख्य सुविधाओं तथा आपदा से जुड़ी संस्थाओं को सूचीबद्ध करते हुए उनको आपदा प्रबन्धन की तैयारी एवं जोखिम के न्यूनीकरण हेतु तैनात करना एवं सहयोग लेना।

• क्षेत्र एवं महत्व

• यह एक जनपद स्तरीय, बहु आयामी आपदा प्रबन्धन योजना है, जो कि जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की आपदाओं के वास्तविक जोखिम आंकलन पर आधारित है। यह योजना विभिन्न प्रकार की आपदाओं से बचाव एवं प्रतिक्रिया की तैयारी का समान ढॉचा उपलब्ध कराने में सहयोग करेगी।

• योजना में प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु विभिन्न शासकीय अभिकरणों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का लेखा–जोखा है। योजना में बचाव एवं राहत के पहलू के साथ–साथ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से आपदा की दशा में उपलब्ध होने वाले संसाधनों के महत्व को गतिशील परिप्रेक्ष्य में रेखांकित किया गया है।

• जिला आपदा प्रबन्धन योजना में सहभागी, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं पर यह योजना समान रूप से लागू होगी। यह योजना उन राज्य स्तरीय प्राधिकारियों, संस्थाओं पर भी लागू होगी, जो कि कार्ययोजना में सुझाई गयी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार हैं लेकिन जनपद में कार्यरत/निवासी नहीं है।

• यह योजना बहु जोखिम आपदाओं से निपटने हेतु सुझाये गये उपायों के लिए अधिकारिता एवं संसाधनों हेतु राज्य सरकार एवं राज्य स्तरीय आपदा प्रबन्धन योजना पर निर्भर होगी। उ0प्र0 आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियों एवं कृत्यों के अन्तर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्र में आपदा प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्यवाही हेतु सरकारी विभागों एवं स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारियों को राहत, बचाव एवं पुनर्वास के कार्यो हेतु निर्देशित किया जा सकेगा। जिला आपदा प्रबन्धन योजना राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आपदा प्रबन्धन योजना तथा ग्राम/विकास खण्ड स्तर पर तैयार योजनाओं के बीच की कड़ी के रूप में कार्यान्वित की जायेगी।

परिकल्पना

• विभिन्न कारणों से जिला योजना को विस्तृत रूप नहीं दिया जा सकता क्योंकि प्रत्येक आकस्मिकता हेतु एक योजना तैयार करना असंभव है। स्थितियां निरन्तर परिवर्तित होती रहती हैं, जिसके कारण योजना में दर्शाई गई कार्य योजना ऐसी स्थिति में कालातीत हो जाने के कारण अनुपयोगी हो जायेगी। योजना में विभिन्न प्रकार की स्थितियों/परिस्थितियों का सूक्ष्य विवरण दिये जाने से योजना को पढ़ना और प्रभावी रूप से लागू करना कठिन होने के साथ–साथ विभिन्न आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में जनपद की प्राथमिकताओं की योजना स्पष्ट रूप से रेखांकित नहीं कर पायेगी।

• जिला आपदा प्रबंधन योजना इस परिकल्पना पर आधारित है कि अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में विभिन्न जोखिमों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने हेतु समुदाय, उपलब्ध संशाधनों के माध्यम से अत्यन्त गतिशील होकर कार्य करते हैं।

• यह योजना हायर एथार्टी से सामयिक सहयोग ज्यादा महत्वपूर्ण है की परिकल्पना पर आधारित है क्योंकि जिला स्तर पर विभिन्न गैर सरकारी संगठनों का सहयोग विभिन्न आपदाओं की दशा में अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है।

योजना का स्वरूप योजना को चार भागों में विभाजित कर तैयार किया गया है :

• जनपद श्रावस्ती की जोखिम एवं सम्बेदनशीलता का विशलेषण।

• क्रियान्वयन

• सूचना संग्रहण

• संलग्नक जनपद श्रावस्ती की जोखिम एवं सम्बेदनशीलता का विशलेषण :

इस भाग में जनपद की भौगोलिक एवं भौतिक परिदृश्य का संक्षिप्त उल्लेख है ।

क्रियान्वयनः

योजना के इस भाग में क्रियात्मक नियोजन को विभिन्न आपदा से जुड़ी प्रतिक्रियात्मक कार्यदायी संस्थाओं की भूमिका एवं आपदा के समय उनकी प्रतिक्रिया को परिभाषित करते हुए उपलब्ध संसाधनों को दर्शाया गया है। इसकें निम्न लिखित तत्व होगें:–

- जिला आपदा प्रबंधन समिति
- आपदाओं के प्रकार/वर्गीकरण
- प्रतिक्रियात्मक ढांचा– आपदा के पूर्व व उपरान्त
- नियंत्रण कक्ष एवं संचार व्यवस्था
- आपदावार प्रतिक्रिया योजना (राहत, बचाव एवं न्यूनीकरण)

अ–बाढ़ तैयारी– पूर्व सूचना, प्रतिक्रिया, बचाव एवं न्यूनीकरण।

ब–भूकम्प– प्रतिक्रिया, बचाव एवं न्यूनीकरण

- मानक कार्यात्मक पद्धति एवं तैयारी चेकलिस्ट
- गैर सरकारी संस्थाएं एवं जन सम्पर्क।

सूचना संग्रहण :

योजना के इस भाग में जनपद की सूचना तन्त्र का उल्लेख है जिसमें आपदा प्रबन्धन से जुड़े कर्मियों /गैर सरकारी संगठनों के पते एवं दूरभाष नम्बरों के साथ–साथ जनपद में उपलब्ध सुविधाओं एवं सेवाओं के पूर्ण पते /दूरभाष नम्बरों का विवरण दिया गया है।

- आवश्यक दूरभाष सूची।
- आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों, सुविधाओं/सेवाओं की दूरभाष सूची।
- मीडिया/संचार अभिकरणों की दूरभाष सूची।
- बाढ़ चौकियों की सूची।
- बाढ़ से अत्यन्त प्रभावित/जलमग्न होने वाले ग्रामों की सूची।
- सरकारी/गैर सरकारी अस्पतालों की सूची।

- जिला स्तरीय गैर सरकारी संस्थाओं की सूची।
- सरकारी संस्थाओं के पास उपलब्ध नावों की सूची।
- व्यक्तिगत धारकों के पास उपलब्ध नावों की सूची।
- जिला आपदा नियंत्रण कक्ष–लेआउट/उपकरणों की सूची।
- राहत सामग्री के एअर ड्रापिंग हेतु दिशा निर्देश।
- बाढ़ चौकियों का विवरण
- राहत पैकेज– सुविधाओं एवं सेवाओं का मानकीकरण।

जनपद श्रावस्ती की सामान्य सूचनाएं

1	जनपद का कुल क्षेत्रफल (हे0में)	163513
	वन क्षेत्रफल (हे0 में)	34275
	कृषि योग्य वंजर (हे0 में)	1089
	परती भूमि (हे0 में)	7875
2	कुल जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	1114615
	ग्रामीण	822326
	नगरीय	33347
	पुरूष	461667
	महिला	394006
3	राजस्व ग्राम	536
4	कुल ग्राम पंचायतें	334
5	कुल न्याय पंचायतें	54
6	विकास खण्ड	05
7	तहसील	03
8	थाना	06
9	आबाद ग्राम	506
10	गैर आबाद ग्राम	30
11	विद्युतीकृत ग्राम	390
12	विद्युतीकृत अनुसूचित जाति बस्तियां	363
13	पक्के मार्ग	60 किमी0
14	कच्चे मार्ग	170 किमी0
15	राजकीय नलकूप	168
16	निजी नलकूप	33665
17	कुएं	1062
18	तालाब	2138
19	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	15
20	प्राथमिक विद्यालय	722
21	उच्च प्राथमिक विद्यालय	279
22	नगर निकाय	02
23	डिग्री कालेज	05
24	तार घर	02
25	डाकघर	108
26	व्यवसायिक बैंक (राश्ट्रीयकृत) शाखा	17
27	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा	22

Chapter- 5 Preparedness Measures

आपदा प्रबन्ध के अन्तर्गत आपदा से निपटने के लिये तैयारी पूरी सजगता से की जाती है। जिसमे सूचनाओ का आदान प्रदान परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा और राजस्व विभाग आदि के माध्यम से किया जाता है। आवश्यक संसाधनों, भोजन, दवायें, पानी, अग्निशमन आदि की उपलब्धता एन0जी0ओ0 और वालेन्टीयर्स के सहयोग से भी किये जाने की व्यवस्था आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण श्रावस्ती के अन्तर्गत की जाती है। विभिन्न विभागों में उपलब्ध आपदा बचाव उपकरणों को आई0डी0आर0एन0 की बेवसाइट पर अपडेट किया गया है। जिसका उपयोग आपदा के समय किया जाता है। जनपद स्तर पर गठित जिला परामर्शदात्री समिति एवं तहसील स्तर पर गठित समिति का विवरण निम्नवत् है।

जिला परामर्शदात्री आपातकालीन सहायता समिति

क्रमांक	जनप्रतिनिधि / अधिकारी	पद
1	जनपद के सांसद	अध्यक्ष
2	जिलाधिकारी	उपाध्यक्ष
3	अधिशाषी अभियन्ता स0न0ख0–6 बहराइच	समन्वय अधिकारी
4	अधिशाषी अभियन्ता लो0नि0वि0	सदस्य
5	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
6	डिवीजनल फारेस्ट आफिसर	सदस्य
7	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
8	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
9	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
10	जिला पूर्ति निरीक्षक	सदस्य
11	उपजिला मजिस्ट्रेट	सदस्य
12	अध्यक्ष जिला पंचायत	सदस्य
13	अध्यक्ष नगर पंचायत भिनगा एवं इकौना	सदस्य
14	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
15	जिले के सभी सदस्य विधानसभा / परिषद	सदस्य
16	भारत सरकार के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के एक–एक प्रतिनिधि	सदस्य
17	बाढ पीडित क्षेत्रों के प्रतिनिधि	सदस्य
18	स्वंयसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि	सदस्य
19	जिलाधिकारी द्वारा आमंत्रित व्यक्ति	सदस्य
20	अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0)	सदस्य / सचिव

परिशिष्ट–ब

बाढ़ के अनुश्रवण के लिए स्टेयरिंग ग्रूप का गठन

क्रमांक	अधिकारी	पद
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	अधिशाषी अभियन्ता स0न0ख0–6	सचिव/समन्वय अधिकारी
3	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4	जिला बाढ राहत अधिकारी	सदस्य
5	अधिशाषी अभियन्ता विद्युत	सदस्य
6	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
7	जिला पूति अधिकारी	सदस्य
8	अधिशाषी अभियन्ता लो0नि0वि0	सदस्य
9	अधिशाषी अभियन्ता,जल निगम	सदस्य

परिशिष्ट–ब

तहसील स्तरीय परामर्शदात्री समिति

क्रमांक	जनप्रतिनिधि/अधिकारी	पद
1	क्षेत्रीय सांसद	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय विधायक	सदस्य
3	परगनाधिकारी	उपाध्यक्ष
4	ब्लाक प्रमुख	सदस्य
5	अध्यक्ष स्थानीय निकाय	सदस्य
6	क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी	सदस्य
7	सहायक अभियन्तानहर/ जलनिगम/ विद्युत/ सिचाई/लोक निर्माण विभाग	सदस्य
8	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
9	चिकित्साधिकारी,प्रा0स्वा0केन्द्र	सदस्य
10	तहसीलदार	सचिव

विभिन्न विभाग

1. जनस्वास्थ की चिकित्साः–

जनस्वास्थ की चिकित्सा बाढ़ के समय संचालित एवं क्रियान्वित करने का दायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का होता है, जिसे तीन चारणों में बॉटा गया है।

1. बाढ़ के पूर्व तैयारी
2. बाढ़ के समय
3. बाढ़ समाप्त होने के पश्चात

(1) बाढ़ के पूर्व तैयारी– बाढ़ से पूर्व बाढ़ क्षेत्रों में स्थापित बाढ़ चौकियों एवं राहत शिविरों पर स्वास्थ कर्मियों की तैनाती कर आवाश्यक चिकित्सा व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखी जाय। स्वास्थ कर्मियों की तैनाती कर उसकी एक प्रति संबंधित उपजिलाधिकारी तथा एक प्रति जिला आपात कालीन सहायता अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) को उपलब्ध करायी जाय। गत वर्षो के बाढ़ के अनुभवों के आधार पर प्रभारी चिकित्साधिकारी बाढ़ क्षेत्रों की जनसंख्या का आंकलन करते हुए दवाईयों की उपलब्धता बाढ़ चौकियों एवं राहत केन्द्रों पर उपलब्ध रखेगें। प्राथमिक उपचार जैसे पेट दर्द, बुखार, सर्दी, जुकाम, खॉसी, उल्टी, उल्टी, ऑख तथा चर्मरोग, फोड़ा–फुन्सी आदि दवाइयों के साथ–साथ पेयजल श्रोतों को विसंक्रमित करने हेतु क्लोरीन टेबलेट, ब्लीचिंग पावडर उपलब्ध रखेगें। इस हेतु निजी चिकित्सकों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं को भी प्रोत्साहित करते हुए उनका सहयोग एवं सेवायें प्राप्त की जाय। बाढ़ के समय प्रायः सम्पर्क मार्ग टूट जाने से आवागमन बंधित हो जाता है। इस दृष्टि में भी पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था की पूर्व से ही उपलब्धता बनाये रखना परम आवश्यक है।

(2) बाढ़ के समय–

बाढ़ चौकियों एवं राहत केन्दों पर तैनात स्वास्थ कर्मी एक टीम बनाकर अपने चौकी से सम्बद्ध ग्रामों में भ्रमण करेगें तथा पीड़ित जनता को आवश्यक चिकित्सा सुविधा सुलभ करायेगें। गम्भीर बीमारी के रोगी प्रसव पीड़ित महिला जिनका उपचार गॉव में सम्भव न हो सकें, इसे प्रा0स्वा0 केन्द्र पर भेजवाने की व्यवस्था करेगें। प्रा0स्वा0 केन्द्र प्रभारी चिकित्साधिकारी अपने सहयोगी अन्य चिकित्साधिकारी की मोबाइल टीम गठित करेगें, जो बाढ़ क्षेत्रों में जाकर मरीजों की देखभाल व उनकी चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करेगें। मुख्य चिकित्साधिकारी बाढ़ प्रभावित ग्रामों की संख्या के अनुसार चिकित्साधिकारियों की मोबाइल टीमें गठित करायेगें। गम्भीर रोगों के इलाज की व्यवस्था प्रा0स्वा0 केन्द्र तथा जिला चिकित्सालय पर भी उपलब्ध रखेगें।

(3) बाढ़ समाप्त होने के पश्चात–

बाढ़ समाप्त होने के पश्चात बिमारियों के फैलने की काफी सम्भावना रहती है, जसै उल्टी, दस्त, बुखार, खॉसी, फोड़े–फुन्सी आदि। इस हेतु भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों के लिए आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहना नितान्त आवश्यक है। बाढ़ का पानी हट जाने तथा भीषण गर्मी के प्रकोप से बिमारियों के उत्पन्न होने की सम्भावनाएं बनी रहती है। बाढ़ के उपरान्त संक्रमक रोग नियंत्रण में स्वास्थ शिक्षा का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। शुद्ध खाद्य पदार्थ, शुद्ध पेयजल आदि के बारे में प्रभारी चिकित्साधिकारी तथा उसके द्वारा गठित चिकित्सकों की टिम स्वास्थ कर्मियों के माध्यम से स्वास्थ शिक्षा की जानकारी जनमानस तक पहुॅचाई जायेगी। वर्षा काल के उपरान्त दूषित पानी में पल रही मछलियों के सेवन से जन स्वास्थ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे तमाम प्रकार की बिमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है। जनमानस को प्रचार–प्रसार के माध्यम से इसकी जानकारी दी जायेगी तथा अनुरोध किया जायेगा कि ऐसी मछलियों का सेवन न करें।

. लोक निर्माण विभाग–

लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यो की देख–रेख की जाती है। अत्याधिक वर्षा और बाढ़ के समय मुख्य मार्गो पर दलदल होने, सड़क कटने अथवा बह जाने वाले पुलों तथा पुलियों के किनारे कटने तथा पुलों के क्षतिग्रस्त हो जाने की ही समस्यायें प्रायः आती है। वर्षा काल बाढ़ के समय सड़क मार्ग चालू रहने से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनी रहती है तथा बाढ़ बचाव एवं राहत कार्य प्रभावी ढंग से हो सकता है। संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर उसके निकट बालू, बोरी, बजरी आदि आवश्यक मात्रा में व्यवस्था अभी से सुनिश्चित कर ली जाय।

विद्युत विभाग–

बाढ़ के समय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों, बाढ़ शरणालयों तथा बाढ़ चौकियों एवं राहत केन्द्रों पर विद्युत आपूर्ति बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक होता है। बाढ़ के समय तमाम कीड़े–मकोड़े पानी से निकलकर मैदानी क्षेत्रों की ओर भागते है, जिससे मनुष्यों तथा पशुओं के लिए खतरा बना रहता है। इस कारण विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बनाये रखना अति आवश्यक है।

वन विभाग–

बाढ़ के समय जल पलावन के कारण पशुओं के चरने के स्थानों की कमी हो जाती है, तथा गॉव में पानी प्रवेश कर जाने से पशुओं के लिए संचित भूसा नष्ट हो जाता है। फलस्वरूप पशु चारें की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे विषम परिस्थितियों में वन काफी सहायक सिद्ध होते है। पशुओं के चरने हेतु वन विभाग द्वारा जंगलात खोल दिये जाते है तथा बचाव कार्य में प्रयोग किये जाने हेतु जंगल से बल्लियॉ प्राप्त होती है। इस प्रकार बाढ़ के समय वन विभाग का सहयोग लिया जा सकता है।

परिवहन विभाग–

बाढ़ के समय परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खाद्यान्न एवं राहत सामग्री की ढुलाई, नावों की ढुलाई तथा सेना के लिए ट्रकों, बसों तथा जीपो की आवश्यकता पड़ती है। राहत कार्य में चिकित्सको, पशुचिकित्सकों के मोबाइल टीमों के लिए भी जीपों की आवश्यकता पड़ती है। बाढ़ के समय परिवहन व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जनपद के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी की होगी। वाहनों की एक सूची बनाकर उन्हें चिन्हित कर लें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका तत्काल उपयोग किया जा सके।

जल निगम–

बाढ़ के पूर्व तैयारी में जल निगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाढ़ क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था बनाये रखने हेतु इण्डिया मार्क हैण्ड पम्पों को स्थापित करने, खराब हैण्ड पम्पों को ठीक करने तथा टूटे–फूटे चबूतरों का निर्माण कराने की जिम्मेदारी अधिशासी अभियन्ता जल निगम की होगी, इन हैण्ड पम्पों/पेयजल स्रोतो का विसंक्रमण चिकित्सा विभाग द्वारा किया जायेगा।

दूर संचार विभाग–

बाढ़ के समय बाढ़ की सूचनाओं का आदान–प्रदान तथा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखने के लिए दूर संचार दूरभाष का बड़ा महत्व है। ऐसे आंकस्मिक अवसरों पर दूरभाष का काफी महत्व बढ़ जाता है। सहायक अभियन्ता दूरभाष का यह दायित्व होगा कि बाढ़ के समय जनपद की दूर संचार व्यवस्था चालू रखें।

पशु चिकित्सा–

बाढ़ के समय प्रायः पशुओं में लगने वाली बीमारियों जैसे– गला घोटू, लगाड़ीया, खुर पका, मुँहपका आदि उत्पन्न हो जाती है। समुचित चिकित्सा न होने के कारण कभी–कभी यह बीमारी जानलेवा हो जाती है और पशु मर जाते है। इसलिए बाढ़ से पूर्व इन पशु बीमारियों की रोग थाम करना तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था रखना अति आवश्यक है। इस हेतु मुख्य पशुचिकित्साधिकारी उत्तरदायी होगें और बाढ़ से पूर्व पशु बीमारियों के रोक थाम के लिए समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध रखेगें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सचल चिकित्सा दल की व्यवस्था मुख्य पशुचिकित्साधिकारी सुनिश्चित करेगें, जो बाढ़ क्षेत्रों के गॉवों में जाकर पशुओं का टीकाकरण एवं उनके बीमारियों की जॉच कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगें। बाढ़ चौकियों/बाढ़ राहत शिविरों पर भी पशु चिकित्सकों/स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करेगें। बाढ़ के समय चारों तरफ पानी भर जाने के कारण पशु चारें की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे समय में पशुओं के चारें की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध रहनी चाहिए। पशु चारें की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध रखने की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी, बाढ़ आने से पूर्व सारी तैयारियॉ पूर्ण कर लेगें।

भौगोलिक विशेषताएं

नेपाल की तराई में बसा हुआ जनपद श्रावस्ती देवी पाटन मण्डल के पार्श्व में स्थित है, जो पूर्व से पश्चिम की लम्बाई में है। इसका शीर्ष विन्दु सुदूर उत्तर में भरथापुर के निकट है। इस जनपद की नेपाल देश से लगभग 62 किमी0 की सीमा लगती है, तथा जनपद श्रावस्ती की सीमा से नेपाल राज्य के दो जिले बांके एवं डांग की सीमाऐं पडती है। यह जनपद पश्चिम एवं दक्षिण में जनपद बहराइच की सीमा को अलग करता है तथा पूरब में बलरामपुर की सीमा से मिला हुआ है। उत्तर पूरब में तुलसीपुर परगना को छोडकर जहां हिमालय की दक्षिण पहाडियां इस जिले से नेपाल को अलग करती है। नेपाल के जिले की उत्तरी सीमा अधिकांश एकत्रित हैं। सीमाओं तक चिन्हों की श्रृंखला और उसके दोनों ओर 30 फिट चौडी पट्टियों से ही इस अर्न्तराष्ट्रीय सीमा का संकेत मिलता है।

प्राकृतिक बनावट के दृष्टिकोण से जिले को दो भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर में तराई क्षेत्र तथा दक्षिण में राप्ती का बेसिन है जिसे उपरहर भी कहा जाता है। जिले का उत्तरी भाग तराई क्षेत्र वनों से आच्छादित है जिसमें बहुमूल्य एवं उपयोगी लकड़ी के वृक्षों की बहुतायत है। इसमें सिरसिया का जंगल उल्लेखनीय है। तहसील भिनगा, इकौना एवं जमुनहा के अधिकांश गावं राप्ती के क्षेत्र में आते है।

तराई का सम्पूर्ण क्षेत्र बहुत ही नीचा है। बरसात के दिनों में बाढ़ की आकस्मिकता बढाने में विशेष भूमिका रखते है।

सामाजिक विशेषताएं –

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1117361 है। जिसमें पुरूष 593897 व स्त्री 523464 है। इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 194668 है। जनपद में कुल साक्षर व्यक्ति 521919 हैं जो कुल जनसंख्या का 46.71 प्रतिशत है जिसमें पुरूष 276473 व स्त्री 146332 हैं। जिनका साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 57.14 व 34.74 है। वर्ष 2011 की जनगणना में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 23.39 प्रतिशत एवं साक्षरता में दशकीय वृद्धि 16.64 प्रतिशत हुई है। इस जनपद में हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, जैन आदि जातियॉ निवास करती हैं। जनपद के सिरसिया विकास खण्ड में जंगल के पास थारू नामक जनजाति के लोग निवास करते है।

जनपद का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इनके विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। इस जनपद में सभी धर्म एवं जातियों के लोग एक–दूसरें के दुख–सुख एवं धार्मिक, सामाजिक कार्यो में बड़े स्तर पर सहयोग करते हैं। यहॉ पर जातीय एवं धार्मिक उन्माद नगण्य प्राय है। सभी धर्म एवं समाज के लोग मिलजुल कर एक दूसरे के त्यौहारों एवं सामाजिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हैं। आर्थिक एवं अन्य सामान्य उद्योगों की कमी होने के कारण यहॉ के लोग मजदूरी करने के लिए अन्य जनपदों को जाते है। ये मजदूर त्यौहारों अथवा घरेलू कार्यक्रमों में शामिल होने आते–जाते रहते हैं। उद्योग धंधों की कमी एवं कृषि पर आधारित होने के कारण यहॉ साधारण व्यक्ति का जीवन स्तर निम्न है। यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछडा हुआ है।

भौगोलिक सीमायें :

यह जनपद देवी पाटन मण्डल गोण्डा के अर्न्तगत आता है। इसके उत्तर में नेपाल देश, दक्षिण में बहराइच तथा पश्चिम में बहराइच तथा इसके पूर्व में बलरामपुर जनपद स्थित है। जनपद में कुल 5 विकासखण्ड इकौना, गिलौला, हरिहरपुररानी, सिरसिया एवं जमुनहा है और दो नगर पंचायत भिनगा व इकौना है। जनपद के कुल 5 विकासखण्डों में 54 न्याय पंचायतें 400 ग्राम पंचायतें एवं 506 आबाद ग्राम तथा 32 गैर आबाद राजस्व ग्राम हैं। जनपद का भौगोलिक क्षत्रफल 1858 वर्ग किमी0 तथा कुल जनसंख्या 1117361 है। जिसमें 1078712 ग्रामीण जनसंख्या तथा 38649 नगरीय जनसंख्या है जिससे प्रतिवर्ग किमी0 के क्षेत्रफल पर ग्रामीण जनसंख्या घनत्व 581 एवं जनपद की जनसंख्या घनत्व 601 है। भौगोलिक क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से यह जनपद मण्डल में अन्य जनपदों की अपेक्षा सबसे छोटा है। जनपद में एक लोक सभा क्षेत्र श्रावस्ती है जो आंशिक रूप से जनपद बलरामपुर से मिलकर पूर्ण होता है। भिनगा एवं श्रावस्ती दो विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बने जनपद श्रावस्ती में कुल 3 तहसीलें क्रमशः भिनगा, इकौना एवं जमुनहा तथा कुल 6 पुलिस स्टेशन स्थापित हैं। जिसमें 4 ग्रामीण व 2 नगरीय हैं।

नदियां एवं उनकी प्रवाह प्रणालीः–

जिले के अधिकांश नदी नालों का स्रोत हिमालय की दक्षिणी पर्वत श्रेणियां हैं और सर्वप्रथम इस जनपद में प्रवेश करने के पश्चात जलभराव की स्थिति उत्पन्न करती है। इस जनपद की नदी राप्ती प्रदेश में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

राप्ती नदी :–

राप्ती नदी का उद्‌गम दक्षिण हिमालय और नेपाल राज्य में लगभग 152 किमी0 पडने के बाद यह जनपद बहराइच के नानपारा तहसील के ग्राम गनेशपुर के पास इस देश की सीमा में प्रवेश करती है। तहसील जमुनहा के विकास खण्ड जमुनहा की सीमा पर दूर बहने के बाद सर्वप्रथम यह नदी भोजपुर गांव के पास भिनगा परगने में प्रवेश करती है और परगने की पूरी लम्बाई में दक्षिण की ओर बहती हुई भिनगा को पार करके तहसील इकौना के पूर्वोत्तर कोने में डिगुराजोत के पास बलरामपुर जनपद में प्रवेश कर जाती है। यह स्थिति इस शताब्दी के प्रारम्भ की थी तब से कई बार यह नदी अपना मार्ग बदल चुकी है। इस जनपद के गठन से पूर्व वर्ष 1922 में बाढ से इस जनपद की भिनगा तहसील के अशरफनगर गांव से यह नदी दक्षिण त्रिमुख हो गई है, और झुनझुनिया घाट के पास भाकला नदी में प्रवेश कर गयी है। लगभग 44 वर्ष पूर्व आयी बाढ में राप्ती नदी ने अशरफनगर से झुनझुनिया घाट के इस मार्ग को छोड दिया था और विकास खण्ड जमुनहा तथा हरिहरपुररानी की सीमा को बनाते हुए झुनझुनिया घाट से 6 किमी0 और महदेवा के पास भाकला में प्रवेश कर गई है। इस प्रकार महदेवा में ही राप्ती भाखला सिंधिया के तल में बहने लगी है। राप्ती की पुरानी धाराऐं जिनमें से एक भिनगा के निकट है, यद्यपि अब निष्पंगु हो चुकी है, तथापि वर्षा के दिनों में अब भी बडी नदी का रूप धारण कर लेती है। भाखला सिंधिया के पूरे भागों को तय करने के उपरान्त पुनः तहसील इकौना के उत्तर पूर्व में मझौवा सुमाल के पास राप्ती नदी के पुराने तल को पा लेती है और जनपद की सीमा को अलग करते हुए जनपद बलरामपुर में प्रवेश कर जाती है। यह एक विनाशकारी नदी है और अपने तटवर्ती गॉवों को काटती रहती है। भाखला और केन, राप्ती की सहायक नदियां है। भाकला नेपाल की तराई से निकल कर प्रारम्भ में राप्ती के समानान्तर लगभग 5 किमी0 की दूरी पर बहती है और दक्षिण में महदेवा के पास आपस में मिल जाती है। इससे आगे भी मझौवा सुमाल के पास अपनी धारा में प्रवेश करने तक राप्ती अब भी भाकला के नाम से पुकारी जाती है। जाड़े की ऋतु में भाकला में बहुत कम पानी रहता है, लेकिन लगातार बारिश होने पर कुछ ही घंटों में अपनी कगार को छोडकर रौद्र रूप धारण कर वेग से बहने लगती है। केन तुलसीपुर की तराई से निकल कर हाथीकुन्डा तथा पहाडी नालों का जल समेटते हुए पूर्व सीमान्त भाग में राप्ती से मिलती है।

क्षेत्रफल एवं जनसंख्या भौगोलिक क्षेत्रफल एवं घनत्व (जनसंख्या प्रति वर्ग किमी0) :

यह जनपद देवी पाटन मण्डल गोण्डा के अर्न्तगत आता है। इसके उत्तर में नेपाल देश, दक्षिण में बहराइच तथा पश्चिम में बहराइच तथा इसके पूर्व में बलरामपुर जनपद स्थित है। जनपद में कुल 5 विकासखण्ड इकौना, गिलौला, हरिहरपुररानी, सिरसिया एवं जमुनहा है और दो नगर पंचायत भिनगा व इकौना है। जनपद के कुल 5 विकासखण्डों में 54 न्याय पंचायतें 400 ग्राम पंचायतें एवं 506 आबाद ग्राम तथा 32 गैर आबाद राजस्व ग्राम हैं। जनपद का भौगोलिक क्षत्रफल 1858 वर्ग किमी0 तथा कुल जनसंख्या 1117361 है। जिसमें 1078712 ग्रामीण जनसंख्या तथा 38649 नगरीय जनसंख्या है जिससे प्रतिवर्ग किमी0 के क्षेत्रफल पर ग्रामीण जनसंख्या घनत्व 581 एवं जनपद की जनसंख्या घनत्व 601 है। भौगोलिक क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से यह जनपद मण्डल में अन्य जनपदों की अपेक्षा सबसे छोटा है।

साक्षरता :–

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1117361 है। जिसमें पुरूष 593897 व स्त्री 523464 है। इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 194668 है। जनपद में कुल साक्षर व्यक्ति 521919 हैं जो कुल जनसंख्या का 46.71 प्रतिशत है जिसमें पुरूष 276473 व स्त्री 146332 हैं। जिनका साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 57.14 व 34.74 है। वर्ष 2011 की जनगणना में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 23.39 प्रतिशत एवं साक्षरता में दशकीय वृद्धि 16.64 प्रतिशत हुई है।

कृषि / सिंचाई

कृषि :–

जनपद की जलवायु उष्णाद्र है। यहां की मिट्टी दोमट, मटियार, बलुई एवं हल्की दोमट के अतिरिक्त नदियों के किनारे की भूमि कछार किस्म की है। जनपद का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2.05 लाख हे0 है, जिसमें 1.35 लाख हे0 में खेती की जाती है। खरीफ में 0.65 लाख हे0, रबी मे 0.69 लाख हे0 हे0 कुल 1.35 लाख हे0 क्षेत्र में वर्ष भर मे सम्पूर्ण फसलें बोई जाती है। जनपद की मुख्य फसलें धान, मक्का, उर्द अरहर, तिल, मूंगफली तथा ज्वार बाजरा है।

सिचाई विभाग (नहर):–

जनपद श्रावस्ती में सिचाई विभाग द्वारा जनपद लखीमपुर में घाघरा नदी पर निर्मित बैराज से सरयू लिंक नहर बनाकर पानी जनपद बहराइच के गोपिया में स्थित सरयू बैराज में डाला जाता है तथा वहां से सरयू मुख्य नहर का निर्माण किया गया है। सरयू नहर प्रणाली की सरयू मुख्य नहर तथा बस्ती शाखा के विभिन्न राजवाहा तथा माइनरों के द्वारा विकास खण्ड जमुनहा, विकास खण्ड गिलौला, हरिहरपुररानी तथा इकौना में 28 नहरों के माध्यम से सिचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। जनपद के सिरसिया विकास खण्ड में चित्तौड़गढ़ जलाशय के 9 नहरों के माध्यम से सिचाई सुविधा प्रदान की जा रही है। जनपद में कुल 292.95किमी0 नहर निर्माण प्रस्तावित है जिसमें अब तक कुल 257.935किमी0 लम्बाई की 38 नहरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। उपरोक्त नहरों के कमाण्ड क्षेत्र में रबी तथा खरीफ को मिलाकर कुल 40175हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

जनपद में राप्ती नदी के बांये तथा नेपाल राष्ट्र की सीमा के मध्य 95 क्यूमेक क्षमता की राप्ती मुख्य नहर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस नहर को मार्च 2017 तक निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। इस नहर के निर्माण के पश्चात जनपद के सिरसिया विकास खण्ड में समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

राजकीय नलकूप:–

जनपद में 182 राजकीय नलकूप हैं जिनसे लगभग 9100हे0 भूमि की सिचाई की जाती है।

उद्योग

शासन से संचालित विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जा रहे है। उक्त के अलावा रेशम उद्योग कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है जिसमें कम समय एवं कम लागत में बेराजगार नवयुवक, गृहस्थ महिलायें घर के सारे कार्य करते हुए मात्र 15 से 20 दिन के अन्दर 15000 से 20000 रूपयें की सालाना आमदनी कर सकती है। जनपद के निम्नांकित विकास खण्डों में रेशम विकास के राजकीय रेशम फार्म एवं तकनीकी सेवा केन्द्र स्थापित हैंः–

क्रमांक	विकास खण्ड	फार्म / तकनीकी सेवाकेन्द्र
1	गिलौला	चन्द्ररखा बुजुर्ग
2	गिलौला	दंदौली
3	जमुनहा	गौसपुर
4	इकौना	भरथापुर
5	इकौना	गांधी निधि केन्द्र श्रावस्ती
6	सिरसिया	तकनीकी सेवा केन्द्र मोतीपुर

सडक़, परिवहन एवं संचार

सड़कों की लम्बाई (कि0मी0) :–

किसी भी राज्य के सर्वागीण विकास में सड़कों, परिवहन सुविधाओं एवं संचार माध्यमों का महत्वपूर्ण स्थान है । परिवहन एवं व्यापार सम्बन्धी क्रिया कलापों का विकास एवं विस्तार पर्याप्त सीमा तक सडक़ों के विकास पर निर्भर करता है। सडक़ों के रखरखाव एवं निर्माण की प्रक्रिया से रोजगार के अवसर भी सुलभ हो जाते हैं।

जनपद में लोक निर्माण विभाग यातायात के संचालन हेतु मार्गो/पुलों/पुलियों का निर्माण व रखरखाव का कार्य करता है।

जनपद में अनुरक्षणाधीन विभिन्न श्रेणी के लेपित मार्गो की लम्बाई निम्न प्रकार हैः–

क्रमांक	मार्गों का विवरण	संख्या	लम्बाई किमी0 में
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	01Nos.	लम्बाई–40किमी0 राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लखनऊ के अधीनस्थ
2	राज्य मार्ग	02Nos.	लम्बाई–42.60किमी0
3	प्रमुख जिला मार्ग	03Nos.	लम्बाई–93.85किमी0
4	अन्य जिला मार्ग	18 Nos.	लम्बाई–231.03किमी0
5	ग्रामीण मार्ग	740Nos.	लमई 1358.44किमी0

मुख्य बंधे

इस जनपद में मुख्यतः राप्ती नदी है। राप्ती नदी पर राप्ती बैराज, कलकलवा मार्जिनल बांध, परसा डेहरिया –तिलकपुर तटबन्ध, खजुहा झुनझुनिया अंधरपुरवा तटबन्ध निर्मित हैं। परसा डेहरिया –तिलकपुर तटबन्ध, खजुहा झुनझुनिया अंधरपुरवा तटबन्ध का कार्य निर्माणाधीन है।

यातायात (मोटर वाहन) साधनों की उपलब्धता एवं उनका विवरण

जनपद में वर्ष 2019–20 तक कुल सरकारी वाहन 172 है। इनमें भारी वाहन 04 और हल्के वाहन 07 हैं। मिनी ट्रक 01, एम्बुलेंस 32, ट्रैक्टर 07, कार/जीप 45 है। मोटर साइकिल 76 हैं। सरकारी बसों की संख्या शून्य है।

जनपद में कुल गैर सरकारी वाहन 21871 है। इनमें मध्यम और भारी वाहन ट्रक की संख्या 112 हैं। व्यावसायिक वाहन बसें 53, मिनी 13, स्कूल बस 49 हैं। जीप टैक्सी 206 मोटर कार 3377, ट्रैक्टर 9602, टैंकर 08, जे0सी0बी0 26 हैं। क्रेन 02, डिलबरी वैन 855, मोटर साइकिल 7210 है।

संचार व्यवस्था

इस जनपद में दूरसंचार का उपखण्ड कार्यालय है। जिला दूरसंचार प्रबन्धन का कार्य जनपद बहराइच से किया जा रहा है। जनपद में एक्सचेंजों की संख्या 12 हैं तथा टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 806 हैं एवं पी0सी0ओ0/एस0टी0डी0 केन्द्रों की संख्या 286 हैं । जनपद श्रावस्ती व बहराइच का मिलाकर मोबाईल कनेक्शनों की संख्या 180000 हैं। जनपद में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन सेवा कम्प्यटूर प्रणाली द्वारा संचालित है। संचार व्यवस्था के अन्तर्गत डाक विभाग का विशेष महत्व है। जनपद में कुल 101 डाकघर है।

शिक्षा

प्राथमिक विद्यालय :

जनपद में कुल प्राथमिक विद्यालय 1054 हैं इनमें मान्यता प्राप्त विद्यालय भी शामिल है । प्राथमिक विद्यालयों में कुल छात्र छात्राओं की संख्या 113517 हैं । जिनमें अनु0 जाति के छात्र छात्राओं की संख्या 28141 हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालय :

जनपद में कुल उच्च प्राथमिक विद्यालय 445 हैं इनमें मान्यता प्राप्त विद्यालय भी शामिल है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल छात्र छात्राओं की संख्या 34093 हैं। जिनमें अनु0 जाति के छात्र छात्राओं की संख्या 8235 हैं ।

माध्यमिक विद्यालय :

जनपद में माध्यमिक विद्यालय 116 हैं, इनमें मान्यता प्राप्त विद्यालय भी शामिल है। माध्यमिक विद्यालयों में कुल छात्र छात्राओं की संख्या 38162 हैं । जिनमें अनु0 जाति के छात्र छात्राओं की संख्या 4352 हैं ।

महाविद्यालय :

जनपद में कुल 10 महाविद्यालय हैं । महाविद्यालयों में कुल छात्र छात्राओं की संख्या 5341 हैं। जिनमें अनु0 जाति के छात्र छात्राओं की संख्या 520 हैं ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान :

जनपद में 02 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। जिनमें कुल छात्र छात्राओं की संख्या 300 हैं । जिनमें अनु0 जाति के छात्र छात्राओं की संख्या 31 हैं।

पर्यटन एवं मनोरंजन

दर्शनीय स्थल

श्रावस्ती

यह स्थान जनपद मुख्यालय भिनगा से 55 किमी0 दूर बहराइच–बलरामपुर मार्ग पर स्थित है। यहां अब भी बौद्धकाल के भग्नावशेष मौजूद हैं। श्रावस्ती को सहेट–महेट के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध से जुड़ी श्रावस्ती की भूमि का महत्व सर्वविदित है। यहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 24 चार्तुमास धर्म की शिक्षा देते हुए व्यतीत किए थे। यहां भगवान बुद्ध से जुड़े हुए खण्डहर हैं, जिन्हें पुरातात्विक दृष्टि से संरक्षित भी किया गया है। यहां देश विदेश से लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष आते है।

श्रावस्ती जैन धर्मावलम्बियों के गढ़ के रूप में भी प्रसिद्ध है इसे जैन तीर्थकर भगवान सम्भवनाथ तथा चन्द्रप्रभू की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है।

हिन्दू धर्म के अनुयायियों की आस्था को केन्द्र यहां चन्द्रिका देवी का मन्दिर है। इसके सम्बन्ध में अनुश्रुति है कि भगवान श्रीकृष्ण ने चन्द्रिकापुरी में मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए अर्जुन को सिंह बनाकर भेजा था।

वर्तमान में यहां श्रीलंका, थाईलैण्ड, चीन, जापान, वर्मा के बौद्ध मन्दिरों के अलावा जैन मन्दिर तथा विश्वशांति घंटा स्थापित हैं। अलग–अलग विवरण निम्नवत् हैं:–

1– कोरियन मन्दिर

2– दिगम्बर जैन मन्दिर

3– गंध कुटी

4– श्वेताम्बर जैन मन्दिर

5– अंगुलीमाल गुफा

6– विश्व शांति घंटा

सीतादोहार–

यह स्थान बहराइच से बलरामपुर मार्ग के 30वे किमी0 पर स्थित है। हां लगभग 100 एकड़ भूमि में स्थित झील के बगल में माता सीता का प्राचीन मन्दिर है। यहां महर्षि वाल्माकि जी का आश्रम था जहां बनवास के दौरान सीताजी को लक्ष्मण ने लाकर छोड़ा था। एक मान्यता के अनुसार यह स्थान भगवान कश्यप बुद्ध की जन्मस्थली है। मन्दिर के पास ही अत्यन्त मनोरम व रमणीय झील है। झील के तट पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा और चैतराम नवमी को मेला लगता है।

हथियाकुण्डः–

यह कुण्ड भिनगा से 13 किमी0 दूर जंगल में स्थित है। धार्मिक ग्रन्थों के अनुसार यह कुण्ड राजा कर्ण के महल का एक भाग था। वर्तमान में यह एक रमणीय स्थल है।

Chapter-6

Capacity Building & Training Measure

कैपीसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भारत सरकार के तेरहवें वित्त आयोग में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जनपद श्रावस्ती में 12 मास्टर्स ट्रेनर्स मार्च 2013 में राज्य आपदा से प्रशिक्षित किये गये है। उक्त प्राविधानों के अनुसार जनपद स्तर पर 120 गांवों में आपदा प्रबन्धन की ग्राम स्तरीय एवं जिला स्तरीय बैठकें आयोजित कराकर आपदा न्यूनीकरण हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कराकरं प्रशिक्षण दिया गया है। राजस्य स्तर पर आयोजित कैपीसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आपदा प्रबन्धन से प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। मार्च 2015 में कैपीसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत शासन स्तर से उपलब्ध कराये गये बजट से बाढ़ एवं सूखा के लिये लाईफ जैकेट, फोल्डिंग स्ट्रेचर, मेगाफोन, सर्चलाईट, अग्निशमन यंत्र, कन्टेनर फास्ट ऐड बाक्स (आवश्यक दवाओं सहित) आदि क्रय करके जनपद के तीनों तहसीलों में कुल 120 गांवों में आपदा न्यूनीकरण हेतु सामग्री उपलब्ध करा दी गई है।

कैपीसिटी प्रोग्राम के अन्तर्गत प्लान बनाया गया है, जिसमें शिक्षक आफिसियल, कर्मचारी/अधिकारी ,इन्जीनियर, डाक्टर, नर्स, राजगीर सहित जन सामान्य अन्य लोगों को प्रशिक्षित किया गया है मुख्यतः पुलिस एवं अग्निशमन तथा एन0डी0आर0एफ0 व एस0डी0आर0एफ0 का बराबर सहयोग आपदा के समय लिया गया है। कैपीसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत तहसील स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जा चुका है। जिसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों के मध्य विभिन्न विभागों (स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु, बाढ़ खण्ड, नलकूप, जल निगम, पंचायती राज, विकास विभाग, लघु सिंचाई आदि) के जिला/तहसील/ब्लाक एवं ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों मुख्यतः आपदा न्यूनीकरण सम्बन्धित विषय पर चर्चा कर सम्भावित कठिनाईयां एवं अवरोध को सूचीबद्ध कर इनके निस्तारण हेतु सुझाव एकत्रित किये गये। आपदा जोखिम के अन्तर्गत सिविल डिफेन्स के अधिकारियों द्वारा हेलीपैड आपदा के समय बनाने के लिये चिन्हित करने के निर्देश के क्रम में पुलिस लाइन श्रावस्ती के मुख्यालय भिनगा को स्थाई रूप से चिन्हित किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट की शिक्षा बेशिक शिक्षाधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से समय समय पर भूकम्प आदि की सावधानियों के बारे में बालकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कैपीसिटी प्रोग्राम के अन्तर्गत बराबर दक्षता वृद्धि हेतु प्रोग्राम चलाये जा रहे है। जिसमे आपदा के जोखिम एवं नाजुकता का विश्लेषण भी किया जाता है–

जोखिम एवं नाजुकता विश्लेषण

संकट प्रबन्धन की आवश्यकता किसी भी प्रकार की आपदा के घटित होने के तुरन्त बाद किया जाता है, जिसके तहत राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण जैसे कार्य संपादित किये जाते है, जबकि जोखिम प्रबन्धन के तहत पूर्व तैयारी, रोक थाम, न्यूनीकरण, पूर्व चेतावनी प्रसारण जैसे कार्य संपादित किये जाते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपदा आने के उपरान्त राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के कार्य को आसान किया जा सके। जिला प्रशासन के विभिन्न घटकों, सार्वजनिक व निजी उपक्रमों, स्वैच्छिक संगठनों, अर्द्धसैनिक रक्षा संगठनों, इच्छुक समुहों द्वारा आपदा न्यूनीकरण कार्य में आपसी ताल–मेल के द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के तरीकों की समीक्षा का कार्य जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा किया जायेगा। इसके लिए बहु–जोखिम आपदा प्रबंधन योजनान्तर्गत कार्यो का बंटवारा एवं विभागों तथा अन्य संगठनों की भूमिका व जिम्मवेरियां निर्धारित की गई हैं, ताकि कम से कम समय में चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत आवश्यक कदम उठाकर आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यूनतम किया जा सके। इसके लिए सुनियोजित रणनीति के तहत तैयार अनुकूलतम व्यूह रचना को व्यापक रूप से निम्नलिखित तीन भागों में विभक्त किया गया है–

(क) आपदा पूर्व, (ख) आपदा के दौरान व (ग) आपदा के उपरान्त।

क. आपदा पूर्व :

- जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक करना,
- जिला आपदा प्रबंधन योजना का पुनरीक्षण व संशोधन करना,
- संकट का विश्लेषण करना एवं आवश्यक ससांधनों का पता लगाना,
- सरकारी व निजी उपक्रमों, स्वैच्छिक संगठनों, असैनिक रक्षा संगठनों व पंचायती राज संगठनों की समन्वय बैठक आयोजित करना व उनकी जबाबदेही का सुनिश्चित करना,
- इस संगठन का कार्यक्षेत्र व जबाबदेही का विस्तृत विवरण तैयार करना,
- संभावित आपदा प्रभावित ग्रामों व टोलों की प्रखण्डवार सूचना व मानचीत्र तैयार करना,

• जिलें में आपदा गोताखोरों, जाल, महाजाल, नाव व नाविक इत्यादि की सूचना तैयार करना,

• अग्निशामन यंत्रों व मलवा निपटान यत्रों की सूची तैयार करना व समय–समय पर उनकी मरम्मती कार्य संपादित करना,

• संचार नेटवर्क कायम रखने हेतु वितन्तु/भी0एच0एफ0सेट/हैम रेडियों आदि की उपलब्धता सुनिश्चिता करना व उनकी मरम्मती कार्य संपादित कराना,

• अस्थायी अल्पावास गृहों की पहचान करना व उनकी सूची तैयार करना,

• अस्थायी अल्पावास गृहों के निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री आपूर्ति करने वाले दुकानदारों/संगठनों की सूची तैयार करना,

• खाद्यान्न सामग्री तथा चावल, चुडा, गुड़, पाने का पानी इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा इन सामग्रियों के निजी आपूर्ति कर्ताओं की सूची तैयार करना,

• स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी जानकारी अद्यतन करना तथा मानव, पशु व फसल संबंधी रोगों से निपटारा हतु आवश्यक दवाओं व सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा तत्संबधी निजी आपूर्तिकर्ताओं की सूची तैयार करना,

• वार्ड से जिला स्तर तक जागरूकता उत्पन्न करने हेतु सूचना, शिक्षा व संचार सामग्री का निर्माण करना व स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षणिक संगठनों व पंचायती राज संगठनों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना, विभागवार आपदा पर्वू तैयारी योजना का निर्माण कराना व उनकी समीक्षा करना, • चिहिन्त कमजोर तटबंधों, सड़को, सरकारी भवनों, पुलों व पुलियों, वर्षा मापक यंत्रों इत्यादि की मरम्मती करने हतु संबंधित विभागों को दिशा–निर्देश जारी करना।

• जिले में चलाये जा रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों को आपदा प्रबंधन कार्यक्रम से जोड़ना एवं विकास कार्यक्रमों हेतु योजना निर्माण से पर्वू योजना की प्रत्येक गतिविधि पर विभिन्न आपदाओं के प्रभावों का आकलन करना।

• संकट के दौरान ईंधन हेतु सूखी लकड़ी अथवा रासन तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा जल वितरण प्रणाली को सुदृढ करना।

• जिले हेतु आपदा न्यूनीकरण योजना का निर्माण कर उसे संबंधित विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना तथा यथासंभव उसे लागू करने का प्रयास करना।

• मॉक–ड्रिल (अभ्यास) आयोजित करना।

• भारत आपदा प्रबन्धन सूची को अद्यतन करना।

• निर्धारित जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करने वाले पदाधिकारियों से कारणपृच्छा कर दण्डात्मक कार्यवाही करना।

ख. आपदा दौरान

• जिला नियंत्रण कक्ष, प्रखंड नियत्रंण कक्ष एवं संबंधित विभागीय नियंत्रण कक्ष को अत्यधिक क्रियाशील बनाना।

• पी0 आई0 आर0 व अन्य माध्यमों से सम्बन्धित विभागों, पदाधिकारियों व पंचायती राज प्रतिनिधियों को चेतावनी व आवश्यक सूचनाओं का प्रसारण करना।

• प्रत्येक 24 घंटे के अन्तराल पर जिला नियत्रंण कक्ष में विभागीय पदाधिकारियों की बैठक करना।

• प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में आयुक्त–सह–सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य नियंत्रण कक्ष एवं राजस्व नियंत्रण कक्ष को स्थिति का प्रतिवेदन भेजना।

• उत्पन्न संकट व किसी भी परिस्थिति का सामना करने हेतु आरक्षी अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा पदा0/जिला पशु चिकित्सा पदा0/उप समाहर्ता प्रभारी(आ0प्र0)/जिला आपूर्ति पदा0/जिला परिवहन पदा0/क्षेत्रीय पर्यवेक्षक (राजस्व व अन्य) तथा सम्बन्धित कार्यपालक अभियंताओं को सतर्क करना।

• नियंत्रण कक्ष में प्रत्येक 8–8 घंटे के लिए एक–एक उप समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करना।

• विधि व्यवस्था कायम रखने हेतु आवश्यकतानुसार दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना।

• बॉधों एवं तटबन्धों पर सधन गश्ती करवाना।

• जिला स्तर पर गठित कार्यदल को आवश्यक ससांधन उपलब्ध कराकर उनके द्वारा खोज व बचाव एवं राहत व पुनर्वास का कार्य प्रारम्भ कराना।

• भारतीय मौसम विज्ञान विभाग व केन्द्रीय जल आयोग के निरन्तर सम्पर्क में रहना।

• भारत आपदा संसाधन सूची का प्रयोग कर आवश्यक ससांधनों की खोज करना व उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।

• अपर समाहर्ता द्वारा आरक्षी बलों, असैनिक रक्षा बलों, अग्निशामक सेवाओं, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वैच्छिक संगठनों एवं अन्य आवश्यक सेवाओं का कार्यक्षेत्र निर्धारित करना व उनके कार्यो की मॉनिटरिंग करना।

• समाहर्ता व अपर समाहर्ता द्वारा प्रतिदिन की स्थिति पर नजर रखना व आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करना।

• प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करना व उपलब्ध दवाओं का विवरण करना।

• आवश्यकतानुसार राहत सामग्री का प्रबन्धन करना तथा प्रभावित परिवारों के बीच वितरित कराना।

• विभिन्न पेट्रोल पम्पों पर उपलब्ध पेट्रौलियम पदार्थो को आवश्यकतानुसार जब्त करना।

• मूल्य वृद्धि तथा कालाबाजारी रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाना।

• प्रेस प्रतिनिधियों तथा मीडियाकर्मियों का अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराना।

• लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों से कारणपृच्छा करना तथा दंडात्मक कार्यवाही करना।

ग. आपदा उपरांत :

• क्षति आकलन व गणना करना तथा प्रभावित परिवारों, फसलों पशुओं व सार्वजनिक सम्पत्तियों की सूची बनाना।

• उ0प्र0 साहाय्य कोड के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार साहाय्य सामग्री का विवरण करना।

• वाह्य संगठनों/संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों/रेड क्रॉस सोसायटी/स्वैच्छिक संगठनों/ सार्वजनिक उपकरणों/अन्य राज्यों के द्वारा जिला प्रशासन को मिल रहे साहाय्य मदों का रख–रखाव एवं वितरण कार्य का मॉनिटरिंग करना।

• संचार व्यवस्था का पुनरूद्वार करना।

- इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का पुनरूद्वार करना।
- सम्पर्क भंग आश्रय शिविर एवं पहुंच के बाहर वाले क्षेत्रों में मुफ्त भोजन की शीघ्र व्यवस्था करना।
- प्रभावित इलाकों में साहाय्य सामग्रियों को पहुचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- खोजे गये पीड़ित व उनके परिवारों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल रखना।
- शुद्ध पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

जनपद स्तर पर उपलब्ध आपदाओं से बचाव के उपकरण

क्रमांक	उपकरणों का विवरण	आपूर्तित उपकरणों की कुल मात्रा	तहसीलवार आवंटित उपकरणों की मात्रा		
			तहसील जमुनहा	तहसील भिनगा	तहसील इकौना
1	सर्च लाइट	131	30	38	63
2	लाइफ जैकेट	131	30	38	63
3	लाइफ व्वाय	131	30	38	63
4	मेगाफोन	131	30	38	63
5	फोल्डेबुल स्ट्रैक्चर	131	30	38	63
6	फर्स्ट एंड किट	131	30	38	63
7	सेफ्टी हेलमेट	131	30	38	63
8	फायर एक्सटिग्यूसर	131	30	38	63
9	जरीकेन (वाटर कन्टेनर)	655	150	190	315

Chapter-7

Response and Relief Measures

आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत रिस्पोन्स प्लानिंग में (Multi-Hazard) आपदा जोखिम का (Assessment) अनुमान का प्रबन्धन किया जाता है जिसके लिये पहले से ही चार्ट बनाकर तहसीलों के गांवों को मैप पर चिन्हित किया जाता है। इसके लिये आपदा अवधि में मौसम विभाग व केन्द्रीय आपदा प्रबन्धन द्वारा जारी चेतावनियों से उप जिलाधिकारी के माध्यम से जनसामान्य/ग्रामीणों को सामान्य भाषा में तथा समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जाता है। जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों से आपदा सम्बन्धी कार्यों को तत्काल कराया जाता है और आपदा सम्बन्धी बैठकों में मीडिया मैनेजमेंट करके प्रिन्ट मीडिया एवं समाचार पत्रों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाता है। आपदा के समय सूचनायें प्रेस विज्ञप्ति से तथा रेडियों स्टेशन एवं अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट सूचनायें शासन एवं प्रशासन को भेजी जाती है।

निम्नांकित प्रारूप पर विभागीय दायित्व का निर्धारण विभागवार निम्नवत् किया जायेगा ।

0–बाढ़ के समय जल स्तर घटना बढ़ना– सिंचाई विभाग,

0–बीमारियों के सम्बन्ध में –चिकित्सा विभाग तथा राहत वितरण के सम्बन्ध में राजस्व विभाग व आपूर्ति विभाग को दायित्व प्रदान किया जाता है।

0–तात्कालिक व्यवस्था के क्रम मे चिन्हित स्थानो पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराना ।

0–चेतावनी निर्गत कर सावधान किया जाना,एलर्ट घोषित किया जाना।

0–विभिन्न माध्यमो ,प्रेस मल्टीमीडिया,ग्रामो मे सरकारी कर्मचारियो, यथा लेखपाल, अमीन, राजस्व, विकास, चिकित्सा विभाग के अधिकारियो एवं कर्मचारियो की डियूटी आपदा (बाढ आने) से पूर्व लगा दी जाती है।

0–उपलब्ध ससांधनों का परीक्षण कर आपदा प्रभावित ग्रामो मे राजस्व कर्मी को संसाधन उपलब्ध कराकर प्रशिक्षत कर दिया जाता है।

0– तहसील स्तर से ग्राम स्तर,पुलिस विभाग के चौकीदारों,राजस्व लेखपालो को तथा अन्य फील्ड के कर्मचारियो को तत्काल राहत एवं बचाव कार्य के लिए तैनात किया जाता है,जिनसे सूचनाये भी प्राप्त की जाती है।

0–आपदा सम्बन्धी प्राप्त सूचनाओ का डाकूमेन्टेशन कर तदनुसार राहत एवं बचाव कार्य प्रारम्भ किया जाता है।

आपदा के समय विभिन्न विभाग एवं एजेन्सी से सूचनाये एकत्र की जाती है

TIME	Task Department	Agency	Activity
1	2	3	4

उक्त फारमेट पर आपदा वार सूचनायें प्राप्त की जायेगी और अग्निकाण्ड की सूचना तत्काल दिया जायेगा इसके लिये प्रबन्ध योजना अग्निशमन विभाग की योजना निम्नवत् है :–

(अग्निशमन विभाग की कार्ययोजना)

कन्ट्रोल रूम नम्बर– 05250–222249 (101)

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम	सम्पर्क नम्बर	अन्य विवरण
1	श्री चन्द्रमोहन शर्मा	सी0एफ0ओ0	9454418387	बहराइच/श्रावस्ती
2	श्री वीरेन्द्र प्रसाद	प्र0एफ0एस0ओ0	9454418334	
3	राज कुमार सिंह	फायर सर्विस हेड कान्सटेबिल	9450747551	
4	अजय कुमार चौबे	फायर सर्विस हेड कान्सटेबिल	7054543711	
5	अशोक कुमार तिवारी	फायर सर्विस हेड कान्सटेबिल	7897591588	

क्रमांक	पदनाम	संख्या	अन्य विवरण
1	फायर सर्विस हेड कान्सटेबिल	03	
2	फायरमैन	13	
3	कुक	02	
4	स्वीपर	01	
5	चालक	03	

उपलब्ध वाहन/उपकरण

क्रमांक	उपलब्ध वाहन/उपकरण	संख्या	क्षमता	अन्य विवरण
1	वाटर टैंकर बड़ा	03 अदद	4500ली0	
2	वाटर टैंकर छोटा	02 अदद	2500ली0	
3	हाई प्रेशर पम्प	02 अदद		
4	पोर्टेबुल पम्प	03 अदद	275 एलपीएम	एक कार्यशील नहीं है।
5	जीप/ट्राली	01 अदद		कार्यशील नहीं है।

बाढ़ से प्रभावित होने वाले सम्भावित ग्राम तहसील भिनगा, जनपद—श्रावस्ती

क्रमांक	बाढ से प्रभावित होने वाले सम्भावित ग्राम	क्षेत्रफल	जनसंख्या 2011 के अनुसार	मजरो का नाम
1	अमवा	721.500	5578	1.कोडरी 2.सुजानडीह 3.अमवा खास 4.रंजीतपुर 5.बसन्तापुर 6.दत्तनगर 7.भवनियापुर 8.इटवरिया 9.धोबियनपुरवा
2	मोहम्मदपुरकलां	481.812	3072	1.मुजेहना 2.मुजहनिया 3.शुकुलपुरवा 4.हरीपुर 5.तेलियनपुरवा 6.मोहम्मपुर खास
3	गोठवा	375.783	2346	1.अहिरनपुरवा 2.गोठवा
4	नौबस्ता	775.985	5500	1.बढईपुरवा
5	केशवापुर	171.051	1460	1.केशवापुर 2.मझौवा
6	चितईपुर	333.048	3338	1.चितईपुर आंशिक
7	जौगढ	281.457	1621	1.जौगढ
8	खर्च	303.126	1633	1.खर्च 2.जोगनी 3.गंगापुर 4.गोडधोई 5.तेलियनपुरवा
9	वॉसकूड़ी	312.025	1979	1.वॉसकूड़ी 2.चैलाहीपुरवा 3.पकड़ी 4.कांदूपुरवा
10	लखाही बेनीनगर	753.142	3642	1.लखाही 2.नेवादा 3.शम्भूपुरवा 4.रामलालपुरवा 5.नौव्वा 6.कोडर
11	शिवाजोत	175.373	703	1.शिवाजोत

12	बैरागी जोत	127.301	1100	1.बैरागीजोत
13	रेहलीविशुनपुर	133.260	2100	1.धोवियनपुरवा 2.कलन्दर डेरा 3.रेहली 4.डड़वा
14	तिलकपुर	358.770	2095	1.मजगवा 2.हसनापुर
15	खजुहाझुनझुनिया	504.565	2185	1.बेलवा
16	मनकापुर	449.958	718	1.मनकापुर 2.रेहरा 3.बरगदही
17	पूरेअधारी	617.71	5100	1.पूरेअधारी 2.मुनीमपुर 3.टेपरा 4.जमुदानी 5.चौबेपुरवा 6'गुलरा 7.गुलरिहा 8.सरदारपुर 9.बनघुसरा
18	सलारपुर	104.61	780	1.सलारपुर
19	राजापुरबीरपुर	357.45	2800	1.गौड़रा 2.राजपुर 3.बीरपुर 4.पाझा 5.रेहारापुरवा
20	रेवलिया	113.430	1882	1.रेवलिया
21	बनकटवा	97.090	712	1.गद्दीपुरवा
22	जरकुसहा	363.00	3958	1.पाण्डेयपुरवा 2.भिनुहुनी 3.अहिरनपुर 4.ठठिया 5.बसन्तापुर
23	हरिहरपुररानी	427.540	5845	1.गद्दीपुरवा 2.गोड़ियनपुरवा
24	पतझिया	460.025	4275	1.पतझिया 2.लौकीपुरवा 3.लट्ठापुरवा 4.जगतापुर 5.दोंदरहवा 6.मुरावपुरवा 7.नब्बापुरवा 8.इस्लामपुरवा

				9.पतीपुरवा
25	ऐलहवा	417.058	5405	1.धावियनपुरवा 2.कोड़री 3.गोड़ियनपुरवा 4.ओरीपुरवा 5.दयारामपुरवा 6.बबुरेहता 7.पातीपुरवा 8.भुसैलीपुरवा 9.जौगढ़पुरवा 10.जगेसरपुरवा
26	मनिकाचौक	298.13	750	1.मनिकाचौक 2.भगड़ा 3.शुक्लपुरवा 4.गयादत्तपुरवा 5.दर्जीपुरवा
27	रामपुरककरा	700.75	3650	1.रामपुरककरा 2.भोजापुरवा 3.सोरहिया 4.जरैलापुरवा 5.केवतनपुरवा 6.धर्मनगर
28	महरौली	504.00	2900	1. खालेककरा 2. दुलारेपुरवा 3. बैजूपुरवा 4. मेवापुरवा
29	शिवगढ़कला	488.82	7500	1.शिवगढ़कला 2.जैनगरा 3.रमनगरा 4.लोखड़ियनपुरवा 5.मुराउनपुरवा 6.दयालीपुरवा 7.कोरियनपुरवा 8.पासीपुरवा 9.शंकरपुरवा
30	अलीनगर धर्मनगर	314.280	1400	1.बिचौपुर
31	शाहपुरकला	272.510	1600	1.अतरपरी 2.सधैपुरवा 3.बादलपुरवा
32	अशरफनगर	179.800	1500	1.अशरफनगर 2.लौकिहा 3.अनवरपुरवा
33	नेवादा भोजपुर	271.740	70	1.नेवादा भोजपुर

34	बरंगा	160.210	500	1.बरंगा
35	कोकल	307.004	2400	1.कोकल 2.मुराउपुरवा 3.रमडोलवा 4.बीरवल 5.नगईपुरवा
36	टिकुइया	353.26	2100	1.टिकुइया 2.ओरीपुरवा 3.भुड़कुलवा 4.चमारनपुरवा 5.भग्गनपुरवा 6.कोठार
37	सुल्तानजोत	176.83	1900	1.चहलवा 2.सुल्तानजोत 3.जिगिरिया
38	मटखनवा	256.021	1800	1. मटखनवा 2. नगईपुरवा 3. मटखनवापुरवा

तहसीलदार,

भिनगा।

नाव सत्यापन प्रारूप

तहसील भिनगा जनपद श्रावस्ती क्षेत्रान्तर्गत बाढ राहत हेतु उपलब्ध नावों की सत्यापन हेतु सूची—

क0 सं0	ग्राम का नाम	नाव मालिक का नाम पिता का नाम निवास व मो0नं0 सहित	नाविक का नाम पिता का नाम निवास व मो0नं0 सहित	कोटेदार का नाम	नाव का प्रकार	विवरण
1	अमवा	श्री खुर्शीद अहमद, 9628693140	श्री बरसाती लाल पुत्र रामलाल, 9628693140	श्री आशीष कुमार, 8948821911	मझोली	ठीक है।
2	मनकापुर	श्री जगदीश प्रसाद, 9415428561, 7081577809	श्री देवता पुत्र परमेश्वर, 9554582356 श्री मनीष पुत्र देवतादीन	श्रीमती रानी देवी, 7571863658	मझोली	ठीक है।
3	मनकापुर	श्री मालती प्रसाद 9670494451, श्री लल्लन 9721586364	श्री मालती प्रसाद 9670494451, श्री लल्लन 9721586364	श्रीमती रानी देवी, 7571863658	मझोली	ठीक है।
4	मोहम्मदपुरकलां	श्रीमती कुसुम आर्या 9484216129, 9161983907	श्री राम गोपाल पुत्र पारसनाथ 9838351193	श्री सन्तराम शुक्ला 9839089545	मझोली	ठीक है।
5	मोहम्मदपुरकलां	श्रीमती कुसुम आर्या 9484216129, 9161983907	श्री राम गोपाल पुत्र पारसनाथ 9838351193	श्री सन्तराम शुक्ला 9839089545	मोहम्मद पुरकलां	खराब है।
6	केशवापुर	श्री ज्वाला प्रसाद यादव 6393592662	श्री नीबर पुत्र जयलाल, 9550509614	श्री मायाराम मौर्य 7523074665	मझोली	ठीक है।
7	राजापुर बीरपुर	श्री जगदीश प्रसाद, 9415428561, 7081577809	श्री आज्ञाराम पुत्र गया प्रसाद नि0 मनकापुर, 9625848190 श्री विश्राम पुत्र वीरेन्द्र	श्री सन्तोश कुमार यादव, 8874058458	मझोली	ठीक है।
8	अशरफनगर	श्री हजारी प्रसाद, 9161161090	श्री पुलई पुत्र गोबरे 9670213121	श्री अब्बास अली 7607220915, 9565897825	मझोली	ठीक है।

9	शाहपुर कला	श्री पेषकार 9721558729	श्री भण्डारी पुत्र माता प्रसाद 9554272162	श्री गुलाम मोहम्मद 9452760640, 9161338484	मझोली	ठीक है।
10	टिकुइया	श्री सहजराम 7705920762	श्री राम नरेष पुत्र दावनगीर 7460862017	श्री लाल बहादुर 6393242652	मझोली	ठीक है।
11	रेवलिया	श्री पृथ्वीराज वर्मा 6394136767	श्री विनोद कुमार पुत्र लक्ष्मन 9721916971 श्री गुड्डू पुत्र मनोरथ 9648920389	श्री अनन्तराम 7570867756	मझोली	ठीक है।
12	तिलकपुर	श्री मनीष कुमार वर्मा 9838386585, 7651830056	श्री केवलराम पुत्र दुर्गा प्रसाद 7651830056	श्री अनन्तराम 7570867756	मझोली	ठीक है।
13	जरकुसहा	श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय 9450489203	श्री राज कुमार पुत्र खेदू 9453556169	श्री श्यामलाल 9838665816	मझोली	ठीक है।
14	खर्च	श्री दुर्गा प्रसाद 9956384717	श्री ओमकार 9936320900	श्री सालिकराम 7408530996	मझोली	ठीक है।
15	जौगढ़	श्री इन्द्र कुमार 7080513256	श्री जगमोहन पुत्र मिलन 7880980742	श्रीमती पूनम देवी 7379068624	मझोली	ठीक है।
16	गोठवा	श्री तेज प्रताप सिंह 9839009821	श्री नन्हे पुत्र सम्पति 9628408341	श्री अनोखी लाल मिश्रा 9161905161	मझोली	ठीक है।
17	नौबस्ता	श्रीमती आमिना 9415572176, 7897135337	श्री चौधरी यादव पुत्र राम सूरत 7234938550	श्री मायाराम मौर्य 7523074665, 9984771695	मझोली	ठीक है।
18	खजुहा झुनझुनिया	श्री गुर प्रसाद यादव 9984930901, 7706849711	श्री मूने यादव पुत्र लालता प्रसाद	श्री बृजलाल श्रीवास्तव 9919389024	मझोली	ठीक है।
19	टिकुइया	श्री सहजराम प्रधान 6388203567	श्री राम नरेश पुत्र दावनगीर 7460802017	श्री लाल बहादुर 9648773879	मझोली	ठीक है।
20	शिवगढ	श्रीमती धनपती देवी		सा0सह0 समिति	मझोली	ठीक

	कलां	99197228246		शाहपुर कलां		है।
21	अलीनगर धर्मनगर	श्री प्रशान्त यादव 6386332750	श्री दलपति पुत्र शरीफ 9984882356 श्री कलीम पुत्र छीटन 8101646715	श्री अकबर खांन 7607220915	मझोली	ठीक है।

तहसीलदार,

भिनगा।

तहसील भिनगा जनपद श्रावस्ती में स्थापित बाढ़ चौकियों का सत्यापन रिर्पोट।

क्र0 सं0	बाढ चौकी का नाम	स्थापित बाढ चौकी में कितने कमरे हैं	भवन की हालत ठीक है। या/नही	चौकी पर पहुचने हेतु पक्की सडक/खडण जा मार्ग	मार्ग की हालत ठीक/नही	हैडपम्प लगा है/नही	शौचालय है/नही	बिजली है।/नही
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	(बाढ़ चौकी गोठवा) प्रा0वि0 गोठवा	9 कमरे है	ठीक है	पक्की सड़क है	ठीक है	हैण्डपम्प है	शौचालय है	बिजली है।
2	(बाढ़ चौकी पटना खरगौरा) प्रा0वि0 पटना खरगौरा	3 कमरे है	ठीक है	पक्की सड़क है	ठीक है	हैण्डपम्प है	शौचालय है	बिजली है।
3	(बाढ़ चौकी रेहली विशुनपुर) श्री रमन सिंह के भट्ठे पर रेहली विशुनपुर	5 कमरे है	ठीक है	खडंजा मार्ग	ठीक है	हैण्डपम्प है	शौचालय है	बिजली है।
4	(बाढ़ चौकी भंगहा) भंगहा राम दुलारे हरीराम इन्टर कालेज भंगहा बाजार कमरा नं0 23 व 24	4 कमरे है	ठीक है	पक्की सड़क है	ठीक है	हैण्डपम्प है	शौचालय है	बिजली है।
5	(बाढ़ चौकी तिलकपुर) साधन सहकारी समिति तिलकपुर	2 कमरे है	ठीक है	पक्की सड़क है	ठीक है	हैण्डपम्प है	शौचालय है	बिजली है।

बाढ़ चौकियों पर पहुचने का रूट चार्ट।

क्रमांक	बाढ़ चौकी का नाम	बाढ़ नियन्त्रण कक्ष से बाढ़ चौकियों पर पहुचने के मार्गो का संक्षिप्त विवरण
1	2	3
विकास खण्ड हरिहरपुररानी		
1	(बाढ़ चौकी गोठवा) प्रा0वि0 गोठवा	भिनगा कस्बा से 6कि0मी0पर पटना खरगौरा चौराहा से पूरब 7 कि0मी0 चकपिहानी रूट पर बेलहा बाबा के स्थान पर गोठवा चौकी स्थित है।
2	(बाढ़ चौकी भंगहा) भंगहा राम दुलारे हरीराम इन्टर कालेज भंगहा बाजार कमरा नं0 23 व 24	भिनगा कस्बा से बहराइच रोड पर दक्षिण 10 कि0मी0 चलने पर भंगहा मोड़ से उत्तर पश्चिम मे 7कि0मी0 चलने पर भंगहा बाजार पडेगा। भंगहा बाजार से 500मी0 पश्चिम चलने पर राम दुलारे हरीराम इन्टर कालेज भंगहा बाजार कमरा नं0 23 व 24 स्थित है।
3	(बाढ़ चौकी तिलकपुर) साधन सहकारी समिति तिलकपुर	भिनगा कस्बा से बहराइच रोड पर 10कि0मी0 चलने पर भंगहा मोड़ पडेगा। भंगहा मोड से पश्चिम 500मी0 चलने पर साधन सहकारी समिति तिलकपुर स्थित है।
4	(बाढ़ चौकी पटना खरगौरा) प्रा0वि0 पटना खरगौरा	भिनगा कस्बा से बहराइच रोड पर 5कि0मी0 चलने पर पटना खरगौरा चौराहा पडेगा। पटना खरगौरा चौराहा से पूरब चकपिहानी रूट पर 1मी0 चलने पर प्रा0वि0 पटना खरगौरा बाढ़ चौकी स्थित है।
5	(बाढ़ चौकी रेहली विशुनपुर) श्री रमन सिंह के भट्ठे पर रेहली विशुनपुर	भिनगा कस्बा से लक्ष्मनपुर बाजार रोड पर 5कि0मी0 चलने पर रेहली विशुनपुर बाढ़ चौकी स्थित है।

तहसीलदार
भिनगा।

बाढ से प्रभावित होने वाले ग्रामो की सूची
तहसील—इकौना,जनपद—श्रावस्ती।

	बाढ चौकी का नाम	बाढ से प्रभावित ग्राम के नाम	विकास खण्ड का नाम
1	शारदा इंटरकालेजलालपुर प्रहलादा	1.नरायनपुर 2.रमनगरा 3.कल्यानपुर 4.कसियापुर 5.ठेगरहना 6.विशुनापुर 7.प्रहलादा 8.लालपुरलोहरातारा 9.रामपुरत्रिभौना	गिलौला
2.	प्रा0पा0सेहनिया	10.कोडरीखुर्द 11.सेहनिया 12.मध्यनगर 13.रामगढी 14.गौहनिया	गिलौला
3.	प्रा0पा0पुरुषोतमपुर	15.केरवनिया 16.बगनहा 17.भरथापुर 18.रघुनाथपुर 19.पुरुषोतमपुर 20.पटखौलीकला	गिलौला इकौना
4	प्रा0पा0भोजपुर	21.दहावरकला 22.कोटवा 23.हजरिया 24.मनोहरापुर 25.इमलिया 26.लोहरातारा 27.अंधरपुरवा 28.मनकौराकोडरी 29.मनकाकोट **(जनशून्य)** 30.मुजहनिया 31.शिवाजोत 32.गनेसीजोत 33.भोजपुर 34.महरौली	इकौना
5	सा0वि0केन्द्र इकौना	35.लालपुरखदरा 36.लयवुडवा	इकौना

		37.इटवरिया 38.मझौवासुमाल 39.मोहम्मदपुराजा 40.चिचडी 41.इकौनादेहात आंशिक	
6	पंचायतघरसेमगढा	42.सलवरिया 43.सेमगढा 44.कोलाभारमजगवा 45.रामपुरकटेल 46.रानीकुण्डा 47.जगरावल 48.कुम्हरगढी 49.कोडरीकेवट 50.कोडरीदीगर	इकौना
7	जू0हा0सेमरीतरहर	51.बेलकर 52.धर्मपुर 53.लक्ष्मनपुरगोढपुरवा 54.सेमरीतरहर 55.किढियौना 56.नरायनजोत 57.गनेसपुर 58.मलौनाखसियारी 59.भुतहा	इकौना
8.	चौ.श्यामताप्रसाद डिग्री कालेज खरगौराबस्ती	60.डिगुराजोत 61.राजगढ गुलरिहा 62.खरगौरागनेस 63.चक्रभंडार 64.कटरा 65.खरगौराबस्ती 66.खरगूपुर	इकौना

विकास खण्ड गिलौला के कुल ग्रामो की संख्या : 15
विकास खण्ड इकौना कुल ग्रामो की संख्या : 51
तहसील मे कुल बाढ से प्रभावित ग्रामो की संख्या : 66

तहसीलदार
इकौना।

बाढ से प्रभावित ग्रामों में नाव की उपलब्धता की सूची
तहसील—इकौना,जनपद—श्रावस्ती।

क्रमांक	बाढ से प्रभावित ग्राम का नाम	नाव मालिक का नाम	नाविक का नाम	मो.नम्बर
1	नरायनपुर	ग्राम पंचायत	राजेशकुमार	
2	रमनगरा	ग्राम पंचायत	कालीप्रसाद	
3	कसियापुर	ग्राम पंचायत	मैकूलाल	9161061948
4	रामपुरत्रिभौना	कुंतीदेवी	निसार अहमद	885369686
5	कोडरीखुर्द	बच्छराज	बच्छराज	7570868145
6	सेहनिया	ग्राम पंचायत	संतोषकुमार यादव	9628408618
7	मध्यनगर	ग्राम पंचायत	रामचंदर	
8	गौहनिया	सोहनलाल	सोहनलाल	7607779670
9	दहावरकला	ग्राम पंचायत	ननके	8052380356
10	कोटवा	ग्राम पंचायत	अनिलकुमार	
11	इमलिया	ग्राम पंचायत	राघवराम	
12	अंधरपुरवा	ग्राम पंचायत	मंहगीलाल	7565075176
13	मनकौराकोडरी	ग्राम पंचायत	रामसागर	
14	लालपुरखदरा	ग्राम पंचायत	साकिर खां	9839384677
15	लयवुडवा	ग्राम पंचायत	राघवराम	
16	मझौवासुमाल	ग्राम पंचायत	राजकिशोर	
17	मोहम्मदपुराजा	ग्राम पंचायत	विजयकुमार	9918663204
18	जगरावल	ग्राम पंचायत	रामेश्वरप्रसाद	
19	कुम्हरगढी	ग्राम पंचायत	देवेशकुमार	
20	कोडरीदीगर	नीबरप्रसाद	नीबरप्रसाद	7054802850
21	नरायनजोत	ग्राम पंचायत	पत्तर	8948182831
22	मलौनाखसियारी	ग्राम पंचायत	अनंतराम	9450746757
23	डिगुराजोत	ग्राम पंचायत	उदयभान	
24	राजगढ गुलरिहा	ग्राम पंचायत	राममूरत	9839942453
25	खरगौरागनेस	ग्राम पंचायत	सतीशकुमार	9628262533

तहसीलदार,
इकौना।

बाढ चौकियों तक तहसील से पहुॅचने का रुट चार्ट तहसील—इकौना, जनपद—श्रावस्ती।

क्रमांक	बाढ चौकी का नाम	तहसील मुख्यालय से बाढ चौकी पर पहुॅचने का रुट चार्ट
01	सामुदायिक विकास केन्द्र इकौना	
02	चौधरी श्यामताप्रसाद डिग्रीकालेज खरगौराबस्ती	तहसील मुख्यालय से 05 किमी0 बहराइच से बलरामपुर राज्य मार्ग से दक्षिण तरफ स्थित है।
03	पंचायत घर सेमगढा	तहसील मुख्यालय से पश्चिम 07 किमी0 बहराइच से बलरामपुर राज्य मार्ग पर गोबिन्दपुर मोड पडेगा। गोबिन्दपुर मोड से सेमगढा चौराहा लगभग 05 किमी0 पडेगा। सेमगढा चौराहा से लगभग 1.5 किमी0 कच्ची सडक चलकर पंचायत भवन पडेगा।
04	प्रा0 वि0 पुरुषोतमपुर	तहसील मुख्यालय से पश्चिम 07 किमी0 बहराइच से बलरामपुर राज्य मार्ग पर गोबिन्दपुर मोड पडेगा। गोबिन्दपुर मोड से सेमगढा चौराहा लगभग 05 किमी0 पडेगा। सेमगढा चौराहा से लगभग 04 किमी0 पक्की सडक चलकर प्रा0 वि0 पुरुषोतमपुर पडेगा।
05	प्रा0वि0 भोजपुर	तहसील मुख्यालय से पश्चिम 17 किमी0 बहराइच से बलरामपुर राज मार्ग पर गिलौला कस्बा पडेगा। गिलौला से पश्चिम 1 किमी0 चलने पर तिलकपुर मोड पडेगा। तिलकपुर मोड से 15 किमी0 उत्तर लक्ष्मननगर कस्बा पडेगा। लक्ष्मनगर से उत्तर पूरब भिनगा मार्ग पर 10 किमी0 खरगौरामोड से सेमरी चकपिहानी मोड से दक्षिण 4किमी0 चलने पर प्रा0वि0भोजपुर पडेगा।
06	जूनियर हाईस्कूल सेमरी तरहर	तहसील मुख्यालय से पश्चिम 17 किमी0 बहराइच से बलरामपुर राज मार्ग पर गिलौला कस्बा पडेगा। गिलौला से पश्चिम 1 किमी0 चलने पर तिलकपुर मोड पडेगा। तिलकपुर मोड से 15 किमी0 उत्तर लक्ष्मननगर कस्बा पडेगा। लक्ष्मननगर से उत्तर पूरब भिनगा मार्ग पर खरगौरा मोड पडेगा खरगौरा मोड से पूरब 10 किमी0 सेमरी चकपिहानी मोड पडेगा सेमरी चकपिहानी से 1किमी0 पूरब फिर उत्तर चलकर पूरब दिशा में खडंजा मार्ग पर जू0हा0 सेमरी तरहर पडेगा।
07	प्रा0वि0रामगढी—सेहि नया	तहसील मुख्यालय से पश्चिम 17 किमी0 बहराइच से बलरामपुर राज्य मार्ग पर गिलौला कस्बा पडेगा। गिलौला से पश्चिम लगभग 01 किमी0 चलने पर तिलकपुर मोड पडेगा। तिलकपुर मोड से 15 किमी0 उत्तर लक्ष्मननगर कस्बा पडेगा। लक्ष्मननगर से उत्तर—पूर्व भिनगा मार्ग पर खरगौरा मोड पडेगा। खरगौरा मोड से पूरब 04 किमी0 चलने पर मुजेहना मोड पडेगा। फिर 04 किमी आगे चलने पर प्रा0 पा0 सेहनिया पडेगा।
8	शारदा इण्टर कालेज लालपुरप्रहलादा	तहसील मुख्यालय से पश्चिम 17 किमी0 बहराइच से बलरामपुर राज्य मार्ग पर गिलौला कस्बा पडेगा। गिलौला से पश्चिम लगभग 01 किमी0 चलने पर तिलकपुर मोड पडेगा। तिलकपुर मोड से 12 किमी0 उत्तर ग्राम प्रानपुर है प्रानपुर से 4 किली मीटर पूरब प्रहलादा पडेगा

वर्ष 2019—2020 में बाढ़ से प्रभावित होने वाले सम्भावित ग्राम तहसील जमुनहा, जनपद—श्रावस्ती

क्रमांक	बाढ से प्रभावित होने वाले सम्भावित ग्राम	क्षेत्रफल	परिवार सं0	जनसंख्या	मजरो का नाम
1	जोगिया	688.848	30	150	1.पिपरहवा
			300	1500	2.जोगिया
			70	350	3.नरैनापुर
			70	350	4.समशेरगढ
			150	450	5.भलुहिया
2	बीरपुर	347.053	70	350	1.मरघटपुरवा
			70	350	2.पंचायतपुरवा
			140	700	3.लौकिहानदीपार
			100	500	4.लौकिहा
			70	350	5.प्रधानपुरवा
			200	1000	6.बीरपुर
3	हरिहरपुर महराजनगर	391.054	90	540	1.बरूहा
			250	1500	2.हरिहरपुर
			70	420	3.गुरदत्तपुरवा
			80	480	4.पिपरहवा कोठी
4	कथरा माफी (आंशिक)	635.071	15	75	1.हसनापुर
			30	150	2.मडवारीपुरवा
			40	200	3.बरंगा
			50	250	4.घाटेपुरवा
			80	400	5.सलारूपुरवा
5	गजोवरी	355.098	250	1250	1.गजोवरी आंशिक
6	भरथा (आंशिक)	506.003	60	300	1.चमारनपुरवा
			50	250	2.मोहनपुरवा आंशिक

			50 25	250 125	3.केवटनपुरवा आंशिक 4.छेदनपुरवा
7	मल्हीपुर कलां	20.330	—	—	1.अकार दा0मल्हीपुर कलां
8	बेलरी	525.015	150 100	750 500	1.पश्चिमपुरवा 2.बेलरी
9	गंगाभागड	245.690	85 170	 425 850	1.मुरावनपुरवा 2.गंगाभागड
10	कलकलवा	214.281	—	—	1.कलकलवा
11	लालबोझा दर्वेशगांव	299.778	—	—	ललबोझा दर्वेश
12	सर्रा	523.034	100 100 80 140 70 40 35 35	500 500 400 700 350 200 175 175	1.सर्रा 2.उत्तमापुर 3.मिश्रपुरवा 4.भौसाव 5.किढीपुरवा 6.लौकिहा 7.मधवापुर 8.
13	लक्ष्मनपुर सेमरहनिया	518.025	200 70 150 250 60	1000 350 750 1250 300	1.लक्ष्मनपुर 2.पोंदिला 3.धोबिहा 4.सुखरामपुरवा 5—पोदली
14	संगमपुरवा	402.352	140 150 110	 700 750	1.संगमपुरवा 2.बद्रीपुरवा 3.सेमरहनियां

			75 85 22 20 25	550 375 425 110 100 125	4.उडरपुरवा 5.मानपुरवा 6.बढईपुरवा 7–सीतारामपुरवा 8′–मुरावनपुरवा
15	बहोरवा	274.167			1.बैजनाथ पुरवा 2.ठेकेदार पुरवा 3.कलन्दरी 4.मुरावन पुरवा 5.नौवागढी 6.पसियन पुरवा 7.हाजी पुरवा 8.बेहनन पुरवा 9.चौकी 10.जालिम पुरवा 11.आजाद नगर 12.शिकारी पुरवा 13.कुसबधीयन पुरवा 14–नौशहरा
16	हरीडीह	115.006	00		1.हरीडीह(गैर आबाद)
17	स्वरगढी	176.781	00		1.स्वरगढी(गैर आबाद)
18	सेहरिया	184.582	–	–	1.सेहरिया
			20	100	2.कटकुईयां
19	उडलहवा	190.894	10	50	1.उडलहवा
			15	75	2.भाजोरे पुरवा
			–	–	3.साई पुरवा

20	दामूपुरवा (आंशिक)	469.572	–	–	1.दामूपुरवा
			–	–	2.हिताईनगर
			25	191	3.लोखरियनपुरवा
			–	–	4.बढी बाग
			–	–	5.कटिलिया चौराहा
			–	–	6.डोमई
			–	–	7.धैसरा
21	दुर्गापुर	73.727	00		1.दुर्गापुर (गैआ0)
22	धूमबोझी (आंशिक)	383.319	–	–	1.धूमबोझी
			–	–	2.अहिरा
			–	–	3.नरैनापुर
			–	–	4.खमरहिया
			30	200	5.भगवानपुर
			18	143	6.रमवापुर
			–	–	7.राजीपुरवा
23	चन्दनकोटिया	103.382	15	75	1.चन्दनकोटिया
					1.पठान बाबापुरवा
24	फतुहापुर (आंशिक)		50	250	1.दुगहरा
25	महादेवा	340.315	–	–	1.महादेवा
			40	200	2.काला
			10	50	3.नाउपुरवा
			30	150	4.कहारनपुरवा
			–	–	5.नासिरगंज बाजार
			–	–	6.इमलिया
26	भेला गांव	387.960	250	1250	1.भेला गांव
			30	150	2.दमकी

			250	1250	3.मुरचहवा
27	मल्हीपुर खुर्द	421.178	– – – 100	– – – 500	1.मल्हीपुर 2.संकल्पा 3.साईगांव 4.मोंगला
28	भगवानपुर	516.685	250 200 170	1250 1000 850	1.भगवानपुर 2.लहोरकला 3.लहोर खुर्द
29	लक्ष्मनपुर गंगापुर	304.572	–	–	1.गंगापुर 2.लक्ष्मनपुर 3.फकीरचक 4.लालपुर 5.दर्जिनपुरवा
30	शिकारी चौडा	489.206	500 40 200 250 30 20 20 100 50	2500 200 1000 1250 150 100 100 500 250	1.शिकारी चौडा 2.पूर्वीपुरवा 3.गनेशपुर 4.रमवापुर 5.गुरहवा 6.छेदीपुरवा 7.धोबियनपुरवा 8–पश्चिमीपुरवा 9–बेचईपुरवा
31	तिघरवा	19.880	–	–	1.तिघरवा
32	कुडवा	157.909	00		1.कुडवा (गैरआ0)
33	गनेशपुर भागड	216.000	00		1.गनेशपुर भागड (गैरआ0)
34	शिवपुर भागड	143.819	00		1.शिवपुर भागड (गैरआ0)
35	घुमना	177.130	00		घुमना (गैरआ0)

36	घुमनी	183.250	00		घुमनी (गैरआ0)
37	रामपुर भागड	150.990	00		रामपुर भागड (गैरआ0)
38	बासगढी	412.955	00		बासगढी (गैरआ0)
39	बरगदहा	338.410	—	—	1. बरगदहा 2.भयापुरवा 3.रघुनाथपुर 4.घुमना 5.रामपुर 6.डिलवा 7.दुर्गापुरवा 8.गनेशपुर 9.टेपरी
40	नकहा धरमनगर	243.067	160 80 85 20 18 20	800 400 425 100 90 100	1.नकहा 2.नकही 3.रामलालपुरवा 4.नौसहरा 5.कविराज पुरवा 6.साई पुरवा
41	किशुनपुर चन्दनभारी	346.808	80 127 85 185 80 83 22 21	400 635 425 925 400 415 110 205	1.किशुनपुर 2.लखहिया 3.मोहम्मद अली पुरवा 4.बाबूपुरवा 5.मकूपुरवा 6.नन्दल पुरवा 7.बढही पुरवा 8.शोभारामपुरवा

42	नेवरिया (आंशिक)	446.929	200 50	 1000 250	1.राम गढी 2.कहारन पुरवा 3.दुर्गापुर 4.नेवरिया चौराहा 5.नेवरिया खास 6.प्रानपुर
43	खरकहिया	297.273	80 100 30 165 10	400 500 150 815 50	1.खरकहिया 2.बैरागी पुरवा 3.साईपुरवा(टेपरा) 4.शिवराज पुर (चरदा) 5.फार्मचौराहा
44	भवानीनगर	300.715	400 250	2000 1250	1.भवानीगनर 2.परसिया
45	नीवाभारी	578.003	150 75 75	750 275 275	1.नीबाभारी 2.शिवराजपुर(छोटका) 3.भरथा
46	रघुनाथपुर	66.088	130 45	650 225	1.रघुनाथपुर 2.विशम्भर पुर
47	लखाही खास	369.077	50 50 50 50 50	250 250 250 250 250	1.लखाही 2.चौबेपुर 3.लक्ष्मननगर लखाही खास 4.शंकरपुर लखाही खास 5.अहिरन पुरवा
48	खपरिहा (गैरआबाद)	103.280	—	—	खपरिहा (गैरआबाद)

बाढ प्रभावित ग्रामों में सरकारी नावों की उपलब्धता एवं नाविक का नाम

तहसील जमुनहा, **जनपद श्रावस्ती।**

ग्राम	नाव मालिक का नाम पिता का नाम निवास स्थान	नाविक का नाम पिता का नाम निवास स्थान	मेबाइल नं0	नाव का प्रकार व वाहन क्षमता वर्तमान में नाव किस उपयोग में लाई जा रही है।		विवरण
				बडी नाव	वाहन क्षमता	
1	2	3		4	5	6
बेलरी	ग्राम प्रधान (9454394623)	1.श्री बृज मोहन 2.श्री संतराम		01	50	
गंगाभागड़	ग्राम प्रधान प्रतिनिधि (9532007622)	1.श्री तीरथराम		01	50	
सर्रा	ग्राम प्रधान (9839089649)	1.श्री विदेश 3.सुभाष		03	50	
संगमपुरवा	ग्राम प्रधान (9792774656)	श्री सुभाष		02	50	
लक्ष्मनपुर सेमरहनिया	ग्राम प्रधान (94507475551)	श्री राजेन्द्र कुमार	9919262685	02	50	
जोगिया	ग्राम प्रधान (8052349939)	1.मदनलाल पुत्र मोहन नि0 पिपरहवा दा0 जोगिया 2.लालबहादुर पुत्र संतराम नि0 जोगिया 3.वलीराम पुत्र जैसराम	9984750129 9919047394 9918135641	02	50	
बरगदहा	ग्राम प्रधान (9450573860)	श्री संदीप कुमार प्रधान प्रतिनिधि		03	50	
क्लकलवा	ग्राम प्रधान (9452498663)	श्री रामनरायन		01	50	
बीरपुर	ग्राम प्रधान (9454787655)	श्री मिश्री लाल		01	50	
कथरा माफी	ग्राम प्रधान (9838789432)	श्री जगदीश	8707445627	01	50	
गजोबरी	ग्राम प्रधान (9453698974)	श्री माधवराम		01	50	

भरथा	ग्राम प्रधान (8601351583)	श्री छेदीराम		01	50	
शिकारीचौडा	ग्राम प्रधान (9795931692)	श्री नरायन श्री दीपचन्द		03	50	
किशुनपुर चन्दन भारी	ग्राम प्रधान (9794696149)	श्री गजाधर		01	50	
नकहा धरम नगर	ग्राम प्रधान (9161910519)	श्री बाबूराम		01	50	
खरकहिया	ग्राम प्रधान (9839361043)	श्री रामपति		01	50	
भवानीनगर	ग्राम प्रधान (9838403062)	श्री विद्याराम		01	50	
नीबाभारी	ग्राम प्रधान (9838177599)	श्री राममिलन श्री राम सूरत	8795385269 7317308558	01	50	
दुर्गापुर दा0 धूमबोझी	ग्राम प्रधान	श्री भूलन	9918229187	02	50	
	योग–			29		

बाढ़ चौकियों पर पहुचने का रूट चार्ट वर्ष 2019—20
तहसील जमुनहा जनपद श्रावस्ती।

क्रमांक	बाढ़ चौकी का नाम	बाढ़ नियन्त्रण कक्ष से बाढ़ चौकियों पर पहुचने के मार्गो का संक्षिप्त विवरण
1	2	3
विकास खण्ड जमुनहा		
1	बहोरवा (प्रा0वि0)	तहसील जमुनहा से बहराइच रोड पर 4 कि0मी0 पर बहोरवा बाढ़ चौकी स्थित है।
2	शिकारी चौड़ा (विकास खण्ड कार्यालय जमुनहा)	तहसील जमुनहा से 500 मी0 की दूरी पर विकास खण्ड कार्यालय जमुनहा बाढ़ चौकी स्थित है।
3	लालबोझा दर्वेशगांव	तहसील जमुनहा से बहराइच—जमुनहा मार्ग पर 6 कि0मी0 चलने पर पश्चिम तरफ वाये रोड पर 2 कि0मी0 पर कलकलवा पड़ेगा। वहां से 3 कि0मी0 पश्चिम चलने पर प्रा0वि0 लालबोझा दर्वेशगांव बाढ़ चौकी स्थित है।
4	फतेहपुर बनगई (आदर्श लघु मा0वि0)	तहसील जमुनहा से बहराइच—जमुनहा मार्ग 6 कि0मी0 उत्तर वांसगढ़ी चौराहा पहुंचकर आदर्श लघु माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर बनगई बाढ़ चौकी स्थित है।
5	लक्ष्मन नगर (प्रा0वि0)	तहसील जमुनहा से जमुनहा—बहराइच मार्ग पर 9 कि0मी0 बदला चौराहा है से 10 कि0मी0 बरदेहरा मोड से बहराइच—भिनगा मार्ग पर उत्तर रोड पर 3 कि0मी0 लक्ष्मन नगर बाढ चौकी स्थित है।

अति संवेदनशील स्थलों की सूची

1–सरयू नहर खण्ड–6, श्रावस्तीः–

आर0आर0ए0 बंध

(I) किमी0 16.758 से 21.400 तक (कुल लम्बाई 4.642 किमी0)

(II) 5 नग स्पर

1–सरयू नहर खण्ड–प्रथम, बहराइचः–

कलकलवा मार्जिनल बंध

(I) किमी0 4.390 से किमी0 5.360 के मध्य

(II) किमी0 13.500 से किमी0 14.350 के मध्य

(III) किमी0 17.150 से किमी0 18.165 के मध्य

बाढ़ खण्ड श्रावस्तीः–

क्र0सं0	स्थान का नाम	नदी का नाम / तट	चैनेज	बॉध का नाम	अभ्युक्ति
1	ग्राम–अलीनगर	राप्ती नदी / बायां	किमी0 1.780	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध	अति संवेदनशील
2	ग्राम–धर्मनगर	राप्ती नदी / बायां	किमी0 1.800	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध	अति संवेदनशील
3	ग्राम–सर्रा	राप्ती नदी / बायां	किमी0 6.510	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध	अति संवेदनशील
4	ग्राम–मनकापुर	राप्ती नदी / बायां	किमी0 19.900 से किमी0 21.800	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध	अति संवेदनशील
5	ग्राम–तिलकपुर				
6	ग्राम–भौसाव	राप्ती नदी / बायां	किमी0 6.500	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध	अति संवेदनशील
7	ग्राम–सुजानडीह	राप्ती नदी / बायां	किमी0 6.000 से किमी0 7.000	खजुहा झुनझुनिया अन्धरपुरवा तटबन्ध	अति संवेदनशील
8	ग्राम–मुजेहना	राप्ती नदी / बायां	किमी0 7.500	खजुहा झुनझुनिया अन्धरपुरवा तटबन्ध	अति संवेदनशील
9	ग्राम–भरथापुर	राप्ती नदी / बायां	प्रभावित ग्राम		अति संवेदनशील
10	ग्राम–मोहनापुर	राप्ती नदी / बायां	प्रभावित ग्राम		अति संवेदनशील
11	ग्राम–भरथापुर (सिसवारा)	राप्ती नदी / बायां	प्रभावित ग्राम		अति संवेदनशील
12	ग्राम–रमनगरा	राप्ती नदी / बायां	प्रभावित ग्राम		अति संवेदनशील

वर्ष 2019 में बाढ़ बचाव हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी

क्र	खण्ड का नाम	अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता का नाम	अस्थायी मुख्यालय	निगरानी हेतु स्थल का नाम	मोबाइल नं0
1	2	3	4	5	6
1	सरयू नहर खण्ड–6, श्रावस्ती	श्री अजय कुमार, अधिशासी अभियन्ता	बहराइच	राप्ती बैराज पर स्थित समस्त बाढ़ सम्बन्धी कार्य	9415368021
2		श्री अशोक कुमार, सहायक अभियन्ता	राप्ती बैराज	तदैव	9415637067
3		श्री हरीवंश, अवर अभियन्ता	राप्ती बैराज	तदैव	9452653984
4		श्री राहुल, अवर अभियन्ता	राप्ती बैराज	तदैव	9453567012
1	बाढ़ खण्ड श्रावस्ती	श्री मिथिलेश कुमार वर्मा, अधिशासी अभियन्ता	भिनगा	बाढ़ सम्बन्धी समस्त कार्य	9415329695
2		श्री के0एम0 लाल, सहायक अभियन्ता	भिनगा	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध के किमी0 0.000 से 11.000 तक।	9221368584
3		श्री राजा राम, अवर अभियन्ता	भिनगा	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध के किमी0 0.000 से 11.000 तक।	9453278367
4		श्री ओ0पी0 चौहान, सहायक अभियन्ता	भिनगा	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध के किमी0 11.000 से 22.400 तक।	8787060840
5		श्री संदीप गुप्ता, अवर अभियन्ता	भिनगा	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध के किमी0 11.000 से 22.400 तक।	9919021922
6		श्री पंकज कुमार, सहायक अभियन्ता	भिनगा	खजुहा झुनझुनिया अन्धरपुरवा तटबन्ध किमी0 0.000 से 11.000 तक	8318745334
7		श्री महीप कुमार, अवर अभियन्ता	भिनगा	खजुहा झुनझुनिया अन्धरपुरवा तटबन्ध किमी0 0.000 से 11.000 तक	9453797727
8		श्री आदित्य प्रकाश, सहायक अभियन्ता	भिनगा	खजुहा झुनझुनिया अन्धरपुरवा तटबन्ध किमी0 11.000 से 22.500	9839474554
9		श्री राहुल अरोड़ा, अवर अभियन्ता	भिनगा	खजुहा झुनझुनिया अन्धरपुरवा तटबन्ध किमी0 11.000 से 22.500	9838463882
1	सरयू नहर खण्ड–प्रथम बहराइच	श्री अशोक कुमार, अधिशासी अभियन्ता	बहराइच	कलकलवा मार्जिनल बंध से सम्बन्धित समस्त कार्य	9838768356
2		श्री विशनु प्रसाद, सहायक अभियन्ता	कलकलवा मार्जिनल बंध	कलकलवा मार्जिनल बंध के किमी0 0.000 से 19.150 तक (अस्थायी मुख्यालय गंगापुर)	9556383162
3		श्री ज्योति प्रकाश, अवर अभियन्ता	कलकलवा मार्जिनल बंध	कलकलवा मार्जिनल बंध के किमी0 0.000 से 10.000 तक (अस्थायी मुख्यालय गंगापुर)	8765236889
4		श्री अमर नाथ, अवर अभियन्ता	कलकलवा मार्जिनल बंध	कलकलवा मार्जिनल बंध के किमी0 10.000 से 19.150 तक (अस्थायी मुख्यालय रामपुर)	9450113441

वर्ष 2019 में बाढ़ बचाव हेतु रिजर्व स्टाक का खण्ड वार विवरण।

1—सरयू नहर खण्ड—6, श्रावस्ती (राप्ती बैराज पर स्थित स्टोर में):—

1—सीमेन्ट की खाली बोरी	— 80030 अद्द
2—स्टोन बोल्डर	— 631.079 घन मीटर
3—नायलान केट	— 15681 अद्द
4—जी0आई0 वायर केट	— 48 अद्द

1—सरयू नहर खण्ड—1, बहराइच (कलकलवा मार्जिनल बंध पर स्थित स्टोर में):—

1—सीमेन्ट की खाली बोरी	— 60000 अद्द
2—ब्रिक रोडा	— 16.45 घन मीटर
3—नायलान केट	— 2250 अद्द
4—जी0आई0 वायर केट	— 95 अद्द

बाढ़ खण्ड श्रावस्ती:—

1—पुरानी सीमेन्ट की खाली बोरी	— 50000 अद्द
2—फस्ट क्लास ब्रिक रोडा	— 50.00 घन मीटर
3—नायलान केट	— 10000 अद्द
4— नई सीमेन्ट की खाली बोरी	— 25000 अद्द
5—लोकल सैण्ड/मिटटी	—200 घन मीटर

नोटः—उपरोक्त सामग्री हेतु मांग पत्र उचाधिकारियों को भेजा जा चुका है। बाढ़ अवधि के पूर्व उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति कर लिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
(नोडल अधिकारी)
बाढ़ खण्ड श्रावस्ती

कार्यालय अधिषासी अभियन्ता
बाढ खण्ड श्रावस्ती

पत्रांक /बा0ख0श्रा0/ /दिनांक

विषय —परियोजनाओं के प्रेषण के सम्बन्ध में ।

अधीक्षण अभियन्ता, नवम मण्डल, सिंचाई कार्य, बहराइच ।

उपरोक्त विषयक का अवलोकन करने की कृपा करें, इस खण्ड द्वारा जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत निम्नलिखित कटाव निरोधी कार्यो की परियोजना 04 प्रतियों में तैयार कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र0सं0	परियोजना का नाम	लागत (लाख रू0 में)
1	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध के किमी0 5.200 से 6.000 के मध्य ग्राम—अशरफ नगर के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना ।	506.66
2	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध के किमी0 21.500 से 22.000 तक तटबन्ध कटाव निरोधी कार्य की परियोजना ।	460.96
3	जनपद श्रावस्ती में हथियाकुण्डा नाले के बायें तट पर ग्राम गैंगडीह (थारू जनजाति बाहुल्य) के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना।	113.16
4	जनपद श्रावस्ती में डगमरा नाले के बायें तट पर ग्राम कलकलवा (थारू जनजाति बाहुल्य) के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना।	114.92
5	जनपद श्रावस्ती में भैंसाही नाले के दायें तट पर ग्राम गब्बापुर (थारू जनजाति बाहुल्य) के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना।	84.92
6	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम मध्यनगर के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना का प्राक्कलन।	238.86
7	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम मुजेहना के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना का प्राक्कलन।	184.46
8	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम रमनगरा के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना का प्राक्कलन।	654.45
9	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम सिसवारा के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना का प्राक्कलन।	316.62
10	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम लैबुडवा के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना का प्राक्कलन।	342.65
11	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के दायें तट पर स्थित ग्राम खरगौरा गनेश के समीप परक्यूपाईन स्टड द्वारा कटाव निरोधी कार्य की परियोजना का प्राक्कलन।	475.00

अधिशासी अभियन्ता

आपदा/सूखा की समस्या से बचाव हेतु जिलापूर्ति कार्यालय श्रावस्ती की कार्ययोजना 2019—20

जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या 3098/आपदा—बाढ तैयारी /2019—20 दिनांक 10 अप्रैल, 2019 के अनुपालन में जिलापूर्ति कार्यालय से सम्बन्धित दैविय आपदा /सूखा प्रबन्धन निम्नवत है।

1. कार्यालय—जिलापूर्ति कार्यालय कलेक्ट्रेट के कक्ष संख्या 11 में स्थित है। जिलापूर्ति कार्यालय में वर्तमान में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी तैनाती, जिनका विवरण निम्नलिखित है।

क्रं0	नाम अधिकारी /कर्मचारी का नाम	निवास का पता	मोबाइल नम्बर
1	क्यामुद्दीन अन्सारी, जिला पूर्ति अधिकारी	ट्राजिट हास्टल	9839564701
2	नरेन्द्र कुमार यादव, क्षेत्रीय खा| अधिकारी	इकौना	7939564702
3	सिपाही लाल, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी	भिनगा	9838605141
4	जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, पूर्ति निरीक्षक	भिनगा	9044191521
5	धमेंन्द्र कुमार, पूर्ति निरीक्षक	जमुनहा	9453176293
6	विवेक श्रीवास्तव, पूर्ति निरीक्षक	इकौना	9919597200
7	हजारी प्रसाद, पूर्ति निरीक्षक	भिनगा	9454927331
8	रूपेश जैन, पूर्ति निरीक्षक	श्रावस्ती	9415192182
9	अजय कुमार, आशुलिपिक	भिनगा	8574962229
10	राकेश सिंह, पूर्ति लिपिक	भिनगा	7839564700
11	संतोषकुमार सिंह	भिनगा	9648715817
12	विवेकतिवारी	भिनगा	8318688371
13	बृजेन्द्रकुमार श्रीवास्तव	भिनगा	9454007058
14	नीरज कुमार,	भिनगा	8004245366
15	दिलेराम पत्रवाहक	ग्राम भुलुहिया दसौधी, इकौना	8765022369

02 मि0तेल थोक विक्रेता—जनपद श्रावस्ती में तीन मि0 तेल थोक विक्रेता कार्यरत है, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

क्रं0	फर्म का नाम	प्रबन्धक का नाम	मोबाईल नम्बर
1	मेसर्स आर0के0बी0के0 भिनगा।	श्री फतेह बहादुर सिंह	9415491443
2	मेसर्स हमीरवासिया ब्रदर्स इकौना	श्री अटल बिहारी मिश्रा	9540428741
3	मेसर्स उदय प्रकाश त्रिपाठी सिरसिया	श्री उदय प्रकाश त्रिपाठी	9415491299

उपरोक्त तीनों थोक मि0तेल विक्रेताओं के यहा 72 के0एल0मि0तेल दैविक सूखा आपदा हेतु उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त दैविक आपदा हेतु शासन से मि0तेल किये जाने की काय्रवाही की जा रही है।

3. पेट्रोल पम्प—जनपद श्रावस्ती में कुल 19 पेट्रोल पम्प स्थित है, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः—

क्रं0	पेट्रोल पम्प का नाम	मोबाईल नम्बर
1	मेसर्स किसान सेवा केन्द्र इकौना।	9415036733
2	मेसर्स आनन्द आटोमोबाइल्स गिलौला।	9554969509
3	मेसर्स अनुपमा किसान सेवा केन्द्र कथरा मॉफी जमुनहा।	9838851275
4	मेसर्स कमला फिलिंग सेन्टर सिरसिया।	9451928015
5	मेसर्स शक्ति फयूल सेन्टर मोहनीपुर इकौना।	9936090560
6	मेसर्स चौधरी फिलिंग सेन्टर इकौना	9936623800

7	जय मां बैष्णों आटोमोबाइल्स, रत्नापुर गिलौला।	9450428018
8	मेसर्स हमारा पम्प बीरपुर इकौना।	9935229051
9	मेसर्स श्रावस्ती फिलिंग स्टेशन खरगौरा बस्ती इकौना।	9450514655
10	मेसर्स किसान सेवा केन्द्र भुज्रंगा (सम्हारपुरवा) तहसील भिनगा।	9839648597
11	मेसर्स सतीस आटोमोबाइल्स सिसवा वि0ख0 हरिहरपुररानी।	9918262694
12	मेसर्स हमारा पम्प पड़री।	9838041029
13	मेसर्स सर्वोत्तम सेवा केन्द्र बदला चौराहा।	9628981632
14	मेसर्स किसान सेवा केन्द्र जमुनहा।	9452536257
15	मेसर्स हमारा पम्प भिखारीपुर मसढी गिलौला	7379181238
16	मेसर्स किसान सेवा केन्द्र अकबरपुर सेमरी रोड भिनगा	
17	मेसर्स गोविन्द एच0 पी0 फिलिंग सेन्टर जयचन्द्ररपुर कटघरा	
18	मेसर्स सहजराम इनर्जी सेल्स सन्स रामपुरदेवमन लक्ष्मनपुर बाजार	
19	**मेसर्स अभिषेक राव एनर्जी साल्यूशन भिनगा**	9168379590

उपरोक्त प्रत्येक पम्पों के यहां 4000लीटर डीजल एवं 1000लीटर पेट्रोल दैविक आपदा हेतु आरक्षित कर दिया गया है।

4. एल0पी0जी0 वितरक –जनपद श्रावस्ती में 13एल0पी0जी0 वितरक /ग्रामीण वितरक कार्यरत है, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

क्रं0	गैस एजेन्सी का नाम एवं पता	मोबाइल नम्बर	निवास का पता
1	दिपाशुँ	9454302684	शाहपुर कठौतिया
2	अजय कुमार वर्मा	9839947094	अजय भारत गैस
3	घनश्याम पाण्डेय	9415063813	घनश्याम एच0पी0गैस सोनवा
4	भिनगा राज इण्डेन गैस सर्विस	9450753130	भिनगा– श्रावस्ती
5	हेमपुर इण्डेन ग्रामीण वितरक	9415192286	हेमपुर सिरसिया श्रावस्ती
6	सिटकहवा इण्डेन	9415801194	सिटकहवा श्रावस्ती।
7	विकास कुमार	9794574979	विकास एच0पी0 गैस
8	अनुपम एच0पी0गैस फतैहपुर	9451787127	अनुपम एच0पी0गैस फतैहपुर
9	श्री चन्द्र मोहन वर्मा	9450330370	पटल मल्हीपुर
10	सोनी एच0पी0गैस	9918053176	चन्द्रखा बुजुर्ग श्रावस्ती
11	राजा एच0पी0गैस	9984533611	महरू–मुर्तिहा
12	सीमा इण्डेन ग्रामीण वितरक	8948094577	कटरा श्रावस्ती
13	सुविखा इण्डेन ग्रामीण वितरक	9415067191	सुविखा इण्डेन
14	मनोहरापुर इण्डेन ग्रामीण श्रावस्ती	7388994450	मनोहरापुर– श्रावस्ती
15	राम नरायन तिवारी	8869989482	टण्डवा महन्थ श्रावस्ती
16	बत्से भारत गैस गिलौला	9795121670	गिलौला
17	अभिषेक गैस सर्विस	9452406066	इकौना

उपरोक्त एल0पी0जी0 वितरकों के यहां 25–25 एल0पी0जी0 सिलेण्डर आरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

5. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणली के अन्तर्गत कुल 447 उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से खाद्यान्न, मि0तेल का वितरण जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में कराया जा रहा है।

6. डीजल के फुटकर विक्रेता जनपद श्रावस्ती में 49 फुटकर डीजल विक्रेता भी है, जिनके नाम निम्नवत है।

क्रं0	नाम व पता फुटकर डीजल विक्रेता
	हरिहरपुररानी
1	श्री अशोक कुमार सिंह, ग्राम केवलपुर
2	श्री अनील कुमार भंगहा बाजार
3	श्री राम तीरथ मिश्र, इटवरिया
4	श्री शम्भूदयाल मछरिहवा
5	श्री ओम प्रकाश द्विवेदी ग्राम कयापुर
6	श्रीमती बन्दना देवी निवासी पुरानी बाजार भिनगा।
7	श्री आलोक कुमार वर्मा पटनाखरगौरा
	सिरसिया
8	श्री चिरंजीत लाल बेचईपुरवा
9	श्री जगदीश प्रसाद जोखवा बाजार
10	श्री हनुमान प्रसाद जोखवा बाजार
11	श्री अतीकुर्रहमान लक्ष्मनपुर बाजार
12	श्री किताबुन्निशा लक्ष्मनपुर बाजार
13	श्रीमती पुष्पा देवी तालबघौडा
14	श्री अब्दुल सलाम लक्ष्मनपुर बाजार
15	श्री विजय कुमार सिरसिया बाजार
16	श्रीमती गायत्री देवी लक्ष्मनपुर बाजार
17	श्री गजेन्द्र बहादुर पूरेगोकुल सिंह
18	श्री बंजरंग बहादुर पूरेगोकुल सिंह
19	श्री राम विलास वर्मा शिकारी चौड़ा
	जमुनहा
20	श्री जाकिर हुसैन हरदत्तनगर गिरन्ट
21	श्री शारदा प्रसाद पटना
22	श्री अनवर अहमद शाह फतेहपुर बनगई
23	श्री मो0 युनुस जुमनहा बाजार
24	श्री अन्नतराम नासिरगंज
25	श्री हाफिज मो0 शरीफ जमुनहा भवनियापुर
26	श्रीमती रेखा वर्मा शिकारी चौड़ा
27	श्री तै¸यब अली बंधनी
28	श्रीमती रेहाना खातून हरबंशपुर
29	श्री काजिम खां चौरी कोटिया

30	श्री राम मिलन देवरनिया
31	श्री पाटेश्वर प्रसाद भवानीपुरवा
32	श्री बंशी लाल महादेवा सलारपुर
33	श्री फखरूद्दीन हरदत्तनगर गिरन्ट।
	इकौना
34	श्री कृष्ण गोपाल तिवारी मुस्काबाद
35	श्री हरीश्वर पाण्डेय कटरा
36	श्री राज कुमार भोजपुर (ठाकुर पुरवा)
37	श्री राम सागर भोजपुर (गड़रियनपुरवा)
38	श्रीमती उर्मिला देवी कोडरीदीगर
39	श्री अमृत लाल कयापुर
	गिलौला
40	श्री सुन्दर लाल तुलसीपुर।
41	श्रीमती मिथलेश कुमारी चेतियामुरार
42	श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता लेंगडीगूलर
43	श्री कैलाश नाथ त्रिपाठी दूबकला
44	श्री घनश्याम वर्मा तुलसीपुर
45	श्री श्याम मनोहर रामपुर पैडा
46	श्री सालिक राम लेगडीगूलर
47	श्री विजय राज सिंह चिचडी
48	श्री अयोध्या प्रसाद डिकरा
49	श्री जिलेदार वर्मा शिकारी चौड़ा।
आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त फुटकर डीजल विक्रेताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगा।	
7. आटा, दाल चावल, बनस्पति घी,गुड, लईया,भुना चना, माचिस, एवं मोमवत्ती आदि की व्यवस्था आपदा कार्यालय श्रावस्ती द्वारा निविदा के माध्यम से की जाती है।	

इस कार्यालय के पत्रांक /249जि/0पूअ0बाढ़ 2019/दैवीय आपदा-दिनांक 2019 ,जून 26द्वारा जनपद के प्रत्येक पेट्रोल पम्प पर डीजल 0ली 4000तथापेट्रोल 0ली 1000 एवं पत्रांक /248जि/0पूअ0बाढ़ 2019/दैवीय आपदा-दिनांक 2019 ,जून 26द्वारा प्रत्येक गैस एजेन्सी को गैस सिलेन्डर आरक्षित रखने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। 25-25 जिलापूर्ति कार्यालय में दैविय आपदा हेतु जो नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेंगा, उसके प्रभारी श्री हजारी प्रसाद पूर्ति निरीक्षक होंगें, कन्टोल रूम का दूरभाष नम्बर–8381819138 है।

क्र0सं0	तहसील	बाढ़ चौकी का नाम	आपूर्ति विभाग के कार्मिकों का नाम एवं मोबाइल नम्बर जो अन्य विभाग के साथ सामन्जस्य स्थापित कर कार्य करेंगें	उचित दर विक्रेताओं का नाम जिनके द्वारा बाढ चौकी **पर** सहायता प्रदान की जायेगी
1	भिनगा	प्रा0 वि0 गोठवा	श्री सिपाही लाल, क्षे0खा0अ0 मो0–9838605141,हजारी प्रसाद पूर्ति निरीक्षक मो0 नं0–8299014901	श्री अनोखी लाल मो0–9161915161
2	भिनगा	बाढ़ राहत भवन भंगहा	श्री सिपाही लाल, क्षे0खा0अ0 मो0–9838605141,हजारी प्रसाद पूर्ति निरीक्षक मो0 नं0–8299014901	श्रीमती मालती देवी मो0–9721434428 श्रीमती कमला देवी मो0–9792106042
3	भिनगा	भाकलाघाट पुलिस चौकी	श्री सिपाही लाल, क्षे0खा0अ0 मो0–9838605141,हजारी प्रसाद पूर्ति निरीक्षक मो0 नं0–8299014901	श्री अन्नत राम मो0–7770867756
4	भिनगा	ग्राम सचिवालय गुलरा (पटना खरगौरा)	श्री सिपाही लाल, क्षे0खा0अ0 मो0–9838605141,हजारी प्रसाद पूर्ति निरीक्षक मो0 नं0–8299014901	श्री संजीव कुमार पाठक मो0–9792641406
5	भिनगा	प्रा0वि0 रेहली विशुनपुर	श्री सिपाही लाल, क्षे0खा0अ0 मो0–9838605141,हजारी प्रसाद पूर्ति निरीक्षक मो0 नं0–8299014901	श्री ओमकार सिंह मो0–9838122526
6	जमुनहा	प्रा0वि0 बहोरवा	श्री धर्मेद्र कुमार पूर्ति निरीक्षक, मो0–8853596951, श्री विवेक श्रीवास्तव पूर्ति निरीक्षक मो0–9919597200	श्री सलीम अहमद मो0–8052349747
7	जमुनहा	वि0ख0 कार्या0 जमुनहा	श्री धर्मेद्र कुमार पूर्ति निरीक्षक, मो0–8853596951, श्री विवेक श्रीवास्तव पूर्ति निरीक्षक मो0–9919597200	श्री सोमई लाल मो0–8948996594
8	जमुनहा	प्रा0वि0 लालबोझा दरवेशगांव	श्री धर्मेद्र कुमार पूर्ति निरीक्षक, मो0–8853596951, श्री विवेक श्रीवास्तव पूर्ति निरीक्षक मो0–9919597200	श्री कन्धई लाल मो0–8400331285
9	जमुनहा	आर्दश लघु मा0वि0 फतेपुर बनगई	श्री धर्मेद्र कुमार पूर्ति निरीक्षक, मो0–8853596951, श्री विवेक श्रीवास्तव पूर्ति निरीक्षक मो0–9919597200	श्री राम कुमार मो0–8765116070
10	जमुनहा	प्रा0पा0 लक्ष्मननगर	श्री धर्मेद्र कुमार पूर्ति निरीक्षक, मो0–8853596951, श्री विवेक श्रीवास्तव पूर्ति निरीक्षक मो0–9919597200	श्रीमती शांन्ती देवी मो0–9839158681 श्रीमती राधा देवी मो0–8874263646
11	इकौना	प्रा0पा0 रामबढी–सेहनिया	श्री नरेन्द्र कुमार, क्षे0खा0अ0, मो0 7839564702, श्री रूपेश जैन पूर्ति निरीक्षक मो0–9415192182	श्रीमती किरन देवी मो0–9838341978 श्री माता प्रसाद मो0–8795189429
12	इकौना	प्रा0पा0 पुरूषोत्तमपुर	श्री नरेन्द्र कुमार, क्षे0खा0अ0, मो0 7839564702, श्री रूपेश जैन पूर्ति निरीक्षक मो0–9415192182	श्री राज किशोर मो0–7392997651
13	इकौना	पंचायतघर सेमगढा	श्री नरेन्द्र कुमार, क्षे0खा0अ0, मो0 7839564702, श्री रूपेश जैन पूर्ति निरीक्षक मो0–9415192182	श्री रईश अहमद मो0–9839935410

14	इकौना	सा0वि0 केन्द्र इकौना	श्री नरेन्द्र कुमार, क्षे0खा0अ0, मो0 7839564702, श्री रूपेश जैन पूर्ति निरीक्षक मो0–9415192182	श्री सदावृक्ष मो0–9005382764
15	इकौना	जू0हा0 सेमरीतरहर	श्री नरेन्द्र कुमार, क्षे0खा0अ0, मो0 7839564702, श्री रूपेश जैन पूर्ति निरीक्षक मो0–9415192182	श्री प्रेम नाथ मिश्रा मो0–9415571902
16	इकौना	प्रा0वि0 भोजपुर	श्री नरेन्द्र कुमार, क्षे0खा0अ0, मो0 7839564702, श्री रूपेश जैन पूर्ति निरीक्षक मो0–9415192182	श्री छेदीराम मो0–8874608686
17	इकौना	प्रा0 वि0 कटरा	श्री नरेन्द्र कुमार, क्षे0खा0अ0, मो0 7839564702, श्री रूपेश जैन पूर्ति निरीक्षक मो0–9415192182	श्री राम कुमार मो0–9936136725
18	जमुनहा	शारदा इण्टर कालेज लालपुर प्रहलादा	श्री धर्मेद्र कुमार पूर्ति निरीक्षक, मो0–8853596951, श्री विवेक श्रीवास्तव पूर्ति निरीक्षक मो0–9919597200	श्री रोज अली मो0–7233890135, श्री राजा राम मौर्य मो0–7518959670

जिला पूर्ति अधिकारी,
श्रावस्ती।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
2. जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/ प्रभारी अधिकारी दैवी आपदा श्रावस्ती।
4. उपायुक्त (खाद्य) देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
5. उपजिलाधिकारी भिनगा/इकौना/जमुनहा।
5. समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / पूर्ति निरीक्षक, जनपद श्रावस्ती।

जिला पूर्ति अधिकारी,
श्रावस्ती।

जनपद स्तर पर उपलब्ध आपदाओं से बचाव के उपकरण

क्रमांक	उपकरणों का विवरण	आपूर्तित उपकरणों की कुल मात्रा	तहसीलवार आवंटित उपकरणों की मात्रा		
			तहसील जमुनहा	तहसील भिनगा	तहसील इकौना
1	सर्च लाइट	131	30	38	63
2	लाइफ जैकेट	131	30	38	63
3	लाइफ व्वाय	131	30	38	63
4	मेगाफोन	131	30	38	63
5	फोल्डेबुल स्ट्रैक्चर	131	30	38	63
6	फर्स्ट एंड किट	131	30	38	63
7	सेफ्टी हेलमेट	131	30	38	63
8	फायर एक्सटिग्यूसर	131	30	38	63
9	जरीकेन (वाटर कन्टेनर)	655	150	190	315

Chapter-8

Reconstruction, Rehabilition and Recovery Measures

आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण श्रावस्ती द्वारा आपदा के फलस्वरूप अवस्थापनाओं के पुनर्निर्माण तथा आपदा के फलस्वरूप प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों आदि को बसाने एवं उनको राहत पहुँचाने के लिये एवं अल्प कालीन परियोजनायें आपदा राहत की बैठक कर तैयार की जाती हैं । जिसमें जनपद के प्रभावित तहसीलों के आपदा ग्रस्त गांवों का चिन्हांकन कर पूर्व तैयार कर ली जाती है। बैठकों में जिला कलेक्टर द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों को आपदा के समय योगदान देने एवं दायित्वों का निर्धारण कर दिया जाता है। आपदा के पश्चात विभिन्न विभागों के सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की क्षति के पुर्नस्थापन के लिये सूचनायें प्राप्त कर परयोजना तैयार कर स्वीकृति कराकर कार्य कराये जाते है। निम्न प्रारूप पर विभागों से प्राप्त कर ली जाती है और स्वीकृति के पश्चात शासन से बजट आवंटन होने पर क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों/फसलों की क्षति का कृषि निवेश धनराशि प्राप्त होने पर पुर्नस्थापन/वितरण लाभार्थियों में वितरण कराया जाता हैं।

कार्य के अनुसार विभाग/एजेन्सीवार निम्न प्रारूप पर सूचनायें आपदा के समय प्राप्त की जाती है :–

Sn.	Task	Department/ agency	Activities	Time period	Cost	Source of Fund

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रबन्ध योजना

बाढ़ आपदा राहत कार्य योजना वर्ष 2018

बाढ़ आपदा राहत कार्ययोजना वर्ष 2018 में लगाये गये जनपद स्तरीय पर्यवेक्षक/चिकित्सा अधिकारी/कर्मचारी का विवरण—

23.	बाढ़ चौकियों की संख्या	—	45
24.	जनपद स्तरीय पर्यवेक्षक की संख्या	—	05
25.	चिकित्सा अधिकारी की संख्या	—	23
26.	कर्मचारियों की संख्या	—	59
27.	मोबाईल टीम की संख्या	—	01
28.	चिकित्सीय दल की संख्या	—	05
29.	जनपदीय रैपिड रिस्पांस टीम	—	01
30.	ब्लाक रैपिड रिस्पांस टीम	—	05
31.	जनपद में तहसील की संख्या	—	03
32.	मुख्य चिकित्साधिकारी मोबाइल	—	8005192695
33.	डा0 मुकेश मातनहेलिया, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी	—	9415121887
34.	कार्यालय दूरभाष/फैक्स संख्याः		05250—222459
35.	ईमेल आई0डी0		cmoswti@nic.in
36.	श्री शैलेष शुक्ला, आपदा लिपिक	—	9721358665

नोटः— आवश्यकतानुसार चिकित्सा अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद—श्रावस्ती।

बाढ़ राहत कार्ययोजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जनपद श्रावस्ती

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भंगहा

पर्यवेक्षक अधिकारी	बाढ़ चौकी का नाम	चिकित्सक/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मो0नं0
डा0 रोहित कुमार, अधीक्षक, सामु0स्वा0के0 भंगहा 9450004227	गोठवा (बाढ शरणालय प्रा0वि0 परिसर)	डा0 अशोक वर्मा श्रीमती राधा देवी श्री धर्मेन्द्र कुमार	चिकित्सक ए0एन0एम0 स्वा0पर्य0	9454883663 8052131467 7376637074
	भंगहा (बाढ़ राहत भवन)	डा0 सुनील त्रिपाठी श्रीमती शीला देवी श्रीमती बीना गुप्ता	चिकित्सक ए0एन0एम0 ए0एन0एम0	9450716743 9628303785 7081098975
	भाखला (तिलकपुर ग्राम सचिवालय)	डा0 शरद कुमार अवस्थी श्रीमती मंजू वर्मा श्रीमती विटटादेवी वर्मा	चिकित्सक ए0एन0एम0 ए0एन0एम0	7007626862 7839738896 9648719144
	पटना खरगौरा (ग्राम सचिवालय गुलरा द0 पटना खरगौरा)	डा0 राकेश शर्मा श्री रियासत अंसारी श्रीमती सुशीला सोनी	चिकित्सक एल0ए0 ए0एन0एम0	9415774443 9451018560 7081652815
	रेहली विशुनपुर (प्रा0वि0)	डा0 अभिषेक कुमार सिंह श्रीमती माधुरी देवी श्रीमती कामिनी देवी	चिकित्सक ए0एन0एम0 एच0वी0	9648060805 7839739101 9455108895
	गोठवा (प्रा0वि0 परिसर)	डा0 उग्रसेन वर्मा श्रीमती मंजू विश्वकर्मा श्रीमती उषा पाण्डेय श्रीमती उर्मिला देवी श्रीमती सुधा देवी	चिकित्सक ए0एन0एम0 ए0एन0एम0 ए0एन0एम0 एच0वी0	9935985655 7800351241 8601543140 9415379343 9839403244

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद—श्रावस्ती।

बाढ़ राहत कार्ययोजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जनपद श्रावस्ती

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मल्हीपुर

पर्यवेक्षक अधिकारी	बाढ़ चौकी का नाम	चिकित्सक/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मो0नं0
डा0 एस0बी0 सिंह, अधीक्षक, सामु0स्वा0के0 मल्हीपुर 7985070810	बहोरवा (प्रा0वि0)	डा0 रविन्द्र सोनकर श्री बृजेश कुमार श्री महेश मोदनवाल	चिकित्सक स्वा0कार्य0पु0 एल0ए0	8052182091 9450401151 9919924469
	शिकारी चौड़ा (विकास खण्ड कार्या0 जमुनहा)	डा0 विनोद कुमार श्री गोरख नाथ श्री रमा शंकर सिंह	चिकित्सक स्वा0कार्य0पु0 एल0ए0	9451381237 9450749214 9956741264
	लालबोझा दर्वेशगांव	डा0 मो0 निजाम श्री जगदम्बा प्रसाद	चिकित्सक स्वा0कार्य0पु0	9839733527 9452098652
	फतेहपुर बनगई (आदर्श लघु माध्यमिक विद्यालय)	श्री अरविन्द सिंह श्री पवन कुमार शुक्ला	एन0एम0ए0 स्वा0कार्य0पु0	9452119485 8874581225
	लक्ष्मननगर (प्रा0वि0)	डा0 सत्य शरण श्री रामनाथ पाठक	चिकित्सक स्वा0कार्य0पु0	9415346935 9721947004

मुख्य चिकित्साधिकारी,
श्रावस्ती।

बाढ राहत कार्ययोजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जनपद श्रावस्ती

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, इकौना

पर्यवेक्षक अधिकारी	बाढ़ चौकी का नाम	चिकित्सक/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मो0नं0
डा0 अंकित कुमार, अधीक्षक, सामु0स्वा0के0 इकौना 9919870880	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इकौना	डा0 अनील त्रिपाठी श्री अनिल कुमार राव श्री आदेश श्रीवास्तव	चिकित्सक एल0टी0 स्वा0कार्य0पु0	9670463314 9415253681
	प्राथमिक विद्यालय कटरा	डा0 शनिदेव सिंह श्रीमती राजरानी तिवारी श्री सलाहुददीन	चिकित्सक स्वा0पर्य0म0	 9838125149
	पंचायत घर सेमगढ़ा	डा0 गिरवर प्रसाद वर्मा श्रीमती विमला देवी श्री कुलदीपनाथ तिवारी	चिकित्सक स्वा0पर्य0म0 स्वा0कार्य0पु0	7786875133 9450428745
	प्रा0 वि0 पुरूषोत्तमपुर	डा0 गिरवर प्रसाद वर्मा श्री अशफाक अहमद श्रीमती प्रेम कुमारी	चिकित्सक ने0परि0अधि0 ए0एन0एम0	7786875133 9918155196
	प्राथमिक विद्यालय भोजपुर	डा0 शकील श्रीमती आरती द्विवेदी श्री राधेश्याम वर्मा	चिकित्सक ए0एन0एम0 एन0एम0एस0	9415459295 9453894066 9450427735
	जूनियर हाईस्कूल सेमरीतरहर	डा0 शकील श्री आनन्द कुमार श्री सलाहुददीन	चिकित्सक एल0ए0 स्वा0पर्य0पु0	9415459295 9838125149
	प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ी—सेहनियां	डा0 संग्राम गौतम अब्दुल हन्नान श्रीमती पूनम शुक्ला	चिकित्सक स्वा0शि0अधि0 ए0एन0एम0	9452050336 9415575761
	शारदा इण्टर कालेज, लालपुर प्रहलादा	डा0 आशीष श्रीवास्तव श्रीमती शशिमाला श्री रविन्द्र कुमार	चिकित्सक ए0एन0एम0 एल0ए0	9415395074

मुख्य चिकित्साधिकारी,
श्रावस्ती।

बाढ़ राहत कार्ययोजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जनपद श्रावस्ती

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिरसिया

पर्यवेक्षक अधिकारी	चिकित्सा अधिकारी	क्षेत्र का नाम	कर्मचारी का नाम
डा0 उदयनाथ, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी 9919762926	डा0 एस0के0 सिंह, अधीक्षक, 7376971829	पूरेवाल, परसोहना, भरथारोशनगढ़, धन्नीडीह, पटखैलीकला	श्री शिव पूजन वर्मा
		मसकहा, वभनी, मोतीपुरकला, शाहपुर शिवदिन, रामननगर चरईडी	श्री रक्षाराम
		दुर्गापुर, जानकीनगर, लक्ष्मनपुर, अग्गापुर, गढ़ी	श्री राकेश कुमार
		रामपुर देवमन, एकघरवा,भिखपुर,अमरहवा, शकरनगर,	श्री राम सुभग यादव
		बेचुआ ,पिपरहवा, मदारगढ़, शंकरपुर, तालबघौड़ा,	श्रीमती रामावती
		वैरिहवा, राजगुरु जुड़पनिया, अहलादनगर टिटहरिया, पिपरी, भगवानपुर	श्रीमती जानकी देवी
		सोनौढ़ा तराई, बेलहरी, मदरहवा, शिवगढ़ खुर्द, पडितपुरवा	श्री शिव पूजन वर्मा
	डा0 एस0के0 मिश्रा चिकित्साधिकारी 6394044035	मधवापुर, डोमाई, पड़वलिया, गुलरा, चिलहरिया	श्री रक्षाराम
		कटहर, सर्राबोझी, लालपुर कुशमहवा, टंगपसर्रा, कटकुइया	श्री राकेश कुमार
		सचौली, चैलाही, सम्भारपुरवा, जमुनीकलां, दुर्गापुर के0पी0	श्री राम सुभग यादव
		रानीपुरभेला, सोनबरसा, शाहपरु बरगदवा, सिरसिया, बेनीडिहवा	श्रीमती शीला सोनी
		टिटहरिया, बलनपुर, बंठीहवा, संग्रामगंज, जोगिनभरिया	श्रीमती रामराजी
		भरथाकला, पिपरहवा जोगा गॉव, परसादेवतहा, घोंघवाकला मेडकिया, गब्बारपुर	श्रीमती नीलम राय
		पूरे प्रसाद, हेमपुर, तेन्दुवा रतनपुर, वकवा,वीरपुर बगही	श्री रक्षाराम

मुख्य चिकित्साधिकारी,
श्रावस्ती।

बाढ़ राहत कार्ययोजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जनपद श्रावस्ती

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गिलौला

पर्यवेक्षक अधिकारी	चिकित्सा अधिकारी	क्षेत्र का नाम	कर्मचारी का नाम
डा0 मुकेश मातनहेलिया, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी 9415121887	डा0 ए0के0 सिंह, अधीक्षक, 9871493256	किशिुनापुर चन्द्राभरी, रघुनाथपुर, भवानी नगर, नीवभारी, कमलाभारी	श्रीमती नीलम
		कोटमुबारकपुर, एकघरवा, दूबकला, चेतियापुर, घेरमा	श्री नृपेन्द्र यादव
		मनिकोरा, पिपरा, हडिल्ला, रामपुर पैड़ा, दिकौली	श्रीमती नीलम
		उत्तमपुर, बरावाहरगुन, ओरयाटिकाई, भड़ौरा, केरवनिया	श्रीमती उमारानी
		गौहनिया, एकड़गता, सेहनिया, भैसावा, मधनगर,	श्रीमती विद्या सिंह
		खैराकलां, ददौली, भिखारीपुर मकड़ी, रानीपुरकाजी, चन्द्रावा बुजुर्ग	श्रीमती प्रेमावती पाठक
		इमलिया नराय, घुसवा, चिचड़ी, बागवानी, बेलवाखनीन	श्रीमती सरस्वती त्रिपाठी
	डा0 सिद्वेश वर्मा, चिकित्साधिकारी, 9532289693	कल्यानपुर, रामनगर, तुरहनिया बलराम, सोनवा, मोहरनिया	श्रीमती नीलम
		गिलौली, शाहपुरकटौतिया, लखना, प्रहलादा, बरदेहराभारी	श्रीमती निर्मला देवी
		ककन्धू, खुरहरी, पचदेवरी, मनिकापुर खुर्द, हरिहरपुर	श्री विष्णु कुमार
		तुलसीपुर, गुजरवारा, गुटहरु, रायपुर बिलेला, कटार	श्रीमती मीरा देवी
		नारायनपुर, परेवपुर, विजयपुर सिसावा, गोपालपुर, रायपुर	श्रीमती रजनी

मुख्य चिकित्साधिकारी,
श्रावस्ती।

विभागीय एवं अर्न्तविभागीय समन्वयः

<u>जिला समन्वय समितिः</u>

जनपद स्तर पर विगत वर्षो की भांति समन्वय समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है–

1.	जिलाधिकारी, श्रावस्ती	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती	उपाध्यक्ष
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती	सदस्य/संयोजक
4.	मुख्य विकास अधिकारी, श्रावस्ती	सदस्य
5.	अपर जिलाधिकारी, श्रावस्ती	सदस्य
6.	जिला पंचायत राज अधिकारी, श्रावस्ती	सदस्य
7.	परियोजना अधिकारी, डूडा, श्रावस्ती	सदस्य
8.	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, भिनगा	सदस्य
9.	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, श्रावस्ती	सदस्य
10.	जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0	सदस्य

तहसील स्तरीय समन्वय समिति–

1.	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	पुलिस उपाधीक्षक	सदस्य
3.	सम्बन्धित सी0डी0पी0ओ0	सदस्य
4.	अधीक्षक	सदस्य/संयोजक
5.	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत	सदस्य
6.	तहसील प्रभारी, जल निगम	सदस्य

समिति द्वारा विभिन्न विभागों में समन्वय सुनिश्चित करते हुये मौके पर रोगियों की रोकथाम, निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यवाही हेतु निर्देश एवं उनका समय–समय पर अनुश्रवण व मूल्यांकन किया जायेगा। सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह भी अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत, आंगनबाड़ी कार्यकत्रि, लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान, खण्ड विकास अधिकारी एवं थानाध्यक्ष से समन्वय स्थापित कर इसका प्रचार–प्रसार एवं सूचना तंत्र को सुदृढ़ कर निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यवाही युद्ध स्तर पर सम्पन्न करवायें।

पुलिस व्यवस्था

पुलिस प्रशासनिक दृष्टिकोण से बाढ़ क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति एवं उसके द्वारा उत्पन्न वस्तु स्थिति पर नजर रखने हेतु जैसा की पूर्व वर्षो में बाढ़ के समय व्यवस्था की गयी थी वैसा ही इस वर्ष बाढ़ के समय जनपद श्रावस्ती के विभिन्न थाना क्षेत्र में निम्न प्रकार से पुलिस पेट्रोलिंग एवं पिकेट की व्यवस्था की जायेगी।

नाम थाना	डियूटी का स्थान	डियूटी का प्रकार	पुलिस बल की संख्या			
			उ0नि0	हे0का0	आरक्षी	होमगार्ड
को0भिनगा	1–भिनगा सिरसिया मार्ग	गश्त	01	–	02	–
	2–भगंहा	पिकेट	01	01	02	–
	3–पटना खरगौरा	पिकेट	01	–	02	–
	4–भिनगा से लक्ष्मनपुर मार्ग	गश्त	01	–	02	–
	5–भुजंगा	पिकेट	–	–	02	–
	6–लक्ष्मनपुर	पिकेट	01	–	04	–
	7–ईदगाह तिराहा भिनगा	पिकेट	01	01	04	02
सिरसिया	1–तेंदुआ रतनपुर	गश्त	01	–	02	–
	2–हटवा,पसियनपुरवा, मसहाकलां	गश्त	01	–	02	–
मल्हीपुर	1–गंगाभागड़	पिकेट	–	–	02	–
	2–कोदिया	पिकेट	–	–	02	–
	3–कलकलवां	पिकेट	–	–	02	–
	4–रामपुर डिलवां	पिकेट	–	–	02	–
	5–बरगदहा	पिकेट	–	–	02	–

इकौना	1–सेमरी तरहर	गश्त	–	01	03	–
	2–कटरा श्रावस्ती	गश्त	–	01	02	–
	3–सेमगढ़ा	गश्त	–	–	02	–
गिलौला	1– पुरूषोत्तमपुर	गश्त	01	–	02	–
	2–घोरमा परसिया	गश्त	01	–	04	–
	3–खड़ैला	पिकेट	–	–	02	–
	4–फतुहापुर मोड़	पिकेट	–	–	02	–
	5–जानकीनगर से कोलाभार कचनी	गश्त	–	–	02	–
	6–कोलाभार कचनी से कोड़रीदीगर	गश्त	–	–	02	–
	7–पुरूषोत्तमपुर से सिसवारा	गश्त	–	–	02	–
सोनवा	1–रघुनाथपुर से लक्ष्मननगर बाजार	गश्त	–	–	02	–
	2–लक्ष्मननगर से कसियापुर	गश्त	01	–	02	–
योग		–	11	04	59	02

Chapter – 9

Financial Resources For Implementation Of DDMP Shrawasti

आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण श्रावस्ती द्वारा जनपद में आयी आपदा के बारे में आपदा न्यूनीकरण हेतु क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुर्नस्थापन के राज्य आपदा मोचक निधि से State Budget, State Mitigation, State Response Fund से आवंटित धनराशि से पुर्नस्थापन एवं मरम्मत का कार्य कराया जाता है। फसलों की क्षति के लिये भी कृषि निवेश प्रमुखता बाढ़ एवं सूखे के लिये प्राप्त बजट से लाभार्थियों को संतृप्त किया जाता हैं। जिला स्तर पर जिला योजना फण्ड, जिला रिस्पोन्स फण्ड के अन्तर्गत व्यवस्थायें की जाती हैं। जिला योजना समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार योजनाओं में क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों को पुर्नस्थापन एवं मरम्मत तथा सम्बन्धित विभागीय फण्ड से कराये जाने हेतु संस्तुति कर आपदा न्यूनीकरण हेतु फण्ड एकत्रीकरण किया जाता है। आपदा की स्थिति में आपदा प्रबन्धन फण्ड उपलब्ध न होने की दशा में कोषागार नियम–27 से भी धनराशि आहरित कर आपदा न्यूनीकरण किया जाता हैं जिसका समायोजन राज्य आपदा मोचक निधि से प्राप्त धनराशि से कर लिया जाता है। अन्य श्रोतों से आपदा प्रभावितों को एन0जी0ओ0 व स्वयं सेवी संगठनों से आवश्यकतानुसार सहयोग अपील कर प्राप्त की जाती हैं। जिला आपदा राहत अधिकारी का दायित्व होगा कि वे बचाव एवं राहत कार्य हेतु समय से शासन से धन की मांग कर तहसीलों को उपलब्ध करायें। धनाभाव के कारण आपदा राहत कार्य बाधित नहीं होना चाहिये। आकस्मिकता की दशा में सम्यक कोषागार नियमों के अन्तर्गत व्यवस्था करायी जानी चाहिये। आपदा राहत की तात्कालिकता के दृष्टिगत शासन ने जनपद स्तर पर आपदा राहत निधि के लिये बैंक में एकाउण्ड खोलकर शासन से प्राप्त धन को जमा करने का प्राविधान किया है। जिससे तत्काल तहसीलों को आपदा राहत हेतु धन उपलब्ध कराया जा सके। आपदा राहत निधि से अहैतुक सहायता, गृह अनुदान व अनुग्रह राशि प्रदान करने हेतु धनावटन जनपद स्तर विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य है परन्तु नाव किराया मद व कार्यालय मद में शासन से धन आवंटन प्राप्त करना होगा। आपदा राहत की विभिन्न मदों के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता शासनादेश सं. जी0आई–7/ 1–11–2015–3/जी/2015 दिनांक 09 अप्रैल 2015 के अनुसार ही दी जायेगी। तहसीलवार आंवटित धनराशि का उपयोग कर विवरण तथा प्रमाण पत्र प्रति सप्ताह भेजेंगे तथा आवश्यकता का आंकलन कर धन की मांग भी करते रहेंगे। जनपद स्तर पर आपदा लिपिक शासन से प्राप्त धन, तहसीलों को आवंटन तथा उपयोगिता का विवरण रखेंगे और निर्धारित प्रपत्र पर इसकी सूचना समय से शासन को प्रेषित करेंगे।

जिला आपदा राहत कोष :–

जनपद में आपदा/बाढ़ के समय दैवी आपदा राहत कोष की स्थापना करने का प्राविधान शासनादेश सं. 412–आर/आई.एस.–32–32/50 दिनांक 12–5–1952 में किया गया है। बाढ़ अथवा आपदा के समय जनसहयोग अत्यन्त आवश्यक है। जिसके लिये जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण श्रावस्ती के नाम से खोले गये खाते में धन राशि जमा की जायेगी। स्वयं सेवी संस्थाओं/संगठनों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों, व्यापारियों, स्कूलों आदि से आपदा सहायतार्थ प्राप्त होने वाली धनराशि इस खाते में जमा की जायेगी तथा जमाकर्ता को रसीद भी दिया जायेगा। जनपद में जिला आपदा कोष की स्थापना की जा चुकी है। जिला आपदा कोष में जमा होने वाली धनराशि का व्यय बाढ़/आपदा ग्रसित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्यों के लिये जिला आपात कालीन परामर्श दात्री समिति के पांच सदस्यों की उप समिति बना कर उसकी राय के अनुसार किया जायेगा। जिला आपदा कोष के लिये अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को प्रभारी बनाया गया है।

शा.सं. 412–आर/आई.एस.–32/50 दिनांक 12.5.1952 :–

1 दैवी आपदा राहत कोष प्रत्येक जिले में स्थापित होना चाहिये। यह केवल बाढ़ की अवधि में ही केवल सहायता पहुंचाने के लिये नहीं, अपितु यह सूखा, बाढ़, अकाल, अग्निकांड जैसी गम्भीर परिस्थितियों में राहत कार्यों के लिये होता है। राहत कार्यों के लिये जनता द्वारा स्वेच्छापूर्वक प्रदत्त धन को कोष में डाला जाता है। अहैतुक राहत के लिये शासन द्वारा स्वीकृत धन को कोष में नही सम्मिलित किया जायेगा। ऐसे राहत कार्यों के लिये जिलाधिकारी स्थानीय जनता से प्राप्त दान/भेंट अपने निजी लेखे में 'दैवी आपदा राहत कोष' के नाम से कोषागार/बैंक में रखेंगे तथा जिले के राहत कार्यों में इसका उपयोग करेंगे। जब कभी आवश्यकता हो तो यह धन चेक द्वारा कोषागार/बैंक से जिलाधिकारी द्वारा आहरित किया जा सकता है। इस निजी लेखा की सम परीक्षा, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के कर्मचारियों द्वारा की जायेगी।

2 जिलाधिकारी एक छोटी स्थायी समिति भी बना सकते है जिसमें स्थानीय विधायक, सहायता संगठनों के प्रतिनिधि तथा प्रमुख स्थानीय कार्यकर्ता होंगे। ये प्रतिनिधि दैवी आपदा राहत कोष से किये जाने वाले व्यय पर परामर्श देंगे।

3 शासन को एक त्रैमासिक रिपोर्ट निम्नलिखित सूचना देते हुए भेजी जानी चाहिये –

क पिछले त्रैमास के प्रारम्भ में अधिशेष।

ख पिछले त्रैमास में प्राप्त कुल धन।

ग तीन महीनों में व्यय की गयी धनराशि।

घ कोष में शेष धनराशि

Chapter-10

Procedure And Methodology For Monitoring, Evaluation, Updation And Maintenance of DDMP

आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में आपदा सम्बन्धी कार्यों के संचालन के लिये मॉकड्रिल जिला स्तर /ग्राम स्तर पर कराये जाने हेतु योजना बनाई जाती है जो निम्नवत् है :– कैपीसिटी प्रोग्राम के अन्तर्गत बराबर आपदा से बचाव हेतु रिहलसल कराया जाता है और जन जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार भी कराया जाता है। इस कार्य में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स एवं अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त किया जाता है।

जनपद श्रावस्ती में आपदा प्रबन्धन मॉक ड्रिल योजना

समय	प्रणाली (उपयोग, रख रखाव और रिकार्ड) जिम्मेदार	जिम्मेदार व्यक्ति आपदा समय से पूर्व।
आपदा समय से पूर्व। समस्त विभागीय तैयारी पूर्ण हो जाने के उपरान्त, जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से तिथि, स्थान व समय निर्धारित करते हुए। वर्ष में कम से कम दो बार।	बैठक कर प्रत्येक विभाग की कार्ययोजना पर चर्चा करके मॉकड्रिल कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इस कार्ययोजना में विभागीय सेवाओं/दायित्वों के प्रदर्शन, अभिलेखों का रखरखाव एवं अन्तर्विभागीय व अन्य विभागों के साथ समन्वय को प्रदर्शित किया जाएगा।	जिला आपदा प्रबन्धन समिति, नोडल अधिकारी, मॉक ड्रिल, समस्त प्रतिभागी विभाग एवं जनप्रतिनिधि।
समय	प्रणाली	जिम्मेदार व्यक्ति आपदा समय से पूर्व।
प्रत् येक साल	अन्य विभागो की रिपोर्ट के अनुसार, जनपद स्तरीय सूचनाओं का अद्यतन एवं नवीनतम शासनादेशों का अनुपालन।	जिला आपदा प्रबन्धन समिति

योजना	आधुनिकी
जिला आपदा प्रबंधन योजना	1/2 वार्षिक (मई – नबम्बर)
अन्य विभाग आपदा प्रबंधन योजना	1/2 वार्षिक (मई – नबम्बर)

जनपद स्तरीय मॉकड्रिल कार्ययोजना आपदा प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ बचाव एवं राहत कार्यो का रिहर्सल/प्रदर्शन दिनांक 28–05–2019 समय प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक

विषय	जनपद श्रावस्ती में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए बचाव एवं राहत कार्य
घटना स्थल	ग्राम तिलकपुर निकट भाकलाघाट तहसील भिनगा
सम्बन्धित थाने का नाम	कोतवाली भिनगा
सूचना का स्रोत	सिचाई विभाग (स0न0ख0–6) राप्ती बैराज / तहसील भिनगा कन्ट्रोल रूम
सूचना प्राप्ति केन्द्र	जिला आपदा नियन्त्रण कक्ष 05250–222288
टीम कमाण्डर	श्री चन्द्र मोहन गर्ग, उपजिलाधिकारी भिनगा (9454416088)
कमाण्डर पार्ट पुलिस अधिकारी	क्षेत्राधिकारी भिनगा (9454401379)
सम्बन्धित थाना व तहसील टीम (राजस्व व पुलिसिंग कार्य हेतु)	तहसीलदार भिनगा व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली भिनगा पर्याप्त राजस्व व पुलिस कर्मियों सहित जिसमें सभी आपदा उपकरणों जैसे सर्चलाइट, लाइफ जैकेट, लाइफ व्वाय, मेगाफोन, स्ट्रेचर, सेफ्टी हेलमेट, फायर इन्स्टीग्यूसर, वाटर कन्टेनर, लाउडस्पीकर, डण्डा, वॉडी प्रोटेक्टर आदि उपलब्ध रहेगी।
स्वास्थ्य विभाग व एम्बूलेन्स टीम सहित	घटना स्थल पर एम्बूलेन्स उपलब्ध कराते हुए आकस्मिक उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सादल एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक दवाओं की किट सहित उपलब्ध रहेगें।
जिला पूर्ति अधिकारी, श्रावस्ती	घटना स्थल पर प्रभावित व्यक्तियों के खान–पान की समुचित व्यवस्था एक पूर्ति निरीक्षक आपूर्ति स्टाफ सहित जो टीम कमाण्डर के निर्देशन में कार्य करेंगे।
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	घटना स्थल पर प्रभावित पशुओं के उपचार एवं चारे की व्यवस्था हेतु पशु चिकित्साधिकारी उपलब्ध रहेंगे एवं टीम कमाण्डर के निर्देशन में कार्य करेंगे।
नोडल अधिकारी(उपरोक्त टीम वर्क के निरीक्षण व परीक्षण हेतु जो आर0ओ0(जिलाधिकारी) को टीम कमाण्डर की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।	श्री अवनीश कुमार राय, मुख्य विकास अधिकारी, श्रावस्ती (9454464850)
सफाई कार्य व्यवस्था	जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती वाटर टैंक, ट्रैक्टर ट्राली, जे0सी0बी0, ट्रक, हथौड़ा रस्सा, फॉगिग मशीन, ब्लीचिंग पाउडर, कूड़ा उठाने वाली ढकेल, मलवा उठाने वाली ट्राली सहित 20 कर्मचारी व सफाई गैंग मय सफाई नायक यूनीफार्म में घटना स्थल पर उपस्थित रहेंगे। जिनके सहायोगार्थ अधि0अधिकारी, नगर पालिका भिनगा रहेगे।
विद्युत व्यवस्था	क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, लाइनमैन व टेकनिकल स्टाफ के साथ रस्सा, वायर, हेलमेट गाड़ी सहित मौके पर उपस्थित रहेगी।
एन0एस0एस0 जत्था (आमजनमानस के मध्य सामन्जस्य स्थापित करने हेतु)	12 छात्रों की टीम घटना स्थल पर उपस्थित रहेगी।
होमगार्ड जत्था(आम जनमानस, बद्ध व बच्चों की सहायता तथा पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में कार्य करने हेतु)	12 होमगार्ड का जत्था घटना स्थल पर उपस्थित रहेगा।
आर्मी व पी0ए0सी0 की उपलब्धता (टीम कमाण्डर के साथ मौके पर घटना प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक राहत कार्य करायेंगे)	11वीं एन0डी0आर0एफ0
कन्ट्रोल रूम(मिनट–टू–मिनट घटना स्थल के रिस्पांस टाइम, गतिविधि व कुशलता नोट करते हुए टीम कमाण्डर व आर0ओ0 (जिलाधिकारी) को अवगत करते रहेंगे)	फ्लड कन्ट्रोल रूम, कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी, श्रावस्ती (05250222288)

सभी टीम कमाण्डर वायरलेस सेट पर आर0ओ0 (रेस्पांस आफिसर)/जिलाधिकारी, श्रावस्ती से सूचना आपदा–प्रदान करते हुए आदेश प्राप्त करते रहेंगे। उक्त मॉक ड्रिल में यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके विरूद्ध बाढ़ मैनुवल 2008 में दिये गये प्राविधानों के अर्न्तगत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी स्वंय उत्तरदायी होगा।

दिनांक मई 2019

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी,
श्रावस्ती

कार्यालय जिलाधिकारी, श्रावस्ती

संख्या /आपदा–तेरह–बाढ़/मॉक एक्सरसाइज/ 2019 दिनांक मई 2019

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

1– सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– आयुक्त, देवी पाटन मण्डल, गोण्डा।
3– पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती।
4– मुख्य विकास अधिकारी, श्रावस्ती।
5– अपर जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
6– अपर पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती।
7– समस्त मीडिया जनपद श्रावस्ती को समस्त कार्यवाही व प्रदर्शन आम जनमानस के उपयोगार्थ एवं लाभार्थ निःशुल्क प्रकाशन हेतु द्वारा जिला सूचना अधिकारी, श्रावस्ती।
8– ए0आर0टी0ओ0 श्रावस्ती को घटना स्थल पर एक छोटा वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु।
9– अधिशाषी अभियन्ता, स0न0ख0–6 श्रावस्ती/बाढ़ कार्य/प्रा0ख0, लो0नि0वि0/विद्युत वितरण खण्ड अपने–अपने अवर अभियन्ता व ठेकेदारों के साथ घटना स्थल पर टीम कमाण्डर के सहयागार्थ उपस्थित रहेंगे।
10– जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती को इस आशय से कि घटना स्थल पर एक टीम जिसमें 12 सफाईकर्मी व एक सफाई नायक पूरी यूनीफार्म में रहेंगे, की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।
11– जिला सूचना अधिकारी, श्रावस्ती को घटना स्थल का वीडियो कबरेज कराकर उपलब्ध कराये जाने हेतु।
12– समस्त सम्बन्धित अधिकारी को अनुपालनार्थ।
13– समस्त सुरक्षा दलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
श्रावस्ती

Chapter-11

Coordination Mechanism For implementation of DDMP

आपदा प्रबन्ध में विभिन्न विभागों जो शासकीय है अथवा अर्द्धशासकीय है उनके सहयोग के लिये उनके मोबाइल नम्बर्स व टेलीफोन नम्बर्स के साथ क्षैतिज लिंक रखे जाते है । इसके लिये एन0जी0ओ0, सी0बी0ओ0एस0 स्वयं सेवी संगठन, औद्योगिक संगठन, शासकीय व प्राईवेट स्कूलों, अस्पताल के पूर्ण विवरण सहित उनकी कार्य योजनायें आपदाजनित कार्यों के लिये सहयोग प्रदान करने हेतु तैयार करा ली जाती है।

खण्ड विकास/ग्राम स्तर पर अधिकारियों की टीमें भी ग्रामीणों को विभिन्न आपदाओं से बचाव हेतु प्रशिक्षित करते है। जिला स्तर पर आपदा जोखिम को कम करने के लिये यूनिसेफ आदि द्वारा संचालित आपदा के विाय पर गोष्ठी भी की जाती है।

आपदा प्रबन्ध के लिये समीपवर्ती जनपदों यथा बहराइच, बलरामपुर गोण्डा, को आपदा प्रबन्धन द्वारा दूरभाश पर एवं उनके द्वारा वांछित सूचनायें प्रदान की जाती है। इसके लिये आपदा जनित समय में नोडल अधिकारी अधिषासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड–6, बहराइच/श्रावस्ती को भी सूचनायें आदान–प्रदान करने के लिये निर्देशित कर दिया जाता है एवं यू0पी0एस0डी0एम0पी0 से बराबर मार्ग भी प्राप्त होते रहते है। आपदा के विशयक स्थिति में सेना की भी सहायता ली जाती है।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती

भवन अधिग्रहण आदेश

जनपद में बाढ़ की विभिषिका के कारण बाढ़ चौकी/बाढ़ राहत केन्द्र /बाढ़ राहत शिविर/सेना के ठहरने/बाढ़ सामग्री के स्टोरेज हेतु भवनों का अधिग्रहण किया जाना अनिवार्य हो गया है।

अतः मैं....., जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती दि यू.पी. एक्यूजीशन आफ प्रापर्टी (फ्लड रिलीफ एक्ट 1948) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयाग करते हुए भवन जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है, को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक के लिए अधिग्रहीत करता हूँ।

भवन स्वामी का नाम व पता　　भवन की चौहद्दी

दिनांकः

जिला मजिस्ट्रेट
श्रावस्ती

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती

वाहन अधिग्रहण आदेश

जनपद में बाढ़ की विभिषिका उत्पन्न होने के कारण बचाव एवं राहत कार्य हेतु वाहन अधिग्रहण किया जाना आवश्यक होगा।

अतः मैं....., जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाहन को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक के लिए अधिग्रहीत करता हूँ और एतद् द्वारा यह आदेश देता हूँ कि :—

1. ड्राइवर की सेवाएं या ऐसी स्थिति में जब स्वामी/वह व्यक्ति जिसके कब्जे में गाड़ी हो स्वयं उक्त गाड़ी का ड्राइवर हो तब उक्त गाड़ी के ड्राइवर के रूप में उसकी सेवाएं उसी समय से और पूर्वांकित अवधि के लिए उपलब्ध की जाएगी।
2. स्वामी उक्त गाड़ी को अपने खर्चे वर अच्छी दशा में भली—भॉति मरम्मत करके रखेगा और भाड़ेदार को उक्त गाड़ी से सम्बंधित सभी हानि या क्षति के सम्बंध में सूचना देगा चाहे वह किसी भी कारण से हुई हो।
3. यदि भाड़ेदार की राय में ड्राइवर या क्लीनर अदक्ष हो या उनका व्यवहार अच्छा न हो तो भाड़ेदार द्वारा अनुरोध किए जाने पर, स्वामी इन कर्मियों को तुरन्त ही बदल देगा और उनके स्थान पर दूसरे कर्मिकों की व्यवस्था करेगा।
4. गाड़ी चलाने के लिए पिट्रोल, डीजल और इंजन तेल की व्यवस्था भाड़ेदार द्वारा की जाएगी।

वाहन संख्या	वाहन स्वामी का नाम व पता	वाहन का प्रकार

नोटः कृपया अपने वाहन के साथ त्रिपाल अवश्य लाएं। त्रिपाल का किराया भी वाहन के किराए में सम्मिलिति है। यदि वाहन/ट्रक के साथ त्रिपाल नहीं लाया जाता है तो त्रिपाल का किराया वाहन के किराए में से काटकर शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

FORM FOR REQUISITIONING ARMY/AIR FORCE HELP FOR FLOOD RELIEF

1. Divisional H.Q. of affected area with name of Divisional Commissioner, Tele and Fax No. with S.T.D Code
2. District H.Q. of affected area with name of D.C./D.M., Commissioner, Tele and Fax No. with S.T.D Code
3. Details of affected area :
   - (a) District
   - (b) Town
   - (c) Blocks
   - (d) Villages
   - (e) Extent aof area under flood (Kms X Kms)
   - (f) Water Level and Current
   - (g) Flash flood, expected inundation period
4. State Resources :
   - (a) No. of country boats with civil admn.
   - (b) No. of country boats hired
   - (c) No. of Motor boats with civil admn./hired
   - (d) Wireless sets with freq. band/range
5. Help Envlased :
   - (a) Approx. No. of persons to be evacuated
   - (b) Approx. ton of relief material to be distributed
   - (c) Approx. water distances to be travel by boat per trip
   - (d) Relief matrl. And labour to handle these likely to be in point by (date/time)
6. Co-ordination with Civil Administration
   - (a) Exact loc for Army to colr to arrive
   - (b) Local Civil Officer for Liason and guidance
   - (c) Local Guide to accompany boats with knowledge of grnd bunds and pipelines under water, HT wires, Snapped electrical cable and so on.

DISTRICT MAGISTRATE,
Shrawasti

Chapter-12

Standard Operating Procedures (SOPs) and checklist

आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के अन्तर्गत स्टेकहोल्डर्स के साथ आपदा जोखिम को कम करने के लिये ई0एस0एफ0 और आई0आर0एस0 के लिये बैठके आयोजित कराकर विभागीय अधिकारियों जिसमें राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य, कृषि आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों को आपदा जनित संकट को कम करने के लिये उनके अनुभवों को एक–दूसरे के साथ गोष्ठी में विचार विमर्श करके आपदा से निपटने की तैयारी विभिन्न बिन्दुओं पर की जाती है तथा विभाग चेक लिस्ट तैयार किया जाता है। जैसेः ट्रैफिक कन्ट्रोल, लॅण्डआडर, डेड बॉडी स्पिोजल, प्रभावित परिवारों को पुर्नबसाव आदि के बारे में पहले से ही प्राकृतिक जन्य आपदाओं की चेक लिस्ट तैयार की जाती है। बाढ़ से सम्बन्धित चेक लिस्ट निम्नवत् तैयार की गई है।

आपदा प्रभावित व्यक्तियों को भोजन, पीने का स्वच्छ जल, कपड़े अन्य आवश्यक वस्तुयें बेघर हुये व्यक्तियों को बसाव हेतु सेल्टर मैनेजमेंट, हैल्प लाइन नम्बर–1077 व 05250–222788 प्रोबाइड किया गया है।

क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुर्नस्थापन, जैसे बांघ, जल संस्थान, विद्युत एवं परिवहन, सिंचाई हेतु नहरों की मरम्मत आवंटित बजट से कराये जाने की व्यवस्था की गई हैं। अतिवृष्टि लोगों के जनपद में भ्रमण के समय पूर्व से ही तैयारी कर ली जाती है ,और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण उच्चाधिकारियों द्वारा किया जाता है। जनपद में बाढ से सम्बन्धित तैयारी मे बांध बन्धो एवं तट बन्धो के चेकलिस्ट तैयार की जाती है तथा विभिन्न आपदो के लिए भी चेकलिस्ट तैयार कराई जाती है। बाढ के पूर्व बांध बन्धो की सुरक्षात्मक तैयारी की चेक लिस्ट निम्नवत है–

अति संवेदनशील स्थलों की सूची

1–सरयू नहर खण्ड–6, श्रावस्तीः–

आर0आर0ए0 बंध

(I) किमी0 16.758 से 21.400 तक (कुल लम्बाई 4.642 किमी0)

(II) 5 नग स्पर

1–सरयू नहर खण्ड–प्रथम, बहराइचः–

कलकलवा मार्जिनल बंध

(I) किमी0 4.390 से किमी0 5.360 के मध्य

(II) किमी0 13.500 से किमी0 14.350 के मध्य

(III) किमी0 17.150 से किमी0 18.165 के मध्य

बाढ़ खण्ड श्रावस्तीः–

क्र0सं0	स्थान का नाम	नदी का नाम / तट	चैनेज	बॉध का नाम	अभ्युक्ति
1	ग्राम–अलीनगर	राप्ती नदी / बायां	किमी0 1.780	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध	अति संवेदनशील
2	ग्राम–धर्मनगर	राप्ती नदी / बायां	किमी0 1.800	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध	अति संवेदनशील
3	ग्राम–सर्रा	राप्ती नदी / बायां	किमी0 6.510	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध	अति संवेदनशील
4	ग्राम–मनकापुर	राप्ती नदी / बायां	किमी0 19.900 से किमी0 21.800	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध	अति संवेदनशील
5	ग्राम–तिलकपुर				
6	ग्राम–भौसाव	राप्ती नदी / बायां	किमी0 6.500	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध	अति संवेदनशील
7	ग्राम–सुजानडीह	राप्ती नदी / बायां	किमी0 6.000 से किमी0 7.000	खजुहा झुनझुनिया अन्धरपुरवा तटबन्ध	अति संवेदनशील
8	ग्राम–मुजेहना	राप्ती नदी / बायां	किमी0 7.500	खजुहा झुनझुनिया अन्धरपुरवा तटबन्ध	अति संवेदनशील
9	ग्राम–भरथापुर	राप्ती नदी / बायां	प्रभावित ग्राम		अति संवेदनशील
10	ग्राम–मोहनापुर	राप्ती नदी / बायां	प्रभावित ग्राम		अति संवेदनशील
11	ग्राम–भरथापुर (सिसवारा)	राप्ती नदी / बायां	प्रभावित ग्राम		अति संवेदनशील
12	ग्राम–रमनगरा	राप्ती नदी / बायां	प्रभावित ग्राम		अति संवेदनशील

वर्ष 2019 में बाढ़ बचाव हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी

क्र	खण्ड का नाम	अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता का नाम	अस्थायी मुख्यालय	निगरानी हेतु स्थल का नाम	मोबाइल नं0
1	2	3	4	5	6
1	सरयू नहर खण्ड–6, श्रावस्ती	श्री अजय कुमार, अधिशासी अभियन्ता	बहराइच	राप्ती बैराज पर स्थित समस्त बाढ़ सम्बन्धी कार्य	9415368021
2		श्री अशोक कुमार, सहायक अभियन्ता	राप्ती बैराज	तदैव	9415637067
3		श्री हरीवंश, अवर अभियन्ता	राप्ती बैराज	तदैव	9452653984
4		श्री राहुल, अवर अभियन्ता	राप्ती बैराज	तदैव	9453567012
1	बाढ़ खण्ड श्रावस्ती	श्री मिथिलेश कुमार वर्मा, अधिशासी अभियन्ता	भिनगा	बाढ़ सम्बन्धी समस्त कार्य	9415329695
2		श्री के0एम0 लाल, सहायक अभियन्ता	भिनगा	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध के किमी0 0.000 से 11.000 तक।	9221368584
3		श्री राजा राम, अवर अभियन्ता	भिनगा	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध के किमी0 0.000 से 11.000 तक।	9453278367
4		श्री ओ0पी0 चौहान, सहायक अभियन्ता	भिनगा	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध के किमी0 11.000 से 22.400 तक।	8787060840
5		श्री संदीप गुप्ता, अवर अभियन्ता	भिनगा	परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध के किमी0 11.000 से 22.400 तक।	9919021922
6		श्री पंकज कुमार, सहायक अभियन्ता	भिनगा	खजुहा झुनझुनिया अन्धरपुरवा तटबन्ध किमी0 0.000 से 11.000 तक	8318745334
7		श्री महीप कुमार, अवर अभियन्ता	भिनगा	खजुहा झुनझुनिया अन्धरपुरवा तटबन्ध किमी0 0.000 से 11.000 तक	9453797727
8		श्री आदित्य प्रकाश, सहायक अभियन्ता	भिनगा	खजुहा झुनझुनिया अन्धरपुरवा तटबन्ध किमी0 11.000 से 22.500	9839474554
9		श्री राहुल अरोड़ा, अवर अभियन्ता	भिनगा	खजुहा झुनझुनिया अन्धरपुरवा तटबन्ध किमी0 11.000 से 22.500	9838463882
1	सरयू नहर खण्ड–प्रथम बहराइच	श्री अशोक कुमार, अधिशासी अभियन्ता	बहराइच	कलकलवा मार्जिनल बंध से सम्बन्धित समस्त कार्य	9838768356
2		श्री विशनु प्रसाद, सहायक अभियन्ता	कलकलवा मार्जिनल बंध	कलकलवा मार्जिनल बंध के किमी0 0.000 से 19.150 तक (अस्थायी मुख्यालय गंगापुर)	9556383162
3		श्री ज्योति प्रकाश, अवर अभियन्ता	कलकलवा मार्जिनल बंध	कलकलवा मार्जिनल बंध के किमी0 0.000 से 10.000 तक (अस्थायी मुख्यालय गंगापुर)	8765236889
4		श्री अमर नाथ, अवर अभियन्ता	कलकलवा मार्जिनल बंध	कलकलवा मार्जिनल बंध के किमी0 10.000 से 19.150 तक (अस्थायी मुख्यालय रामपुर)	9450113441

वर्ष 2019 में बाढ़ बचाव हेतु रिजर्व स्टाक का खण्ड वार विवरण।

1—सरयू नहर खण्ड—6, श्रावस्ती (राप्ती बैराज पर स्थित स्टोर में):—

1—सीमेन्ट की खाली बोरी	— 80030 अद्द
2—स्टोन बोल्डर	— 631.079 घन मीटर
3—नायलान केट	— 15681 अद्द
4—जी0आई0 वायर केट	— 48 अद्द

1—सरयू नहर खण्ड—1, बहराइच (कलकलवा मार्जिनल बंध पर स्थित स्टोर में):—

1—सीमेन्ट की खाली बोरी	— 60000 अद्द
2—ब्रिक रोडा	— 16.45 घन मीटर
3—नायलान केट	— 2250 अद्द
4—जी0आई0 वायर केट	— 95 अद्द

बाढ़ खण्ड श्रावस्ती:—

1—पुरानी सीमेन्ट की खाली बोरी	— 50000 अद्द
2—फस्ट क्लास ब्रिक रोडा	— 50.00 घन मीटर
3—नायलान केट	— 10000 अद्द
4— नई सीमेन्ट की खाली बोरी	— 25000 अद्द
5—लोकल सैण्ड/मिटटी	—200 घन मीटर

नोटः—उपरोक्त सामग्री हेतु मांग पत्र उचाधिकारियों को भेजा जा चुका है। बाढ़ अवधि के पूर्व उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति कर लिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
(नोडल अधिकारी)
बाढ़ खण्ड श्रावस्ती

कार्यालय अधिषासी अभियन्ता
बाढ खण्ड श्रावस्ती

पत्रांक /बा0ख0श्रा0/ /दिनांक

विषय —परियोजनाओं के प्रेषण के सम्बन्ध में ।

अधीक्षण अभियन्ता, नवम मण्डल, सिंचाई कार्य, बहराइच ।

उपरोक्त विषयक का अवलोकन करने की कृपा करें, इस खण्ड द्वारा जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत निम्नलिखित कटाव निरोधी कार्यो की परियोजना 04 प्रतियों में तैयार कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र0सं0	परियोजना का नाम	लागत (लाख रू0 में)
1	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध के किमी0 5.200 से 6.000 के मध्य ग्राम—अशरफ नगर के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना ।	506.66
2	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर परसा डेहरिया तिलकपुर तटबन्ध के किमी0 21.500 से 22.000 तक तटबन्ध कटाव निरोधी कार्य की परियोजना ।	460.96
3	जनपद श्रावस्ती में हथियाकुण्डा नाले के बायें तट पर ग्राम गैंगडीह (थारू जनजाति बाहुल्य) के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना।	113.16
4	जनपद श्रावस्ती में डगमरा नाले के बायें तट पर ग्राम कलकलवा (थारू जनजाति बाहुल्य) के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना।	114.92
5	जनपद श्रावस्ती में भैंसाही नाले के दायें तट पर ग्राम गब्बापुर (थारू जनजाति बाहुल्य) के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना।	84.92
6	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम मध्यनगर के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना का प्राक्कलन।	238.86
7	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम मुजेहना के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना का प्राक्कलन।	184.46
8	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम रमनगरा के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना का प्राक्कलन।	654.45
9	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम सिसवारा के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना का प्राक्कलन।	316.62
10	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम लैबुडवा के समीप कटाव निरोधी कार्य की परियोजना का प्राक्कलन।	342.65
11	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के दायें तट पर स्थित ग्राम खरगौरा गनेश के समीप परक्यूपाईन स्टड द्वारा कटाव निरोधी कार्य की परियोजना का प्राक्कलन।	475.00

अधिशासी अभियन्ता

आपदा प्रतिक्रिया योजनाः भूकम्प, बाढ़ एवं सूखा 2019.20

बाढ़ पूर्व तैयारी, पूर्व चेतावनी, प्रतिक्रिया, जोखिम न्यूनीकरण

यह पहले से ही चिन्हित कर लिया गया है कि नदी तट से लगे कौन से गॉव बाढ़ की जोखिम वाले स्थिति में है और उनके जोखिम का स्तर क्या है। ग्रामों की तहसीलवार सूची संलग्न है। उपरोक्त के अतिरिक्त कमजोर बंधों/तटबंधों की भी पहचान कर ली गई है जिनसे बाढ़ का खतरा हो सकता है। तटबंधों की तहसीलवार सूची संलग्न है।

बाढ़ प्रतिक्रिया के लिए एजेन्सियां – पूर्व चेतावनी के लिए बाढ़ खण्ड प्रथम, केन्द्रीय जल आयोग तथा मौसम विभाग द्वारा बाढ़/मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान/सूचनाओं का प्रसार किया जाएगा।

सहयोगी सेवाओं के लिए एजेन्सियां – स्वास्थ्य, जल निगम, पशुपालन, कृषि, पी0डब्लू0डी0, गैर सरकारी संस्थाएं आदि मददगार हो सकते हैं।

बाढ़ राहत के लिए कार्य

– राहत कार्यों का संचालन बाढ़ चौकियों से किया जाएगा। बाढ़ चौकियों पर 24 घण्टे कर्मचारियों की तैनाती रहेगी। पूर्वानुमानित आवश्यक सामग्रियों का भण्डारण इन बाढ़ चौकियों पर होगा।

– बाढ़ राहत कार्यों के लिए नावें सबसे आवश्यक हैं। चिकित्सीय सहायता के लिए भी नावों की आवश्यकता होती है। अतः समस्त नावों को बाढ़ चौकियों से सम्बद्ध कर लिया जाएगा।

– बाढ़ से घिरे लोगों की सम्भावित संख्या के आधार पर पीने योग्य पानी व राशन की आवश्यकता का आंगणन पहले से ही कर लिया जाएगा।

– आवश्यक राशन एवं पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए मंडलायुक्त एवं राहत आयुक्त को सूचित किया जाएगा।

– पानी के शुद्धीकरण के लिए क्लोरीन टेबलेट की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाएगी।

– खाद्य सामग्री एवं पानी के वितरण के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाएगा।

बाढ़ के दौरान आवश्यक सामग्री का आगणन

– बाढ़ से घिरने वाले क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर राहत सामग्री की आवश्यकता का आगणन किया जाएगा।

– राहत कार्यों के पर्यवेक्षण में लगे लोगों से रिपोर्ट लेकर तथा भौतिक निरीक्षण व हवाई सर्वेक्षण करके राहत कार्यों एवं और आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाएगा।

– बाढ़ राहत केन्द्रों में शरण लिए लोगों से मिलकर उनकी आवश्यकताओं का आंकलन किया जाएगा।

– प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक सामग्रियों का आंकलन करके उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी।

बाढ़ क्षति आंकलन –

राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए क्षति का आंकलन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे लिए मुख्यतः दो प्रकार से किया जाएगा– व्यक्तिगत सम्पत्तियों की क्षति तथा सार्वजनिक सम्पत्तियों की क्षति। दोनों के लिए अलग–अलग कार्यदल बनाए जाएंगे।

– क्षति के आंकलन में निम्नलिखित क्षतियों को सम्मिलित किया जाएगा–

– मृतकों एवं घायलों की संख्या –

आश्रय स्थलों एवं सार्वजनिक भवनों को क्षति

– फसल की क्षति

– पालतू पशुओं की मृत्यु

– आवश्यक संरचनाओं की क्षति

– क्षति का आंकलन भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण पर आधारित होगा।

यह सत्यापन ग्राम पंचायत, विकास खण्ड या तहसील स्तर पर बनाई गई समितियों द्वारा किया जाएगा।

– क्षति का आंकलन प्राथमिकता के आधार पर तय स्थलों से शुरू किया जाएगा। बाढ़ राहत एवं पुनर्वास बाढ़ के उपरान्त राहत एवं पुनर्वास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे–

– समस्त सार्वजनिक संरचनाओं की मरम्मत जैसे सड़क, बांध, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति इत्यादि।

– स्कूल भवनों व चिकित्सालयों की मरम्मत एवं उनका शीघ्र कार्य प्रारम्भ करना।

– प्रभावित लोगों को भवनों की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता।

– ग्रामीण बैंकों द्वारा किसानों व कामगारों को ऋण वितरण जिससे वे अपना कारोबार शीघ्र शुरू कर सकें।

– बीज एवं खाद आदि का वितरण जिससे कि प्रभावित लोग बाढ़ के बाद कृषि कार्य प्रारम्भ कर सकें। राहत कार्यो के लिए उपलब्ध नावों की सूची

– राहत कार्यों के लिए उपलब्ध सरकारी एवं निजी नावों की तहसीलवार सूची संलग्न की गयी है।

राहत कार्यो के लिए स्थापित बाढ़ चौकियों की सूची

– राहत कार्यों के लिए स्थापित बाढ़ चौकियों की तहसीलवार सूची संलग्न है। बाढ़ चौकियों का विवरण–

राहत कार्य की मूलभूत इकाई के तहत पूरे जनपद में बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है। इसके प्रभारी नायब तहसीलदार/सहायक बी0डी0ओ0 हैं। ग्राम विकास अधिकारी, लेखाकार एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि तथा पशु धन विभाग के प्रतिनिधि बाढ़ चौकियों के सम्बद्ध हैं। नौकाएं भी बाढ़ चौकियों से सम्बद्ध की गई हैं। प्रत्येक बाढ़ चौकी पर निम्नलिखित रजिस्टर होने चाहिए–

1. कैश बुक
2. स्टाक बुक
3. वितरण रजिस्टर
4. लाभार्थी की सूची
5. वाउचर गार्ड फाइल
6. स्थानीय क्रय रजिस्टर
7. नौकाओं की लांग–बुक एवं नाविक का मस्टररोल
8. क्षतिग्रस्त मकानों का रजिस्टर
9. स्वास्थ्य सूचनाओं की रजिस्टर
10. पशुधन सम्बन्धी रजिस्टर
11. दैनिक बाढ़ रिपोर्ट रजिस्टर राहत सामग्री पैकेज– मानक, सेवायें एवं सुविधायें आक्सफॉम एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गैर सरकारी संगठनों द्वारा किये हुए अध्ययन के अनुसार राहत सामग्रियों का एक पैकेज तैयार किया गया है, जो निम्नवत् है। राहत सामग्री के पैकेज निम्नलिखित स्थितियों के लिए बनायी गयी है

– घिरे हुए गांव

इस स्थिति में गांव घिरे हुए होते हैं एवं उनका सम्पर्क अन्य स्थानों से टूट जाता है, परन्तु घरों में पानी नहीं घुसा होता है, जनता घरों में फंसी होती है। इन्हें बाजार से खरीदने वाली वस्तुओं की आवश्यकता होती है–

1. प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य
2. औषधियां
3. कीटनाशक (बाढ़ के उतरने के बाद प्रयोग के लिए) जलमग्न घरों में रहने वाली जनता– घरों के अंदर या छत पर फंसे हुए लोगों को उपरोक्त सामान के अतिरिक्त निम्नलिखित वस्तुएं भी चाहिए–
4. खाद्य सामग्री

5. पीने का पानी
6. अस्थायी शौचालय
7. शिशु आहार विस्थापित जनता – ऐसे व्यक्ति, जो घर छोड़कर बंधों या ऊँची जगहों पर शरण लिए हुए हैं, उन्हें उपरोक्त के आलावा निम्न वस्तुओं की भी आवश्यकता है–
8. तम्बू
9. पशुओं के लिए चारा इन वस्तुओं की पैकेज की विवरणी नीचे की तालिका में दी हुई है। ये पैकेज प्रति 1000 जनसंख्या (200 घर) के लिए 10 दिन के लिए है। नीचे की तालिका में परिवहन इत्यादि का प्रशासनिक खर्च नहीं जोड़ा गया है।

पुलिस सहायता पुलिस विभाग निम्न प्रकार से राहत कार्यों में मदद करेगा –

1. वायरलेस के माध्यम से नदियों में जल स्तर घटने/बढ़ने तथा तहसीलों से प्राप्त बाढ़ सम्बन्धी सूचनाओं का जिला मुख्यालय पर प्रेषण।
2. बाढ़ की दशा में कटान वाले गावं को खाली कराया जाना तथा कटान की स्थिति में शान्ति में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना तथा सामान्यतया राहत शिविरों बाढ़ शरणार्थियों और बाढ़ चौकियों पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखा जाना।
3. सम्बन्धित थानों के अन्तर्गत पड़ने वाले बॉधों की सुरक्षा व्यवस्था व समीपवर्ती गांव के सम्बन्ध में सूचना देना।
4. संवेदनशील स्थलों पर सिंचाई विभाग/ड्रेनेज प्रखण्ड/उप जिलाधिकारी की मांग पर वायरलेस सेट लगवाये जाने की व्यवस्था करना।

पी0ए0सी0 सहायता

कभी–कभी अतिवृष्टि तथा अचानक बाढ़ आ जाने पर स्थिति इतनी गम्भीर हो जाती है कि जिला प्रशासन सीमित साधनों से नियंत्रित करना सम्भव नहीं हो पाता। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती द्वारा 01 फ्लड पी0ए0सी0 कम्पनी स्थायी रूप से इस जनपद को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

सैनिक सहायता

पी0ए0सी0 के सहायता के उपरान्त भी बाढ़ स्थिति पर नियत्रंण न होने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा सेंना में स्टेशन कमाण्डर जी0आर0डी0 या सब एरिया हेडक्वार्टर, इलाहाबाद जहां पर सेना का बाढ़ राहत कालम स्थित है, से सहायता की मांग की जायेगी। साथ ही साथ इसकी सूचना मण्डलायुक्त महोदय गोण्डा और शासन को भी देनी होगी।

वायु सेना की आवश्यकता पड़ने पर एक अनौपचारिक पत्र एअर कमाण्डिंग आफिसर को जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित किया जायेगा। जिसमें प्रभावित स्थल के भौगोलिक सिथत का वर्णन होगा। वायुसेना की हेलीकाप्टर/हवाई सहायता प्राप्त करने हेतु वायु सेना के सेण्ट्रल कमान के एडवान्स हेडक्वार्टर तथा बमरौली इलाहाबाद से सम्पर्क स्थापित करना होगा और हेलीकाप्टर के लैण्ड करने हेतु नियत क्वार्डिनेट्स, एकत्रित सामग्री जो प्रभावितों में राहत वितरण हेतु की जायेगी, को उठाने हेतु की सूचना विंग कमाण्डर को प्रेषित करनी पड़ेगी। हेलीकाप्टर के रहने/खाने आदि की व्यवस्था जनपद द्वारा की जायेगी तथा ईधन के प्रयोग हेतु वायुसेना से सम्पर्क करना पड़ेगा। बाढ़ राहत कार्यो में सेना से मॉग किये जाने का प्रारूप ऊपर संलग्न है। सैनिक अधिकारियों को जिले पर पहुँचाने के लिए पथ–पर्दशक की आवश्यकता होगी ताकि वे जनपद में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में सुगमता पूर्वक पहुँच सके। इसके लिए आवश्यक होगा कि प्रत्येक तहसील के उपजिलाधिकारी चार–चार गाइडों का चयन कर पूर्वाभ्यास करा दें और सेना के अधिकारी को गन्तव्य स्थान पर पहुँचने हेतु जनपद का मानचित्र उपलब्ध कराया जायेगा। जनपद में बहने वाली नदियों का जल स्तर चेतावनी विन्दु से ऊपर होने लगे और प्रवृत्ति बढ़ाव की ओर अग्रसर हो तो जल स्तर के सामान्य होने तक सूचना शासन व क्षेत्र के सम्बन्धित सैनिक अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। सेना के नावें को सेना के डिपों से बाढ़ स्थल तक ले जाने के लिए सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार/उपजिलाधिकारी पूर्व में ट्रक मालिकों से बात कर लेंगे ताकि अल्प सूचना पर ही सेना के नाव लगने की व्यवस्था की जा सके।

पेयजल

बाढ़ के समय सबसे अधिक समस्या पेयजल की होती है क्योंकि बाढ़ के पानी से कुंओ का पानी दूषित हो जाता है, बाढ़ से प्रभावित सभी गांवो में तथा उन ऊँचे स्थलों पर जहां बाढ़ के समय गांव के लोग शरण लेते है वहां पर इंडिया मार्का–दो हैण्डपम्प लगवाने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जलनिगम को निर्देशित किया गया है। बाढ़ के समय नागरीय क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति की शुद्धता हेतु नियमित प्रयासों की आवश्यकता है। पेयजल के ओवर हेड टैंको की शुद्धता हेतु नियमित रूप से कराते हुए पेयजल का क्लोरिनेशन आवश्यक सुनिश्चित मात्रा तक किया जाय। इसके लिए डोजरों को क्रियाशील रखा जाय तथा जो डोजर खराब हो, उन्हें तत्काल ठीक करा लिया जाय। पेयजल में क्लोरीन की उपलब्धता हेतु नियमित रूप से ओ0टी0टेस्ट विभिन्न स्थानों से एकत्रित किये जाय। जिन स्थनों पर पेयजल के प्रदूषित होने/ओ0टी0 टेस्ट ऋणात्मक होने की सम्भावना हो, ऐसे स्थानों से पेयजल के नमूने एकत्रित कर परीक्षण हेतु निदेशालय स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला/राज्य स्वास्थ्य संस्थान में भेजें जाय। पेयजल क्लोरिनेशन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी/जलनिगम का एक प्रतिनिधि संयुक्त रूप से आपूर्ति किये जा रहे विभिन्न स्थानों पर नियमित रूप से ओ0टी0 टेस्ट करेंगे और ओ0टी0टेस्ट के परिणाम को जिला अधिकारी की संज्ञानता में लायेंगे। ओ0टी0टेस्ट ऋणात्मक/क्लोरीनेशन का स्तर कम होने पर यथोचित कार्यवाही दायित्वों का निर्वहन न करने वाले कर्मचारी/अधिकारी के प्रति जायेगी।

जन स्वास्थ्य व पशु स्वास्थ्य

चिकित्सा कर्मियों/पशुपालन विभागों के कर्मियों द्वारा 3 चरणों में योजना कार्यान्वित कर सम्पादित की जायेगी–

बाढ़ के तैयारी के पूर्व

1. बाढ़ के समय कार्य
2. बाढ़ के उपरान्त महामारियों की रोकथाम

जिले में स्थापित बाढ़ चौकियों पर चिकित्सा कर्मियों की तैनाती की जायेगी, जिस पर पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक दवाओं, विसंक्रमण, सामग्री, जीवन रक्षक दवाएं, संक्रामक रोगो से बचाव के दवाएं, एण्टीस्नैकवनेन, वैक्सीन आदि की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की जायेगी कि बाढ़ के समयसंचार व यातायात व्यवस्था का मार्ग एक माह तक अवरूद्ध होने पर भी जनस्वास्थ्य के परीक्षण व उपचार में दवाओं की कोई कमी न आने पाये। पशुओं में टीकाकरण फिनायल, एण्टीपाल, एलवेण्डाजाल आक्सों क्लोनाइड, ट्राईक्वेण्डाजाल लिक्विड एवं ब्रोलस तथा एण्टीसर्रा औषधि भी पर्याप्त मात्रा में एक माह तक उपलब्ध रहें। पशुओं में चारे आदि की समस्या का निराकरण एग्रो पुष्टाहार से तथा जिला कृषि अधिकारी से सहकारी फार्म पर उपलब्ध भसूे की स्टाक को सुरक्षित करने हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों या सामूदायिक विकास केन्द्रों पर कोई भी चिकित्साधिकारी या पैरा मेडिकल स्टाफ अनुपस्थित न रहे, उनके अनुपस्थित को मुख्य चिकित्साधिकारी संबंधित उच्च अधिकारियों को अवगत करायेंगे। यदि कोई चिकितसाधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी अनुपसिति पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सी0सी0ए0 रूल्स में प्रावधानित देने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी और वे यथाविधि दण्डित किये जायेंगे। अनुशासनिक कार्यवाही उ0प्र0 पनिश्मेंट एण्ड अपील रूल्स फार सब आर्डिनेट्स के प्रावधानों के अन्तर्गत पैरामेडिकल स्टाफ एवं फर्मासिस्टों आदि के विरूद्ध भी की जायेगी।

बाढ़ की स्थिति आने पर सभी सवेंदनशील क्षेत्रों में चिकित्सा/पशुचिकित्सा विभाग का पैरा मेडिकल स्टाफ/ चिकित्साधिकारी/पशुचिकित्साधिकारी भी तैनात किये जाय।

यदि कोई गांव का सम्पर्क टूट जाता है/कट जाता है तो वहां भेजे जाने वाली चिकित्सकों की टीम में पशु चिकित्साधिकारी का समन्वय मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सुनिश्चित करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संक्रामक रोगों से बचाव/नियत्रंण हेतु पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता भेजे जाने वाली टीमों के पास हो।

जनता का मनोबल

बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के साथ–साथ उनका मनोबल बनाये रखना भी आवश्यक है ताकि लोग बाढ़ से मुकाबला करने हेतु स्वयं को तैयार कर सके। निराशा के कारण अव्यवस्था व व्याप्त असंतोष से निराशा उत्पन्न हो सकती है, इसके निराकरण हेतु स्काउट आग्रेनाईजेशन व रेडक्रास व अन्य स्वैच्छिक संस्थाएं प्रमुख बाढ़ग्रस्त स्थानों पर क्रियाशील रहने से लोगों के मनोबल को प्रोत्साहित करने में सार्थक होगी जिसके कारण लोगों की विचार धारा में परिवर्तन होगा और वे निर्भय पूर्वक बाढ़ से बचाव हेतु दृढ़ विश्वास संरक्षित करते हुए सामना कर सकते हैं आपदा के समय प्रभावितों की रक्षा के लिए आत्म विश्वास तथा साहस प्रदान करने हेतु प्रत्येक स्थल से प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए।

भूकम्प प्रतिक्रिया, न्यूनीकरण एवं पुनर्वास

भूकम्प जोखिम आंकलन

श्रावस्ती जनपद हिमालय की तलहटी से लगे जनपदों में से एक है। भूकम्प की सम्भावना की दृष्टि से यह सिस्मिक जोन चार में पड़ता है जहां 7.5 तक की तीव्रता का भूकम्प आ सकता है। फिर भी धरती के अन्दर लगाातार होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण भू–गर्भ बैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहां कभी भी भूकम्प आ सकता श्रावस्ती जनपद का बृहदतर हिस्सा ग्रामीण इलाका है जहां बहु मंजलियी इमारतें नहीं हैं। यहां कच्चे घरों या छप्पर वाले घरों की संख्या ज्यादा है जिनके गिरने से व्यापक क्षति नहीं होती। शहरी क्षेत्रों में संकरी सड़के हैं तथा भवन एक दूसरे से सटे हुए बने हैं इन भवनों के निर्माण में मानक निर्माण कोड का प्रयोग नहीं किया गया है। इस कारण से इनमें व्यापक क्षति हो सकती है। बड़े उद्योगो की संख्या नगण्य है, इसलिए इनके भी क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना नहीं के बराबर है। आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम के जरिये भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीकी से लोगों को परिचित कराने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। अभियन्ताओं और राजगीरों को भी इसके लिए प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

भूकम्प सम्बन्धी जानकारी

भूकम्प सम्भावना की दृष्टि से जनपद श्रावस्ती सिस्मिक जोन 4 में आता है, जहां रिक्टर पैमाने पर 7.0 से अधिक का भूकम्प आ सकता है। हिमालय की तलहटी से लगे होने के कारण यहां के भूगर्भीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे भूगर्भशास्त्रियों का अनुमान है कि यहां कभी भी भूकम्प आ सकता है। इस दृष्टि से भूकम्प के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। बाढ़ या अन्य आपदाओं के मुकाबले भूकम्प ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, अतः भूकम्प से जानमाल की रक्षा के लिए व्यापक स्तर पर प्रतिक्रिया ढांचे को सक्रिय किया जाना है।

भूकम्प प्रतिक्रिया

- मृतकों, घायलों एवं चोटिल लोगों के बारे में सूचना एकत्र करना।
- , राहत आयुक्त, उ0प्र0 मण्डलायुक्त गोण्डा एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के सूचना देना।
- शीघ्रातिशीघ्र संचार नेटवर्क को पुनस्थापित करना।
- विद्युत व्यवस्था ठीक कराकर आपूर्ति चालू करना।
- खोज एवं बचाव दलों को शीघ्रातिशीघ्र नियत स्थलों पर नियोजित करना जिससे कि मलबे में फंसे लोगों को बचाया जा सके।
- भारतीय वायु सेना को बचाव एवं राहत कार्यो में सहयोग देने के लिए बुलाना।
- अग्निशमन, पुलिस एवं पी0ए0सी0 को राहत कार्यों में सहयोग देने का निर्देश देना।
- खोज बचाव के लिए आवश्यक उपकरणों गैस कटर, अर्थ मवूर, कुल्हाड़ी आदि पूर्व में ही चिन्हित कर लेना तथा यदि आवश्यकता हो तो पड़ोसी जनपदों से मांग करना।

• क्षतिग्रस्त भवनों में लूटपाट रोकने की व्यवस्था करना। केवल परिवार के लोग ही सुरक्षित घोषित हो चुके भवनों में प्रवेश करें, इसकी व्यवस्था करना।

• घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेन्स की व्यवस्था करना।

• राहत कार्य सुचारू ढ़ंग से चलाए जाने हेतु पुलिस एवं पी0 डब्ल्यू0 डी0 द्वारा अवरूद्ध मार्गों को साफ करना।

• क्षतिग्रस्तता वाले क्षेत्रों में लोगों का प्रवेश रोकना, क्योंकि वहां खतरा हो सकता है।

• यातायात को नियंत्रित करना जिससे कि घटनास्थल तक खोज–बचाव दलों का आवागमन सुचारू ढंग से हो सके।

• लाशों के सामूहिक निष्पादन की व्यवस्था करना।

• मृत पशुओं के शवों के निष्पादन की व्यवस्था करना।

भूकम्प प्रबन्धन सम्बन्धी आवश्यकताएं

– राहत केन्द्रों की स्थापना करना एवं प्रत्येक राहत केन्द्र के लिए एक प्रभारी नियुक्त करना।

– भूकम्प से सम्भावित क्षति के आधार पर भोज्य पदार्थों एवं पेयजल की व्यवस्था करना।

– आपूर्ति विभाग, जल निगम एवं गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से भोजन एवं जल का प्रबन्ध सुनिश्चित कराना।

– राहत शिविरों के निकट इण्डिया मार्क हैण्डपम्प लगवाना।

– भूकम्प के बाद फैलने वाली महामारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना व टीकाकरण अभियान चलाना।

– बच्चों, महिलाओं व वृद्ध जनों के लिए पोषक आहार की व्यवस्था करना।

– बेघर हुए लोगों के लिए अस्थायी आश्रयों की आवश्यकता का आंकलन करना।

– जी0 आई0 शीट्स, तिरपाल, बासं आदि से अस्थायी आश्रयों का निर्माण कराना।

– शौचालय एवं स्वच्छता के लिए आवश्यक कदम उठाना।

भूकम्प क्षति आंकलन

भूकम्प की स्थिति में व्यापक क्षेत्र में अत्याधिक क्षति हो सकती है। इसके दृष्टिगत क्षति का आंकलन सघन रूप से किया जाना चाहिए एवं विभिन्न एजेन्सियों का सहयोग लिया जाना भी इसमें आवश्यक है। भूकम्प से सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तियों को नुकसान पहुंच सकता है।

• विभिन्न सरकारी विभागों को अपनी सरंचना एवं सेवाओं को होने वाली क्षति का आंकलन स्वयं करना चाहिए।

व्यक्तिगत सम्पत्तियों को होने वाली क्षति का आंकलन करने के लिए पी0 डब्ल्यू0 डी0 एवं सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं का दल गठित करना चाहिए।

• अभियन्ताओं को क्षति आंकलन करने के लिए प्रशिक्षित कराना चाहिए।

• क्षति आंकलन करने वाले दलों को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सदस्यों व नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका/परिषद सदस्यों का सहयोग लेना चाहिए।

• क्षति आंकलन के परिणामों को ग्रम पंचायत की बैठकों में सार्वजनिक करना चाहिए। इस सम्बन्ध में सभी सुझावों एवं शिकायतों को भी सम्मिलित करना चाहिए।

• पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण का कार्य, हो चुकी क्षति के आंकलन के आधार पर ही होता है। अतः इसे सावधानीपूर्वक करना चाहिए।

भूकम्प जोखिम न्यूनीकरण, पुनर्निमाण एवं पुनर्वास

• पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास का कार्य एक स्वतत्रं अभिकरण के द्वारा कराया जाना चाहिए। इसमें व्यापक कार्यों की आवश्यकता होती है, जो सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था में सम्भव नहीं होता।

• पुनर्निमाण एवं पुनर्वास का कार्यक्रम, हो चुकी क्षति के आंकलन पर ही आधारित होना चाहिए।

• पुनर्निमाण कार्यों में सबसे पहले नागरिक सेवाएं बहाल करना चाहिए। पहले विद्युत, जल व दूरसंचार व्यवस्था सही कराया जाना चाहिए। फिर सड़कों एवं पुलों की मरम्मत कराना चाहिए। सिंचाई के साधनों की जांच करनी चाहिए एवं भूकम्प बाद के संभावित बाढ़ के खतरे से उन्हें बचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

• स्थिति सामान्य बनाने में स्कूल मददगार होते हैं। अतः स्कूलों को जल्दी से जल्दी खुलवाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

• छोटे व्यवसायी, किसान एवं ग्रामीण शिल्पकारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उनकी अजीविका फिर से व्यवस्थित हो सके।

• रोजगार के अवसर देने के लिए श्रमोन्मुखी योजनाएं शुरू की जानी चाहिए।

• पुनर्निमाण एवं नए निर्माण कार्यों में भूकम्परोधी तकनीकि के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए।

• पुनर्निमाण कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए सक्षम अभियन्ताओं की सेवा ली जानी चाहिए।

• भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीकि के प्रयोग के लिए जनजागरूकता अभियान चलाना चाहिए।

सूखा प्रतिक्रिया, न्यूनीकरण एवं पुनर्वास

सामान्यतः मई से सितम्बर के मध्य औसत वर्षा न होने की दशा में जनपद में सूखा पड़ता है। यद्यपि जनपद में पिछले दस वर्षों में सूखे की गम्भीर स्थिति नहीं हुई, फिर भी अवर्षण की स्थिति में इसकी सम्भावना को देखते हुए इसके लिए योजना बनाए जाने की आवश्यकता है।

सूखा प्रतिक्रिया

- प्रभावित लोगों के बारे में सूचना एकत्र करना।
- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, राहत आयुक्त उ0प्र0 शासन, मण्डलायुक्त गोण्डा एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के सूचना देना।
- बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेन्स की व्यवस्था करना।
- राहत सामग्री का वितरण सुचारू ढ़ंग से चलाए जाने हेतु पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को कार्य पर लगाना।
- लाशों के सामूहिक निष्पादन की व्यवस्था करना।
- मृत पशुओं के शवों के निष्पादन की व्यवस्था करना।
- स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- लोगों को बासी/खुले पड़े भोजन न करने की अपील करना। सूखा प्रबन्धन सम्बन्धी आवश्यकताएं

– राहत केन्द्रों की स्थापना करना एवं प्रत्येक राहत केन्द्र के लिए एक प्रभारी नियुक्त करना।
– सूखे से सम्भावित क्षति के आधार पर भोज्य पदार्थों एवं पेयजल की व्यवस्था करना।
– आपूर्ति विभाग, जल निगम एवं गैर सरकारी सस्थाओं के सहयोग से भोजन एवं जल का प्रबन्ध सुनिश्चित कराना।
– सूखे के समय फैलने वाली महामारी गैस्ट्रो, डायरिया, हैजा आदि की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना व टीकाकरण अभियान चलाना।
– बच्चों, गर्भवती महिलाओं व वृद्ध जनों के लिए पोषक आहार की व्यवस्था करना।
– सूखे के समय हो सकने वाली बीमारियों से बचाव के लिए लोगों में जनजागरूकता अभियान संचालित करना।

सूखा जोखिम न्यूनीकरण एवं पुनर्वास

सूखे के समय व्यक्तिगत या सार्वजनिक सम्पत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि इसमें मनुष्यों एवं पशुओं के स्वास्थ्य व जीवन को खतरा रहता है। अतः सूखे के बाद पुनर्निमाण या पुनर्वास की अधिक आवश्यकता नहीं होती।

सूखे के समय शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति नगर पालिका के टैंकरो द्वारा की जाएगी। नगर पंचायतों के पास अपने टैंकर हैं तथा आवश्यकतानुसार नगर पंचायतें निजी टैंकर मालिकों से भी टैंकर प्राप्त करती है।

सूखे के समय फसलों को अत्याधिक नुकसान होता है, इसलिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नलकूप विभाग द्वारा व्यापक कार्ययोजना बनाई गई है।

सम्भावित सूखे से निपटने हेतु राजकीय नलकूपों की कार्य योजना

जनपद श्रावस्ती कृषि प्रधान जनपद है। जनपद में छोटे–छोटे कृषकों की बहुलता है। कृषकों को सिचाई सुविधा उपलब्ध कराने में राजकीय नलकूपों का ही मुख्य योगदान है। अन्य कोई राजकीय साधन नहीं के बराबर है।

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, श्रावस्ती की बैठक दिनांक 25–06–2019 की कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

क्रमांक	नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर
1	श्री योगानन्द पाण्डेय	अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)	9454417609
2	श्री बी0सी0 दूबे	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401122
3	श्री राजेश कुमार मिश्र	एस0डी0एम0 इकौना	9454416089
4	श्री मायाशंकर यादव	एस0डी0एम0 जमुनहा	9454418926
5	श्री राजकुमार पाण्डेय	तहसीलदार भिनगा	9454419092
6	श्री नरायन सिंह	तहसीलदार जमुनहा	9454416095
7	श्री शिवध्यान पाण्डेय	तहसीलदार इकौना	9454416093
8	डा0 मुकेश मातनहेलिया	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी	9415121887
9	डा0 जयेन्द्र सिंह तोमर	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	9412567472
10	श्री मिथलेश कुमार वर्मा	अधि0 अभियंता बाढ़ खण्ड श्रावस्ती	9415329695
11	श्री रमा शंकर मौर्य	अधि0अभि0, विद्युत वितरण खण्ड	9415901449
12	श्री वी0पी0 सिंह	अधि0अभि0, जलनिगम	9473942770
13	श्री के0एस0 प्रसाद	सहा0 अभि0 ग्रा0अभि0वि0	995676509
14	श्री आर0पी0 राना	जिला कृषि अधिकारी	9454084662
15	श्री कयामुद्दीन अंसारी	जिला पूर्ति अधिकारी	7839564701
16	श्री शिवनाथ	जिला सूचना अधिकारी	9453005403
17	श्री भारत भूषण	खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रभारी बाढ़ चौकी पुरषोत्तमपुर तहसील इकौना	9450407966
18	श्री अखिलेश कुमार	खण्ड शिक्षा अधिकारी जमुनहा/प्रभारी बाढ़ चौकी गोठवा तहसील भिनगा	9451840515
19	श्री प्रेम सागर	आबकारी अधिकारी	9454465645
20	श्री कांत दूबे	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत प्रभारी बाढ़ चौकी फतेहपुर बनगई तहसील जमुनहा	9415075596
21	श्री अशोक कुमार	सहायक अभियन्ता, स0न0ख0–6	9415637067
22	श्री सुरेश कुमार	सहायक निदेश मत्स्य	9410094292
23	श्री अभय कुमार	भूमि संरक्षण अधिकारी कृषि	9115056606
24	श्री सुरेश चन्द्र त्रिपाठी	सहायक अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0	9918101897
25	श्री राज कुमार शुक्ल	ए0आर0 कोआपरेटिव/ प्रभारी बाढ़ चौकी भोजपुर तहसील इकौना	9452687191
26	श्री मोहन त्रिपाठी	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/ प्रभारी बाढ़ चौकी लालपुर प्रहलादा तहसील इकौना	9076600556
27	श्री भूपेन्द्र सिंह	जिला विकलांग कल्याण कल्याण अधिकारी/ प्रभारी बाढ़ चौकी रामगढ़ी सेहनिया तहसील इकौना	7318576520
28	श्री देवेन्द्र कुमार	जिला अल्पसंख्यक कल्याण कल्याण अधिकारी/ प्रभारी बाढ़ चौकी कटरा तहसील इकौना	94118330470
29	श्री राजेश कुमार	परियोजना निदेशक प्रभारी बाढ़ चौकी कटरा तहसील इकौना	9415175951
30	श्री पी0एन0 सिंह	ए0आई0जी0/ प्रभारी बाढ़ चौकी भाकलाघाट तहसील भिनगा	9415344325
31	श्री शिवनाथ	सूचना अधिकारी	9453005403

2– बाढ़ प्रबन्ध योजना––

सभी सम्बन्धित विभाग यथा तहसील भिनगा, इकौना, जमुनहा, बाढ़ कार्य खण्ड, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन, आपूर्ति, पंचायती राज, जलनिगम, लो0नि0वि0, विद्युत वितरण खण्ड, विकास एवं पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2019 की बाढ़ प्रबन्ध कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। इन सभी कार्य योजनाओं को संकलित कर वर्ष 2019 की बाढ़ प्रबन्धन योजना तैयार कर राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0 शासन एवं मण्डलायुक्त महोदय को एक–एक बुकलेट इस कार्यालय के पत्र संख्या 3152/आपदा–तेरह–बाढ़ पबन्ध याोजना– 2019 दिनांक 21–06–2019 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। सभी सम्बन्धित विभाग के अधिकारीगण को निर्दिष्ट किया गया कि अपने–अपने विभाग की कार्ययोजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु क्षेत्र में पुनः भ्रमण कर आश्वस्त हो लें कि गतवर्ष में समस्या उत्पन्न हुई थी, उनका समाधान कर लिया गया है। बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुसार सभी सम्बन्धित विभाग के अधिकारीगण अपने विभाग संशोधित कार्ययोजना/ रिपोर्ट शनिवार तक प्रत्येक दशा में आपदा कार्यालय को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही– सभी सम्बन्धित जनपद स्तरीय विभागाधिकारी)

3– बाढ़ प्रबन्ध हेतु सिचाई विभाग के कार्य एवं दायित्वः–

1– अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील तटबन्धों का चिन्हीकरण एवं उनके सुदृढीकरण हेतु किये गये कार्य

2– तटबन्धों की सुरक्षा हेतु किये गये निर्माण कार्य/ उपाय

3– बाढ़ से बचाव हेतु बोल्डर्स/जी0ओ0 वैग्स एवं अन्य सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता

4– स्टाफ/ मजदूरों की व्यवस्था

5–अति संवेदनशील तटबन्धों पर किये गये कार्यो का सत्यापन एवं निरीक्षण

6– वर्षा अवधि में बाढ़ क्षेत्रों में सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों की फील्ड में उपस्थिति

7– अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील तटबन्धों पर सम्बन्धित अधिकारियों का कैम्प

8–तटबन्धों/बन्धों के कटान एवं दरार आदि को रोकने हेतु समुचित उपाय

9–बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की रोकथाम हेतु किये गये उपाय

सभी सम्बन्धात खण्ड के अधिशाषी अभियन्ता, मौके पर स्वंय जाकर निरीक्षण करके उपरोक्त एजेण्डा बिन्दु पर किये गये कार्यो की वास्तविक स्थिति की अनुपालन आख्या शनिवार तक आपदा कार्यालय को उपलब्ध करायें। यह भी सुनिश्चित करें कि अपने–अपने खण्ड के सभी अधिकारी/ कर्मचारियों के नाम/पदनाम एवं उनके मोबाइल नम्बर की सूची बाढ़ से जुड़े सभी सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों को शीघ्रता से उपलब्ध करा देवें। अधिशाषी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड से पूछा गया कि वर्ष 2014 से 2019 के बीच में आपके द्वारा कराये गये कार्यो से कितने गांव सुरक्षित हो पाये हैं, तो उनके द्वारा 25 गांव बताये गये। परन्तु एस0डी0एम0 इकौना द्वारा बताया गया कि यह सही नहीं है। बन्धें में गैप का कार्य जब तक पूरी तरीके से नहीं होगा तब तक बचाव कार्य संभव नहीं हो हो सकेगा। अधि0अभि0 बाढ़ कार्य खण्ड को निर्दिष्ट किया गया कि बन्धे के गैप का कार्य जिस स्तर पर रूका हुआ है, मेरे स्तर से सम्बन्धित को पत्र प्रेषित करायें।

कार्यवाही– अधिशाषी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड/स0न0ख0–6 एवं प्रथम)

4– बाढ़ प्रबन्ध हेतु लोक निर्माण विभाग के कार्य एवं दायित्वः–

1– संवेदनशील क्षेत्रों एवं तटबन्धों तक पहुँचने एवं सामग्री आपूर्ति हेतु वैकल्पिक मार्गो का चिन्हीकरण एवं उनका समुचित सुदृढीकरण।

2–मार्ग में आयी दरारों और गड्ढों का भराव, पानी के निकास की व्यवस्था, किनारों की मरम्मत तथा पत्थर से भराव का कार्य कराना।

3–पुल/ पुल के किनारों /तटों की अस्थायी मरम्मत, क्षतिग्रस्त रेलिंग पुलों की मरम्मत, तत्काल सम्पर्क हेतु क्षतिग्रस्त मार्ग/ पहुँचने के रास्ते की मरम्मत, विभिन्न शरणालय/राहत केन्द्र से आपदा क्षेत्र के मध्य सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना सुनिश्चित करना।

4– पुलों व सड़कों की मरम्मत हेतु आवश्यक उपकरणों/ सामग्रियों की समय से उपलब्धता।

बैठक में उपस्थिति श्री सुरेश चन्द्र त्रिपाठी, सहायक अभियन्ता को निर्दिष्ट किया गया कि, मौके पर स्वंय जाकर निरीक्षण करके उपरोक्त एजेण्डा बिन्दु पर किये गये कार्यो की वास्तविक स्थिति की अनुपालन आख्या शनिवार तक आपदा कार्यालय को उपलब्ध करायें। बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का नक्शा तैयार कराकर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। बाढ़ के दौरान लोक निर्माण विभाग तथा एन0एच0 अभियन्ता द्वारा जहॉ सड़कों पर पानी का प्रभाव होगा वहॉ पर बैरीकेटिंग करके आवागमन को रोका जायेगा तथा दिक–परिवर्तन का बोर्ड क्षतिग्रस्त सड़कों पर लगाया जायेगा। अधिशाषी अभियन्ता लो0नि0वि0 अपने सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता के माध्यम से सड़क/पुल/पुलिया की क्षति का पता लगायेंगे और जहां मरम्मत की आवश्यकता है उनको तत्काल ठीक करायेंगे जिससे कि आवागमन बाधित न हो।

(कार्यवाही– अधिशाषी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0)

5–खाद्य एवं रसद विभाग के कार्य एवं दायित्वः–

1– मिट्टी के तेल/डीजल आादि का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित कराना।

2– आकस्मिकता हेतु आवश्यक खाद्यान्न एवं उपभोक्ता वस्तुओं की व्यवस्था की योजना।

जिला पूर्ति अधिकारी को बाढ़ के दौरान आवश्यक मिट्टी तेल का आंकलन करके स्टाक रिजर्व कराने के निर्देश दिये गये हैं। जिला पूर्ति अधिकारी को यह भी निर्दिष्ट किया गया कि मिट्टी तेल आरक्षित कराये जाने के सम्बन्ध में जहां आवश्यक हो तो मेरे स्तर से सम्बन्धित को पत्र प्रेषित करायें। उपरोक्त बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही की अनुपालन आख्या शनिवार तक प्रत्येक दशा में प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही– जिला पूर्ति अधिकारी)

6–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यः–

1– बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पर्याप्त वांछित दवाइयों का चिन्हांकन कर समुचित स्टाक की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।

2–बाढ़ के दौरान सर्पदंस की घटनाऐं बढ़ने के कारण वैक्सीन का पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराना।

3– संक्रामक रोगों एवं महामारियों से बचाने के लिए आवश्यक प्रतिरोधात्मक(टीकाकरण) व्यवस्था एवं सघन चिकित्सीय व्यवस्था।

4– बाढ़ राहत कैम्पों में डाक्टरों की तैनाती एवं चिकित्सीय व्यवस्था।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत पर के सापेक्ष रिक्त पदों की मांग पत्र सक्षम स्तर को प्रेषित कराये जाने एवं बाढ़ से सम्बन्धित दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित

कराये जाने के साथ उपरोक्त बिन्दुओं की अनुपालन आख्या शनिवार तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। स्वास्थ्य विभाग मेडिकल टीम का गठन ग्रामवार करें तथा प्राथमिक/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की तैनाती एवं आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी)

7–पशुधन विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यः–

1– पशुओं के चारे की व्यवस्था करने हेतु कार्ययोजना तैयार करना।
2–पशु चिकित्सालयों में पशुओं के उपचार के संसाधन एवं दवाइयों/टीकाकरण की समुचित व्यवस्था।
3–बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशु कैम्पों का चिन्हीकरण एवं पशु कैम्पों में चारे की समुचित व्यवस्था।
4–महामारी के नियन्त्रण हेतु दवाओं का चिन्हांकन कर समुचित स्टाक की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि स्टाफ की कमी है। इस सम्बन्ध में सक्षम स्तर को मांग पत्र तत्काल भेजवाने के निर्देश दिये गये हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कितने पशु है, किस प्रजाति के हैं? इनमें से कितने के पहले टीकाकरण कराये जा चुके है? बैठक में उत्तर न देने पर निर्दिष्ट किया गया कि परीक्षण कर इसी सूचना के साथ उपरोक्त बिन्दुओं की अनुपालन आख्या शनिवार तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। बैठक में अवगत कराया गया कि चारे/भूसे की आपूर्ति का टेण्डर नहीं कराया गया है। इस पर खेद व्यक्त करते हुये त्वरित कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये। यह भी निर्दिष्ट किया गया कि स्थानीय स्तर पर देख लें कि जिनके पास पर्याप्त भूसा उपलब्ध है, उन लोगों से बात कर दर आदि निर्धारित कर लें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध हो सके।

(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी)

8–कृषि एवं उद्यान विभाग द्वाराकिये जाने वाले कार्यः–

1– बाढ़ से प्रभावित कृषि भूमि /फसलों के बचाव हेतु समुचित व्यवस्था करना।
2–किसानों को बाढ़ से हुये नुकसान की राहत हेतु कार्यवाही।

कृषि अधिकारी से उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में पूछा गया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कितने किसान बीज प्राप्त करते हैं। गत वर्षो की बाढ़ के बाद कितनी मात्रा में बीज वितरित किया गया है तथा कृषि बीमा की क्या स्थिति रही है। इस सम्बन्ध में कृत कार्य की अनुपालन आख्या शनिवार तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही– जिला कृषि अधिकारी)

9–पुलिस विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यः–

1– बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पी0ए0सी0 बाढ़ वाहिनी की तैनाती, बोटों एवं गोताखोरों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
2– वायरलेस सेटों की उपलब्धता।

प्रतिवर्ष बाढ़ के समय राहत एवं बचाव कार्यो के लिए एन0डी00आर0एफ0/एस0एस0बी आदि का सहयोग लिया जाता रहा है। पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया कि इस वर्ष भी पहले से मांग पत्र प्रेषित कर दिये जाये, ताकि समय से इस जनपद को आवंटित हो सके। साथ ही बाढ़ राहत केन्द्रों पर वायरलेस हैण्डसेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। सम्बन्धित उपजिलाधिकारी ऑकलन कर प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराते हुए प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक)

10–ऊर्जा विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यः–

1–बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना।
2–बाढ़ से प्रभावित विद्युत व्यवस्था प्रणाली को समय से पुर्नस्थापित करना।
3– बाढ़ के दौरान विद्युत उपकरणों की सुरक्षा।

बाढ़ से अतिसंवेदनशील ग्रामों का निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त विद्युत पोल, ढीले तार तथा ट्रान्सफार्मरों का चिन्हीकरण कर मरम्मत की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाय। प्रत्येक विद्युत केन्द्रों पर लगाये गये सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता आदि की सूची प्रस्तुत की जाय तथा विभाग से सम्बन्धित कार्ययोजना को अद्यतन कर जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय। साथ ही उपरोक्त बिनदुओं पर की गयी कार्यवाही की अनुपालन आख्या शनिवार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही– अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड)

11–नगर विकास द्वारा किये जाने वाले कार्य–:
1– बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हैण्डपम्पों /पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट तथा क्षतिग्रस्त प्लेटफार्म आदि का मरम्मत का कार्य।
2–बाढ़ प्रभावितों को शुद्ध जल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य। पुलों व सड़कों की मरम्मत हेतु आवश्यक उपकरणों/ सामग्रियों की समय से उपलब्धता।

नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत में स्वास्थ्य सुविधाओं के दृष्टि से जिन स्थानों पर जलजमाव होता है वहां पर सम्बन्धित अधिशाषी अधिकारी एण्टी लार्वा, ब्लीचिंग पाउडर व चूना मिलाकर छिड़काव करायें तथा जिन स्थानों पर जल जमाव है। वहॉ से पानी को निकालने की कार्यवाही की जाय, नगर निकाय अपने–अपने क्षेत्र में स्थापित ओ0एच0टी0 का निरीक्षण ओ0एच0टी0 की सफाई कराये और क्लोरीनेशन कराये। जिससे शुद्ध पानी प्राप्त हो सके। ओ0एच0टी0 की सफाई के दिनांक व क्लोरीनेशन के दिनांक को अंकित कराये।

(कार्यवाही– अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत भिनगा/ इकौना)

12–पंचायती राज/ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यः–
(1) गॉवों के आन्तरिक सम्पर्क मार्गों के मरम्मत का कार्य
(2) ड्रेनेज/सीवरेज से मलबे की निकासी का कार्य
(3) आन्तरिक जलापूर्ति पाइपलाइन्स की मरम्मत का कार्य
(4) स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का कार्य
(5) पंचायत घर, प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक केन्द्र, आंगनबाड़ी आदि की अस्थायी मरम्मत यदि आवश्यक हो, का कार्य

बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी के उपस्थित न रहने के कारण उपरोक्त बिन्दुओं पर चर्चा नही हो सकी। जिला पंचायत राज अधिकारी को उपरोक्त बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही की अनुपालन आख्या आगामी शनिवा तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही– जिला पंचायत राज अधिकारी)

13– बाढ़ प्रभारी अधिकारियों के कार्य एवं दायित्वः–

कार्यालय आदेश संख्या 3130/आपदा–बाढ़ चौकी प्रभारी– 2019–20 दिनांक 25–05–2019 के अर्न्तगत 18 बाढ़ चौकियों पर जनपद स्तरीय अधिकारियों की तैनाती की गयी है। सभी बाढ़ चौकी प्रभारी अधिकारीगण को अपने बाढ़ चौकी एवं उससे सम्बद्ध समस्त ग्रामों का निरीक्षण कर लें। गत वर्ष जो समस्याऐं आयी थी, उनका समाधान अभी से कर लिये जाये, ताकि बाढ़ के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़ें। जांच रिपोर्ट अगले शनिवार तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही– समस्त बाढ़ चौकी प्रभारी जनपद श्रावस्ती)

14– समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार आसन्न बाढ के दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करे।

1. बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/ परिवारों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने तथा राहत कैम्प के संचालन के लिए स्थान का पूर्व से ही चयन कर लिया जाय एवं जनरेटर तथा मेडिकल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
2. जनपद में छोटी एवं बड़ी नाव की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय, यदि नावों की मरम्मत की आवश्यकता हो तो शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। नाव के संचालन के लिए नाविक एवं स्थान चिन्हीकरण कर लिया जाय। विगत वर्ष में नाविकों के भुगतान शेष होने की दशा में तत्काल भुगतान की कार्यवाही की जाय।
3. बाढ़ कन्ट्रोल रूम सक्रिय कर दें व इसका प्रचार प्रसार भी करें।
4. बाढ़ प्रभावित ग्राम के न्यूनतम 50 व्यक्तियों के मोबाइल नम्बर की डायरेक्टरी बना लें जिससे कि संभावित बाढ़ की स्थिति के पूर्व में अलर्ट किया जा सके। मोबाइल नम्बर की डायरेक्टरी में हारे हुए ग्राम प्रधान का नाम अवश्य शामिल किया जाये।
5. बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने , राहत कार्यो के संचालन करने, राहत वितरण करने, कैम्पों को संचालित करने के सम्बन्ध में तैयारी कर ली जाय।
6. बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के पूर्व बाढ़ से सम्बन्धित कार्य में लगे जनपद स्तर के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों, आपदा मित्रों, नाविकों के मोबाइल नम्बर तथा पते की डायरेक्टरी तैयारी कर ली जाय।
7. पूर्व से स्थापित बाढ चौकियो का निरीक्षण कर लिया जाय। यदि अन्यत्र स्थापित करना हो तो समस्त परिस्थितियो के अनुसार स्थापित कर बाढ चौकियो पर कर्मचारियो की तैनाती करते हुए मोबाईल नम्बर के साथ सूची उपलब्ध करायी जाय।
8. खाद्यान वितरण स्थल, राहत शिविर, पशु शरणालय स्थल का चयन सम्बन्धित ग्रामो के विवरण के साथ उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी की तैनाती करे एवं क्रियाशील मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराये।
9. एयर ड्रापिंग हेतु स्थल का चयन तथा मॉडल राहत कैम्प के कम से कम सबसे संवेदनशील स्थानो के निकट 02 विद्यालयो का चयन कर यह सुनिश्चित किया जाय कि इन विद्यालयो में समस्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध है। इन विद्यालयो का नाम व प्रधानाचार्य का नाम, क्रियाशील मोबाईल नम्बर उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/ मुख्य चिकित्साधिकारी)

15–शासनादेश संख्या 203/एक–दस–2019–आ0नि0–2018–19 दिनांक 12–06–2019 में दिये गये निर्देशानुसार राहत केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करते समय सभी सुविधाओं का प्रबन्ध किया जानाः–

उक्त शासनादेश के अर्न्तगत कैम्प में शरणार्थियों के लिए स्वच्छ बिस्तर, तकिया, चादर एवं चारपाई तथा पंखे आदि की व्यवस्था कराये जाने, बच्चों एवं बृद्ध के भोजन में केला, दूध, बिस्किट, सत्तू, दलिया आदि सम्मिलित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। बाढ़ समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया कि बाढ़ के दौरान प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली राहत सामग्री का ई–टेण्डर कर लिया गया है, जिसमें उपरोक्त सामग्री सम्मिलित नहीं थी। उपरोक्त सामग्री का टेण्डर शीघ्र कराये जाने के निर्देश दिये हैं।

(कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0))

बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं विभागो से अपेक्षा की गयी कि बाढ से बचाव हेतु ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करे एवं संवेदनशीलता का परिचय देते हुए टीम भावना के साथ कार्य करे। जिससे कि प्रभावितो को अल्प सूचना पर बचाव एवं राहत कार्य समय से प्राप्त कराया जा सके। आपदा प्रबन्धन में सौपे गये दायित्वों को पूरी लगन एवं निष्ठा के साथ सम्पादित करेंगे। अन्त में सभी अधिकारियो से सहयोग करने की अपेक्षा के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(ओ0पी0 आर्य)
जिलाधिकारी
श्रावस्ती।

कार्यालय जिलाधिकारी, श्रावस्ती

संख्या /आपदा–तेरह–बाढ़ बैठक–कार्यवृत्त/ 2019 दिनांक जून 2019

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– आयुक्त, देवी पाटन मण्डल, गोण्डा।
3– पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती।
4– मुख्य विकास अधिकारी, श्रावस्ती।
5– उपजिलाधिकारी / तहसीलदार भिनगा/इकौना/जमुनहा।
6– मुख्य चिकित्साधिकारी श्रावस्ती।
7– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती।
8– अधिशाषी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड श्रावस्ती।
9– अधिशाषी अभियन्ता,सरयू नहर खण्ड छ, बहराइच/ श्रावस्ती।
10– अधिशाषी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड प्रथम बहराइच/श्रावस्ती।
11– अधिशाषी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0 श्रावस्ती।
12– अन्य सम्बन्धित को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, श्रावस्ती की बैठक दिनांक 29–05–2019 की कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

क्रमांक	नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर
1	श्री राजेश कुमार मिश्र	एस0डी0एम0 इकौना	9454416089
2	श्री मायाशंकर यादव	एस0डी0एम0 जमुनहा	9454418926
3	श्री राजकुमार पाण्डेय	तहसीलदार भिनगा	9454419092
4	श्री नरायन सिंह	तहसीलदार जमुनहा	9454416095
5	श्री शिवध्यान पाण्डेय	तहसीलदार इकौना	9454416093
6	डा0 वी0के0 सिंह	मुख्य चिकित्साधिकारी	7570023023
7	डा0 योगेन्द्र कुमार	पशु चिकित्साधिकारी	8299030174
8	श्री आर0पी0 सिंह	नायब तहसीलदार भिनगा	9454419090
9	श्री जानकी प्रसाद शुक्ल	नायब तहसीलदार जमुनहा	9454417482
10	संतोष कुमार	जिला कमान्डेन्ड होमगार्ड्स	9450655846
11	श्री मिथलेश कुमार वर्मा	अधि0 अभियंता बाढ़ खण्ड श्रावस्ती	9415329695
12	श्री अजय कुमार	अधि0 अभियंता स0न0ख0–6	8005480110
13	श्री रमा शंकर मौर्य	अधि0अभि0, विद्युत वितरण खण्ड	9415901449
14	श्री वी0पी0 सिंह	अधि0अभि0, जलनिगम	9473942770
15	श्री के0एस0 प्रसाद	सहा0 अभि0 ग्रा0अभि0वि0 7	995676509
16	श्री रण विजय सिंह	जिला पंचायत राज अधिकारी,	9452076472
17	श्रीआर0पी0 राना	जिला कृषि अधिकारी	9454084662
18	श्री कयामुद्दीन अंसारी	जिला पूर्ति अधिकारी	7839564701
19	श्री हसीब असगर	वित्त एवं लेखाधिकारी	9415069198
20	श्री बाबू राम	, मत्स्य निरीक्षक	9450425753
21	श्री शिवनाथ	जिला सूचना अधिकारी	9453005403
22	श्री राधवेन्द्र तिवारी	खण्ड विकास अधिकारी	9454464857
23	सी0एम0 कनौजिया	खण्ड विकास अधिकारी	9670248079
24	ज्ञान प्रकाश तिवारी	जिला कार्यक्रम अधिकारी	8630129780
25	श्री भारतभूषण	खण्ड शिक्षा अधिकारी	9450407968
26	डा0 उर्वशी चन्द्र	आपदा न्यूनीकरण अधिकारी, यूनीसेफ	7042363345
27	श्री मनोज कुमार	आपदा सलाहकार, यूनीसेफ	7054046555
28	धमेन्द्र कुमार पाण्डेय	इन्सपेक्टर, NDRF	8004931408
29	सभाचन्द्र यादव	एस0आई0 NDRF	8318954494
30	श्री विनय कुमार	Rescuer NDRF	8844307537
31	श्री प्रदीप कुमार	Rescuer NDRF	8182837138
32	श्री अशोक कुमार सिंह	Rescuer NDRF	9450914580
33	के0 बालाचन्द्र	Rescuer NDRF	9597841403
34	अरूण कुमार सिंह	Rescuer NDRF	9454459815
35	सुशील कुमार सिंह	Rescuer NDRF	9453916891

1–मॉक एक्सरसाइजः–

आपदा कुछ ही समय के लिए आती है पर अपना असर कई वर्षो के लिए छोड जाती है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को इसके प्रत्युत्तर में प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है।

एन0डी0आर0एफ0 महानिदेशक के निर्देशानुसार व श्री आलोक कुमार सिंह उप महानिरीक्षक 11वी वाहिनी के निर्देशन मे एन0डी0आर0एफ0 यूनिसेफ व जिला प्रशासन के तत्वाधान में जिले मे तीन दिवसीय बाढ़ पूर्व तैयारी, आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षण व माकड्रिल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दिनांक 30 मई 2019 को ग्राम तिलकपुर के राप्ती नदी में बाढ़ राहत व बचाव मॉकड्रिल का आयोजन किया जाना है, जिसकी पूर्व तैयारी के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ मॉकड्रिल की तैयारी के सम्बन्ध में Table Top Exercise कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में की गयी। एन0डी0आर0एफ0 के टीम कमाण्डर इंस्पक्टर डी0के0 पाण्डेय व मुख्य विकास अधिकारी, यूनीसेफ से डा0 उर्वशी चन्द्रा एवं श्री मनोज कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी, बाढ़ के दौरान उसके प्रभाव को कम करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। एन0डी0आर0एफ0 के टीम कमाण्डर इंस्पक्टर डी0के0 पाण्डेय द्वारा बाढ से विभिन्न बचाव के तरीकों, डूबे हुए व्याक्ति के पेट से पानी निकालना, बेहोश व्यक्ति के साथ की जाने वाली कार्यवाही, नदी पार करने के तरीके, तैराकी न जानने वाले व्यक्तियों द्वारा बचाव के तरीकों को बताया गया। सभी सम्बन्धित अधिकारीगण को उनके दायित्वों का बोध कराते हुए क्रियान्वित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही– समस्त सम्बन्धित अधिकारी जनपद श्रावस्ती)

2– बाढ़ प्रबन्ध योजना––

वर्ष 2019 की बाढ़ प्रबन्ध योजना बारम्बार निर्देशों के बाद भी बेसिक शिक्षा, नगर पालिका/पंचायत, भिनगा/ इकौना, पंचायती राज, उद्यान, विकास, कार्यक्रम विभाग की जिला आपदा कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। सम्बन्धित को निर्दिष्ट किया गया कि 24 घंटे के भीतर वर्ष 2019 की बाढ़ प्रबन्ध योजना ए–4 साइज के पेपर पर सी0डी0 सहित जिला आपदा कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– बेसिक शिक्षा अधिकारी/अधि0अधिकारी नगर पालिका/पंचायत भिनगा/इकौना/डी0पी0आर0ओ0 उद्यान अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी/जि0वि0 अधिकारी)

3–नाव प्रबन्धः–

वर्ष 2019 में आसन्न बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यो हेतु जनपद के बाढ़ प्रभावित ग्रामों में नावों की व्यवस्था जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की गयी थी, जिसका तहसीलवार विवरण निम्नवत् हैः–

क्रमांक	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्रामों की संख्या	नावों की संख्या
1	भिनगा	हरिहरपुररानी	17	21
2	जमुनहा	जमुनहा	14	24
3	इकौना	इकौना	20	27
	,,	गिलौला	15	26
		योग	66	98

गत बैठक में उपरोक्त नावों के सत्यापन के निर्देश दिये गये थे, लेकिन तहसील की प्रबन्ध योजना में नावों की सूची संलग्न की गयी है जिसमें तहसील भिनगा–19 तहसील इकौना–25 जमुनहा –29 उल्लेख है। इस प्रकार जिला पंचायत राज अधिकारी की सूचना एवं तहसीलों की सूचना में काफी भिन्नता है। इससे स्पष्ट होता है

कि सत्यापन न कराकर सरसरी तौर पर नावों की सूची सलंग्न की गयी है। समस्त उपजिलाधिकारी / तहसीलदार, जिला पंचायत राज अधिकारी से समन्वय स्थापित कर ग्रामवार नावों का सत्यापन सुनिश्चित करें। यह भी कर लें कि बाढ़ प्रभावित ग्रामों में उपलब्ध सभी नावों का व्यवस्थापन कर लिया गया है और सभी तहसीलदार उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करके नियत प्रारूप पर नई तथा पुरानी नावों के व्यवस्थापन की आख्या, नाविकों के नाम उनके मोबाइल नम्बर, गोताखोर के नाम एवं उनके मोबाइल नम्बर उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/जिला पंचायत राज अधिकारी)

4–पेयजल व्यवस्थाः–

वर्ष 2017 में बाढ़ से मैरूण्ड 200 ग्रामों में स्थापित इण्डिया मार्का 2 हैण्पम्प के उच्चीकरण हेतु हैण्डपम्पों का चिन्हीकरण कर लिया जाये। हैण्डपम्पों के चिन्हित प्लेट फार्म के उच्चीकरण एवं क्लोरिनेशन हेतु प्रस्ताव जल निगम तैयार करके जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराये और जिला पंचायत राज अधिकारी शासनादेश संख्या 234/33–3–2015–2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2001 के प्रस्तर–1 में उल्लिखित प्राविधान कि– ग्राम पंचायतें जल सम्भरण के लिए सार्वजनिक कुओं, तालाबों और पोखरों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण और पीने के प्रयोजन के लिए जल संम्भरण के स्त्रोंतों का विनिमय करेगी। ग्राम पंचायतें 14वें वित्त आयोग के संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि के अर्न्तगत नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करेगी। जिला पंचायत राज अधिकारी, जल निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर त्वरित गति से हैण्डपम्पों के उच्चीकरण , क्लोरिनेशन एवं क्रियाशील होने की कार्यवाही सम्पादित करें।

(कार्यवाही– अधिशाषी अभियन्ता, जलनिगम/जिला पंचायत राज अधिकारी)

5–बाढ़ चौकीः–

गत बैठक में बाढ़ चौकियों में जहां परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उपयुक्त ऊँचे स्थान पर बनाये जाने के निर्देश दिये गये थे। जनपद में पहले से कुल 18 बाढ़ चौकियां (तहसील भिनगा–5 जमुनहा–5 इकौना–8) स्थापित हैं। वर्ष 2017 की बाढ़ में देखा गया था कि कुछ बाढ़ चौकियां बाढ़ के दौरान पानी से डूब जाती है। बाढ़ चौकियों की जांच यथाशीघ्र कराकर ऐसी बाढ़ चौकियां जहां परिवर्तन करने की आवश्यकता हो। वहां ऐसे सुरक्षित स्थान चिन्हित कर लिऐ जाये जहां काफी लोग एकत्रित हो सके। बाढ़ चौकियों की सूची का अंतिम रूप देकर उनकी सूची अतिशीघ्र अधिशाषी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0 श्रावस्ती को उपलब्ध करा देवें। शासन स्तर से बाढ़ चौकियों एवं रैन बसेरा आदि की स्थिति का अक्षांश एवं देशान्तर की सूचना मांगी है। तहसीलों से बाढ़ चौकियों, राहत केन्द्रों एवं रैन बसेरा की सूची अधिशाषी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0 का प्राप्त होने पर उनके अक्षांश एवं देशान्तर की सूचना अतिशीघ्र जिला आपदा कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे, ताकि शासन को त्वरित प्रेषित किया जा सके।

तहसीलों में स्थापित बाढ़ चौकियों पर तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं विभागीय बाढ़ चौकियों यथा पशुपालन, स्वास्थ्य, सिचाई एवं पुलिस विभाग क्रियाशील कर लें तथा प्रत्येक घटना की सूचना कन्ट्रोल रूम, विशेष कार्याधिकारी को नियमित रूप बाढ़ समाप्त होने की अवधि तक उपलब्ध करायेंगे। जनपद स्तर पर भी बाढ़ नियन्त्रण कक्ष में कर्मचारियों की तैनाती कर क्रियाशील कराया जाय एवं अद्यतन कार्ययोजना जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक/मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/अधिशाषी अभियन्ता, बाढ़/समस्त उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार)

6–बाढ़ राहत शिविरः/ पशु कैम्पों की व्यवस्था–

गत बैठकों में बाढ़ चौकी के अलावा प्रत्येक तहसील में 03–03 बाढ़ राहत शिविर बनाये जाने के निर्देश दिये गये थे। इस सम्बन्ध में उपयुक्त स्थान चयन कर बाढ़ राहत शिविर स्थापित कर लिया जाय, जिनमें सभी आवश्यक प्रबन्ध पहले से व्यवस्थित किये जाये, ताकि अधिक से अधिक लोग ठहर सके। बाढ़ राहत शिविर को माडल के रूप में विकसित किये जाये।

प्रत्येक तहसील में पशु कैम्प स्थापित किये जाने के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित कर लिए जाये, ताकि बाढ़ की स्थिति में अधिक से अधिक पशु रहे सके। पशु कैम्पों पर चारे की पर्याप्त प्रबन्ध किये जाये।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार/ मुख्य पशु चिकित्साधिकारी)

7–राहत सामग्री/चारे का प्रबन्धः–

अवगत कराया गया कि राहत सामग्री की व्यवस्था के लिए ई– निविदा का प्रकाशन कराया जा चुका है। दिनांक 06–06–2019 को निविदा खोला जायेगा। पशु चारे की व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य प्शु चिकित्साधिकारी को पुनः निर्दिष्ट किया गया कि तत्काल निविदा आमंत्रित कर चारे के मूल्य तय कर लें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कियी प्रकार की कठिनाई न उठानी पडे।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार/ मुख्य पशु चिकित्साधिकारी)

8– कैम्युनिकेशन प्लानः–

गतवर्ष कैम्युनिकिशन प्लान तैयार किया गया था जिसमें ग्रामवार लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, ए0एन0एम0, आशा, ग्राम पंचायत अधिकारी, सफाई कर्मी तथा पुलिस मित्र को सम्मिलित कर उनके नाम व मोबाइल नम्बर अंकित किये गये थे। तहसीलों की कार्ययोजना के साथ कैम्युनिकिशन प्लान उपलब्ध नहीं कराया गया है। सम्बन्धित को निर्दिष्ट किया गया कि विगत वर्ष की भांति कैम्युनिकिशन प्लान शीघ्र तैयार कर लिए जाये। ताकि बाढ़ के समय उसका सदुपयोग किया जा सके।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/ मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक)

9–एन0डी0आर0एफ0 की व्यवस्थाः–

प्रतिवर्ष बाढ़ के समय राहत एवं बचाव कार्यो के लिए एन0डी00आर0एफ0/एस0एस0बी आदि का सहयोग लिया जाता रहा है। पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया कि इस वर्ष भी पहले से मांग पत्र प्रेषित कर दिये जाये, ताकि समय से इस जनपद को आवंटित हो सके।

(कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक)

10– सभी बन्धों का सूक्ष्मता के साथ स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाय कि बन्धों में रेनकट, रैट होल, अन्य स्थानों पर क्षतिग्रस्त नहीं है। बन्धों के बचाव हेतु समुचित बचाव सामग्री प्रत्येक बन्धों पर उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित कर लिया जाय।

(कार्यवाही– अधिशाषी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड/ अधिशाषी अभियन्ता, स0न0ख0–6 एवं प्रथम)

11– बाढ़ शरणालय एवं बाढ़ चौकियों पर चेकलिस्ट, सम्बद्ध ग्राम, आपदा मित्र, नाविक की सूची, गोताखोर की सूची, अन्य विभाग के आवश्यक टेलीफोन/ मोबाइल नम्बर की सूची अद्यतन कर जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय। सम्बन्धित बाढ़ शरणालय/ राहत केन्द्र से सम्बद्ध ग्रामों की सूची भी प्रस्तुत की जाय तथा इन स्थानों पर सफाई आदि का ध्यान रखा जाय। तहसीलों पर उपलब्ध आपदा उपकरणों का सत्यापन करा लिया जाय, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार/ जिला पंचायत राज अधिकारी)

12– बाढ़ राहत केन्द्रों पर वायरलेस हैण्डसेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। सम्बन्धित उपजिलाधिकारी ऑकलन कर प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराते हुए प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक)

13– बाढ़ से अतिसंवेदनशील ग्रामों का निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त विद्युत पोल, ढीले तार तथा ट्रान्सफार्मरों का चिन्हीकरण कर मरम्मत की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाय। प्रत्येक विद्युत केन्द्रों पर लगाये गये सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता आदि की सूची प्रस्तुत की जाय तथा विभाग से सम्बन्धित कार्ययोजना को अद्यतन कर जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही– अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड)

14– जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों की उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार समस्त उपजिलाधिकारी आपात स्थिति में हेलीकाप्टर उतरने हेतु स्थान का चयन कर लें और चिन्हित स्थल की सूची लोक निर्माण विभाग तथा बाढ़ नियन्त्रण कक्ष को उपलब्ध करायें, जिससे कि चिन्हित स्थलों के क्वार्डिनेट्स अधिशाषी अभियन्ता, लो0नि0वि0 से प्राप्त किये जा सके।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार/ अधिशाषी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0)

15– बाढ़ के दौरान लोक निर्माण विभाग तथा एन0एच0 अभियन्ता द्वारा जहॉ सड़कों पर पानी का प्रभाव होगा वहॉ पर बैरीकेटिंग करके आवागमन को रोका जायेगा तथा दिक–परिवर्तन का बोर्ड क्षतिग्रस्त सड़कों पर लगाया जायेगा। अधिशाषी अभियन्ता लो0नि0वि0 अपने सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता के माध्यम से सड़क/पुल/पुलिया की क्षति का पता लगायेंगे और जहां मरम्मत की आवश्यकता है उनको तत्काल ठीक करायेंगे जिससे कि आवागमन बाधित न हो।

(कार्यवाही– अधिशाषी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0/एन0एच0)

16– स्वास्थ्य विभाग मेडिकल टीम का गठन ग्रामवार करें तथा प्राथमिक/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की तैनाती एवं आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। आपदा प्रबन्ध योजना को अद्यतन कराकर जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी)

17– नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत में स्वास्थ्य सुविधाओं के दृष्टि से जिन स्थानों पर जलजमाव होता है वहां पर सम्बन्धित अधिशाषी अधिकारी एण्टी लार्वा, ब्लीचिंग पाउडर व चूना मिलाकर छिड़काव करायें तथा जिन स्थानों पर जल जमाव है। वहॉ से पानी को निकालने की कार्यवाही की जाय, नगर निकाय अपने–अपने क्षेत्र में स्थापित ओ0एच0टी0 का निरीक्षण ओ0एच0टी0 की सफाई कराये और क्लोरीनेशन कराये। जिससे शुद्ध पानी प्राप्त हो सके। ओ0एच0टी0 की सफाई के दिनांक व क्लोरीनेशन के दिनांक को अंकित कराये।

(कार्यवाही– समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर निकाय)

18– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, बाढ के समय सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के सम्पर्क में रहकर उनकी सहायता हेतु उपलब्ध रहेगे तथा अपने–अपने विकास खण्ड मुख्यालय पर ही रात्रि निवास करेगे। अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी मुख्यालय पर रात्रि निवास करेंगे।

(कार्यवाही– समस्त जिला स्तरीय अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी)

19– गत वर्ष के बाढ के दौरान प्रत्येक मैरूण्ड ग्रामो के परिवारो के मुखिया की सूची तैयार कर ली जाय। जिससे कि राहत वितरण के कार्य सहजतापूर्वक हो सके और उनमे पारदर्शिता बनी रहे। तैयार की गयी सूची की एक प्रति जिला आपदा कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार)

20– शहरी क्षेत्रो में अधिशाषी अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रो में जिला पंचायत राज अधिकारी, सचिवो एवं सम्बन्धित लेखपालो के माध्यम से ऐसे मकानो का चिन्हीकरण करा ले। जो नदी एवं नालो के तलहटी पर बने हो तथा जर्जर हो गये हो। मकानो के चिन्हीकरण से मकानो को खाली कराये जाने में सहजता होगी। जिससे कि वर्षा/बाढ के दृष्टिगत कोई जनहानि न होने पाये।

(कार्यवाही– समस्त अधिशाषी अधिकारी/तहसीलदार)

21–वाहन व्यवस्थाः–

बाढ के दौरान बचाव एवं राहत कार्य के लिए छोटी–बडी गाड़ियो को आवश्यकता होती है। इस हेतु विभिन्न प्रकार की गाडियो यथा–जीप, मिनी ट्रक, ट्रक, मैजिक,पिकप, लोडर, जे0सी0बी0, क्रेन आदि संचालन योग्य वाहनो की सूची तहसीलवार उपलब्ध कराये, ताकि उन गाड़ियो की आकस्मिक स्थिति में अधिग्रहण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। विभिन्न प्रकार के वाहनो की सूची जिला पूर्ति अधिकारी, श्रावस्ती को भी उपलब्ध करायी जाय। जिससे वाहनो में आवश्यक ईधन आदि का आंकलन कर समस्त पेट्रोल पम्प पर ईधन आरक्षित कराया जा सके।

(कार्यवाही– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी)

22–सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के तात्कालिक मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्रः–

वर्ष 2018–19 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के तात्कालिक मरम्मत हेतु निम्नलिखित विभागों को धनराशि प्रदान की गयी है, परन्तु अभी तक उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। सभी कार्यदायी संस्थाओं को अतिशीघ्र उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

क्रमांक	विभाग	कुल आवंटित धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	प्रा0ख0, लो0नि0वि0/ ग्रामीण मार्ग	28,34,000	28,34,000
	प्रा0ख0, लो0नि0वि0/ ग्रामीण	3,55,73,000	3,55,73,000
	प्रा0ख0, लो0नि0वि0/ ग्रामीण	1,16,05,000	1,16,05,000
	प्रा0ख0, लो0नि0वि0 का योग	5,00,12,000	5,00,12,000
2	बेसिक शिक्षा/प्राथमिक स्कूल भवन मरम्मत	1,54,70,000	1,54,70,000
3	जलनिगम/हैण्डपम्प प्लेट फार्म मरम्मत	15,00,000	15,00,000
4	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन मरम्मत	23,25,000	23,25,000
	कुल योग	6,93,07,000	6,93,07,000

(कार्यवाही– अधि0 अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0/बेसिक शिक्षा अधिकारी/ अधि0 अभियन्ता, जल निगम/मुख्य चिकित्साधिकारी)

23– समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार आसन्न बाढ के दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करे।

1. पूर्व से स्थापित बाढ चौकियो का निरीक्षण कर लिया जाय। यदि अन्यत्र स्थापित करना हो तो समस्त परिस्थितियो के अनुसार स्थापित कर बाढ चौकियो पर कर्मचारियो की तैनाती करते हुए मोबाईल नम्बर के साथ सूची उपलब्ध करायी जाय।
2. खाद्यान वितरण स्थल, राहत शिविर, पशु शरणालय स्थल का चयन सम्बन्धित ग्रामो के विवरण के साथ उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी की तैनाती करे एवं क्रियाशील मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराये।
3. वर्ष 2017 में 200 ग्राम मैरूण्ड हुए थे तथा कैपिसिटी बिल्डिंग के अन्तर्गत प्रत्येक तहसील से 30–30 ग्राम चयनित करके प्रशिक्षण दिया गया था। जनपद में निम्न स्तर के बाढ से, मध्यम स्तर के बाढ से

4. तथा उच्च स्तर के बाढ से कुल 200 ग्राम बाढ से प्रभावित होते है। इन समस्त ग्रामो से पुनः ग्रामवार गोताखोर/तैराक व आपदा मित्रो, सहयोगियो एवं नाबिको को प्रत्येक ग्राम से चयनित करते हुए क्रियाशील मोबाईल नम्बर के साथ सूची उपलब्ध कराये।
5. चयनित आपदा मित्रो, सहयोगियो को आसन्न बाढ के बचाव हेतु 04 भागो में विभक्त (1–सूचना एवं चेतावनी दल, 2–राहत एवं प्रबन्धन दल, 3–खोज एवं बचाव दल, 4–प्राथमिक उपचार दल) जागरूक एवं प्रशिक्षित किया जाय। प्राथमिक उपचार दल में आशा, ए0एन0एम0, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सम्मलित किया जाय।
6. एयर ड्रापिंग हेतु स्थल का चयन तथा मॉडल राहत कैम्प के कम से कम सबसे संवेदनशील स्थानो के निकट 02 विद्यालयो का चयन कर यह सुनिश्चित किया जाय कि इन विद्यालयो में समस्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध है। इन विद्यालयो का नाम व प्रधानाचार्य का नाम, क्रियाशील मोबाईल नम्बर उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार)

बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं विभागो से अपेक्षा की गयी कि आसन्न बाढ से बचाव हेतु ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करे एवं संवेदनशीलता का परिचय देते हुए टीम भावना के साथ कार्य करे। जिससे कि प्रभावितो को अल्प सूचना पर बचाव एवं राहत कार्य समय से प्राप्त कराया जा सके। आपदा प्रबन्धन की कार्य योजना को अद्यतन कर जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण को उपलब्ध कराये। अन्त में सभी अधिकारियो से सहयोग करने की अपेक्षा के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी
श्रावस्ती।

कार्यालय जिलाधिकारी, श्रावस्ती

संख्या /आपदा–तेरह–बाढ़ बैठक–कार्यवृत्त/ 2019 दिनांक मई 2019

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– आयुक्त, देवी पाटन मण्डल, गोण्डा।
3– पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती।
4– मुख्य विकास अधिकारी, श्रावस्ती।
5– उपजिलाधिकारी / तहसीलदार भिनगा/इकौना/जमुनहा।
6– मुख्य चिकित्साधिकारी श्रावस्ती।
7– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती।
8– अधिशाषी अभियन्ता,बाढ़ कार्य खण्ड श्रावस्ती।
9– अधिशाषी अभियन्ता,सरयू नहर खण्ड छ, बहराइच/ श्रावस्ती।
10– अधिशाषी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड प्रथम बहराइच/श्रावस्ती।
11– अधिशाषी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0 श्रावस्ती।
12– अन्य सम्बन्धित को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी
श्रावस्ती।

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, श्रावस्ती की बैठक दिनांक 20–04–2019 की कार्यवृत्त

उपस्थिति

क्रमांक	नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर
1	श्री आशीष श्रीवास्तव	पुलिस अधीक्षक	9454400311
2	श्री अवनीश राय	मुख्य विकास अधिकारी	9454464850
3	श्री योगानन्द पाण्डेय	अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)	9454417609
4	श्री चन्द्रमोहन गर्ग	एस0डी0एम0 सदर भिनगा	9454416088
5	श्री राजेश कुमार मिश्र	एस0डी0एम0 इकौना	9454416089
6	श्री राजकुमार पाण्डेय	तहसीलदार भिनगा	9454419092
7	श्री नरायन सिंह	तहसीलदार जमुनहा	9454416095
8	श्री शिवध्यान पाण्डेय	तहसीलदार इकौना	9454416093
9	डा0 एम0 मातनहेलिया	प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी	9415121887
10	श्री आर0पी0 सिंह	नायब तहसीलदार भिनगा	9454419090
11	श्री जानकी प्रसाद शुक्ल	नायब तहसीलदार जमुनहा	9454417482
12	श्री मुकेश शर्मा	नायब तहसीलदार इकौना	8447756829
13	श्री मिथलेश कुमार वर्मा	अधि0 अभियंता बाढ़ खण्ड श्रावस्ती	9415329695
14	श्री अशोक कुमार	सहा0 अभियंता स0न0ख0–6	9415637067
15	श्री विष्णु प्रसाद	सहा0अभि0, स0न0ख0–प्रथम	9956383162
16	श्री रमा शंकर मौर्य	अधि0अभि0, विद्युत वितरण खण्ड	9415901449
17	श्री वी0पी0 सिंह	अधि0अभि0, जलनिगम	9473942770
18	श्री एस0सी0 त्रिपाठी	सहा0 अभि0 प्रा0ख0, लो0नि0वि0	9918101817
19	श्री राजेश कुमार	खाद्य विपणन अधिकारी	7839565041
20	श्री नरेन्द्र कुमार	ए0आर0ओ0	7839564702
21	डा0 उमाकान्त जायसवाल	पशु चिकित्साधिकारी	9453943077
22	श्री जसपाल	सहायक निदेशक, कृषि	9415435495
23	श्रीआर0पी0 राना	जिला कृषि अधिकारी	9454084662
24	श्री पी0एन0 सिंह	ए0आई0जी0 स्टाम्प	9415344325
25	श्री रण विजय सिंह	जिला पंचायत राज अधिकारी	9452076472
26	श्री चन्द्रपाल	जिला विद्यालय निरीक्षक	9161315051
27	श्री ओमकार राणा	बेसिक शिक्षा अधिकारी	9453004137
28	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार	डिप्टी कमान्डेन्ट एसएसबी	8541817776
29	श्री योगेन्द्र यादव	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी	9453616653
30	श्री प्रवीन कुमार दुबे	अधि0अधि0, नगर पंचायत इकौना	9628831970
31	श्री रणबीर सिंह चौहान	प्र0 ए0आर0टी0ओ0	8005441220
32	श्री सुरेश कुमार	सहा0निदेशक, मत्स्य	9410094292
33	श्री शिवनाथ	जिला सूचना अधिकारी	9453005403

दिनांक 20–04–2018 को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में आहूत बैठक में अग्निकाण्ड एवं इस वर्ष संभावित बाढ़ से बचाव हेतु उपस्थित अधिकारियों को निम्न निर्देश दिये गयेः–

1– रबी फसल की कटाई एवं मड़ाई का कार्य प्रायः कम्बाईन हारवेस्टर द्वारा बिना रिपर लगाये ही की जाती है, जिससे फसल की डंठल खेतों में पड़ी रह जाती है। उक्त डंठल को किसानों द्वारा प्रायः जला दिया जाता है, जिससे खड़ी फसलों में आग लगने की घटनाऐं घटित होती हैं। इसके लिए निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेः–

अ– उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार अपनी तहसील के कृषकों को अनिवार्य रूप से इस आशय की नोटिस भेजकर तामीला करा लें कि बिना रीपर लगे कम्बाईन हारवेस्टर से फसलों की कटाई व मड़ाई न करायें।

ब– पराली जलाने से रोकने हेतु किसानों को जागरूक किया जाये। इसके लिए खण्ड विकास स्तर पर गांवों जागरूकता अभियान चलाया जाये।

स– फसल के अवशेष जलाने पर शासनादेश के द्वारा दण्ड का प्राविधान है। ऐसे किसान जो फसल के अवशेष जलाते समय चिन्हित किये जाये/पकड़े जाये पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए उसकी प्रति सम्बन्धित थानों को उपलब्ध करायी जाये।

द– अग्निकाण्ड की घटना घटित होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल क्षेत्रीय लेखपाल /राजस्व निरीक्षक / नायब तहसीलदार/ तहसीलदार/ स्थलीय जांच कर 24 घंटे के अन्दर लिखित जांच रिपोर्ट प्राप्त करने और अगले दिन प्रभावित किसानों के खलिहान बीमा सम्बन्धी फार्म भरवाकर तहसीलदार की संस्तुति सहित मण्डी सचिव को उपलब्ध करा दें।

य– खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना के अर्न्तगत 2.5एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसानों को अधिकतम 15000/–एवं 2.5 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को रू0 20000/–तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले किसानों को अधिकतम 30000/–अथवा वास्तविक क्षति जो भी कम हो के साथ कृषि कार्य करते समय दुर्घटना, आगजनी के कारण किसी व्यक्ति के मृत्यु होने पर उसके परिजनों को अधिकतम रू0 2.00 लाख की क्षतिपूर्ति का प्राविधान है। मण्डी सचिव सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार से सम्पर्क स्थापित कर कृषकों को खलिहान दुर्घटना बीमा योजना के प्राविधानों से जागरूक/अवगत कराया जाय।

र– वन विभाग जंगलों में आग से बचाव हेतु व्यापक सुरक्षा का प्रबन्ध सुनिश्चित करें, और अनवरत जंगलों को आग से बचाव हेतु निगरानी के टीम का गठन सुनिश्चित करें। जंगलों के किनारे लोगों के आश्रय हेतु टिनशेड व पानी का प्रबन्ध सुनिश्चित करें। जंगलों के अन्दर जानवरों एवं चिड़ियों हेतु तालाबों में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

ल– सभी विभाग अग्निकाण्ड एवं लू से बचाव हेतु विभागीय योजनाओं को अद्यतन करते हुये एक प्रति जिला आपदा प्रबन्ध कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/मण्डी सचिव/नलकूप/सिचाई/मुख्य चिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी/कृषि अधिकारी)

2– वर्ष 2019 में आसन्न बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यो हेतु जनपद के बाढ़ प्रभावित ग्रामों में नावों की व्यवस्था जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की गयी थी, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्रमांक	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्रामों की संख्या	नावों की संख्या
1	भिनगा	हरिहरपुररानी	17	21
2	जमुनहा	जमुनहा	14	24
3	इकौना	इकौना	20	27
	,,	गिलौला	15	26
		योग	66	98

वर्ष 2019 में क्रय की गयी नावें जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी। तहसीलों में पूर्व से भी नावें उपलब्ध हैं। वर्ष 2019 की आसन्न बाढ़ से बचाव हेतु उपलब्ध नावों की क्रियाशीलता का निरीक्षण कर लिया जाये और उनमें यदि कोई लघु अनुरक्षण का कार्य कराया जाना आवश्यक हो तो उसे करा लिया जाय

और यह सुनिश्चित किया जाये कि नावों के पानी में प्रवेश करने के पूर्व नॉवों में डामर का लेपन कराया जा चुका है तथा संचालन हेतु 07 सामग्रियॉ(10 सेर कासाढाक, 100मी0 लम्बे दो रस्से, मिट्टी का तेल व खाली कनस्तर, एक तसला, दो खूँटे, नाव खेने हेतु दो पतवार, एक मुंगरी) नावों पर उपलब्ध हो गयी हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक नाव में कम से कम 01 लाइफ जैकेट, 01 लाइफ व्वाय रिंग तथा 01 सर्च लाइट मौजूद हो। प्रत्येक नाव पर नाविकों की तैनाती कर ली जाय तथा नावों का व्यवस्थापन जिन ग्रामों में होना है वहां पर व्यवस्थापन सुनिश्चित करें। प्रत्येक उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार यह सुनिश्चित कर लें कि बाढ़ प्रभावित ग्रामों में उपलब्ध सभी नावों का व्यवस्थापन कर लिया गया है और सभी तहसीलदार उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करके नियत प्रारूप पर नई तथा पुरानी नावों के व्यवस्थापन की आख्या, नाविकों के नाम उनके मोबाइल नम्बर, गोताखोर के नाम एवं उनके मोबाइल नम्बर उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/विकास खण्ड अधिकारी)

3– वर्ष 2017 में बाढ़ से मैरूण्ड 200 ग्रामों में स्थापित इण्डिया मार्का 2 हैण्पम्प के उच्चीकरण हेतु हैण्डपम्पों का चिन्हीकरण कर लिया जाये। हैण्डपम्पों के चिन्हित प्लेट फार्म के उच्चीकरण एवं क्लोरिनेशन हेतु प्रस्ताव जल निगम तैयार करके जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराये और जिला पंचायत राज अधिकारी शासनादेश संख्या 234/33–3–2015–2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2001 के प्रस्तर–1 में उल्लिखित प्राविधान कि– ग्राम पंचायतें जल सम्भरण के लिए सार्वजनिक कुओं, तालाबों और पोखरों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण और पीने के प्रयोजन के लिए जल संम्भरण के स्त्रोंतों का विनिमय करेगी। ग्राम पंचायतें 14वें वित्त आयोग के संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि के अर्न्तगत नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करेगी। जिला पंचायत राज अधिकारी, जल निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर त्वरित गति से हैण्डपम्पों के उच्चीकरण , क्लोरिनेशन एवं क्रियाशील होने की कार्यवाही सम्पादित करें।

(कार्यवाही– अधिशाषी अभियन्ता, जलनिगम/जिला पंचायत राज अधिकारी)

4– जनपद में पहले से कुल 18 बाढ़ चौकियां (तहसील भिनगा–5 जमुनहा–5 इकौना–8) स्थापित हैं। वर्ष 2017 की बाढ़ में देखा गया था कि कुछ बाढ़ चौकियां बाढ़ के दौरान पानी से डूब जाती है। बाढ़ चौकियों की जांच यथाशीघ्र कराकर ऐसी बाढ़ चौकियां जहां परिवर्तन करने की आवश्यकता हो। वहां ऐसे सुरक्षित स्थान चिन्हित कर लिऐ जाये जहां काफी लोग एकत्रित हो सके। बाढ़ चौकियों की सूची का अंतिम रूप देकर उनकी सूची अतिशीघ्र अधिशाषी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0 श्रावस्ती को उपलब्ध करा देवें। शासन स्तर से बाढ़ चौकियों एवं रैन बसेरा आदि की स्थिति का अक्षांश एवं देशान्तर की सूचना मांगी है। तहसीलों से बाढ़ चौकियों, राहत केन्द्रों एवं रैन बसेरा की सूची अधिशाषी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0 का प्राप्त होने पर उनके अक्षांश एवं देशान्तर की सूचना अतिशीघ्र जिला आपदा कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे, ताकि शासन को त्वरित प्रेषित किया जा सके।

तहसीलों में स्थापित बाढ़ चौकियों पर तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं विभागीय बाढ़ चौकियों यथा पशुपालन, स्वास्थ्य, सिचाई एवं पुलिस विभाग क्रियाशील कर लें तथा प्रत्येक घटना की सूचना कन्ट्रोल रूम, विशेष कार्याधिकारी को नियमित रूप बाढ़ समाप्त होने की अवधि तक उपलब्ध करायेंगे। जनपद स्तर पर भी बाढ़ नियन्त्रण कक्ष में कर्मचारियों की तैनाती कर क्रियाशील कराया जाय एवं अद्यतन कार्ययोजना जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक/मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/अधिशाषी अभियन्ता, बाढ़/समस्त उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार)

5– सभी बन्धों का सूक्ष्मता के साथ स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाय कि बन्धों में रेनकट, रैट होल, अन्य स्थानों पर क्षतिग्रस्त नहीं है। बन्धों के बचाव हेतु समुचित बचाव सामग्री प्रत्येक बन्धों पर उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित कर लिया जाय।

(कार्यवाही– अधिशाषी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड/ अधिशाषी अभियन्ता, स0न0ख0–6 एवं प्रथम)

6– बाढ़ शरणालय एवं बाढ़ चौकियों पर चेकलिस्ट, सम्बद्ध ग्राम, आपदा मित्र, नाविक की सूची, गोताखोर की सूची, अन्य विभाग के आवश्यक टेलीफोन/ मोबाइल नम्बर की सूची अद्यतन कर जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय। सम्बन्धित बाढ़ शरणालय/ राहत केन्द्र से सम्बद्ध ग्रामों की सूची भी प्रस्तुत की जाय तथा इन स्थानों पर सफाई आदि का ध्यान रखा जाय। तहसीलों पर उपलब्ध आपदा उपकरणों का सत्यापन करा लिया जाय, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार/ जिला पंचायत राज अधिकारी)

7– बाढ़ राहत केन्द्रों पर वायरलेस हैण्डसेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। सम्बन्धित उपजिलाधिकारी ऑकलन कर प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराते हुए प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक)

8– बाढ़ से अतिसंवेदनशील ग्रामों एवं वर्ष 2017 की बाढ़ से मैरूण्ड 200 ग्रामों का निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त विद्युत पोल, ढीले तार तथा ट्रान्सफार्मरों का चिन्हीकरण कर मरम्मत की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाय। प्रत्येक विद्युत केन्द्रों पर लगाये गये सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता आदि की सूची प्रस्तुत की जाय तथा विभाग से सम्बन्धित कार्ययोजना को अद्यतन कर जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही– अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड)

9– जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों की उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार समस्त उपजिलाधिकारी आपात स्थिति में हेलीकाप्टर उतरने हेतु स्थान का चयन कर लें और चिन्हित स्थल की सूची लोक निर्माण विभाग तथा बाढ़ नियन्त्रण कक्ष को उपलब्ध करायें, जिससे कि चिन्हित स्थलों के क्वार्डिनेट्स अधिशाषी अभियन्ता, लो0नि0वि0 से प्राप्त किये जा सके।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार/ अधिशाषी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0)

10– बाढ़ के दौरान लोक निर्माण विभाग तथा एन0एच0 अभियन्ता द्वारा जहॉ सड़कों पर पानी का प्रभाव होगा वहॉ पर बैरीकेटिंग करके आवागमन को रोका जायेगा तथा दिक–परिवर्तन का बोर्ड क्षतिग्रस्त सड़कों पर लगाया जायेगा। अधिशाषी अभियन्ता लो0नि0वि0 अपने सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता के माध्यम से सड़क/पुल/पुलिया की क्षति का पता लगायेंगे और जहां मरम्मत की आवश्यकता है उनको तत्काल ठीक करायेंगे जिससे कि आवागमन बाधित न हो।

(कार्यवाही– अधिशाषी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0/एन0एच0)

11– स्वास्थ्य विभाग मेडिकल टीम का गठन ग्रामवार करें तथा प्राथमिक/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की तैनाती एवं आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। आपदा प्रबन्ध योजना को अद्यतन कराकर जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी)

12– नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत में स्वास्थ्य सुविधाओं के दृष्टि से जिन स्थानों पर जलजमाव होता है वहां पर सम्बन्धित अधिशाषी अधिकारी एण्टी लार्वा, ब्लीचिंग पाउडर व चूना मिलाकर छिड़काव करायें तथा जिन

स्थानों पर जल जमाव है। वहॉ से पानी को निकालने की कार्यवाही की जाय, नगर निकाय अपने–अपने क्षेत्र में स्थापित ओ0एच0टी0 का निरीक्षण ओ0एच0टी0 की सफाई कराये और क्लोरीनेशन कराये। जिससे शुद्ध पानी प्राप्त हो सके। ओ0एच0टी0 की सफाई के दिनांक व क्लोरीनेशन के दिनांक को अंकित कराये।

(कार्यवाही– समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर निकाय)

13– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, बाढ के समय सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के सम्पर्क में रहकर उनकी सहायता हेतु उपलब्ध रहेगे तथा अपने–अपने विकास खण्ड मुख्यालय पर ही रात्रि निवास करेगे। अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी मुख्यालय पर रात्रि निवास करेंगे।

(कार्यवाही– समस्त जिला स्तरीय अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी)

14– गत वर्ष के बाढ के दौरान प्रत्येक मैरूण्ड ग्रामो के परिवारो के मुखिया की सूची तैयार कर ली जाय। जिससे कि राहत वितरण के कार्य सहजतापूर्वक हो सके और उनमे पारदर्शिता बनी रहे। तैयार की गयी सूची की एक प्रति जिला आपदा कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार)

15– शहरी क्षेत्रो में अधिशाषी अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रो में जिला पंचायत राज अधिकारी, सचिवो एवं सम्बन्धित लेखपालो के माध्यम से ऐसे मकानो का चिन्हीकरण करा ले। जो नदी एवं नालो के तलहटी पर बने हो तथा जर्जर हो गये हो। मकानो के चिन्हीकरण से मकानो को खाली कराये जाने में सहजता होगी। जिससे कि वर्षा/बाढ के दृष्टिगत कोई जनहानि न होने पाये।

(कार्यवाही– समस्त अधिशाषी अधिकारी/तहसीलदार)

16– आसन्न बाढ के बचाव हेतु प्रभावितो को दवा एवं राहत सामग्री वितरण किये जाने एवं पशुओं के चारा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के लिए ई–टेण्डर की कार्यवाही त्वरित कराया जाय।

(कार्यवाही– सम्बन्धित विभाग)

17– बाढ के दौरान बचाव एवं राहत कार्य के लिए छोटी–बडी गाड़ियो को आवश्यकता होती है। इस हेतु विभिन्न प्रकार की गाडियो यथा–जीप, मिनी ट्रक, ट्रक, मैजिक,पिकप, लोडर, जे0सी0बी0, क्रेन आदि संचालन योग्य वाहनो की सूची तहसीलवार उपलब्ध कराये, ताकि उन गाड़ियो की आकस्मिक स्थिति में अधिग्रहण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। विभिन्न प्रकार के वाहनो की सूची जिला पूर्ति अधिकारी, श्रावस्ती को भी उपलब्ध करायी जाय। जिससे वाहनो में आवश्यक ईधन आदि का आंकलन कर समस्त पेट्रोल पम्प पर ईधन आरक्षित कराया जा सके।

(कार्यवाही– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी)

18– वर्ष 2018–19 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के तात्कालिक मरम्मत हेतु निम्नलिखित विभागों को धनराशि प्रदान की गयी है, परन्तु अभी तक उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। सभी कार्यदायी संस्थाओं को अतिशीघ्र उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

क्रमांक	विभाग	कुल आवंटित धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	प्रा0ख0, लो0नि0वि0/ ग्रामीण मार्ग	28,34,000	28,34,000
	प्रा0ख0, लो0नि0वि0/ ग्रामीण	3,55,73,000	3,55,73,000
	प्रा0ख0, लो0नि0वि0/ ग्रामीण	1,16,05,000	1,16,05,000

	प्रा0ख0, लो0नि0वि0 का योग	5,00,12,000	5,00,12,000
2	बेसिक शिक्षा/प्राथमिक स्कूल भवन मरम्मत	1,54,70,000	1,54,70,000
3	जलनिगम/हैण्डपम्प प्लेट फार्म मरम्मत	15,00,000	15,00,000
4	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन मरम्मत	23,25,000	23,25,000
	कुल योग	6,93,07,000	6,93,07,000

(कार्यवाही– अधि0 अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0/बेसिक शिक्षा अधिकारी/ अधि0 अभियन्ता, जल निगम/मुख्य चिकित्साधिकारी)

19– समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार आसन्न बाढ के दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करे।

7. पूर्व से स्थापित बाढ चौकियो का निरीक्षण कर लिया जाय। यदि अन्यत्र स्थापित करना हो तो समस्त परिस्थितियो के अनुसार स्थापित कर बाढ चौकियो पर कर्मचारियो की तैनाती करते हुए मोबाईल नम्बर के साथ सूची उपलब्ध करायी जाय।
8. खाद्यान वितरण स्थल, राहत शिविर, पशु शरणालय स्थल का चयन सम्बन्धित ग्रामो के विवरण के साथ उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी की तैनाती करे एवं क्रियाशील मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराये।
9. वर्ष 2017 में 200 ग्राम मैरूण्ड हुए थे तथा कैपिसिटी बिल्डिंग के अन्तर्गत प्रत्येक तहसील से 30–30 ग्राम चयनित करके प्रशिक्षण दिया गया था। जनपद में निम्न स्तर के बाढ से, मध्यम स्तर के बाढ से तथा उच्च स्तर के बाढ से कुल 200 ग्राम बाढ से प्रभावित होते है। इन समस्त ग्रामो से पुनः ग्रामवार गोताखोर/तैराक व आपदा मित्रो, सहयोगियो एवं नाबिको को प्रत्येक ग्राम से चयनित करते हुए क्रियाशील मोबाईल नम्बर के साथ सूची उपलब्ध कराये।
10. चयनित आपदा मित्रो, सहयोगियो को आसन्न बाढ के बचाव हेतु 04 भागो में विभक्त (1–सूचना एवं चेतावनी दल, 2–राहत एवं प्रबन्धन दल, 3–खोज एवं बचाव दल, 4–प्राथमिक उपचार दल) जागरूक एवं प्रशिक्षित किया जाय। प्राथमिक उपचार दल में आशा, ए0एन0एम0, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सम्मलित किया जाय।
11. एयर ड्रापिंग हेतु स्थल का चयन तथा मॉडल राहत कैम्प के कम से कम सबसे संवेदनशील स्थानो के निकट 02 विद्यालयो का चयन कर यह सुनिश्चित किया जाय कि इन विद्यालयो में समस्त

आवश्यक संसाधन उपलब्ध है। इन विद्यालयो का नाम व प्रधानाचार्य का नाम, क्रियाशील मोबाईल नम्बर उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार)

बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं विभागो से अपेक्षा की गयी कि आसन्न बाढ से बचाव हेतु ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करे एवं संवेदनशीलता का परिचय देते हुए टीम भावना के साथ कार्य करे। जिससे कि प्रभावितो को अल्प सूचना पर बचाव एवं राहत कार्य समय से प्राप्त कराया जा सके। आपदा प्रबन्धन की कार्य योजना को अद्यतन कर जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण को उपलब्ध कराये। अन्त में सभी अधिकारियो से सहयोग करने की अपेक्षा के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी
श्रावस्ती।

कार्यालय जिलाधिकारी, श्रावस्ती

संख्या /आपदा–तेरह–बाढ़ बैठक–कार्यवृत्त/ 2019 दिनांक अप्रैल 2019

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– आयुक्त, देवी पाटन मण्डल, गोण्डा।
3– पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती।
4– मुख्य विकास अधिकारी, श्रावस्ती।
5– कमान्डेट, एस0एस0बी0 भिनगा श्रावस्ती।
6– उपजिलाधिकारी / तहसीलदार भिनगा/इकौना/जमुनहा।
7– मुख्य चिकित्साधिकारी श्रावस्ती।
8– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती।
9– अधिशाषी अभियन्ता,बाढ़ कार्य खण्ड श्रावस्ती।
10– अधिशाषी अभियन्ता,सरयू नहर खण्ड छ, बहराइच/ श्रावस्ती।
11– अधिशाषी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड प्रथम बहराइच/श्रावस्ती।
12– अधिशाषी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0 श्रावस्ती।
13– अन्य सम्बन्धित को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी
श्रावस्ती।

शासनादेश जी0आई0–32–7/2014–एनडीएम–1 दिनांक 08–04–2015

अहैतुक सहायता की मानक दरें

क्र0सं0	मद	सहायता की मानक दरें
1	अहैतुक सहायता	
	क–मृतकों के परिवार को देय अनुग्रह सहायता	रू0 4.00 लाख प्रति मृतक
	ख–किसी अंग अथवा आंखों के बेकार हो जाने पर देय अनुग्रह सहायता	1–रू0 59100/– प्रति व्यक्ति (यदि शारीरिक असमर्थता 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के मध्य हो) 2–रू0 2–00 लाख प्रति व्यक्ति (यदि शारीरिक असमर्थता 60 प्रतिशत से अधिक हो)
	ग–गम्भीर चोट जिसके कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़े	1–रू0 12700/– प्रति व्यक्ति (गम्भीर चोट जिसके कारण एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में रूकने की आवश्यकता हो) 2–रू0 4300–00 प्रति व्यक्ति (गम्भीर चोट जिसके कारण एक सप्ताह से कम समय तक अस्पताल में रूकने की आवश्यकता हो)
	घ–जिन परिवारों के घर प्राकृतिक आपदा में बह गये हों/पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गये हों/एक सप्ताह से अधिक समय से गम्भीर रूप से जलमग्न हो गये हों, उनके लिए कपड़े और बर्तन/घरेलू सामग्री हेतु प्रति परिवार सहायता	1–रू0 1800/– प्रति परिवार कपड़ों के नुकसान पर 2–रू0 2000/– प्रति परिवार बर्तन/परिवार हेतु घरेलू सामग्री के नष्ट होने पर
	ड़–आपदा के बाद तात्कालिक जीवन निर्वाह हेतु जरूरतमन्द परिवारों के लिए अहैतुक सहायता। यह सहायता केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जायेगी, जिनके पास संचित खाद्य सामग्री उपलब्ध न हो, या उनके पास संचित खाद्य सामग्री आपदा के फलस्वरूप नष्ट हो गयी हो, उनके पास तात्कालिक सहायता के	1– रू0 60/– प्रति वयस्क 2– रू0 45/– प्रति अवस्यक, जो राहत कैंपों में आवास नहीं कर रहे।

	अन्य स्रोत न हों।	
2	कृषि	
(i)	लघु तथा सीमान्त कृषकों हेतु सहायता	
अ	भूमि तथा अन्य नुकसान हेतु सहायता	
	क–कृषि प्रयोज्य भूमि की डिसिल्टिंग (जहां पर जमा रेत/गाद की मोटाई 03 इंच से अधिक हो। इसे राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत किया गया हो)	रू0 12200/– प्रति आइटम (इस शर्त के साथ कि पीड़ित व्यक्ति ने कोई अन्य सहायता /अनुदान का उपभोग न किया हो/किसी सरकारी योजना में अन्य सहायता /अनुदान हेतु पात्र न हो)
	ख–पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि भूमि से मलबा हटाने हेतु	
	ग–मत्स्य फार्म की डिसिल्टिंग/पुर्नस्थापना /मरम्मत	
	घ–भूस्खलन, हिमस्खलन, नदी के प्रवाह बदलने से भूमि के अधिकांश भूभाग का नष्ट हो जाना	रू0 37500/– प्रति हेक्टेयर (यह सहायता उन लघु तथा सीमान्त कृषकों को उनकी नष्ट हुई भूमि के सापेक्ष अनुमन्य होगी जो राजस्व अभिलेखों में भूमि के विधिक भूस्वामी हों)
ब	कृषि निवेश अनुदान (जहां पर फसल का नुकसान 50 प्रतिशत या इससे अधिक हुआ हो)	
	क–कृषि फसलों, बागवानी फसलों, वार्षिक वृक्षारोपण फसलों के लिए	रू0 6800/– प्रति हेक्टेयर वर्षा असिंचित क्षेत्र में रू0 13500/– प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में 1–बिना बोये हुए क्षेत्र में अथवा परती भूमि में कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य नहीं होगा 2–लघु किसानों को न्यूनतम भूभाग पर भी सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि न्यूनतम रू0 750–00 होगी।

	ख–बारहमासी फसलें	रू0 18000/– प्रति हेक्टेयर सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए 1–बिना बोये हुए क्षेत्र में अथवा परती भूमि में कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य नहीं होगा 2–लघु किसानों को न्यूनतम भूभाग पर भी सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि न्यूनतम रू0 1500–00 से कम न होगी।
	ग–रेशम उत्पादक	रू0 4800/– प्रति हेक्टेयर इरी, मलबरी, टसर के लिए रू0 6000/– प्रति हेक्टेयर मूंगा के लिए
(ii)	लघु तथा सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि निवेश अनुदान	रू0 6800/– प्रति हेक्टेयर वर्षा असिंचित क्षेत्र में रू0 13500/– प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित संचित क्षेत्र में रू0 18000/– प्रति हेक्टेयर सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए
3	पशुपालन	
	लघु और सीमान्त कृषकों/खेतिहर मजदूरों को सहायता	
	i- दुधारू, कृषि भारवाहक पशु की प्रतिपूर्ति	<u>दुधारू पशु</u> 1–भैस/गाय/ऊंट/याक आदि रू0 30000/– की दर से 2–भेड़/बकरी रू0 3000/– की दर से <u>दुधारू पशुओं के अतिरिक्त पशु</u> 1– ऊंट/घोड़ा/बैल आदि रू0 25000/– की दर से 2–बछड़ा, गधा, खच्चर रू0 16000/– की दर से <u>कुक्कुट पालन</u> कुक्कुट रू0 50/– प्रति पक्षी की दर से वास्तविक क्षति के बावजूद देय सहायता की परिसीमा रू0 5000/– प्रति लाभान्वित घरेलू इकाई के दर से देय होगी। कुक्कुट की क्षति अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप हुई हो

	ii-पशु कैम्पों में चारा/दाने, पानी व दवाओं की आपूर्ति का प्राविधान	1–बड़े पशु रू0 70/– प्रति दिवस 2–छोटे पशु रू0 35/– प्रति दिवस
4	मत्स्य पालन	
	i-क्षतिग्रस्त/नष्ट हुए नावों, जालों की मरम्मत/पुर्नस्थापना	1–रू0 4100/– केवल आंशिक क्षतिग्रस्त नौकाओं की मरम्मत हेतु 2–रू0 2100/– केवल आंशिक क्षतिग्रस्त जाल की मरम्मत हेतु 3–रू0 9600/– पूर्णतः क्षतिग्रस्त नौकाओं के प्रतिस्थापना हेतु 4–रू0 2600/– पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के प्रतिस्थापना हेतु
	ii-मत्स्य बीज फार्म हेतु इनपुट सब्सिडी	रू0 8200/– प्रति हे0
	हथकरघा/हस्तशिल्प सेक्टर के दस्तकारों हेतु सहायता	
	i- क्षतिग्रस्त औजार/ संयंत्र के बदलने के लिए	रू0 4100/– प्रति दस्तकर संयत्र हेतु
	ii-कच्चा माल/विनिर्माण की प्रक्रिया में उत्पाद/विनिर्मित उत्पाद	रू0 4100/– प्रति दस्तकार कच्चे माल हेतु
5	क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत/ पुननिर्माण हेतु सहायता	
	क–पूर्णतया क्षतिग्रस्त/नष्ट मकान	
	1–पक्का मकान	रू0 95100/– प्रति मकान मैदानी क्षेत्र रू0 101900/– प्रति मकान
	2–कच्चा मकान	
	ख–अधिकांश क्षतिग्रस्त	
	1–पक्का मकान	
	2–कच्चा मकान	
	ग–आंशिक क्षतिग्रस्त मकान कच्चा	रू0 5200/– प्रति मकान

	अथवा पक्का (झोपड़ी के अतिरिक्त, जहां पर नुकसान 15 प्रतिशत की सीमा तक हो)	
	घ–झोपड़ी क्षतिग्रस्त/नष्ट	रू0 4100/– प्रति झोपड़ी
	ड़–मकान के साथ बनी पशुशाला	रू0 2100/– प्रति पशुशाला

(संलग्नक मद संख्या 10 हेतु)

1. पेयजल आपूर्ति :–

1. हैण्डपम्प/कुओं/स्प्रिंग टैब चैम्बर/पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट, सिर्स्ट के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्म की मरम्मत।
2. क्षतिग्रस्त स्टैण्ड पोस्ट की पुनर्स्थापना, क्षतिग्रस्त पाइप लेन्थ को नये पाइप से बदलने, जल भण्डारण की सफाई, (लीक प्रूफ बनाने हेतु)।
3. क्षतिग्रस्त पम्पिंग मशीन की मरम्मत, ओवरहैड पानी भण्डारण की मरममत और पानी के पम्प की मरम्मत, पहुंचाने के रास्ते/घाट सहित।

2. मार्गः–

1. मार्ग में आयी दरारों और गड्ढों का भराव, पानी के रास्तों हेतु पाइप का प्रयोग किनारों की मरम्मत तथा पत्थर से भराव।
2. खराब टूटे दरार वाले नालों/पुलिया (कलवर्ट) की मरम्मत।
3. तात्कालिक सम्पर्क/परिवहन हेतु पानी में बहे पुलों/किनारों/तटों का डाइवर्जन द्वारा सम्पर्क प्रदान करना।
4. पुल/पुल के किनारों/तटों की अस्थायी मरम्मत, क्षतिग्रस्त रेलिगं पुलों की मरम्मत, तत्काल सम्पर्क हेतु क्षतिग्रस्त मार्ग/पहुंचने के रास्ते की मरम्मत, विभिन्न शरणालय/राहत केन्द्र से आपदा क्षेत्र के मध्य सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु।

3–सिंचाई

1. क्षतिग्रस्त नहर संरचना की तात्कालिक मरम्मत, टैंक, छोटे पानी के भण्डारण का कार्य, सीमेन्ट, सैन्ड बैग, पत्थर के प्रयोग के साथ।
2. . कमजोर क्षेत्र तथा पाइपिंग, सूक्ष्म दरारों का बांध की दीवार/तटबन्धों की मरम्मत।
3. नहर/नालों से खरपतवार/भवन निर्माण सामग्री/मलबों को हटाना।
4. . स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षतिग्रस्त पहुंच मार्ग, भवनों और विद्युत सप्लाई की मरम्मत।

5. . पंचायत की सामुदायिक परिसम्पत्तियां

अ– गांवों के आंतरिक सम्पर्क मार्गों की मरम्मत।
ब– ड्रेनेज/सीवरेज से मलबे की निकासी।
स– आंतरिक जलापूर्ति पाइप लाइन्स की मरम्मत।
द– स्ट्रीट लाइट की मरम्मत।
य– पंचायत घर, प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक केन्द्र, आंगनबाड़ी आदि की अस्थाई मरम्मत।

जनपद श्रावस्ती के अधिकारियों की सूची व उनके मोबाइल नं0

SL. NO	NAME	OFFICE ADDRESS	MOBILE NUMBER	EMAIL ID
1	Sri O P Arya	District Magistrate	9454417538 05250-222288	dmshr@nic.in
2	Sri Aashish Srivastava	Supretendent Of Police	9454400311 05250-222388	spsvi@nic.in
3	Sri Awanish Rai	CDO Shravasti	9454464850 05250-222234	drda-shr@nic.in
4	Sri Yoganand Pandey	ADM(F/R) Shravasti	9454417609 05250-222788	admshravasti@gmail.com
5	Relief Commissioner Office Lucknow	Lucknow	9415437379 0522-2237515 **1070(Toll Free)**	rahat@nic.in
6	Control Room	Shravasti	05250-22288	dmshr@nic.in
7	Sri B C Dubey	Additional SP Shravasti	9454401122 05250-222329	addlspsvi@gmail.com
8	Sri Chandra Mohan Garge	SDM Bhinga	9454416088 05250-222247	sdmbhinga@gmail.com
9	Sri Rajesh Kumar Mishra	SDM Ikauna	9454416089 05252-255966	sdmikauna123@gmail.com
10	Sri Maya Shankar Yadav	SDM Jamunaha	9454418926 05250-245000	sdmjamunha123@gmail.com
11	Sri Raj Kumar Pandey	Tehsildar Bhinga	9454416092 05250-222247	bhingatehsildar@gmail.com
12	Sri Shiv Dhyan Pandey	Tehaildar Ekauna	9454416093	tehikauna@gmail.com
13	Sri Narayan Singh	Tehsildar Jamunaha	9454416095	tehjamunaha123@gmail.com

14	Sri Mukesh Kumar Sharma	Nayab Tehsildar Ikauna	8447756829	
15	Sri Rajesh Pratap Singh	Nayab Tehsildar Bhinga	9648413000	
16	Sri Janki Prasad Shukla	Nayab Tehsildar Jaumnaha	9838895127	
17	Sri Daddan Singh	SO Bhinga	9454404304	
18	Sri jai narayan Shukla	SO Ikauna	9454404306	
19	Sri HariSewak Shukla	SO Sonwa	9454404309	
20	Sri Vijay Bahadur Singh	SO Gilaula	9454404305	
21	Sri Vinod Kumar	SO Mahila Thana	9454404894	
22	Sri Devendra Pandey	SO Malhipur	9454404307	
23	Sri Rahul Singh Yadav	SO Sirsiya	9454404308	
24	Sri Rajesh Kumar	BDO Sirsiya	9415175951	aposirsiya11@gmail.com
25	Sri Upendra Pathak	BDO Hariharpur Rani	9415721445	anupamjaiswal3@gmail.com
26	Sri Chandra Mohan Kanaujiya	BDO Jamunaha	9670248079	apojamunaha@gmail.com
27	Sri Raghvendra Tiwari	BDO Ekauna	9721505719	shukla.gannayak@gmail.com
28	Sri Ramprakash Verma	BDO Gilaula	6395193170	apogilaula@gmail.com
29	Sri Mithelesh Kumar Verma	Executive Engineer Flood Devision	9415329695	

30	Sri Ajay Kumar	Executive Engineer SNK-6	8005480110	
31	Sri Rama Shankar Maurya	Executive Engineer Hydle	9415901449	
32	Sri DP Singh	Executive Engineer Jal Nigam	9473942770	
33	Sri RP Rana	District Agriculture Officer	9454084662	
34	Dr J.S Tomer	CVO Shravasti	9412567472	
35	Sri Jaspal	D.D. Agriculture Shravasti	9415072670 05250222729	dda.shravasti@gmail.com
36	Sri Rajesh Kumar	PD DRDA, Shravasti	9415175951 05250222411	drda-shr@nic.in
37	Sri Ranvijay Singh	DPRO, Shravasti	9452076472 05250222587	dprosp-up@nic.in
38	Sri Girish Kumar	Senior Treasury Officer, Shravsti	8765923665 05250222815	toshr@nic.in
39	Sri P.N. Singh	A.I.G. Stamp Shravasti	9415344325	airr.shravasti@gmail.com
40	Sri Nigam Pratap Singh	DIO NIC	8931895197 05250222783	upshr@nic.in
41	Sri Aagya Prasad Yadav	DFO Shravasti	9415001253 05250-222597	shravastidfo@gmail.com
42	Sri Rakesh Raman	Dist Social Welfare Officer Shravasti	9415350830 05250-222822	dswhrawasti@dirsamajkalyan.in
43	Sri Rajesh Kumar	Dy. RMO	8004579139	dfmo.srv@gmail.com
44	Bhupendra Singh	District Handicap Welfare Officer	7318376520	dhwo4687@gmail.com
45	Rakesh Raman	Dist Social Welfare Officer Shravasti	9839828000	dswhrawasti@dirsamajkalyan.in
46	Ashok Kumar Verma	Exn. PWD Shravasti	9005132001 05250-222961	pdwdswt2012@gmail.com
47	Quamuddin Ansari	DSO Shravasti	7839564701	dshrawasti5@gmail.com
48	Vinay Kumar Tiwari	DDO Shravasti	9454464852 05250-222542	drda-shr@nic.in

49	Dr. VK Singh	CMO Shravasti	8005192695	cmoswti@nic.in
50	Shakeel Ahmad	SDO Phones, BSNL	9415491123	shakeelcdotmaxxl@gmail.com
51	Sri Raj Kumar Shukla	AR Cooperative	9452687191	
52	Sri Mohan Tripathi	District Backword welfare Officer	9076600556	
53	Sri Bhupendra Singh	District Divyangjan Shasaktikaran Officer	7318576520	
54	Sri Devendra Kumar	District Minorty Welfare Officer	9411833070	
55	Sri Akhilesh Kumar	ABSA Hariharpur rani	8765959202	
56	Sri Prem Sagar	District Excise Officer	9450159285	
57	Sri Gyan Prakash Tiwari	DPO Shravsti	8630129780	
58	Sri Vinay Kumar Tiwari	DDO Shravasti	9415434991	
59	Sri Shishir Kumar	BSA-Agriculture	9411209841	
60	Sri Kant Dubey	AMA Zila Panchayat	9415075596	
61	Sri Upendra Pathak	DC Manrega	9415721445	
62	Sri Bharat Bhushan jaiswal	ABSA Gilaula	87659592011	
63	Sri Suresh Kumar	AD Fisheries	9410064292	

प्रेस प्रतिनिधियों की सूची ,जनपद–श्रावस्ती।

❖अमर उजाला–प्रभारी– श्री विभाकर शुक्ला
❖दैनिक जागरण–प्रभारी–श्री मुकेश पाण्डेय
❖हिन्दुस्तान–प्रभारी– श्री सोहन लाल मिश्र
❖राष्ट्रीय सहारा–प्रभारी– श्री नागेन्द्र अस्थाना
❖जनमोर्चा–प्रभारी– श्री उमेश चन्द्र गुप्ता
❖भिनना टाइम्स –संपादक– श्री सुरेश कुमार गुप्ता
❖भिनना टाइम्स –प्रभारी– श्री राधेश्याम तिवारी
❖दैनिक आज–प्रभारी– श्री अवधेश कुमार मिश्र
❖स्वतंत्र भारत–प्रभारी–श्री राजीव टण्डन